CRITICAL EVALUATION OF NABARD IN RURAL ECONOMICS WITH SPECIAL REFERENCE TO U.P.

THESIS

Submitted to the University of Allahabad for Degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN COMMERCE

Submitted by

ASHUTOSH SHUKLA

Supervised by

DR. H. K. SINGH

M.Com., D.Phil.

Deptt. of Commerce and Business Administration
University of Allahabad, Allahabad

Department of Commerce and Business Administration
University of Allahabad, Allahabad
2002

प्राक्कथन

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी जनसंख्या का लगभग ७० प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है। अपने देश में कृषि एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में अपनायी गई है। भारत में कृषि मात्र जीविकोपार्जन का साधन न होकर अर्थव्यवस्था का मेरूदण्ड भी है। आज कृषक की बढती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक हो गया है कि कृषि को एक लाभकर व्यवसाय बनाया जाए। कृषि विकास हेतु आवश्यक है कि कृषक के पास वित्त के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो, जिससे वह उन्नतशील बीज, उत्तम खाद, नवीन यंत्र, सिचाई के साधन तथा कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति सरलतापूर्वक कर सके। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु भारत सरकार ने अनेक प्रयास किये, उन्ही प्रयासों में एक सार्थक प्रयास नाबार्ड की स्थापना था। भारतीय रिजर्व बैंक एवं तत्कालीन सरकार ने कृषक की कृषि वित्त की समस्या दूर करने के उद्देश्य से नाबार्ड की स्थापना की। नाबार्ड ने अपनी स्थापना काल १९८२ से लेकर आज २००२ तक कृषि एवं ग्रामीण विकास में अहम् भूमिका निभाई है।

आज नाबार्ड ग्रामीण वित्त का महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। नाबार्ड के द्वारा बैंकिंग संस्थाओं को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे किसानों को सरलतापूर्वक वित्त उपलब्ध हो सके। नाबार्ड की स्थापना से कृषि की दशा में व्यापक सुधार हुए हैं, आज किसान कृषि से अतिरेक अर्जित करनें में सफल हुए है। आज कृषि में सुधार हुआ है, किसानों की दशा में परिवर्तन हुआ है तथा ग्रामीण विकास हुआ है किन्तु ये पर्याप्त नहीं हैं। कृषि की दशा में जिन परिवर्तनों की आशा की गई थी, जिन लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था वे आज भी अधूरे हैं। इसका एक प्रमुख कारण है नाबार्ड की असंतोषजनक भूमिका।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नाबार्ड के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है। इसमें कृषि वित्त की प्रारम्भिक आवश्यकता से लेकर कृषि वित्त पूर्ति के साधनों का परीक्षण किया गया है जिसके द्वारा ग्रामीण वित्त की पूर्ति की जाती है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में ग्रामीण वित्त पूर्ति के साधनों का व्यवस्थित विश्लेषण किया गया है तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास में नाबार्ड के आलोचनात्मक योगदान पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत ग्रंथ में नाबार्ड के योगदान व कमियों का सुव्यवस्थित विश्लेषण करते हुए उनमें सुधार हेतु संस्तुतियां दी गई है।

शोध प्रबन्ध को अधिक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय बनाने हेतु प्राथमिक आंकड़ो का एकत्रीकरण एवं सांख्यिकीय विश्लेषण, तालिका प्रतिशत विधि, दण्ड चित्रों आदि के द्वारा किया गया है जिनसे यह स्पष्ट हो सके कि कृषि वित्त एवं ग्रामीण विकास की वर्तमान स्थिति क्या है। इसी समस्या को ध्यान में रखकर शोध प्रबन्ध **"ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नाबार्ड के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन"** आप के समझ प्रस्तुत किया गया है।

शोध प्रबन्ध को सात अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम अध्याय में कृषि की महत्वपूर्णता एवं आवश्यकता के विषय में प्रकाश डालते हुए, स्वतंत्रता पूर्व से लेकर कृषि की वर्तमान दशा को स्पष्ट किया गया है, साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारत में कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय का स्थान रखती है व अर्थव्यवस्था में मेरूदण्ड का कार्य करती है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग गांवों में निवास करती है। जिनकी जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन कृषि है अतः कृषि की दशा उत्तम होनी चाहिए जबकि वास्तविकता यह नहीं है अतः कृषि की वर्तमान स्थिति को प्रथम अध्याय में स्पष्ट किया गया है। द्वितीय अध्याय में भारत में ग्रामीण वित्त की दशा को स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीणों को अपनी कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्त किन-किन साधनों से प्राप्त होता है। स्वतंत्रता पूर्व से लेकर आज तक भारत में ग्रामीण वित्त की समस्या बनी हुई है अतः द्वितीय अध्याय में ग्रामीण वित्त पूर्ति के साधनों का उल्लेख किया गया है। तृतीय अध्याय में ग्रामीण वित्त पूर्ति की

अपर्याप्तता को स्पष्ट करते हुए विभिन्न कमीशनों एव कमेटियों की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना का वर्णन किया गया है। नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्‌देश्य ग्रामीण वित्त की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करना था। जिसके लिए नाबार्ड को बैंकिंग सस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करने का कार्य सौपा गया जिसका उल्लेख इस अध्याय में किया गया है। चतुर्थ अध्याय में नाबार्ड की संगठनात्मक सरचना का उल्लेख किया गया है जिसकी सहायता से नाबार्ड कुशलता पूर्वक कार्य कर सके व अपनी स्थापना के उद्‌देश्यों को पूर्ण कर सके। पांचवें अध्याय में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नाबार्ड के योगदान को स्पष्ट किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार नाबार्ड विभिन्न बैंकिंग संस्थाओं की सहायता से ग्रमीण वित्त की पूर्ति कर रहा है। छठवें अध्याय में नाबार्ड की कमियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है तथा यह बताया गया है कि किन कारणों से नाबार्ड अपने स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है। सातवें व अन्तिम अध्याय मे शोध प्रबन्ध के आधार पर निष्कर्ष एवं नाबार्ड की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु उपाय बनाये गये है ताकि नाबार्ड सफलतापूर्वक कार्य कर सके।

शोध प्रबन्ध की पूर्णता हेतु मैं अपने शोध निर्देशक डॉ. हरेन्द्र कुमार सिंह के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने विभिन्न स्तरों पर शोध प्रबन्ध की मौलिकता एवं गुणवत्ता बनाने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन किया। वास्तव में मैं उनके ही प्रोत्साहन एवं दिशा निर्देश के कारण इस शोध प्रबन्ध को पूरा करनें में सफल हुआ हूं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग के अध्यक्ष प्रो. के. एम. शर्मा के प्रति भी हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने मेरे शोध प्रबन्ध के पूरा होने में अपार सहयोग प्रदान किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय के अधिष्ठाता प्रो. पी. एन. मेहरोत्रा मेरे शोध कार्य के दौरान सदैव प्रेरणा स्रोत रहे हैं जिनके प्रति आभार ज्ञापन हेतु, मेरे पास शब्दाभाव है। मैं अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परमश्रद्धेय गुरूजनों विशेषतया प्रो. राजशेखर, प्रो. रमेन्दु राय, प्रो. एस. ए. अन्सारी, आदि के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सदैव सहयोग प्रदान किया है।

मै अपने परिजनों विशेष रूप से अपने पूज्य पिता जी श्री प्रमोद कुमार शुक्ला एवं पूज्यनीय माता जी श्रीमती आशा शुक्ला का विशेष आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया है और जिनके आर्शीवाद से यह कार्य पूरा हुआ। मैं अपने अग्रज श्री आनन्द शुक्ला को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सदैव इस कार्य हेतु प्रोत्साहित किया है तथा सदैव प्रेरणा स्रोत रहे है।

अन्त में मैं अपने समस्त मित्रों तथा श्री देवेन्द्र त्रिपाठी को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने तत्परता एवं अदम्य उत्साह के साथ शोध प्रबन्ध को मुद्रित किया जिससे कि मैं समय से इसे प्रस्तुत कर पा रहा हूँ।

शोधकर्ता
Ashutosh Shukla
(आशुतोष शुक्ला)
वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक : 1-11-2002

स्थान : इलाहाबाद

विषय-सूची

अध्याय–1

प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश है व इसकी अर्थव्यवस्था पूर्णतया कृषि पर निर्भर है। देश की जनसंख्या का लगभग ७० प्रतिशत भाग (वर्ष २०००-०१ की जनगणना के अनुसार) गाँवों में निवास करता है। भारत मे कार्यशील जनसंख्या का लगभग ६८ प्रतिशत भाग सक्रिय रूप से कृषि कार्य में लगा हुआ है। गाँवों में रहने वाले व्यक्तियों विशेष तौर से भूमिहीन मजदूर छोटे व सीमान्त कृषक, बंधुआ मजदूर एवं समाज के पिछड़े तबके के लोग अनुसूचित जाति व जनजाति श्रेणी के व्यक्तियों की माली हालत निर्बल है। इन श्रेणी के व्यक्तियों के पास उत्पादन के साधनों का अभाव, ज्ञान व तकनीकी जानकारी का अभाव, भूमि पर पूर्णतया निर्भर रहना, परम्परागत खेती के तरीके, वित्त का अभाव आदि कारणो से ये लोग निरन्तर गरीबी के वातावरण में जकड़े हुए हैं। गाँवों में गरीबी इतनी व्याप्त है कि दो समय का भोजन व मूल जरूरत की चीजों का अभाव है। गरीबी को कम करना भारत सरकार का प्रमुख उद्देश्य है जिसके लिए गाँवों में पर्याप्त वित्त की व्यवस्था होना नितान्त आवश्यक है। भारतीय कृषकों की वित्त व साख की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए शाही कृषि आयोंग ने भी एक बार कहा था, ''भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में ही जीवन व्यतीत करता है ऋण में ही मर जाता और ऋण अपने पुत्रों के लिए छोड़ जाता है।''

कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और प्रारम्भिक राष्ट्रीय उद्देश्यों के सफल कार्यान्वियन एवं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सुनिश्चित साख योजना महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साख योजना -

''कृषि वित्त पोषण'' का स्वरूप अत्यन्त व्यापक होता जा रहा है। कृषि वित्त पोषण का विभिन्न समयों मे भिन्न-भिन्न अर्थ हो सकता है। कृषि विकास के समग्र पहलुओं पर ध्यान देने के साथ समन्वित ग्रामीण विकास और कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगो को कृष्येत्तर हिस्से के वित्त पोषण के क्षेत्र में ही सम्मिलित किया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन मे आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के साथ-साथ ग्रामीण रोजगार साधनों में वृद्धि के द्वारा कृषि के क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अवरूद्ध आय में बढ़ोत्तरी लाना है। कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी, अल्प रोजगारों वाले ग्रामीणों के दबाव को कृष्येत्तर और कृषि पर आधारित कृष्येत्तर रोजगार में लगाकर कम करने का सफल प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर विकासात्मक कार्य में सम्बद्ध सभी संस्थाओं के ग्रामीण साख कार्यकलापों में समन्वय हेतु विशेष कार्यक्रमों को बनाने, ऋण वितरण प्रणाली को क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप करने तथा इस कार्य में संलग्न वित्तीय संस्थाओं की कार्यक्षमता एवं कार्यप्रणाली में सुधार लाने की विशेष आवश्यकता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और कृषि कार्यकलापों का विस्तार करने के लिए भारत सरकार ने योजनाकाल के प्रारम्भ से ही पर्याप्त ध्यान दिया है। इसी संदर्भ में ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी का १९५१ में गठन किया गया था, जिसने १९५४ में अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते हुए कृषि वित्त पोषण व्यवस्था में आधारभूत सुधार पर विशेष बल दिया और स्पष्ट किया कि संस्थागत साख योजना उचित ढंग से उचित लोगों तक पहुँचाने के लिए इससे सम्बद्ध वित्तीय संस्थाओं में तो समन्वय होना ही चाहिए साथ ही इसके उचित कार्यान्वियन में केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य में व्यापक समन्वय, पर्याप्त सहयोग की भावना एवं सक्रियता आवश्यक है। ऋण नीति में सबसे अधिक प्राथमिकता लघु एवं सीमान्त कृषकों एवं अन्य कमजोर वर्गों को मिलनी चाहिए। यदि वित्त पोषण सहायता समय पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए और समय-समय पर ऋण प्रयोजन हेतु पर्यवेक्षण किया जाय तो कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में निश्चय ही परिमाणात्मक एवं गुणात्मक सुधार होगा एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आधुनिक बैंकर तो कृषि वित्त पोषण को महत्वपूर्ण दायित्व मानता है तथा किसान समुदाय के

जीवन में अपनी बढ़ती हुई सहभागिता की आवश्यकता महसूस करता है। इस शताब्दी के प्रथम दशक के अंत तक शायद यह देश के प्रत्येक किसान तक पहुँच जायेगा और इसमें कई हजार करोड़ रूपये लग जायेंगे और यह राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण भाग के लिए संजीवनी की तरह कार्य करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक सुविधांए प्रदान करने, कृषि एवं कृष्येत्तर कार्यकलापों में समन्वय के द्वारा आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा निजी कृषकों और उनके परिवारों के अधिकाधिक कल्याण करनें एव उनसे घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने पर विशेष बल दिया है, जो कि भविष्य के लिए इस दिशा में महत्वपूर्ण संकेत है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ऋण संस्थाओं के संसाधनों में कृषि, विकास के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को सुनिश्चित करने एवं ऋण वितरण प्रणाली को सरल एवं न्यायपूर्ण बनाये जाने पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। कृषि एवं ग्रामीण सैाख व्यवस्था में सहभागी संस्थाओं पर नाबार्ड (**National Bank For Agricultural And Rural Development - NABARD**) का प्रत्यक्ष नियंत्रण भी इस दिशा में लक्ष्य प्राप्ति हेतु काफी प्रभावकारी हो सकता है।[1]

नाबार्ड का प्रार्दुभाव :-

वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) कृषि एवं ग्रामीण विकास हे एक अग्रणी एवं समर्पित संस्था है। इसकी स्थापना जुलाई १९८२ में श्री शिवरमण राष्ट्रीय कृषि आयोग क संस्तुति पर की गयी थी। समन्वित ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों को समृद्ध बनानें नाबार्ड की सराहनीय भूमिका है। प्रारम्भ में भारत सरकार ने ग्रामीण वित्त की पूर्ति का कार्य भारतीय रिज बैंक को सौपा। भारतीय रिजर्व बैंक आंफ इण्डिया ने ग्रामीण साख की सुचारू पूर्ति के लिए एक पृथ विभाग, ''कृषि साख विभाग'' की स्थापना की। इस विभाग का एक मात्र कार्य था ग्रामीण साख अध्ययन करना एवं उसकी आवश्यकता का अनुमान लगाकर ग्रामीण साख की पूर्ति करना। कृषि स विभाग ने अपनी स्थापना काल १९३५ से लेकर अगले बीस वर्षों तक ग्रामीण वित्त में सराहनीय योग

प्रदान किया, किन्तु यह योगदान भारतीय कृषि वित्त के लिए पर्याप्त नहीं था अत. भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंण्डिया ने अन्य पृथक विभागों की स्थापना का निर्णय लिया। और व्यापारिक बैंको को पुनर्वित्त प्रदान करने एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने हेतु १९६३ में ''कृषि पुनर्वित्त कारपोरेशन'' "**Agricultural Refinance Corporation**" (ए०एफ०सी०) की स्थापना की गई, जिसने भारतीय कृषि हेतु पर्याप्त ग्रामीण वित्त प्रदान करने का प्रयास किया। कुछ समय पश्चात् कृषि पुनर्वित्त कारपोरेशन का नाम परिवर्तित करके "कृषि पुनर्वित्त एवं विकास कारपोरेशन" "**Agricultural Refinance and Development Corporation**" (ए०आर०डी०सी०) कर दिया गया। वैसे तो कृषि पुनर्वित्त एवं विकास कारपोरेशन सफलतापूर्वक कार्य कर रहा था किन्तु कृषि वित्त की अत्याधिक मांग को देखते हुए, एक अन्य पृथक विभाग की स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने ''कृषि वित्त कारपोरेशन'' "**Agricultural Finance Corporation**" (ए०एफ०सी०) की स्थापना की। जिसका प्रमुख कार्य था सहकारी संस्थाओं, ग्रामीण बैंको, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंको आदि वित्तीय संस्थाओं को अल्पकालीन ऋण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करना। जिससे ग्रामीण वित्त की मांग को पूरा किया जा सके। इन दोनों विभागों के कियाकलापों की जांच करने, कार्याविधि का मूल्यांकन करने एवं यह देखने के लिए कि ये ग्रामीण वित्त की पूर्ति करने में किस स्तर तक सफल हुए हैं, अनेक कमेटियों एवं कमीशनों का गठन किया गया जिन्होंने इन दोनों विभागों के बारे में सकारात्मक रिपोर्ट दी। इसके साथ ही सरकार द्वारा अनेक कमेटियां गठित की गई जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के किया कलापों का एवं उसके दोनों विभाग ''कृषि पुनर्वित्त एवं विकास कारपोरेशन'' एवं ''कृषि वित्त कारपोरेशन'' के क्रिया कलापों का अध्ययन किया। इन कमेटियों में ज्यादातर कमेटियों ने भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के कार्यों के विकन्द्रीकरण की सिफरिश की। बैकिंग कमीशन (१९७२) ने भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के कार्यों के विकेन्द्रीकरण की जबरजस्त सिफारिश करते हुए इस बात की सलाह दी कि ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु, स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दोनों विभागों को मिलाकर एक पृथक राष्ट्रीय स्तर की संस्था

की स्थापना की जाए जो कि राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण वित्त का पूर्ति को कार्य करें एवं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा निर्देशन में कार्य करे। इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि आयोग (१९७६) ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को अपने परम्परागत क्रियाकलापों को छोड़कर नये कार्यो की ओर ध्यान देना चाहिए और कृषि वित्तीयन के अपने ऐतिहासिक कार्य को किसी अन्य राष्ट्रीय संस्था को सौप देना चाहिए। जो कृषि आवश्यकता का निचले स्तर से अध्ययन करके, कृषि वित्त की पूर्ति करे।

विभिन्न आयोगों एवं कमेटियों की सिफारिश पर ३० मार्च १९७९ को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के तत्कालीन गवर्नर श्री आई जी पटेल ने एक आठ सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष के रूप में श्री बी० शिवरमण को नियुक्त किया गया। इस कमेटी का मुख्य कार्य था ग्रामीण आवश्यकता का अनुमान लगाना एवं कृषि पुनर्वित्त एवं विकास कारपोरेशन (ए०आर०डी०सी०) के क्रिया कलापों संगठनात्मक ढांचे एवं इसकी उपयोगिता का मूल्यांकन करना। चूंकि इस कमेटी के अध्यक्ष श्री बी० शिवरमण थे अतः इस कमेटी का नाम शिवरमण कमेटी रखा गया। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार शिवरमण कमेटी को अपनी रिपोर्ट ३१ दिसम्बर १९७९ तक प्रस्तुत करनी थी। शिवरमण कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट नवम्बर १९७९ को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के समक्ष प्रस्तुत की। शिवरमण कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट सिफारिश की कि भारतीय ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु एक राष्ट्रीय स्तर की पृथक संस्था की नितान्त आवश्यकता है। यह राष्ट्रीय स्तर की संस्था भारतीय रिजर्व बैंक से पृथक संस्था के रूप में कार्य करेगी। इस राष्ट्रीय संस्था का प्रबन्ध एवं संचालन स्वयं का होगा लेकिन यह भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के निर्देशन में एवं पूर्णतया समन्वय स्थापित करके कार्य करेगी। शिवरमण कमेटी ने राष्ट्रीय स्तर की पृथक संस्था का नाम ''राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक'' ***National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD)*** नाबार्ड प्रस्तावित किया शिवरमण कमेटी की सिफारिश पर भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने

ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु एक पृथक संस्था नाबार्ड की स्थापना का निर्णय लिया। नाबार्ड की स्थापना हेतु ड्राफ्ट बिल तैयार करने का कार्य शिवरमण कमेटी को सौंपा गया और शिवरमण कमेटी ने नाबार्ड की स्थापना का ड्राफ्ट बिल तैयार किया जो कि दस अध्यायो में विभाजित था। इन अध्यायों में नाबार्ड की स्थापना. नाबार्ड की पूंजी. नाबार्ड का स्टाफ. नाबार्ड के क्रियाकलाप आदि तथ्यों को शामिल किया गया। शिवरमण कमेटी के द्वारा नाबार्ड की स्थापना का ड्राफ्ट बिल प्रस्तुत कर दिया गया और १२ जुलाई १९८२ से नाबार्ड ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

इसने अपने स्थापना काल १९८२ से ही ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक कार्य-कलापों को तैयार किया है तथा इसकें लिए निवेश ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के मध्य अनुकूलतम तालमेल स्थापित करने के अपने प्रारम्भिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सफल प्रयास किया है। नाबार्ड के निर्देशन में ही ऋण संस्थाओं ने समानता के साथ वृद्धि के सिद्वान्त को आधार बनाया है और कृषि एवं कृष्येत्तर कार्य-कलापों के विविधीकरण हेतु संवितरण ऋण का काफी बड़ा भाग समाज के कमजोर वर्गो को उपलब्ध कराया है। भारत सरकार द्वारा बनाये गये विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को नाबार्ड के अनुसरण में ही अन्य बैंको के द्वारा गरीबों तक पहुॅचाया गया है। नवीनतम आकड़ों के अनुसार गरीबी सेवा में नीचे लोगों की संख्या १९८४-८५ में २७ करोड़ ६ लाख से घट कर १९८९-९० में २१ करोड़ ८ लाख रह गई तथा वर्ष १९९९-२००० में घट कर १७ करोड़ १३ लाख शेष रह गई है। ग्रामीणऋण वितरण केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने उनऋण एजेन्सियों को अधिक पुनर्वित्त सुविधांए प्रदान की है। जिन्होने ग्रामीण शाखा विस्तार कार्यक्रमों को प्रभावशाली बनाने में रूचि ली है। इन प्रयासो के फलस्वरूप ग्रामीणऋण की आपूर्ति में १९६९-७० और १९८९-९० के मध्य लगभग १३.६ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है तथा वर्ष १९९९-२००० में नाबार्ड द्वारा ५,७३५ करोड़ रूपये के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीनऋण दिये गये। जिसमें कि कृषि और गैर कृषि क्षेत्र के वित्त पोषण हेतु दिये गये पिछले वर्ष के ऋण की तुलना में १६.१ प्रतिशत वृद्धि हुई है। ऋण कर्ताओं के मध्य अधिक निकटता एवं

मधुर सम्बन्ध स्थापित करने, ऋण की आसान उपलब्धता, पर्याप्तता और समय परकता, ऋणकर्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान करने, ऋणकर्ताओं के ऋण के अनुकूलतम उपयोग हेतु, जागरूकता हेतु आदि कार्यक्रमों के सम्बन्ध में ऋण एजेन्सियों के अधिकारियो को समय-समय पर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई है। प्रशिक्षण केन्द्रों में बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (**BIRD**) हजरतगंज लखनऊ, राष्ट्रीय बैंक ऑफ स्टाफ महाविद्यालय अलीगंज लखनऊ, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, स्कूल बागान-बोलपुर तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र कोडियाबेल मंगलूर प्रमुख हैं।

वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) लघु सिंचाई, भूमि विकास, कृषि मशीनीकरण, बागान बागवानी, मुर्गी, भेड़, सुअर पालन, मत्स्य पालन, डेरी विकास केन्द्र, वानिकी, गोबर गैस संयंत्र, गैर कृषि क्षेत्र ग्रामोद्योग के विकास जिसमें कृषि उद्योग पर आधारित उद्योग सम्मिलित है, आदि के लिये सम्बन्धित ऋण एजेन्सियों को पुनर्वित्त की सहायता उपलब्ध कराती है। नाबार्ड का उद्देश्य इस प्रकार से सहायता उपलब्ध कराना है जिससे क्षेत्रीय असंतुलन दूर हो तथा विकास निचले स्तर से समानता के साथ हो।[2]

कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सफल संचालन में वित्तीय संसाधन महत्वपूर्ण है। उधार की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि से बैंकों पर निस्संदेह दबाव पड़ेगा। २४ जुलाई १९९२ को तत्कालीन वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया था, उसके अनुसार योजना खर्च की ५० प्रतिशत राशि ग्रामीणों पर व्यय करने की घोषणा की गई थी। इसी उद्देश्य से छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए कुँए खोदने तथा नलकूपों के लिए सहायता देने की योजनाओं की राशि दुगुनी कर दी गयी। स्पष्ट है कि नई अभिनव योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी। १९९२-९३ में उर्वरक सम्बन्धी आर्थिक सहायता हेतु ५,००० करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया जबकि १९९१-९२ बजट में प्रावधान ४,००० करोड़ रूपयें का किया गया था, किन्तु वास्तविक व्यय ४८,०० करोड़ रूपये हुआ। इसी प्रकार वर्ष २००१-०२ के बजट में ग्राम सड़क योजना के लिए २५०० करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया

तथा आर.आई.डी.एफ. ७ की संचिति को अगले वर्ष ४५०० करोड़ से बढ़ाकर ५००० करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया तथा नाबार्ड द्वारा लगाई गई ब्याज दर ११.५ प्रतिशत को घटाकर १०.५ प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए बजट मे २६१० करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन वर्गो को संरक्षण देने हेतु ५०० करोड़ रूपये की राशि का अतिरिक्त आवटन भी राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि में से किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त ४८० करोड़ रूपये आर्थिक सहायता के रूप में व्यय करने का भी प्रावधान है। सरकार ने १९९२-९३ के बजट में प्रयोग के तौर पर लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ स्थापित करने का भी विचार बनाया है। इसी प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंर्तगत वर्ष १९९८-९९ तक ११० लाख क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके थे। नाबार्ड को वर्ष २००१-०२ के दौरान एक लाख अतिरिक्त स्वसहायता समूहों से जोड़ने की आशा की जा रही है जिससे २० लाख अतिरिक्त परिवारों को क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित यह स्वायत्त संगठन देश के विभिन्न भागों में १२ प्रमुख परियोजनायें प्रारम्भ करेगा जिनमें राज्य सरकारों, कृषक परिवारों और उद्योगों की साझेदारी होगी। लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ की स्थापना निश्चय ही कृषि के निचले स्तर से विकास को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण दिशा होगी।

कृषि के कारगर वित्त पोषण के लिए कृषि उधारों की पूर्व सुव्यवस्थित योजनायें बनाई जानी चाहिए क्योंकि सरकार द्वारा बनाई गई कृषि वित्त पोषण की योजनाओं के सफल संचालन में बैंकों की अग्रणी भूमिका होती है अतः लक्ष्य प्राप्ति हेतु योजनाबद्ध और व्यापक क्षेत्र दृष्टिकोण नीति अपनानी होगी। ग्रामीण बैंकिंग संस्थाओं को ग्रामीणों की असली ऋण आवश्यकताओं का पता होना चाहिए और इसी के अनुरूप वित्त सुविधा लोच के साथ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इससे कृषि वित्त पोषण के मामले में एक स्वस्थ वातावरण तैयार हो सकता है।

कृषि वित्त पोषण में कृषि आय पर कर अंशदान के द्वारा कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में काफी मदद मिलेगी। अतः कृषि साख और विपणन में सामंजस्य स्थापित करने तथा कृषि आय पर कराधान को विस्तृत बनाने तथा समानता को बढ़ावा देने के किसी भी उपाय का राष्ट्रीय हित में स्वागत किया जा सकता है।

भारत मे कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय मानी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। भारतीय कृषि पर जनसंख्या भार ज्यादा होने के कारण कृषि अलाभकर हो जाती है। यहा किसानो के पास भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े है सिंचाई के उत्तम साधनों का अभाव है, किसानों को नवीन कृषि तकनीकों का ज्ञान नहीं है, उत्तम किस्म के बीजों का अभाव है, भण्डार गृहों कीकमी है गांवों तक यातायात के उचित साधन उपलब्ध नहीं है और सबसे बड़ी कमी है वित्त का अभाव। हमारे कृषकों के पास अन्य संसाधनों की कमी के साथ ही वित्त का भी अभाव रहता है। जिसके अनेक कारण है एक तो किसानो का अशिक्षित होना दूसरा बैंकिंग व्यवस्था त्रृटिपूर्ण होना। ज्यादातर कृषको के पास सीमान्त कृषि ही उपलब्ध है जिसके कारण वे जितनी लागत कृषि कार्य में लगाते है लगभग उतनी ही कीमत की फसल होती है जिससे किसान लगातार ऋण में दबते जाते है। गांवों में रीति रिवाजों एवं संस्कारों की संख्या भी कुछ ज्यादा होती है और किसान उन पर आवश्यकता से अधिक व्यय भी करते है। इसका सबसे बड़ा लाभ साहूकारों को होता है। साहूकार आवश्यकता पड़ने पर किसानों को सरलता पूर्वक ऋण प्रदान करते है किन्तु उसके बदले में मनमाना ब्याज लेते है जिससे किसान लगातार ऋण में ही दबा रहता है जिससे साहूकार किसानों की फसल अपने मनमानें दामों में खरीदते है अन्त में स्थिति यह आती है कि किसान के पास वर्ष भर खाने के लिए भी धन शेष नहीं बचता है और वह भुखमरी के कगार पर पहुंच जाता है। दूसरा कारण हमारी दोषपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था है। एक तरफ तो हम यह दावा करते है कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था बहुत उत्तम है, हमनें गांवों-गांवों में बैंक खोल रखे है किन्तु यह दावा मात्र दिखावा है यदि हम अशिक्षित किसान की दृष्टि से देखे तो हम पायेंगे कि आज की हमारी बैंकिंग व्यवस्था से किसान को लेश मात्र भी

लाभ नहीं पहुंचता है। बैंकों की लम्बी-लम्बी कागजी कार्यवाही एक ही कार्य के लिए दस बार दौड़ाने की अधिकारियों की आदत एव घूसखोरी के व्याप्त भ्रष्टाचार से गरीब किसान को वित्तीय सहायता कभी भी समय से प्राप्त नहीं हो पाती थी और अंत में किसान वित्त की व्यवस्था या तो अपने व्यक्तिगत स्रोतों से करता है या फिर साहूकार के चगुल मे फसता है और आजीवन भर के लिए ऋण के दलदल में फंस जाता है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा कि हमारी वर्तमान बैंकिग व्यवस्था पूर्णतया दोषपूर्ण है और ये कुल ग्रामीण वित्त की मांग का मात्र ४९ प्रतिशत भाग ही पूरा कर पाते है और शेष ग्रामीण वित्त की मांग की पूर्ति साहूकारों द्वारा या किसानों के व्यक्तिगत स्रोतों द्वारा पूरी की जाती है। साथ ही ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की इस बात की सिफारिश की वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन की आवश्यकता है, बैंकिंग व्यवस्था में कुशल नियंत्रण, उत्तम समन्वय, तथा सरल एवं लचीली बैंकिंग व्यवस्था की नितांत आवश्यकता है जिससे एक गरीब, अशिक्षित किसान भी लाभान्वित हो सके और किसानों को साहूकारों के चगुल में न फसना पडे। बैंकिंग व्यवस्था में व्यापक नियंत्रण एव समन्वय स्थापित करने के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई। चूंकि नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण वित्त की पर्याप्त व्यवस्था करना है। जिसके लिए नाबार्ड के द्वारा व्यापारिक बैंकों, ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, सहकारी संस्थाओं को एवं कोई वित्तीय संस्था जो ग्रामीण विकास में लगी हो को पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है। नाबार्ड के द्वारा बैंकों का पर्यवेक्षण भी किया जाता है जिससे उनकी कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखा जा सके। नाबार्ड किसानों से व्यक्तिगत सम्पर्क का प्रयास भी करता है जिसके लिए क्षेत्र के ग्रामीण बैंक को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है जो कि एक कार्यक्रम आयोजित करके किसानों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करते है एवं उनकी सलाह एवं समस्याओं को नाबार्ड तक पहुंचाते है ऐसे कार्यक्रमों का पूरा व्यय नाबार्ड के द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रकार नाबार्ड ग्रामीण वित्त की पूर्ति करने का अथक प्रयास कर रहा है। जिससे किसानों को ऋण के दलदल से निकाला जा सके। तथा

भारतीय किसान के सम्बन्ध में कहे जाने वाले यह तथ्य कि भारतीय किसान ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में ही मर जाता है और ऋण ही अपने पुत्रों के लिए छोड़ जाता है'' को गलत साबित किया जा सके।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की महत्वपूर्ण भूमिका है और इस क्षेत्र में इनकी उपलब्धिया उल्लेखनीय है परन्तु इनकी प्रगति पर सावधानी से अवलोकन करने एवं इनके विकास के मार्ग में आने वाले अवरोधों को दूर करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा हो सके तो निश्चित ही यह संस्थायें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल होगी एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में यह मील का एक पत्थर सिद्ध होगी।[3]

इसमें कोई संदेह नही है कि १९५५ से जब इम्पीरियल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक मे परिवर्तित हुआ तथा उससे कृषि वित्त की बढ़ती-हुई मॉंग को पूरा करने के लिए कहा गया और विशेषकर १९६८ में व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण तथा १९६९ में देश के चौदह बड़े व्यापारिक बैंकों एवं १९८० - में उच्च ६ व्यापारिक बैंकों के पुनः राष्ट्रीयकरण के बाद (ये २० राष्ट्रीयकृत बैंक देश में कुल बैंकिंग व्यवसाय का ९० से ९५ प्रतिशत पूरा करते हैं।) कृषि वित्त के क्षेत्र में संस्थागत साख (व्यापारिक बैंक तथा सहकारी समितियॉं एवं अन्य विशिष्ट संस्थायें) में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस प्रकार संस्थागत साख जो १९५१-५२ में लगभग ६ प्रतिशत थी वह १९८०-८१ में बढ़कर ३५ प्रतिशत हो गयी तथा वर्ष २००१-०२ तक ५४ प्रतिशत होने की संभावना है। एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में आवश्यक कुल अल्पकालीन साख का लगभग ५६ प्रतिशत तथा सभी विनियोग संस्थागत संस्थाओं द्वारा पूरा किया जा रहा है।

राष्ट्रीय नीति के अंर्तगत कृषि साख को पूरी तरह संस्थागत रूप देने के निमित्त संगठनात्मक ढांचा स्थापित करने और विकास का सम्पूर्ण दायित्व भारतीय रिजर्व बैंक का है। इससे ग्रामीण साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण समाप्त होगा। और उनके द्वारा दिये जाने वाले ऋण का स्थान संस्थागत स्त्रोत ले लेंगे, जिससे किसानों की ऋण आवश्यकता को एक राष्ट्रीय साख नीति के अनुसार पूरा किया जा

सकेगा। इस दिशा में पहला प्रयास १९०४ में सहकारी व्यवस्था के उद्गम से हो गया था। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति तक इसका कोई विशेष प्रभाव देखने की नही मिला था लेकिन इसके प्रभाव का ही परिणाम था कि १९५४ में ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति द्वारा प्रतिपादित समन्वित ग्रामीण साख योजना को सरकार ने स्वीकार किया। इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग संस्थाओं तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषि साख को पूरी तरह संस्थागत बनाना था। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति १९५४ द्वारा आल इण्डिया रूरल डेण्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट सर्वे ने गैर संस्थागत तथा सस्थागत स्त्रोतों द्वारा किये गये कृषि ऋण का विवरण प्रस्तुत किया था।

तालिका-1-1

कृषि-वित्त व्यवस्था में विभिन्न स्त्रोतों का स्थान (प्रतिशत में)

वितरण	1951	1961	1971	1981	2001
सरकार	03.70	06.60	06.70	04.00	04.20
सहकारी समितियाँ	03.50	10.40	20.10	28.60	32.60
व्यापारिक बैंक	00.90	00.60	02.20	28.00	30.90
साहूकार एवं जमींदार	75.10	61.90	45.50	26.90	09.00
व्यापारी एवं कमीशन एजेण्ट	05.10	07.30	08.70	03.40	02.80
सम्बन्धी	11.50	05.80	13.80	09.00	10.50
अन्य स्त्रोत	00.20	07.70	03.00	06.10	10.00
योग	100	100	100	100	100

Source :- *1. Calculated from R.B.I. Publications, Jagdish Narayan Mishra, Indian Economics, Page – 404.*

भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से उपरोक्त योजना के एकीकरण और पूर्ण करने का अनुरोध किया था तथा सहकारी समितियों को पर्याप्त धन की व्यवस्था करने को कहा। १९६९ तक सरकार इस नीति के द्वारा ही संस्थागत साख के विकास में लगी थी किन्तु इसके बाद सहकारी साख संस्थाओं के परिणामों की समीक्षा करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची कि अधिक कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए कृषि साख की तेजी से बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ होने का इन्तजार नही किया जा सकता। फलस्वरूप सरकार ने कृषि साख की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुउद्देश्यीय उपागम नीति को अपनाया। अल्पकालीन तथा मध्यकालीन साख के संदर्भ में गाडगिल कमेटी

ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि उन राज्यों को छोड़कर जहां सहकारी संस्थायें पूर्ण रूप से विकसित एवं सक्रिय हैं शेष राज्यों में कृषि साख संस्थायें स्थापित की जाय।

अमेरिकन रिफार्म कमेटी का यह मानना है कि सभी लघुकालीन और दीर्घकालीन संस्थागत साख सुविधायें सहकारी संस्थाओं तथा भूमि विकास बैंकों के माध्यम से सम्पादित होना चाहिए। कृषि क्षेत्र के लिए आसान और उचित वित्त व्यवस्था में संलग्न सहकारी आन्दोलन को पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

कृषि के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग नें अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि १९७३-७४ में सस्थागत स्रोतों (जैसे सहकारी समितियां तथा व्यापारिक बैंक आदि) से कृषि साख जो १९६७-६८ में लगभग ३८ प्रतिशत थी, में बहुत मामूली परिवर्तन हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार इसी वर्ष के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण साख समीक्षा कमेटी के अनुमान के अनुसार कुल आवश्यक साख रू० ४००० करोड़ में से कृषि क्षेत्र के लिए रू० १५३७ करोड़ (३८ प्रतिशत) की गणना की गयी, जिसमें से रू० ९१९ करोड़ (२३ प्रतिशत) व्यापारिक बैंकों द्वारा किया गया।

भारत में कृषि से सम्बन्धित आवश्यकताओं को तीन भागों में बाटा जा सकता है :-

- अल्पकालीन या मौसमी साख,
- मध्यकालीन साख,
- दीर्घकालीन साख ।

अल्पकालीन साख के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कृषि साख की पूर्ति केवल राज्य सहकारी बैंक तथा अनुसूचित बैंकों के माध्यम से करता हैं। इस प्रकार कृषक सीधे भारतीय रिजर्व बैंक से सम्पर्क में नही आता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कृषि साख की दिशा में कई कदम उठाये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि साख की आवश्यकता को देखते हुए एक अलग कृषि साख विभाग की स्थापना की है, जिसके द्वारा कृषि वित्त के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करके तथा विशेषज्ञ के रूप में सलाह देकर और कृषि सहकारी

वित्त से सम्बन्धित महत्वपूर्ण रिपोर्ट तथा साहित्य प्रकाशित करके भारतीय रिजर्व बैंक अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यह विभाग केन्द्र और राज्य सरकार, सहकारी बैंकों तथा भूमि विकास बैंकों को स्वीकृत प्रतिभूतियों तथा ऋण पत्रों के आधार पर अल्पकालीन साख प्रदान करता हैं। बैंक लाइसेंस प्राप्त गोदामों में रखी कृषि उपज के आधार पर ऋण देता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सस्ती दरों पर ऋण देता है। दूसरा किसानों को मध्यकालीन साख की आवश्यकता पड़ती है। किसानों को कृषि मशीनीकरण के लिए, सिंचाई के साधनों हेतु, ट्रैक्टर, ट्राली आदि क्रय करने हेतु किसानों को मध्यकालीन वित्त की व्यवस्था उपलब्ध करवायी जाती है। इस प्रकार के ऋणों की पूर्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक आदि की स्थापना की गई है। जिनके द्वारा कम ब्याज दर पर किसानों को मध्यकालीन ग्रामीण वित्त की व्यवस्था उपलब्ध करवायी जाती है। तीसरा किसानों का दीर्घ कालीन साख की आवश्यकता पड़ती है जैसे सिंचाई के स्थायी साधनों (कुंआ, ट्यूबबेल, नहर आदि) की व्यवस्था करने हेतु, कृषि के लिए भारी मात्रा में मशीनीकरण करने के लिए, कृषि विद्युतीकरण के लिए तथा लम्बी अवधि के वित्त के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा व्यापारिक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक आदि की स्थापना की गई है।

प्रारम्भ में किसान अल्पकालीन, एवं मध्यकालीन साख के लिए देशी बैंकरों का ही सहारा लिया करते थे और आजीवन ऋण के बोझ तले दबे रहते थे। इसके अनेक कारण थे, एक तो यह कि किसान अनपढ़ एवं निरक्षर होते थे जिससे उनकों सरकार के द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी ही नहीं हो पाती थी। दूसरा प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों एवं देशी बैंकरों का काफी आतंक एवं मजबूत पकड़ होती थी जिससे किसान चाहकर भी किसी अन्य स्रोत की तलाश नहीं कर पाता था और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह था हमारी लचर एवं अपर्याप्त बैंकिंग व्यवस्था जिसके चलते किसी भी किसान को समय से, पर्याप्त ग्रामीण वित्त की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती थी। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने प्रारम्भ से ही समुचित ग्रामीण वित्त की व्यवस्था करने कें अनेक प्रयास भी किये यहां

तक की ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु कई पृथक विभागों की भी स्थापना की। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने अपने अत्याधिक कार्यो को देखते हुए, ग्रामीण वित्त की समुचित पूर्ति के लिए कृषि साख विभाग एव कृषि पुनर्वित्त कारपोरेशन आदि पृथक विभागों की स्थापना की। लेकिन ये विभाग भी भारतीय ग्रामीण वित्त की माग को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में सफल न हो सके। कृषि एवं ग्रामीण विकास के मूल्यांकन हेतु बनी अनेक कमेटियों एवं कमीशनों ने अपनी नकारात्मक रिपोर्ट ही प्रस्तुत की और ग्रामीण वित्त को पूर्णतया अपर्याप्त बताया। सरकार के समक्ष ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण वित्त की पूर्ति की समुचित व्यवस्था करना एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया। जिसके लिए सरकार के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर एवं विभिन्न कमीशनों की सिफारिश पर छठवीं पंचवर्षीय योजना काल में ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण वित्त की समुचित व्यवस्था करने हेतु राष्ट्रीय स्तर की एक पृथक संस्था की स्थापना का निर्णय लिया गया।

जुलाई १९८२ में भारतीय रिजर्व बैंक की कृषि साख विभाग के सभी महत्वपूर्ण कार्यो और कृषि वित्त एवं विकास निगम के समस्त दायित्वों को अलग से राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) स्थापित करके इसके अधीन कर दिया गया। इस बैंक का नाम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) रखा गया। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि एवं साख के सन्दर्भ में ग्रामीण विकास हेतु नाबार्ड की स्थापना अपना विशेष महत्व रखती है।[4]

ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण वित्त की समुचित व्यवस्था करने हेतु एक पृथक संस्था के रूप में नाबार्ड की स्थापना छठवीं योजना में की गई। जिसके द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि अब भविष्य में ग्रामीण वित्त की समुचित पूर्ति की जा सकेगी एवं समुचित ग्रामीण विकास हो सकेगा अर्थात् छठवीं योजनाकाल से तो यह कहा जा सकता है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ठोस कदम उठा लिये गये थे। किन्तु इसका आशय यह नहीं है कि छठवीं योजना से पूर्व ग्रामीण विकास हेतु प्रयत्न ही नहीं किये गये, वास्तविकता तो यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही समन्वित कृषि एवं ग्रामीण विकास के प्रयास किये

जा रहे थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् तो और दृढ़ता पूर्वक इस ओर अनेक सार्थक कदम उठाये गये। सरकार के द्वारा मौद्रिक नीति, साख नीति, कृषि नीति आदि बनायी गयी जिनके द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास का प्रयास किया गया। सन् १९५१ से स्वतंत्र भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई, योजना काल में मुख्य लक्ष्य ग्रामीण विकास को ही रखा गया और प्रथम पंचवर्षीय योजना में द्वितीय विश्व युद्ध से हुई क्षति को पूरा करनें का प्रयास किया गया। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि को एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में अपनाया जाता है इसलिए सरकार के लिए भी यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाये। सरकार के द्वारा प्रारम्भ से ही कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए लगातार प्रयत्न किये गये, प्रारम्भ में केन्द्रीय बैंक के द्वारा, तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ग्रामीण विकास की समीक्षा हेतु अनेक आयोगों एवं कमेटियों का गठन, ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु पृथक विभागों का गठन, मैट्रिक नीति एवं साख नीति को लागू करना, बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करके समन्वित ग्रामीण विकास के अनेक कदम उठाये गये। योजनाकाल के प्रारम्भ हो जाने पर कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को एक नया मोड़ मिला। अब विभिन्न विद्धानों के द्वारा, अर्थशास्त्रियों के द्वारा, विधि वेत्ताओं के द्वारा, कृषि विशेषज्ञों एवं राजनीतिज्ञों के द्वारा योजनाओं की रूप रेखा तैयार की जाती है जिनमें देश का, देशवासियों का एवं सम्पूर्ण राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर योजनाओं को लागू किया जा रहा है। इन योजनाओं में कृषि एवं ग्रामीण विकास मुख्य केन्द्र बिन्दु रहते है और प्रत्येक योजना में ग्रामीण विकास के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये गये। प्रत्येक योजना में साहूकारों पर नियंत्रण लगानें काप्रयास किया गया, किसानों को सरलता पूर्वक ग्रामीण वित्त उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया, गांवों को शहरों से जोड़नें हेतु समुचित यातायात व्यवस्था का प्रयास किया गया, किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराये गये, प्राकृतिक आपदाओं (बाढ़, सूखा, भूकम्प आदि) के समय किसानों के ऋण माफ किये गये, गांवों मे सिंचाई के स्थायी साधनों की व्यवस्था की गई व गांवों में समुचित विद्युतीकरण के प्रयास किये गये। इस प्रकार योजनाकाल में प्रारम्भ से ही समुचित ग्रामीण विकास एवं देश के आर्थिक विकास के प्रयास किये गये।

योजना काल में ग्रामीण वित्त :-

भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में यद्यपि केन्द्रीय बैंक का योगदान प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व से ही रहा है परन्तु योजनाबद्ध विकास के बाद इसका विशेष महत्व है। यद्यपि प्रारम्भ में मौद्रिक नीति को सीधे आर्थिक विकास से नही जोड़ा गया था फिर भी विभिन्न रूपों में मौद्रिक नीति के महत्व को स्वीकार किया गया था। योजना काल में ग्रामीण वित्त का विवरण निम्नवत है :-

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-52 से 1955-56) :-

यह योजना दिसम्बर १९५२ में प्रस्तुत की गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उस क्षति को पूरा करना था जो कि देश को द्वितीय विश्व युद्ध से उठानी पड़ी थी। इसके लिए देश का समन्वित एवं चतुर्दिश विकाश आवश्यक था। मौद्रिक तथा साख नीति का भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका प्रधान उद्देश्य साख की सुविधाओं द्वारा औद्योगिक व कृषि उत्पाद में वित्त उपलब्ध करना था। अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति के नियंत्रणात्मक दृष्टिकोण से साख नीति सामान्य तथा नियन्त्रित एवं प्रतिबन्धित थी। यद्यपि नियोजकों ने इस बात को माना कि मुद्रा पूर्ति की वृद्धि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ निश्चित रूप से कुछ न कुछ स्फीतिकारी होगी।

तालिका-1-2

सार्वजनिक परिव्यय का वितरण (1951-52 से 1955-56)

मद	परिव्यय (करोड़ रूपये में)	कुल का प्रतिशत भाग
कृषि तथा समुदाय विकास	291	15
बड़ी तथा मध्यम सिंचाई	310	16
बिजली	260	13

ग्राम तथा लघु उद्योग	43	02
उद्योग तथा खनिज	74	04
परिवहन तथा संचार	523	27
सामाजिक सेवायें तथा अन्य	459	23
कुल योग	***1960***	***100***

Source :- *First Five Year Plan Indian Economics By J. N. Mishra, p. 261.*

प्रारम्भ में योजना के सार्वजनिक क्षेत्र के लिए दो हजार उनहत्तर (२०६९) करोड़ रूपये के परिव्यय की कल्पना की गई थी जिसे अन्ततः बढ़ाकर दो हजार तीन सौ अठहत्तर (२३७८) करोड़ रूपये कर दिया गया, परन्तु वास्तविक व्यय मूल अनुमान से भी नही बढ़ पाया। यह १९६० करोड़ ही रहा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय को प्राथमिकता दी गयी। योजना के दौरान

कुल विनियोग की मात्रा १९६० करोड़ थी। इसका ९४ प्रतिशत घरेलू साधनों से और ६ प्रतिशत विदेशी स्रोतों से उपलब्ध हुआ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-57 से 1960-61) :-

द्वितीय योजना १ अप्रैल सन् १९५६ को प्रारम्भ की गई। यह योजना प्रथम योजना की तुलना में काफी बड़ी व महत्वाकांक्षी थी। इस योजना का लक्ष्य ग्राम्य भारत का पुनर्निर्माण करना, औद्योगिक प्रगति की आधार शिला रखना और दुर्बल तथा अल्प सुविधा प्राप्त वर्गो के लोगों के लिए अधिकतम सम्भव सीमा तक सुअवसरों को प्रदान करना और देश के सभी वर्गो एवं भागों का संतुलित विकास करना था। इस योजना में भी मौद्रिक तथा साख नीति को एक विशेष मान्यता इस रूप में प्राप्त हुयी कि पूरी आर्थिक क्रियाओं के नियंत्रण में तथा स्फीतिकारी दबावों को रोकने में यह महत्वपूर्ण है, यद्यपि घाटे की वित्त व्यवस्था को विकास के लिए मान्यता दी गई फिर भी परिमाणात्मक तथा चमनात्मक विधियों के द्वारा साख को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। इस योजना में मोटे तौर पर मौद्रिक नीति सफल न हो सकी क्योंकि इसकी वित्तीय स्थिति से आवश्यक समन्वय स्थापित नही किया जा सका।

तालिका-1-3

सार्वजनिक परिव्यय का वितरण (1956-57 से 1960-61)

मद	परिव्यय (करोड़ रूपये में)	कुल का प्रतिशत भाग
कृषि तथा समुदाय विकास	530	11
बड़ी तथा मध्यम सिंचाई	420	09
बिजली	445	10
ग्राम तथा लघु उद्योग	175	04

उद्योग तथा खनिज	900	20
परिवहन तथा संचार	1300	28
सामाजिक सेवायें तथा अन्य	830	18
कुल योग	***4600***	***100***

Source :- *Second Five Year Plan Indian Economics By J. N. Mishra, p. 264.*

मौलिक रूप से द्वितीय योजना में ४,८०० करोड़ रूपये के परिव्यय के प्रस्ताव पारित किये गये, किन्तु वास्तविक व्यय ४,६०० करोड़ रूपये हुआ जिसमें से ३,६५० करोड़ रूपये सरकारी विनियोग था। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में ३,१०० करोड़ रूपये के विनियोग का अनुमान लगाया गया।

अतः कुल मिलाकर विनियोग की राशि ६,७५० करोड़ रूपये रखी गई। इसका लगभग ७२ प्रतिशत घरेलू साधनों से और २८ प्रतिशत विदेशी स्रोतों से उपलब्ध हुआ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-62 से 1965-66) :-

यह योजना १ अप्रैल सन् १९६१ से प्रारम्भ की गई। इस योजना में इस बात का ध्यान रखा गया कि दूसरी योजना के कार्य को आगे बढ़ाना है। द्वितीय योजना की प्रगति से यह मालूम चला कि आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है कृषि उत्पादन का धीमी गति से बढ़ना अतः तीसरी योजना में कृषि विकास पर विशेष बल दिया गया। तीसरी योजना में भी मौद्रिक नीतियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। मुद्रा स्फीति को रोकनें के दृष्टिकोण से वित्तीय नीतियों का सहारा लिया गया तथा घाटे की वित्त व्यवस्था को न्यूनतम करनें का प्रयत्न किया गया। साख नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करके छोटे उद्योगों और सहकारी क्रियाओं को प्रोत्साहित किया गया। साख को प्रतिबन्धित किया गया, परन्तु इसके बावजूद भी तृतीय योजना में मौद्रिक नीति सामान्यतः वृद्धिकारी ही रही जिससे मुद्रा पूर्ति तथा साख की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

तालिका-1-4

सार्वजनिक परिव्यय का वितरण (1961-62 से 1965-66)

मद	परिव्यय (करोड़ रूपये में)	कुल का प्रतिशत भाग
कृषि तथा समुदाय विकास	1089	12.70
बड़ी तथा मध्यम सिंचाई	664	07.70
बिजली	1242	14.60
ग्राम तथा लघु उद्योग	241	02.80
उद्योग तथा खनिज	1726	20.10

परिवहन तथा संचार	*5116*	*24.60*
सामाजिक सेवायें तथा अन्य	*1493*	*17.40*
कुल योग	**8577**	**100**

Source :- *Third Five Year Plan Indian Economics By J. N. Mishra, p. 266*

तीसरी परियोजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ७,५०० करोड़ रूपये निश्चित किये गये। इस प्रकार कुल विनियोग की राशि (चालू खाते के १,२०० करोड़ रूपये छोड़कर) १०,४०० करोड़ रूपये थी जो कि द्वितीय योजना की तुलना में ५४ प्रतिशत अधिक थी। सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तविक व्यय ८,५७७ करोड़ रूपये था।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969 से 1974) :-

चतुर्थ योजना को सन् १९६६ से लागू हो जाना चाहिए था किन्तु अनिश्चित आर्थिक संकट के कारण यह अपने पूर्व निर्धारित समय से लागू न की जा सकी और तीन वर्षो तक वार्षिक योजनाएँ चलती रही। जब देश में स्थायित्व आया तब चौथी योजना अप्रैल १९६९ से लागू की गई। इस योजना का लक्ष्य विकास क्रिया को उस सीमा तक बढ़ाना था जहां से वह आत्मनिर्भरता एवं स्थिरता प्राप्त कर सके। योजना के मुख्य उद्देश्य स्थामित्व के साथ-साथ विकास, राष्ट्रीय आय की ५.५ प्रतिशत वार्षिक विकास दर प्राप्त करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना एवं ५.६ प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर उपलब्ध करना आदि थे।

चौथी पंचवर्षीय योजना मे लगातार बढ़ते हुए मूल्य को नियंत्रिण करने के उद्देश्य से माँग और पूर्ति में समानता रखते हुए घाटे की वित्त व्यवस्था को निर्धारित करने का उद्देश्य रखा गया। १९६९ में १४ बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने के कारण विकास क्षेत्र की प्रधानता तथा प्राथमिकता के आधार पर साख प्रवाह किया गया और उपेक्षित क्षेत्रों के विकास में सहयोग किया गया।

इस योजना में कुल परिव्यय २४,८८२ करोड़ रूपये था जिसमें से १५,९०२ करोड़ रूपये सरकारी क्षेत्र का भाग था और राशि ८,९८० करोड़ रूपये निजी क्षेत्र का था। सरकारी क्षेत्र के परिव्यय में १३,६५५ करोड़ रूपये विनियोग के रूप में और २,२४७ करोड़ रूपये चालू परिव्यय के रूप में रखे गये। इस प्रकार कुल सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र को मिलाकर २२,६३५ करोड़ रूपये के विनियोग की व्यवस्था की गई। सरकारी क्षेत्र के कुल परिव्यय का २४ प्रतिशत भाग कृषि को दिया गया जबकि तृतीय योजना में यह केवल २० प्रतिशत था। इसके विपरीत उद्योग तथा खनिज पदार्थो को कुल व्यय का २० प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ। सामाजिक क्षेत्र में १७.४ प्रतिशत दिया गया और शिक्षा एवं अनुसंधान को कुल व्यय का ६.०१ प्रतिशत प्राप्त हुआ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-75 से 1977-78) :-

१ अप्रैल १९७४ से पांचवी योजना प्रारम्भ हुई। योजना का उद्देश्य विशेषकर कृषि उत्पादकता में सुधार लाना, विदेशी सहायता को समाप्त करना, गरीबी उन्मूलन, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना आदि थे। पांचवी योजना मे मौद्रिक तथा वित्तीय नीति के विशेष समन्वय पर जोर दिया और मुद्रा साख के विस्तार पर प्रतिबन्ध लगाने के दृष्टिकोण से बैंक दर को ७ प्रतिशत से बढ़ाकर ९ प्रतिशत कर दिया गया। पांचवी योजना के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक और साख नीति कृषि तथा लघु उद्योगों की ओर विशेष रूप से लाभकारी रही। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, लीड बैंक स्कीम तथा समन्वित ग्रामीण विकास योजना, शिक्षित बेरोजगार योजना तथा ग्रामीण औद्योगीकीकरण सम्बन्धित अनेक आर्थिक क्रियाओं से विशाल पैमाने पर तथा रियायती एवं उदार बैंक ऋण एवं साख की व्यवस्था की गई।

पांचवी योजना के प्रारूप में सरकारी क्षेत्र में ३६,२५० करोड़ रूपये के परिव्यय की कल्पना की गई थी, लेकिन बाद में ३९,३०३ करोड़ रूपये संशोधन योजना परिव्यय के रूप में कर दिये गये। योजना का कुल परिव्यय अनुमान ५३,४११ करोड़ रूपये का लगाया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना (1979-80 से 1984-85) :-

छठी योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि इसका निर्माण दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में किया गया। विकासगत समस्याओं के निदान हेतु इसमें पंद्रह वर्षीय कार्यक्रम निर्धारित किये गये थे। योजना का कार्यक्रम न केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उपभोग, रोजगार, बचत, एवं विनियोग जैसे परम्परागत तत्वों पर आधारित था, बल्कि इसका विकास गरीबी के प्रतिशत, सम्भावित आयु, खाद्यान्न, चीनी, वस्तु आदि उपभोग एवं शिक्षा के दीर्घकालिक स्तरों के संदर्भ में भी किया गया था। इस योजना में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम को देश के सभी विकास खण्डो में प्रारम्भ किया गया। छोटे एवं सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन मजदूरों के विकास के लिए कृषि एवं सहायक व्यवसायों को विकसित किया गया

किन्तु इस योजना में स्फीतिकारी प्रवृत्ति को रोकनें का कोई ठोस प्रयास नहीं सुझाया गया था। योजना काल में संवृद्धि नवीनीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई। छठी योजना में विकास की वार्षिक दर का लक्ष्य ०५.२० प्रतिशत था जिसे योजनाकाल मे प्राप्त कर लिया गया था। छठी योजना में कुल परिव्यय १,७२,२१० करोड़ रूपये निर्धारित किया गया था जिसमें से ९७,५०० करोड़ रूपये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए था। सार्वजनिक क्षेत्र के कुल परिव्यय ९७,५०० करोड़ रूपये में इस योजना के अंतर्गत ऊर्जा, विज्ञान, और तकनीकी विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। इनके विकास पर कुल व्यय का २८ १ प्रतिशत भाग निर्धारित किया गया।

तालिका-1-5

सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय (1979-80 की कीमतों पर)

मद	परिव्यय (करोड़ रूपये में)	कुल का प्रतिशत भाग
ऊर्जा, विज्ञान और तकनीक	27,400	28.10
कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाएँ	12,539	12.80
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	12,160	12.60
परिवहन तथा संचार	15,546	15.90
उद्योग तथा खनिज	15,017	15.40
सामाजिक सेवायें	14,838	15.20
कुल योग	**97,500**	**100**

Source :- *Sixth Five Year Plan Indian Economics By J. N. Mishra, p. 276.*

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1984-85 से 1989-90) :-

सातवीं योजना में नव भारत के निर्माण की संकल्पना की गयी। यह योजना कुछ मामलों में पिछली सभी योजनाओं से भिन्न थी। सातवीं योजना भी दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में तैयार की गयी थी जिसका लक्ष्य सन् २००० तक स्वतः पोषित अर्थव्यवस्था का होना था। इसका ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यो के साथ संमन्वय किया गया। इन कार्यक्रमों को ग्राम पंचायतों तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से लागू किया गया। एकीकृत ग्राम विकास परियोजना तथा राष्ट्रीय ग्राम्य रोजगार परियोजना के कार्य को और अधिक व्यापक किया गया। कृषि विकास को गति की तेज करना और अधिक उपभोग के लिए खाद्यान्नों एवं खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इस योजना के आधारभूत लक्ष्य थे। योजना में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को महत्वपूर्ण स्थान पहले की योजनाओं के अनुरूप ही दिया गया है। योजना में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि पहले से चली आ रही परियोजनाओं को पूरा किया जाए। सातवीं योजना में विकास दर ५ प्रतिशत वार्षिक रखी गयी जो छठी योजना से कम थी। सातवीं योजना में कृषकों की साख आवश्यकता की

पूर्ति हेतु विभिन्न प्रयास किये गये। सहकारी समितियों को विभिन्न चरणों में बहुउद्देशीय समितियों में परिवर्तित करनें की योजना बनायाी गयी, जिससे कृषकों को विभिन्न सुविधाएँ एक साथ ही तथा एक स्थान पर उपलब्ध करायी जा सके।

कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के सम्यक विकास तथा समस्याओं के समाधान हेतु विशेष सदर्भ में ग्रामीण साख तथा बैंक सुविधाओ के बढ़ते हुए महत्व से जहॉ एक आशा की जा रही है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा और देश की मूलभूत समस्याओं का समाधान होगा वही इनसे सम्बन्धित अध्ययनों सर्वेक्षणों और अनुभवो में यह भी शका व्यक्त की जा रही है कि व्यापक पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रो में साख और वित्त का यह प्रवाह अधिकाशतः अनुत्पादक तथा अनियोजित ढंग से हो रहा है जिससे विकास की कियाओं को प्रोत्साहन न मिल कर गैर उत्पादक व्यय तथा मुद्रा स्फीति बढ़ रही है साथ ही बैंक साख की वापसी की भी महत्वपूर्ण समस्या है। फलतः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपलब्ध साख सुविधाएं अपेक्षित रूप से लोगों तक नही पहुंच पा रही है न ही उनका उपयुक्त और निर्धारित उद्देश्यों में प्रयोग ही हो रहा है। मौद्रिक और साख नीति के सामने यह एक बड़ी समस्या और चुनौती है कि ग्रामीण साख और बैंकिग सुविधाओं को किस प्रकार उत्पादक तथा विकास मूलक बनाया जाए।

सातवीं योजना में परिव्यय :-

सातवीं योजना में कुल ३,२२,८६६ करोड़ रूपये परिव्यय निर्धारित किया गया था जिसमें से १,८०,००० करोड़ रूपये सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय किये गये है इसमें योजनाओं के दौरान सेवाओं के अनुरक्षण व्यय शामिल किया गया है जो २५,८७२ करोड़ रूपये तक परिसम्पत्तियों का निर्माण नही करता। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश १,५४,२१८ करोड़ रूपये होना था। इसके अतिरिक्त १,६८,१४८ करोड़ रूपये निजी क्षेत्र में व्यय किया जाना था इस प्रकार सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का निवेश क्रमशः ४३ एवं ५२ प्रतिशत था।

तालिका-1-6

सार्वजनिक क्षेत्र का परिणाम

मदें	प्रस्तावित व्यय	वास्तविक व्यय	प्रतिशत
कृषि	10573.62	12686	05.87
ग्राम विकास	9074.22	14195s	05.04
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3144.69	3436	01.75
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	16978.65	16719	09.43
ऊर्जा	54821.26	63615	30.45
उद्योग तथा खनिज	22460.83	30053	12.48
परिवहन	22971.02	36140	12.76
संचार सूचना एवं प्रसारण	6472.46	8664	03.60
विज्ञान तथा टेक्नोलाजी	2466.00	3086	01.37
सामाजिक सेवाएँ	29350.46	35037	16.31
विविध	1686.79	4539	00.94
कुल योग	**180000.00**	**222169**	**100**

Source :- *Seventh Five Year Plan, Indian Economic by J. N. Mishra, Yojana Patrika (April 1986)*

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97):-

आठवीं योजना के दस्तावेज के अध्याय २ में पाँच वर्ष की अवधि के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की गई है और ग्रामीण औद्योगीकीकरण उसी का अंग है। इसका मूल सिद्धांत है विकास की प्रक्रिया में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। इसके लिए आवश्यक है :-

- ❖ ग्रामीण विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ाना,
- ❖ योजना का विकेन्द्रीकरण,
- ❖ भूमि सुधारों को अधिक कारगर ढंग से लागू करना,
- ❖ अधिक ऋणों की व्यवस्था करना।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम में खुली बेरोजगारी तथा छिपी हुई और वास्तविक बेरोजगारी पर भी ध्यान देना होगा। जहाँ तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सम्बन्ध है आठवी योजना में यह कहा गया कि लक्ष्य पूरा करने पर बल दिये जाने से बैको द्वारा सहायता देने से पहले किसी सम्पत्ति की आर्थिक क्षमता का मूल्यांकन करने का प्रयास व्यर्थ हो जाता है। इसलिए इस मामले को पूर्ति की दृष्टि से नहीं माँग की दृष्टि से देखने की आवश्कता है। अर्थात् उन गतिविधियों का पता लगाया जाना चाहिए जो लाभार्थियों

के कौशल, बुनियादी ढांचे तथा इनके सम्पर्कों के संदर्भ में उपयुक्त हो। अन्य शब्दों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बैंक के ऋण की पूरक सहायता वाले सब्सिडी आधारित कार्यक्रम की बजाय ऐसा ऋण आधारित कार्यक्रम माना जाना चाहिए जिसमें सब्सिडी का अंश शामिल है। मेरे विचार से इस तरह से शब्दों में परिर्वतन कर देने से व्यवहारिक धरातल पर कोई अन्तर नहीं आएगा। उचित गतिविधियों की पहचान करना अत्यन्त कठिन कार्य है और यह ग्राम स्तर के कर्मचारियों के बस से बाहर है इस कार्य के लिए व्यापक प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी।

आठवीं योजना में निवेश का क्षेत्रवार आवंटन क्षेत्रवार उत्पादन के स्वरूप पर आधारित है अर्थात निवेश उत्पादन पर निर्भर हैं। योजना में निवेश का आवंटन मुख्य क्षेत्रों में तलिका में दर्शाया गया है। कृषि, सिचाई एवं कृषि सम्बद्ध क्षेत्रों का हिस्सा कुल निवेश में १८.६५ प्रतिशत, विद्युत परिवहन एवं संवहन का भाग कुल निवेश का २७.०८ प्रतिशत आधारित है शेष निवेश निर्माण एवं सेवा क्षेत्र में होगा।

तालिका-1-7

आठवीं योजना (1992-97) में क्षेत्रवार निवेश वितरण

क्षेत्र	कुल निवेश (करोड़ रूपये में)	कुल क्षेत्रवार निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र का अंश	क्षेत्रवार वितरण सातवीं योजना	आठवीं योजना
कृषि	148800	34.95	11.23	18.65
खनन एवं उत्खनन	39600	71.97	6.70	4.96
विनिर्माण	188400	25.00	26.00	23.61
विद्युत गैस एवं जल	102120	90.09	13.65	12.80
निर्माण	20540	16.07	1.86	2.57
परिवहन	87910	55.97	9.93	11.02

संवहन	26000	96.15	2.03	3.26
सेवायें	184630	34.61	28.6	23.13
कुल योग	798000	45.24	100	100

Source :- *Eighth Plan (1992 – 97) Vol. – 1, Table 3.15, p. 55*

आठवीं योजना में सार्वजनिक परिव्यय का वितरण :-

इस योजना में ऊर्जा क्षेत्र में कुल परिव्यय का लगभग २५ प्रतिशत से अधिक भाग आवंटित किया गया, कृषि एवं ग्रामीण विकास को २२.२ प्रतिशत तथा उद्योग एवं खनन क्षेत्र को १०.८ प्रतिशत परिव्यय आवंटित किये गये जिनका वितरण निम्नवत है :- [5]

तालिका-1-8

सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय

मदें	योजना परिव्यय (करोड़ रूपये में)	प्रतिशत
कृषि	22467	5.20
ग्रामीण विकास	34425	7.90
विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम	6750	1.60
सिचाई एवं बाढ़ नियत्रंण	32525	7.50
ऊर्जा	115561	26.60
उद्योग एव खनिज	46922	10.80
परिवहन	55926	12.90
संवहन	25110	5.80
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	9042	2.10
सामाजिक सेवाएँ	79012	18.20
अन्य	6360	1.40
कुल योग	434100	100

Source :- *Eighth Plan Vol. 1, Table – 3.17 & 3.18, p. 58 & 59 – 62.*

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) :-

नौवीं योजना १ अप्रैल १९९७ को लागू हुई। जिसका प्रमुख लक्ष्य आत्मनिर्भरता प्रदान करना, निर्धनता उन्मूलन, पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध करना, जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करना तथा समन्वित ग्रामीण विकास करना है। इस योजना में भी मुख्य रूप से कृषि विकास एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष जोर दिया गया। नौवीं योजना के अनुसार कुल योजना व्यय ८,७५,००० करोड़ रूपये किया गया जिसमें से ७,६०,००० करोड़ रूपये पूंजी निवेश प्रस्तावित किया गया है। घरेलू बचत दर २६.२ प्रतिशत, चालू खाता घाटा २.४ प्रतिशत और पूंजी उत्पाद अनुपात ४.०८ होगा। इसके अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (जी०डी०पी०) के विकास की दर ७.० प्रतिशत होगी। औद्योगिक विकास दर ९.३ प्रतिशत प्रस्तावित है।

नौवीं योजना के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं :- [6]

- निर्धनता उन्मूलन की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना ।
- ग्रामीण वित्त को बढ़ावा देनें के उद्देश्य से नाबार्ड की व्याज दरों में कमी लाना ।
- पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना ।
- मूल्यों में स्थायित्व लाना तथा आर्थिक विकास की गति को तेज करना ।
- सभी वर्गो विशेष कर समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्गो के लिए भोजन एवं पोषण का ऊँचा स्तर सुनिश्चित करना ।
- स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ, प्राथमिक शिक्षा एवं आवास जैसी मूलभूत न्यूनतम सेवाओं की व्यवस्था करना ।
- सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एवं विकास के अभिकर्ता के रूप में महिलाओं और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गो को शक्तियां प्रदान करना ।
- पंचायती संस्थाओं को प्रोत्साहन देना ।
- पर्यावरण की रक्षा करना ।
- आत्मनिर्भरता के प्रयासों को तेज करना ।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) :-

दसवीं पंचवर्षीय योजना १ अप्रैल २००२ से ३१ मार्च २००७ तक प्रस्तावित है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य समन्वित ग्रामीण विकास प्रस्तावित है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है कि भारत के प्रत्येक गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाए, प्रत्येक गांव में शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था हो जाए, गांव - गांव में शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करना, किसानों के लिए पर्याप्त वित्त की व्यवस्था करना, सहकारी मण्डियों एवं समितियों को सहायता प्रदान करना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना आदि उद्देश्य प्रस्तावित हैं।

अन्य योजनाओं की भांति ही दसवीं योजना का मुख्य लक्ष्य भी ग्रामीण विकास ही है। दसवीं योजना की समाप्ति तक देश को पूर्ण आत्मनिर्भर बनानें का लक्ष्य निर्धारित किया गया है साथ ही देश मे उत्पादक रोजगारों में भी वृद्धि करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। देश में अभी तक मात्र २१ लाख किलोमीटर सडक मार्ग है जिसमें से ११ लाख कि०मी० हिस्सा कच्ची सड़कों का है इस योजना की समाप्ति तक आशा है सम्पूर्ण कच्ची सड़कों को पक्की बनाया जा सकेगा। इसी प्रकार देश में कुल ६२,३०९ किलोमीटर रेलवे मार्ग है जिसमें से लगभग एक तिहाई हिस्सा ही विद्युतीकृत है अतः रेलवे मार्ग के विद्युतीकरण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

स्वतंत्रता पूर्व से ही भारत में समन्वित कृषि विकास के प्रयास किये जा रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए अनेक कदम उठायें, योजना काल १९५१ से समन्वित कृषि विकास के लिए प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास के लक्ष्य निर्धारित किये गये। सरकार ने प्रत्येक योजनाओ मे ग्रामीण वित्त की पूर्ति के अथक प्रयास किये जैसे-व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीकरण, ग्रामीण बैंकों की स्थापना, सहकारी समितियों की स्थापना आदि। ग्रामीण विकास की ओर सबसे महत्वपूर्ण कदम छठवीं पंचवर्षीय योजना में उठाया गया जिसमें विभिन्न सिफारिशों के फलस्वरूप राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की गई। योजनाकाल के प्रारम्भ से ही ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया गया किन्तु दुर्भाग्य से सरकार के द्वारा ग्रामीण वित्त के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसीलिए भारतीय कृषक ऋण के बोझ से उबर पाने में समर्थ नहीं हो सके। छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हो जाने से ग्रामीण वित्त की समस्या काफी हद तक हल हो गयी। नाबार्ड के द्वारा निचले स्तर से ग्रामीण वित्त की पूर्ति का प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ब्लाक स्तर पर सहकारी समितियों की स्थापना, मण्डी परिषदों की स्थापना, बड़े-बड़े गांवों में ग्रामीण बैंकों की स्थापना, जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंकों आदि की स्थापना की गई। नाबार्ड ने सर्वप्रथम ग्रामीण वित्त की मांग का निचले स्तर से अनुमान लगवाया तथा उसी के अनुसार वित्त की पूर्ति हेतु विभिन्न वित्तीय

संस्थाओं की स्थापना की गई। नाबार्ड ने ग्रामीण विकास हेतु भण्डार ग्रहों, विक्रय केन्द्रों, सरकारी मण्डियो, पक्की सड़कों, नहरों, ट्यूबबेलो, आदि की समुचित व्यवस्था, कृषि मशीनीकरण तथा उन्नत कृषि हेतु किसानों को प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करता है। नाबार्ड देश के गांवों का समुचित एवं समन्वित विकास के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है जिसके अंतर्गत साहूकारों एवं देशी बैंकरों पर नियंत्रण, ग्रामीण बैंकिंग की दुर्व्यवस्था समाप्त कर उसे सरल बनाना, सिंचाई के साधनों की स्थायी व्यवस्था, गांवों-गावों तक पक्की सड़क बनाकर उन्हें शहरों से जोड़ना, ग्रामीण वित्त की पर्याप्त व्यवस्था करना आदि। योजना काल के प्रारम्भ से ही कृषि एवं ग्रामीण विकास का प्रयास किया जा रहा था, जिसका सबसे महत्वपूर्ण कदम छठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में नाबार्ड की स्थापना है। नाबार्ड की स्थापना से यह आशा की जा रही है कि वह समन्वित कृषि एवं ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करनें में निश्चत ही सफलता प्राप्त करेंगा।

योजनाकाल में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कदम था नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण वित्त की पूर्ति करना। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नाबार्ड को उन संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करने का कार्य सौंपा गया जो कि कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यो में लगी हुई हो। अर्थात् नाबार्ड जनता से सीधे सम्पर्क में कार्य नहीं करता है बल्कि नाबार्ड उन संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करने का कार्य करता है जो कि ग्रामीण विकास के लिए किसानों को सीधे ऋण प्रदान करती है, वित्तीय संस्थाओं पर नाबार्ड नियंत्रण रखता है। साथ ही उन संस्थाओं का पर्यवेक्षण भी नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। नाबार्ड जनता के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आये बिना ही विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से समुचित कृषि एवं ग्रामीण विकास का अथक प्रयास कर रहा है। नाबार्ड के द्वारा विभिन्न कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पुनर्वित्तों की व्यवस्था की जाती है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में वित्त को प्रोत्साहन देनें के उद्देश्य से निचले स्तर की संस्थाओं को पुनर्वित्त की सुविधांए उपलब्ध कर रहा है। चार

प्रमुख समितियों - व्यवसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के द्वारा पुनर्वित्त संचालित किया जाता है। राज्य भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण और राज्य सहकारी बैंक मध्यम और अल्पावधि ऋण प्रदान करते है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली समिति अन्य बैंकों की तरह जनता से धन जमा नही करती और इसलिए ऐसी संस्थाएं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा तथा बाजार से वसूली आदि स्रोतों पर निर्भर हैं। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक और प्रारम्भिक स्तर पर प्रारम्भिक कृषि ऋण सोसायटी अल्पावधि के ऋण प्रदान करनें वाली समितियां हैं और ये पैसा जमा करनें को भी प्रोत्साहित करती है। हालांकि प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी द्वारा बहुत कम पैसा जमा किया जाता है और जो कुछ भी ऋण वह देती है, राशि उधार ली हुई होती है। सहकारी ऋण किसानों को प्रमुख रूप से प्राथमिक कृषि ऋण समिति के द्वारा मिलता है लेकिन कुछ मामलों में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक और राज्य ऋण बैंक की शाखाओं के द्वारा भी ऋण दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कर्जदारों को इन संस्थानों से मिलने वाले ऋण पर व्याज की दर निर्धारित कर दी गई है। व्याज दरें ऋण के लिए समान है और सभी ऋण समितियों में एक समान है। दीर्घावधि ऋण के लिए नाबार्ड अधिकतर मामलों में ६.५ प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से ही ऋण देता हैं, जबकि कर्जदारों से १० प्रतिशत की दर से व्याज लिया जाता है। इस प्रकार भूमि विकास बैंकों को ३.५ प्रतिशत व्याज का लाभ मिलता है। दूसरे मझोली सिचांई और विशेष कार्यक्रमों के लिए भूमि विकास बैंकों द्वारा ९५ प्रतिशत ऋण नाबार्ड से पुनर्वित्त के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इन दोनों कार्यों के लिए ऋण बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से पुनर्वित्त का अनुपात ९० प्रतिशत हैं। हालांकि अधिकतर भूमि विकास बैंक कर्ज उगाही में बाधाओं और व्यापक कार्य क्षेत्र के कारण ३.५ प्रतिशत की रियायत भी नहीं प्राप्त कर पाते। ऋणअदायगी करने की उचित प्रेरणा से धन वापस मिलनें के काम में सुधार हो सकता है और ऋणों के कुल भार को कम किया जा सकता है। यदि कर्जदार के घर जाकर ऋण वसूल किया जाये तो अदायगी में सुधार होगा। वर्तमान प्रक्रिया में वसूली दल एकाध बार गांव का दौरा कर लेता है लेकिन नियमित रूप से नहीं

जाता कर्जदार के कार्य स्थल या उसके गॉव के समय पर ऋण की किस्त की अदायगी व वसूली दोनो के लिए ही कुछ प्रोत्साहन देने पर ऋण वसूली में सुधार हो सकता है। हालांकि इन दोनों ही सुझावों में वित्तीय मुश्किलें है। इसलिए नाबार्ड से लघु सिचांई जैसे कुछ चयनित कार्यो के लिए पुनर्वित्त भूमि विकास बैंकों से ५ प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा सकता है। १.५ प्रतिशत की अतिरिक्त रियायत मे उन्हें समय पर अदायगी के लिए एक प्रतिशत का प्रोत्साहन दिया जा सकता है ताकि वे अपने कार्य सचालन मे सुधार लायें तथा बेहतर वसूली को प्रभावी बनाने के लिए अपने अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकें।

नाबार्ड के द्वारा कृषि विषमताओं को दूर करने के लिए अनेक व्यापक कदम उठाये जा रहे है। समन्वित ग्रामीण विकास हेतु नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण आवश्यकताओं का अत्यधिक बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है जिसके द्वारा गांवो का प्रारम्भिक स्तर से विकास सम्भव हो सके। नाबार्ड के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि भारत के प्रत्येक गांवों तक यातायात की समुचित व्यवस्था की जाए, साथ ही प्रत्येक गांवों में विद्युतीकरण भी सन् २००५ तक कर दिया जाए। नाबार्ड किसानों को लाभ पहुचाने के उद्देश्य से अनेक नई-नई योजनाए भी लाता है जैसे अभी हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई जिसमें किसानों के साथ साथ बटाईदार एवं असामी किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ प्रदान किया गया। इसके साथ ही नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आर.आई. डी.एफ.) की स्थापना की गई। इस निधि के द्वारा नाबार्ड के पास प्रतिवर्ष काफी धनराशि एकत्रित हो जाती है जिसका उपयोग नाबार्ड कृषि एव ग्रामीण विकास के लिए करता है। इस निधि के लिए पैसा व्यवसायिक बैंकों से प्राप्त होता है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक बैंक को एक लक्ष्य दिया जाता है कि समन्वित ग्रामीण विकास हेतु एक निश्चित धनराशि तक ऋण अवश्य बांटने है और यदि बैंकों के द्वारा उस निर्धारित लक्ष्य तक ऋण वितरित नहीं किये जाते हैं तो बची हुई धनराशि को नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) में जमा कर लिया जाता है जिसका उपयोग

नाबार्ड के द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु किया जाता है। चूंकि सम्पूर्ण देश के बैंकों से इस निधि के लिए पैसा प्राप्त होता है इसलिए प्रत्येक वर्ष ही इस निधि में आशातीत वृद्धि होती जा रही है जो की कृषि विकास हेतु अत्यधिक लाभप्रद है। अभी हाल ही में प्रस्तुत बजट में नाबार्ड को कुछ योजनाएं पूर्ण करने का नवीन लक्ष्य सरकार के द्वारा दिया गया है।

२८ फरवरी को प्रस्तुत २००१-०२ के बजट में वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए २,५०० करोड़ रूपये का प्रावधान करने, ग्रामीण विद्युती करण प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना के तहत लानें,११० लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने और नाबार्ड के जरिए २० लाख अतिरिक्त परिवारो को ऋण सुविधाएं देने का प्रस्ताव किया है ।

नाबार्ड की आर०आई०डी०एफ० VII की संचित निधि को अगले वर्ष ४५०० करोड़ से बढ़ाकर ५००० करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव है। साथ ही राज्यों की सहायता के लिए नाबार्ड द्वारा लगाई गई ब्याज दर ११ ५ प्रतिशत से कम करके १०.५ प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। अगले तीन वर्षो में सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करायें जायेंगे। वर्ष १९९८-९९ से अब तक ११० लाख क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके है। इन क्रेडिट कार्डधारियों को व्यक्तिगत बीमा पैकेज प्रदान करने की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि आकस्मिक या स्थायी विकलांगता के लिए कार्डधारक को क्रमशः अधिकतम ५० हजार रूपये और २५ हजार रूपये का बीमा लाभ दिया जा सके।

नाबार्ड को वर्ष २००१-०२ के दौरान एक लाख अतिरिक्त स्वसहायता समूहों से जोड़ने की आशा की जा रही है जिससे २० लाख अतिरिक्त परिवारों को क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। बटाईदार और असामी किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते है। फसलों के भंडारण के निधि पोषण के लिए नाबार्ड अपनी ब्याज दरे १० प्रतिशत से घटाकर ८.५ प्रतिशत कर रहा है जिससे विशेष रूप से छोटे किसानों को मजबूरी में अपनी फसल बेचने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा।

कृषि विस्तार सेवाओं को बढ़ानें की आवश्यकताओं पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि कृषि स्नातकों द्वारा कृषि क्लीनिक्स एवं कृषि कारोबार केन्द्रों की स्थापना की एक नई योजना शुरू की जा रही है जिसके लिए आसान शर्तो पर ऋण दिया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए खेतों में जल प्रबंध योजना के तहत ७० करोड़ रूपये और बागवानी के समन्वित विकास के टैक्नोलाजी मिशन के लिए ३८ करोड़ रूपये का प्रावधान किया जा रहा है। क्रमबद्ध रूप से वर्ष २००७ तक ५०० तक की आबादी वाले सभी गांवों को बारहमासी सड़कों में जोड़ने के उद्‌देश्य से २५ दिसम्बर २००० को घोषित प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना में २०००-२००१ में २५०० करोड़ रूपये का केन्द्रीय आवंटन किया गया था। [8]

केन्द्र सरकार द्वारा पेश किये जाने वाले वार्षिक बजट में लोगों की मुख्य दिलचस्पी कर प्रस्तावों या उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने के लिए किए जाने वाले प्रस्तावों पर केन्द्रित रहती है और बजट के बारे में टिप्पणियाँ भी इसी दृष्टि से व्यक्त की जाती हैं। इस बार वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा २८ फरवरी को पेश किए गए बजट की एक विशेषता यह है कि इसमें देश के आर्थिक विकास के लिए कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र को वह महत्व दिया गया है जिसका कि वह सही मायनों में हकदार है। वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा द्वारा पेश किए गए बजट में केन्द्र सत्तारूढ़ गठबन्धन सरकार ने ग्रामीण विकास के बारे में अपनी प्रतिबद्धता को इस बार एक नए अंदाज में पेश किया। अपने बजट भाषण में कृषि एवं ग्रामीण विकास का उल्लेख करते हुए श्री सिन्हा ने स्वीकार किया कि कृषि क्षेत्र में अब तक किये गये सुधार अपर्याप्त रहे हैं। इसके बाद वित्त मंत्री ने अपनी रणनीति को उजागर किया और कृषि को आर्थिक सुधार प्रक्रिया में समेटते हुए इसके विकास के लिए पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने, गाँवों में सड़कों के विकास और बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार के बारे में विस्तृत प्रस्तावों का खुलासा किया। बजट में गांवों को बुनियादी रूप से अधिक प्रभावित करने वाली कृषि के विकास के उपायों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है कि गांवों में विकास की धारा पहुँचाने वाली सड़कों और औद्योगिक प्रगति की संभावना पैदा करने

वाली बिजली की आपूर्ति की तरफ भी विशेष ध्यान दिया गया है। वास्तव में कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की रणनीति के तहत गांवों को सड़क और बिजली सुविधा प्रदान करने के उपायों से गांवों के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। कृषि के लिए दुर्भाग्य की बात यही रही है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया के प्रारम्भ होने के एक दशक बाद भी कृषि क्षेत्र एक तरह से इससे अछूता ही रहा। इसका एक नतीजा यह भी हुआ कि १९८० के दशक के बाद अनाज उत्पादन की विकास दर आधी रह गई। कृषि के विकास के बिना ग्राम विकास के उपायों को वांछित सफलता मिलना भी संदिग्ध हो जाता है।

ससद मे प्रस्तुत वर्ष २००१-०२ के बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास किया गया है। गत दो वर्षो से एक फीसदी से कम विकास दर को झेल रहे कृषि क्षेत्र को फिर से तेजी से विकास की ओर अग्रसर करने के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के विशेष प्रयास किए गए हैं। चालू दशक में पहली बार कृषि क्षेत्र के हितों पर इतना अधिक ध्यान दिया गया है। कृषि विकास में ऋण प्रवाह के महत्व को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्री ने इसमें २४ प्रतिशत प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया है और बताया कि वर्ष २००१-०२ में ६४,००० करोड़ रूपये का ऋण कृषि क्षेत्र को उपलब्ध हो सकेगा। उन्होने बताया कि चालू वर्ष में इसमें १५ प्रतिशत की वृद्धि की आशा है तथा यह लगभग ५१,५०० करोड़ के स्तर पर रहेगा।

वित्त मंत्री ने ऋण प्रवाह को बढ़ाने के उपायों के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से १९९५-९६ में स्थापित ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आर.आई.डी. एफ.) की संचित निधि को बढ़ा कर अगले वर्ष ५००० करोड़ रूपये करने की घोषणा की। उन्होने इस बात पर संतोष प्रकट किया कि इस विधि के प्रचलन से गांवों में बुनियादी सुविधा देने के काम में अच्छी प्रगति हुई है। इसमें अब तक १,८४,००० परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गयी है। वित्त मंत्री ने इस सफलता से उत्साहित होकर राज्यों की सहायता के लिए नाबार्ड द्वारा लागू की जाने वाली ब्याज दर को ११.५ प्रतिशत से घटाकर १०.५ प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

वित्त मंत्री ने १९९८-९९ में प्रारम्भ की गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना को सफल बताते हुए अगले तीन वर्षों में इसके योग्य सभी किसानों को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक लगभग १.१ करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं। वित्त मंत्री बैंकों से भी यह कहेंगे कि अन्य क्रेडिट कार्डो के धारकों को भी बीमा लाभ दिया जाए।

नाबार्ड और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से चालू वर्ष के दौरान एक लाख स्वसहायता समूहों से जुड़ने को कहा गया है। नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ४०-४० करोड़ रूपये के योगदान से नाबार्ड में एक लघु वित्त विकास निधि की स्थापना कर दी गई है। उन्होने बताया कि नाबार्ड को गत वर्ष पूँजी अभिलाभ का छूट बांड जारी करने की जो अनुमति दी गई थी उसने नाबार्ड को सामान्य रूप से कम ब्याज दरों पर १,००० करोंड़ रूपये से अधिक की धनराशि जुटानें में मदद मिली है। जिससे इस निधि की लागत कम हुई है। उन्होनें इस छूट को जारी रखने की घोषणा की है। नये बजट में किसानों को माल ऋण उपलब्ध कराने के लिए जहां नाबार्ड की ब्याज दर ११.५ प्रतिशत से घटा कर १०.५ प्रतिशत कर दी गई है। वहीं नाबार्ड की ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि को ४५ अरब रूपये से बढ़ाकर ५० अरब कर दिया गया है। किसानों कों किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा की भी व्यवस्था प्रदान की गई है साथ ही क्रेडिट कार्ड लेने वाले किसानों को बीमा सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है।

इस प्रकार यदि हम देंखें तो पायेंगे कि इस नवीन बजट वर्ष २००१-०२ के माध्यम से कृषि एवं ग्रामीण विकास का समुचित प्रयास किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने वित्तीय सहायता पर विशेष ध्यान दिया जिसके तहत नाबार्ड की ब्याज दर का घटाया जाना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना आदि ग्रामीण विकास के सार्थक प्रयास प्रतीत होते हैं।[9]

भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारा लक्ष्य देश का समन्वित विकास करना था जिसके लिए ग्रामीण विकास पर ध्यान देना नितान्त आवश्यक था और ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया भी गया लेकिन वह पर्याप्त नही कहा जा सकता है। हम कह सकते है कि हमारी कार्यप्रणाली में ही कुछ दोष

व्याप्त हैं क्योंकि आज स्वतंत्रता के ५३ वर्ष पूर्ण कर लेने के पश्चात् भी हमारे गॉवो का समुचित विकास सम्भव नहीं हो पाया है। आज भी हमारे गांव पिछड़ें हुए हैं, आज भी वहॉ समुचित पेयजल की व्यवस्था नहीं है, आज भी किसान ऋणग्रस्त है, आज भी उसे पर्याप्त वित्तीय साधन व सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकी हैं, आज भी किसान साहूकारों व देशी बैकरों पर ही निर्भर हैं, देश में अभी भी मात्र २१ लाख किलोमीटर सड़क मार्ग हैं जिसमे से ११ लाख किलोमीटर हिस्सा कच्ची सड़कों का है जो कि हमारे गावों को शहरों से जोड़ने का असफल प्रयास करती है क्योकि साल के चार माह तो ये बरसात के पानी में यात्रा करने योग्य ही नही रह जाती हैं।

आज यदि हम इस बात पर विचार करें कि इतने प्रयासों के पश्चात् भी गॉवो का समूचित विकास क्यों नही हो पाया तो हम पायेगें कि इसमें हमारी बैंकिंग व्यवस्था का पूरा दोष है जिसके कारण किसानों को समय पर वित्तीय सुविधाएं एवं अन्य आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। जिसके कारण उसे साहूकारों की सहायता लेनी पड़ती है व उनके ऊँची ब्याज दर के ऋण से कई पीढ़ियों तक उबर नहीं पाता है। हमारी बैंकिंग व्यवस्था में काफी दोष है। किसान को कभी भी उसकी आवश्यकता के समय उसे बैंकों से वित्तीय सहायता उपलब्ध नही हो पाती है इसका कारण है बैंकों की लम्बी कागजी कार्यवाही जिसे हमारा निरक्षर किसान पूरा नहीं कर पाता है और वहॉ उसकी फसल सूखी जा रही होती है, तो कहीं उसे खाद देनी है या कहीं उसे पानी देना है जिसके लिए उसे पैसों की तुरन्त आवश्यकता होती है जो कि हमारे बैंक कभी पूरा नहीं कर पाते हैं और किसानों को मजबूरी में महाजनों से ऋण लेना पड़ता है और प्राकृतिक आपदाओं, बड़ा परिवार, कम उपज, सामाजिक रीति रिवाजों आदि आवश्यकताओं के कारण वह इस ऋण के बोझ से निकल नहीं पाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी इसी बोझ में दबता चला जाता है। आज हम योजना काल के ५२ वर्ष पूर्ण कर चुके है तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारियां चल रही है जिसका कार्यकाल १ अप्रैल २००२ से ३१ मार्च २००७ तक होगा। इस योजना का भी मुख्य लक्ष्य ग्रामीण विकास ही रखा जा रहा है। इसका मूल लक्ष्य होगा कि देश का प्रत्येक गॉव, कस्बा तथा निर्जन क्षेत्र परिवहन, संचार, ऊर्जा,

सिंचाई तथा वित्तीय आवश्यकताओं की सुविधाओं से परिपूर्ण हो ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जनसचार तथा पेयजल जैसी सामाजिक सेवाएँ सहजता से प्रदान की जा सके।

दसवीं योजना का भी प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण विकास रखा गया है। पहले लागू हो चुकी नौ पंचवर्षीय योजनाओं का यदि हम अध्ययन करें तो पायेगें उनका लक्ष्य भी ग्रामीण विकास ही था लेकिन शायद कोई भी योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्णतया सफल नहीं हो सकी है। ग्रामीण विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर नाबार्ड की स्थापना १९८२ में की गई १९८२ से लेकर आज तक नाबार्ड ग्रामीण वित्त में अपना अभूतपूर्व योगदान प्रदान कर रहा है। अभी हाल ही में प्रस्तुत वर्ष २००१-०२ के बजट में नाबार्ड द्वारा ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ब्याज दर को ११.५ प्रतिशत से घटाकर १०.५ प्रतिशत कर दी गई है जिससे ग्रामीण वित्त में अधिक सहायता प्रदान की जा सके। लेकिन आज भी ग्रामीण वित्त की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है जबकि इसमें अनेक सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, व्यापारिक बैंक तथा नाबार्ड जैसी बड़ी-बड़ी संस्थाएं प्रयासरत है। आज भी किसान काफी हद तक साहूकारो पर ही अपनी वित्तीय आवश्यकताओं हेतु निर्भर है अतः हम कह सकते हैं कि नाबार्ड भी अपनी भूमिका कुशलतापूर्वक सफलता से नही निभा पाया है। अतः हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी वित्तीय सस्थाओ की कार्यप्रणालियों तथा नीतियों में व्यापक सुधार किये जाये।

शोध का उद्देश्य :-

- उत्तर प्रदेश में ग्रामीण वित्त की मांग को पूरा करनें में नाबार्ड की भूमिका का मूल्यांकन करना।
- ग्रामीण आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करनें मे नाबार्ड की भूमिका का मूल्यांकन करना।
- समन्वित कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु नाबार्ड द्वारा किये गये योगदान का मूल्यांकन करना।
- नाबार्ड की कार्यप्रणाली यदि दोषपूर्ण हैं तो उसमें सुधार हेतु उपाय एवं सुझाव प्रस्तुत करना।
- संस्थागत स्रोतों द्वारा ग्रामीण वित्त की पूर्ति आज भी अपर्याप्त है इसके कारणों का मूल्यांकन करना।
- उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में लगे बैंकों का मूल्याकन करना।
- उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में नाबार्ड के योगदान का मूल्यांकन करना।
- नाबार्ड की कार्यप्रणाली एवं क्रियाकलापों का मूल्यांकन करना।
- वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण वित्त पूर्ति व्यवस्था का मूल्यांकन करना।

शोध की महत्ता :-

भारत में कृषि महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि पर आधारित है और कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में अपनायी जाती है। कृषि की दशा में सुधार करने के लिए अनेक आयोगों एवं कमीशनों का गठन किया गया जिनकी संस्तुति पर ''राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक'' (नाबार्ड) की स्थापना की गई। नाबार्ड की कार्यप्रणाली का निर्धारण कुछ इस प्रकार किया गया कि वह जनता के अप्रत्यक्ष सम्पर्क में कार्य करते हुए, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु कार्य कर रहा है। नाबार्ड की स्थापना विशेष रूप से ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु की गई थी और नाबार्ड इसका प्रयत्न भी कर रहा है कि वह ग्रामीण वित्त पूर्ति की समुचित व्यवस्था करके कृषि को एक लाभकर व्यवसाय बनाया जा सके।

मैं अपने शोध के द्वारा इस तथ्य की पुष्टि करना चाहता हूं कि नाबार्ड अपनी स्थापना के उद्‌देश्यों में सफल रहा अथवा नहीं। नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्‌देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त की समुचित व्यवस्था करना है। ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु नाबार्ड को बैंकिंग संस्थाओ को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करनी होती है साथ ही ग्रामीण विकास मे लगी बैंकिंग संस्थाओं के मध्य उचित समन्वय स्थापित करते हुए उनके ऊपर उचित नियंत्रण रखना भी नाबार्ड का उत्तरदायित्व है। इसके साथ ही नाबार्ड को ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति का दायित्व भी सौंपा गया है अर्थात् नाबार्ड को समन्वित कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु समस्त कार्य करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

इस शोध के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नाबार्ड की भूमिका का मूल्यांकन करके यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्या नाबार्ड ग्रामीण विकास में अपना उचित योगदान दे पाया है और क्या नाबार्ड की स्थापना से ग्रामीण वित्त पूर्ति की समुचित व्यवस्था करके ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है और क्या वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नाबार्ड की कार्यप्रणाली उचित है।

अध्यायीकरण :-

मैंने शोध ग्रन्थ में सात अध्याय प्रस्तावित किये है। इन अध्यायों के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करते हुए नाबार्ड की आवश्यकता को एवं उसके योगदान को स्पष्ट करूंगा। मैंने अपने शोध ग्रन्थ के प्रथम अध्याय में सम्पूर्ण देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को प्रदर्शित करते हुए उसमें कृषि के महत्व को एवं उसकी दयनीय दशा को स्पष्ट करनें का प्रयास किया है। इस अध्याय में कृषि की बिगड़ती दशा के कारणों को स्पष्ट करते हुए कृषि वित्त की अपर्याप्तता को स्पष्ट किया गया है। मैंने प्रस्तावित द्वितीय अध्याय में उतर प्रदेश के ग्रामीण वित्त की स्थिति, ग्रामीण वित्त की आवश्यकता, ग्रामीण वित्त पूर्ति के स्रोत, एवं उत्तर प्रदेश में ग्रामीण वित्त की अपर्याप्तता के कारणों को

बताया गया है। मैंने प्रस्तावित तृतीय अध्याय मे नाबार्ड की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए, नाबार्ड की स्थापना का उल्लेख किया है। मैंने चतुर्थ अध्याय मे नाबार्ड की सगठनात्मक सरचना को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पाचवे अध्याय मे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मे नाबार्ड द्वारा किये जाने वाले प्रयासो का उल्लेख किया गया है। छठवे अध्याय मे नाबार्ड की कमियो एव उसकी कार्य प्रणाली मे व्याप्त दोषो को स्पष्ट करनें का प्रयास किया है तथा सातवे अध्याय मे शोध के निष्कर्ष के तौर पर सस्तुतिया एव सुधार के उपाय व्यक्त किये गये हैं।

शोध की परिकल्पना :-

शोध के प्रारम्भिक समय मे मेरे विचार मे निम्नलिखित परिकल्पनाए उत्पन्न हुई हैं -

- उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे नाबार्ड का योगदान सतोषजनक नहीं रहा है।
- नाबार्ड अपनी स्थापना के लक्ष्यो को प्राप्त करने मे सफल हुआ है।
- उत्तर प्रदेश की ग्रामीण वित्त व्यवस्था नाबार्ड को स्थापना से लाभान्वित हुई हैं।
- नाबार्ड की स्थापना के पूर्व तथा स्थापना के पश्चात् उत्तर प्रदेश की कृषि एंव ग्रामीण वित्त की स्थिति।
- नाबार्ड और ग्रामीण बैंकिंग सस्थाओ के मध्य उचित तालमेल एवं समन्वय स्थापित हो सका है।
- नाबार्ड व्यवसायिक बैंकों को ग्रामीण वित्त पूर्ति हेतु आकर्षित नहीं कर पाया है।
- नाबार्ड और व्यवसायिक बैंकों के मध्य उचित तालमेल स्थापित नहीं हो सका है।
- उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था हेतु नाबार्ड की स्थापना वाकई आवश्यक थी।
- नाबार्ड की स्थापना से उत्तर प्रदेश के गांवों की बिगड़ती स्थिति में सुधार हुआ है।
- कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समुचित सफलता प्राप्त न करनें में नाबार्ड का उत्तरदायित्व।

शोध अध्ययन विधि :-

यह शोध कार्य विभिन्न स्रोतो से एकत्र किये गये प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको के आधार पर पूर्ण किया जायेगा। प्राथमिक समक प्रश्नावलिया बना कर एवं अनेक व्यक्तियों के साक्षात्कार लेकर मैंने स्वय एकत्रित किये हैं एवं उन्हे तैयार किया है। प्राथमिक समक एकत्र करने के लिए मैंने प्रश्नावलिया बना कर उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानो पर किसानों से जानकारिया प्राप्त की, इसके साथ ही नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों, ग्रामीण बैंक के अधिकारियो, व्यापारिक बैंक के मैनेजर, तथा किसानों के साक्षात्कार से लेकर प्राथमिक समंको को तैयार किया है। द्वितीयक समक भारतीय अर्थव्यवस्था पर लिखी गई विभिन्न पुस्तको मे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्टो से, नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्टो से, बर्ड लाइब्रेरी मे उपलब्ध विभिन्न रिपोर्टो से, बैंकिग की विभिन्न पुस्तको से, नाबार्ड एव भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइटो मे, योजना एवं कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका से तथा समाचार पत्रो की सहायता से एकत्र किये गये है। प्राथमिक समक एकत्र करने हेतु हमनें नमूना विधि के आधार पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों - इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, हमीरपुर, कौशाम्बी, तथा गाजीपुर को शामिल किया है। जिनमें विभिन्न व्यक्तियों के साक्षात्कार लेकर प्राथमिक समंक तैयार किये गये हैं। समंकों द्वारा तुलनात्मक अध्ययन हेतु उन्हें उपयुक्त निर्धारित विधि द्वारा तैयार किया गया है। शोध की आवश्यकता के अनुरूप समंकों का व्यापक विश्लेषण किया गया है। समको को सरलतापूर्वक समझनें के लिए उन्हे सारणीबद्ध किया गया है एवं उन्हें ग्राफ द्वारा स्पष्ट किया गया है।

परिसीमाएं :-

यद्यपि मैंने समंकों को एकत्र करनें में एवं उनके विश्लेषण करने में पर्याप्त सावधानी बरती है ताकि शोध की आवश्यकता के अनुरूप समंकों से सही निष्कर्ष ज्ञात किये जा सके। आंकड़े एकत्र करने, उनका विश्लेषण करनें तथा सम्पूर्ण शोध कार्य में निम्नलिखित समस्याएं सामने आ रही है:-

- प्रश्नावलिया बना कर समक एकत्र करते समय बहुत से लोग ऐसे मिले जो किसी भी प्रश्न का उत्तर न दे सके।
- उत्तर प्रदेश एक बडा राज्य है इसलिए सम्पूर्ण प्रदेश में जाकर सूचनाएं एकत्र करना एव साक्षात्कार लेना अत्याधिक कठिन कार्य है। इसमे अत्याधिक समय एव धन की आवश्यकता पडती है।
- समय एव धन के अभाव के कारण नमूना आधार पर उत्तर प्रेद्रश के प्रमुख जिलो से सूचनाए एकत्र की हैं। जो कि सम्पूर्ण का प्रतिनिधत्व करती हैं।
- शोध कार्य मे प्राथमिक एव द्वितीयक दोनो समंको का प्रयोग किया गया है जो कि अत्याधिक समय लेने वाला एव खर्चीला कार्य है।
- शोध के निष्कर्ष नमूना विधि द्वारा एकत्रित समकों की सहायता से निकाले गये हैं इसलिए भविष्य में इनमें परिवर्तन होनें या अनिश्चितता होने की सम्भावना है।
- इस विषय पर पहले कभी शोध नहीं हुए हैं, जिससे सम्पूर्ण सूचनाएं एकत्रित करने मे काफी समस्या हो रही है।
- विभिन्न स्थानों पर जाकर सूचनाए एव समंक एकत्र करना काफी खर्चीला कार्य है अतः आर्थिक समस्या भी उत्पन्न हो रही है।

सूचना स्त्रोत

1. भारतीय अर्थव्यवस्था - डॉ० अरूणेश सिंह
2. शिवरमण कमेटी रिपोर्ट (CRAFICARD) भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (बम्बई) द्वारा प्रकाशित जनवरी १९८१
3. योजना पत्रिका दिसम्बर १९९२ पृष्ट सख्या १-४ एव वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड वर्ष २००१
4. भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी रिपोर्ट एव भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन
5. भारतीय अर्थव्यवस्था - जगदीश नारायण मिश्र
6. भारतीय अर्थव्यवस्था - डॉ० अरूणेश सिह वर्ष २०००-२००१
7. योजना पत्रिका - जुलाई २००१
8. योजना पत्रिका - अप्रैल २००१
9. कुरूक्षेत्र पत्रिका - अप्रैल २००१

******

अध्याय–2

भारत में ग्रामीण वित्त

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार का प्रथम लक्ष्य था देश का समन्वित विकास। किन्तु यह कार्य आसान न था क्योंकि न सिर्फ भारत बल्कि सम्पूर्ण विश्व द्वितीय विश्वयुद्ध की तबाही से उबर नहीं पाया था। हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी अत्यन्त चरमरायी हुई थी, देश कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था, देश में उद्योगों का अभाव था, रोजगार की कमी थी, लोगों के रोजगार का एकमात्र साधन था। कृषि.स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की जनसंख्या का लगभग ८० प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित था और कृषि देश में प्रमुख उद्योग की तरह प्रचलित थी। कृषि की दशाा भी अत्यधिक दयनीय थी न तो हमारे किसानों के पास अच्छे बीज थे, न ही उत्तम किस्म की खाद थी, न ही कृषि के उपकरण थे, न सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी और न ही किसान के पास धन था। भारतीय किसान प्रारम्भ से ही कर्ज में दबा होता था क्योंकि किसान के पास कमाई के साधन के रूप मे अलाभकर कृषि ही उपलब्ध थी जबकि उसका बड़ा परिवार, उसके सामाजिक रीति रिवाज, त्योहार, तथा कृषि आदि का व्यय उसी के सिर पर रहता था जिससे किसान सदैव ही कर्ज के बोझ तले दबता ही चला जाता था। किसानों की वित्त आवश्यकता की पूर्ति सदैव ही साहूकारों के द्वारा पूरी की जाती थी जिसके बदले में किसानों का अत्यधिक शोषण किया जाता था, उनसे सादे कागज पर अंगूठे लगवा कर उनकीजमीनों पर साहूकार कब्जा कर लेते थे किसानों को उनके घरों से बेदखल कर लिया जाता था, उनकी फसलें कर्ज के ब्याज में ही साहूकारों के पास चली जाती थी अर्थात किसानों की दशा अत्यधिक दयनीय थी जिसका प्रमुख कारण था वित्त का अभाव। प्रारम्भिक काल में देश

में ग्रामीण वित्त की कोई समुचित व्यवस्था नही थी जहाँ से किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरलता से ऋण प्राप्त हो जाता। किसानों के संकट समय पर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला कोई सशक्त साधन उपलब्ध नहीं होता था और अन्त में उन्हे साहूकार की ही शरण में जाना पड़ता था जो कि उनका मनमाने ढंग से शोषण करता व उन्हे ऋण प्रदान करता। इस प्रकार हम प्रारम्भिक काल में अध्ययन करें तो पायेगें कि हमारे देश में ग्रामीण वित्त की आवश्यकता का लगभग ७५ प्रतिशत भाग साहूकारो द्वारा ही पूरा किया जाता था। यही कारण था कि भारतीय किसान और गरीब होता जा रहा था और साहूकार और अमीर होते चले जा रहे थे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश के समन्वित विकास हेतु वर्ष १९५० में योजना आयोग का गठन किया और १ अप्रैल १९५१ से प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना के प्रमुख लक्ष्य थे देश में उद्योगों की स्थापना करना तथा कृषि की दयनीय दशा में सुधार करना, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कृषि के लिए अनुकूलतम दशाओं को बनाना, नवीन उद्योगों की स्थापना कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना आदि। सरकार ने इस बात को महसूस किया कि देश की जनसंख्या का ज्यादातर भाग कृषि पर आश्रित है अतः कृषि को बढ़ावा देना, एवं कृषि की दयनीय दशा में सुधार करना नितान्त आवश्यक है। सरकार ने यह अनुमान लगाया कि किसानों की दयनीय दशा का प्रमुख कारण है वित्त का अभाव, जिसके कारण किसानों की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, व कृषि अलाभकर होती जा रही थी। अतः सरकार ने देश के समन्वित विकास के लिए ग्रामीण वित्त पर विशेष ध्यान दिया। जिससे किसानों को सरलता से, व समय पर आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा सके। [1]

ग्रामीण वित्त से आशय :-

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि राष्ट्रीय आय एवं कुल रोजगार के अवसरो में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। परन्तु अन्य देशों की तुलना में भारतीय कृषि अपनी अल्प उत्पादिता एव पिछडेपन के लिए भी विख्यात है,जबकि कृषि क्षेत्र को न केवल कृषि कार्य में लगे लोगों के भरण पोषण व जीवन यापन की व्यवस्था करनी चाहिए, अपितु अतिरेक भी अर्जित करना चाहिए। जिसके लिए कृषि के अभियांत्रिकरण, नवीनीकरण व यंत्रीकरण की आवश्यकता महसूस की गई और इससे ग्रामीण वित्त की आवश्यकता का विशेष अनुभव हुआ। भारत में कृषि विकास के प्रयास तो प्रारम्भ से ही किये जा रहे थे,लेकिन नवीन तकनीक का विकास १९६०-७० के दशक मे हुआ। प्रत्येक कृषक नवीन तकनीकों से लाभान्वित होने की आशा रखता है जिसके लिए रासायनिक खाद, उन्नतशील बीज, नवीन उर्वरक, कीटनाशक दवाओं, आधुनिक कृषि यंत्रों की आवश्यकता होगी जो कि समयानुसार कृषि साख व्यवस्था (ग्रामीण वित्त) की अपरिहार्यता की ओर संकेत करता है।

कृषि को लाभप्रद व्यवसाय बनाने हेतु उसमें आधारभूत परिवर्तनों की नितान्त आवश्यकता है। किसानों को अच्छे किस्म के उन्नतशील बीज उपलब्ध हो, उनके पास अच्छी किस्म की खाद एव उर्वरक उपलबध हो, उत्तम कृषि हेतु अच्छे यंत्र, नवीन उपकरणों की आवश्यकता है, विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों की अवश्यकता है, सिंचाई के स्थायी साधनों (कुएं, पम्पसेट, नलकूप, ट्यूबवेल, पक्की नाली, नहर आदि) की नितांत आवश्यकता है, तैयार फसल के भण्डारण हेतु उचित स्थानों की आवश्यकता है। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसानों को धन की आवश्यकता पड़ती है। बैंकों, सहकारी समितियों व अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसानों की उपरोक्त आवश्यकताओं हेतु वितरित ऋण को ग्रामीण वित्त या ग्रामीण साख कहा जाता है। अर्थात् किसान जब अपनी कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन प्राप्त करता है तो उसे ग्रामीण वित्त की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार हमें स्पष्ट होता है कि यदि हम कृषि का निचले स्तर से समन्वित विकास करना चाहते है तो उसके लिए हमें ग्रामीण वित्त की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।

हमारे देश की जनसख्या का एक बड़ा भाग कृषि पर आधारित है और यह एक प्रमुख व्यवसाय के रूप मे अपनायी गई है। जब सरकार इस बात पर ध्यान देती है कि उसके व्यवसाय व उद्योग धंधे हानि में न जाए। इसी प्रकार कृषि भी हमारे देश का अत्यधिक महत्वपूर्ण उद्योग है और उसकी बुरी दशा का एक मात्र कारण है कि ग्रामीण वित्त की समुचित व्यवस्था न होना। आज सरकार के द्वारा ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु लाख प्रयास किये जा रहे हैं, अनेक वादे किये जा रहे हैं किन्तु शायद सभी प्रयास असफल हो जाते हैं व सभी दावे खोखले साबित होते हैं। आज भी हमारे देश में ग्रामीण वित्त की समुचित व्यवस्था नहीं है जिसके चलते आज भी कृषि एक अलाभकार व्यवसाय ही बनी हुई है। किसान के द्वारा अपनी वित्त आवश्यकता की पूर्ति विभिन्न साधनों से की जाती है। इनमें कुछ स्रोत संस्थागत साधनों के होते है व कुछ स्रोत गैर संस्थागत साधनों के होते है। सरकार के द्वारा ग्रामीण वित्त की पूर्ति की समुचित व्यवस्था संस्थागत स्रोतों के द्वारा न कर पाने के कारण ही, गैर संस्थागात स्रोत आज भी फलफूल रहे है और ग्रामीण वित्त की पूर्ति में उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। आज कृषि में व्यापक परिवर्तन करने हेतु ग्रामीण वित्त की समुचित व्यवस्था का होना नितान्त आवश्यक है जिससे किसान अपनी कृषि में व्यापक सुधार करके कृषि को एक लाभप्रद व्यवसाय बना सके अर्थात् ग्रामीण वित्त की समुचित व्यवस्था करके हम कृषि क्षेत्र में क्रान्ति ला सकते है। और इसके ठीक विपरीत, ग्रामीण वित्त की समुचित व्यवस्था न हाने से आने वाले वर्षों में भी किसानों का जीवन अंधकार में ही दिखाई पड़ रहा है।

भारत में छोटे किसानों व छोटी जोत के आकार वाले कृषकों की आय मात्र जीवन यापन के लिए ही पर्याप्त हो पाती है। कभी-कभी तो यह दशा हो जाती है कि उन्हे अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए भी ऋण लेना पड़ता है। जहॉ अधिकांशतः कृषकों के पास अत्यन्त छोटे आकार की जोतें है जो कि उनकी आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं कर पाती हैं ऐसी दशा में उनसे यह अपेक्षा करना कि कृषक कृषि में आधारभूत परिवर्तन व सुधार के लिए कुछ निवेश कर सकता है तो यह पूर्णतया भ्रमपूर्ण होगा। जिससे हमें कृषि साख की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

स्वतंत्रता के पूर्व कृषि साख के प्रमुख स्रोत ग्रामीण महाजन व स्थानीय सम्पन्न लोग थे। जिन्हे देशी बैंकर भी कहा जाता है। देशी बैंकरों के द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार मनमाने ढंग से अत्यधिक ब्याज दर पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाता था। कुछ कानून इस सम्बन्ध में बनाये भी गये जिससे किसानों को कुछ संरक्षण प्रदान किया गया। कानूनो के द्वारा देशी बैंकरों पर नियंत्रण का प्रयास किया गया किन्तु इसमें बहुत ही कम सफलता प्राप्त हो सकी। जैसा कि कृषि सुधार समिति ने कहा है - ''हम निश्चित रूप से कह सकते है कि महाजनों की गतिविधि पर नियंत्रण लगाने में हम व हमारे कानून पूर्णतया विफल रहे है।'' वस्तुस्थिति यह रही है कि विकल्पों के अभाव में ग्रामीणों को अपनी वित्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु महाजनों के पास ही जाना पड़ता था और वे उन्हें मनमानी शर्तो पर ऋण देते थे। वास्तव में महाजन किसान की गरीबी का परिणाम था और अन्ततः किसान की गरीबी का कारण भी।[1]

(अ) ग्रामीण वित्त की आवश्यकता :-

कृषि के पिछड़ेपन तथा कृषि व्यवसाय की अनिश्चितता के कारण भारतीय किसानों के निजी साधन सीमित होते हैं। कृषि व्यवसाय अलाभकर होने के कारण कृषक कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो जाता है। छोटे एवं सीमान्त कृषकों की दशा तो और भी गम्भीर एवं विचारणीय है उन्हें तो अपने परिवार की जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी ऋण का सहारा लेना पड़ता है। वर्तमान में कृषक कृषि विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने व जीवन यापन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ग्रामीण वित्त का सहारा लेते हैं। कृषकों द्वारा ऋण की मांग निरन्तर बढ़ने से ग्रामीण वित्त का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में कृषि साख एवं ग्रामीण वित्त का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आज ग्रामीण वित्त की सहायता से कृषि के विकास का प्रयास किया जा रहा है। बैंकों के द्वारा तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के द्वारा ग्रामीण वित्त सरलतापूर्वक उपलब्ध कराये जा

रहे हैं ताकि किसान उत्तम बीज, उत्तम रासायनिक उर्वरक, अच्छे यंत्र, अच्छे ट्रैक्टर, हल बैल आदि खरीद सके जिससे कि कृषि को एक लाभकर व्यवसाय बनाने का प्रयास किया जा सके।

भारत में प्राचीन काल से ही कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में अपनायी जा रही है किन्तु फिर भी यह अलाभकर बनी हुई है। भारतीय कृषि के अलाभकर होने के अनेक कारण हैं। भारतीय कृषि पर जनसंख्या दबाव अत्यधिक ज्यादा है, देश की कुल जनसंख्या का लगभग ७५ प्रतिशत भाग कृषि पर ही आश्रित है। हमारे देश में किसान साक्षरता दर अत्यधिक कम है। जिसमें कृषि पर जनसंख्या दबाव और तीव्र गति के बढ़ता जा रहा है क्योंकि अशिक्षित होने के कारण वे परिवार नियोजन के साधनों का प्रयोग नहीं करते और प्रत्येक परिवार में दस से बारह बच्चे होना बड़ी स्वभाविक बात हो जाती है। अधिक बड़ा परिवार होने से सामाजिक रीतिरिवाजों जैसे मुण्डन, छेदन, यज्ञोपवीत, शादी, वर्षगांठ, तेरही आदि पर भी अत्यधिक खर्च किया जाता है और इस सब का सीधा प्रभाव कृषि पर पड़ता है और कृषि से हम और अधिक उपज की मांग करने लगते है। इसके साथ ही किसानों के पास उत्तम किस्म के उन्नतशील बीजों का अभाव है, अच्छी खाद का अभाव, अच्छी जुताई करने के लिए ट्रैक्टर व ट्राली आदि का अभाव है जिससे किसान कृषि की पूर्ण उर्वरा शक्ति का उपभोग भी नहीं कर पाता है। भारतीय किसानों के पास सिंचाई के स्थायी साधनों का भी अभाव है, यहां न तो पक्के कुंए है, न ही पम्प सेट है, न ही नहरें है, और न ही ट्यूबवेल आदि हैं जिससे सिंचाई की समुचित सुविधा भी किसानों को प्राप्त नहीं हो पाती है और किसान केवल प्राकृतिक बारिश के सहारे भगवान का नाम लेते हुए पानी का इन्तजार करता रहता है। जिससे फसलें सूख जाती हैं व कृषि का नुकसान होता है। इसके साथ ही गांवों में सहकारी संस्थाओं, सरकारी भण्डार ग्रह तथा सरकारी विक्रय केन्द्रों का भी अभाव है जिससे किसान अपनी तैयार फसलों को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था भी अत्यधिक जर्जर अवस्था में है जिससे किसान अपनी फसलों को शहरी मण्डियों में ले जाकर भी नहीं बेच पाते है और गांवों के ही साहूकार, महाजनों एवं व्यापारियों को उन्हीं के मनमानें दामों पर अपनी फसलों को किसान बेच देता है। कृषि के अलाभकर होने का एक

अन्य कारण है - चकबन्दी व्यवस्था का कड़े ढग से लागू न किया जाना। हमारे देश में किसानों के पास खेत छोटे-छोटे हिस्सों में बंटे होते है। जिससे फसलें अच्छी तरह से नहीं उगायी जा सकती हैं क्योंकि छोटे-छोटे खेतों में न तो हम उचित ढ़ंग से खाद की व्यवस्था कर पाते है और न ही स्थायी ढंग से सिंचाई के साधन ही लगवा पाते है जिससे कृषि लगातार अलाभकर होती जाती है। इसके साथ ही किसानो के पास वित्त का अभाव भी है। किसानो के पास न तो अपने ही पैसे होते हैं और नही कृषि से ही उन्हें बचत होती है कि वे अपनी कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। कृषि को लाभकर बनाने के लिए उसमें व्यापक सुधार एवं परिवर्तन की आवश्यकता है। जिसके लिए सबसे आवश्यक है कृषि वित्त की पूर्ति। कृषि वित्त की पूर्ति हो जाने से कृषि के लाभकर होने की व्यापक संभावनांऐ हैं। क्योंकि तब किसान अपनी आवश्यकतानुसार उन्नतशील किस्म के बीज क्रय कर सकता है, अच्छी खाद की व्यवस्था कर सकता है, ट्रैक्टर, ट्राली, हल, बैल आदि क्रय कर सकता है, सिंचाई के लिए अपने व्यक्तिगत स्थायी साधनों की व्यवस्था कर सकता है, गांवों तक यदि यातायात की समुचित व्यवस्था कर दी जाए तो किसान अपनी फसलों को शहर की मण्डियों तक लाकर उचित दामों में बेच सकते हैं। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो कृषि के अलाभकर होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ग्रामीण वित्त का अभाव है। यदि किसानों के पास वित्त की पर्याप्त उपलबधता बनी रहे तो वे अपनी कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति सरलतापूर्वक एवं समय से कर सकेंगे व साहूकारों के ऋण के चंगुल में फसनें से बच सकते हैं। किसानों की दयनीय दशा में सुधार का एक मात्र हल है ग्रामीण वित्त की पर्याप्त पूर्ति। यदि सरकार किसानों की दशा में सुधार करके समन्वित कृषि एवं ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है तो उसके लिए सरकार को अपनी बैंकिंग व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में किसानों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्थागत एवं गैर संस्थागत दोनों स्रोतों से कृषि वित्त की प्राप्ति हो रही है।

किसानों के द्वारा ग्रामीण वित्त के विभिन्न स्त्रोतों से ऋण प्राप्त किया जाता है जिसका प्रयोग वह भिन्न-भिन्न कार्यो में करता है। किसानों के द्वारा ऋण निम्नलिखित कार्यो की पूर्ति हेतु लिया जाता है :-

1. उत्पादक कार्य :-

सामान्यतः तो किसानों के द्वारा उत्पादक व अनुत्पादक दोनों प्रकार के कार्यो के लिए ऋण लिये जाते हैं वैसे किसानों द्वारा लिये जाने वाले वित्त का प्रमुख उद्देश्य उत्पादक कार्यो के लिए ही होता है। जैसे - अच्छी किस्म के बीज व खाद के लिए, उत्तम एवं नवीन कृषि यंत्रों के लिए, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था करने के लिए, हल, बैल, ट्रैक्टर आदि खरीदने के लिए एवं अन्य कृषि कार्यो के लिए किसानों के द्वारा वित्त प्राप्त किया जाता है। उत्पादक वित्त सीधे रूप से कृषि से सम्बन्धित होता है अर्थात् उसको किसी व्यक्तिगत उद्देश्य में प्रयोग नहीं किया जाता है।

उत्पादक वित्त की सहायता से किसान कृषि को लाभकर व्यवसाय बना सकता है। उत्पादक वित्त से किसान, कृषि उत्पादन मे आने वाली लगभग सभी समस्याओं को हल कर सकता है। किसान उन्नत कृषि हेतु यंत्रीकरण कर सकता है, उत्तम व अच्छे ट्रैक्टर, ट्राली एवं ट्रिलर क्रय कर सकता है। महंगी-महंगी कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग कर सकता है, सिंचाई के अपने स्वयं के स्थायी साधनों की व्यवस्था कर सकता है, तैयार फसलों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था कर सकता है, एक प्रकार से देखा जाए तो कृषि सम्बन्धित समस्त आवश्यकताओं को किसान उत्पादक वित्त की सहायता से पूर्ण कर सकता है यदि किसानों के द्वारा समझदारी से कुशलता पूर्वक उत्पादक वित्त का प्रयोग कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाए तो वह दिन दूर नहीं जब कृषि लाभकर व्यवसाय कही जायेगी।

उत्पादक कार्य के लिए लिया जाने वाला वित्त मुख्यतः तीन प्रकार का होता है :-

1. अल्पकालीन या मौसमी वित्त :-

कृषकों की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पकालीन वित्त की व्यवस्था की जाती है। ये वित्त प्रायः १५ महीने से कम अवधि के लिए होते हैं अर्थात् ऐसे ऋणों का भुगतान ऋण लेने की तिथि से १५ महीने के अन्दर कर दिया जाना चाहिए। ऐसे ऋण बीज व खाद खरीदेने के लिए, श्रमिकों

को मजदूरी देने के लिए तथा अन्य तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तैयार फसल को भण्डारण करने के लिए या बेचने के लिए शहर आदि तक ले जाने के लिए यह ऋण लिया जाता है तथा फसल बिक जाने पर इसका भुगतान कर दिया जाता है। इसीलिए इसे मौसमी ऋण कहा जाता है क्योंकि सामान्यत इसकी आवश्यकता केवल एक फसल तक ही होती है और उसके बिकने पर ऋण का भुगतान कर दिया जाता है।

2. मध्यकालीन ऋण :-

कृषकों को अपनी भूमि में सुधार करने, खेती के उपकरण खरीदने, कुँओं व बाँधो की मरम्मत, पशु और छोटे औजार खरीदने आदि उद्देश्य से मध्यकालीन ऋण प्राप्त किये जाते हैं। वर्तमान समय में कृषि कार्य के अभिनवीकरण की प्रक्रिया में मध्यकालीन साख की आवश्यकता अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इस ऋण की अवधि १५ माह से लेकर ५ वर्ष तक होती है इसीलिए ये कृषकों के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सामान्यतः किसानों को कृषि कार्य हेतु मध्यकालीन ऋण की ही अधिक आवश्यकता रहती है। इसकी सहायता से किसान कृषि व्यवस्था में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकते हैं इसमें प्राप्त होने वाली ऋण की राशि अल्पकालीन ऋण से अधिक होती है।

3. दीर्घकालीन ऋण :-

कृषि में आधारभूत एवं स्थायी सुधार करने हेतु, नयी भूमि क्रय करने हेतु, नलकूप लगवाने के लिए, ट्रैक्टर आदि खरीदने के लिए, कुँओं व बड़ी नालियों के निर्माण हेतु दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। इस ऋण की वापसी की अवधि ५ वर्ष या उससे अधिक होती है क्योंकि इस प्रकार के ऋण की धनराशि भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। जिससे किसानों के द्वारा शनैः शनैः इस ऋण को चुकाया जाता है। ये ऋण सामान्यतः कृषि यंत्रीकरण या पूर्णतया सुधार या नयी भूमि क्रय करने पर व्यय

किये जाते हैं जिसके लिए बड़ी राशि के विनियोग की आवश्यकता होती है। इसीलिए दीर्घकालीन ऋण में अन्य ऋणों की अपेक्षा अधिक धनराशि प्राप्त की जा सकती है और इसके वापसी का समय भी पांच वर्ष से अधिक समय का होता है।

(ब) अनुत्पादक कार्यों हेतु ग्रामीण वित्त :-

भारत एक रीति-रिवाजों एवं प्रथाओं का देश है। यहाँ पर जन्म से लेकर मृत्यु तक के अनेक संस्कार अत्यधिक विधिविधान से मनायें जाते हैं जैसे - छठी, बरहीं, नामकरण, यज्ञोपवीत, वर्षगांठ, विवाह, तेरहवीं, दसवां, शुद्धि, बरसी, पिण्डदान आदि अनेक ऐसे धार्मिक संस्कार व रीतिरिवाज हैं, जिन्हें करना एक आवश्यकता बन जाती है व उनके लिए किसानों को ऋण की आवश्यकता पड़ती है। ये ऋण इन्हे गैर संस्थागत स्त्रोतों से या अपने व्यक्तिगत स्त्रोतों से प्राप्त होते हैं। किसान के गैर पढ़े-लिखे होने की वजह से वह प्रत्येक कार्यो पर, तीज त्योहारों पर आवश्यकता से अधिक धन व्यय किया करता है जिससे वह अत्यधिक कर्ज में डूब जाता है और ऐसा व्यय पूर्णतः निरर्थक है क्योकि ये पूर्णतः अनुत्पादक कार्यो हेतु व्यय किये गये हैं इसलिए किसानों को ये ऋण संस्थागत स्त्रोतों से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अनुत्पादक ऋण केवल गैर संस्थागत स्त्रोतों द्वारा सरलता से प्राप्त किये जा सकते हैं।

भारतीय किसानों में अशिक्षित किसानों की संख्या अत्यधिक ज्यादा है। इसलिए इनके द्वारा अनुत्पादक कार्यो पर आवश्यकता से अधिक व्यय किया जाता है। हमारे गांवों में बच्चों को भगवान की देन माना जाता है इसलिए न तो उनके जन्म की रोकथाम के ही उपाय किये जाते है और न ही गर्भपात आदि का ही सहारा लिया जाता है। प्रत्येक बच्चें के जन्म के साथ ही कृषि पर अनुत्पादक व्यय का दबाव भी बढ़ता जाता है। हमारे देश में सामाजिक रीति रिवाजों की भी अत्यधिक मान्यता है। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक रीति रिवाजों का पालन अवश्य ही करेगा चाहे इसके लिए उसे ऋण के बोझ तले ही क्यों न दबना पड़े। यदि सरकार के द्वारा ग्रामीण वित्त की पर्याप्त व्यवस्था कर दी जाए तो इन अनावश्यक अनुत्पादक व्ययों

की वजह से डूबत ऋणों की मात्रा में भी अत्यधिक वृद्धि हो जायेगी। इसलिए अनुत्पादक कार्यो हेतु किसानों को वित्त की प्राप्ति संस्थागत स्रोतों से सरलता पूर्वक नहीं हो पाती है। किसान अपनी अनुत्पादक आवश्यकताओं हेतु गैर संस्थागात स्रोतों का ही ज्यादा प्रयोग करते है,क्योंकि गैर संस्थागत स्रोतों से किसानो को सरलता पूर्वक वित्त की प्राप्ति हो जाती है। किसानों को अनुत्पादक कार्यों हेतु चाहे संस्थागत स्रोतों से ऋण मिले, चाहे गैर संस्थागत स्रोतों से मिले, ऋण का बोझ तो कृषि पर ही पड़ता है और ऋण में किसान ही दबता जाता है।[2]

ग्रामीण वित्त के स्त्रोत :-

किसानों को ग्रामीण वित्त दो स्त्रोतों से प्राप्त होता है प्रथम - संस्थागत स्त्रोत एवं द्वितीय - गैर संस्थागत स्त्रोत हैं। संस्थगत स्त्रोतों में सहकारी समितियॉ, सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, सरकार आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार गैर सस्थागत स्त्रोतों में महाजन तथा साहूकार, सम्बन्धी और रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार और आढ़तिए प्रमुख हैं। राज्य सरकारें किसानों को तकावी ऋण देने के अलावा राज्य सहकारी बैंकों और भूमि विकास बैंकों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। सहकारी क्षेत्र में प्राथमिक कृषि साख समितियॉं, व्यापारिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषि और सम्बन्धित क्रियाओं के लिए अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋण प्रदान करते हैं। कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) ***(National Bank for Agricultural And Ruaal Development – NABARD)***, ग्रामीण वित्त की शीर्ष राष्ट्रीय संस्था है। यह उपर्युक्त संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराता है। अखिल भारतीय साख और निवेश सर्वेक्षण ***(All India Debt And Investment Survey)***, के सर्वेक्षणों के आधार पर ग्रामीण वित्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं :-

* १९५१ में ग्रामीण वित्त के संस्थागत स्रोतों का कुल ग्रामीण वित्त में भाग केवल ७.२ प्रतिशत था जबकि गैर संस्थागत स्रोतों का भाग ९२.८ प्रतिशत था। इस प्रकार, आरम्भिक वर्षो में महाजनों और साहूकारों का ग्रामीण साख व्यवस्था पर कड़ा नियन्त्रण था।
* १९५१ से १९८१ तक गैर संस्थागत स्रोतों के महत्व में काफी कमीं आई। १९५१ में इसका भाग कुल ग्रामीण वित्त का ९२.८ प्रतिशत था जो १९८१ तक घटकर ३८.८ प्रतिशत रह गया। इसमें महाजनों और साहूकारों का हिस्सा १६.९ प्रतिशत था। इसी अवधि में संस्थागत ग्रामीण वित्त का कुल ग्रामीण वित्त में हिस्सा ७.२ प्रतिशत से बढ़कर ६१ २ प्रतिशत हो गया। संस्थागत ग्रामीण वित्त में सहकारी साख समितियों और बैंकों तथा व्यापारिक बैंकों का हिस्सा लगभग बराबर था।
* संस्थागत वित्त की कुल मात्रा में भी १९७१ के बाद से तीव्र वृद्धि हुई है। संस्थागत प्रत्यक्ष वित्त की मात्रा १९७०-७१ के १७९८ करोड़ रूपये से बढ़कर १९९८-९९ में ३६,८९७ करोड़ रूपये हो गई है। इसमें सहकारी संस्थाओं का हिस्सा १५,९१६ करोड़ रूपये ४३.१४ प्रतिशत और वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का हिस्सा २०.९८१ करोड़ रूपये ५६.८६ प्रतिशत था।

ग्रामीण वित्त के निम्न दो स्रोत होते हैं जिनका अध्ययन हम निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते है :-

(अ) संस्थागत स्त्रोत :-

ग्रामीण वित्त में संस्थागत स्रोतों का महत्वपूर्ण योगदान है। संस्थागत स्रोत के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थाएँ अपना अभूतपूर्व योगदान प्रदान कर रही हैं :-

1. व्यापारिक बैंक :-

व्यापारिक बैंकों का ग्रामीण वित्त में १९६५ के पहले कोई विशेष स्थान नही था। व्यापारिक बैंकों का यह कहना था कि किसानों को ऋण देने वाली सहकारी संस्थाए, सरकार और देशी बैंकर हैं। यदि ये ग्रामीण वित्त का नियमन नहीं कर सकती तो व्यापारिक बैंकों के लिए ग्रामीण वित्त का नियमन एवं प्रबन्ध और भी कठिन होगा, दिये गये ऋण डूब जायेगें और व्यापारिक बैंकों को हानि होगी। १९५१-५२ में कुल ऋण का १ प्रतिशत ऋण ही व्यापारिक बैंकों द्वारा दिया गया था जो कि १९६८-६९ में बढ़कर ५.३ प्रतिशत हो गया। व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि वित्त में भाग न लेने के कई कारण थे। व्यापारिक बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण नहीं प्रदान किये जाते थे और कृषि में कोष के बढ़ने और डूबने का भय बना रहता है। व्यापारिक बैंक कृषि क्षेत्र से अधिक आय या जमा नहीं प्राप्त कर सकेगें, जिससे बाहर से ऋण प्राप्त करना आवश्यक हो जायेगा, यदि बैंक डूबते रहे और उनकी आर्थिक क्षमता क्षीण होती रही तो राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था की हानि हो सकती है। कृषि के अलावा बैंकों को दूसरी जगह और अधिक लाभ होते हैं वहाँ पर विनियोग करने से बैंकों को अधिक लाभ होगा। इन कारणों से व्यापारिक बैंक परोक्ष रूप से कृषि वित्त में कार्य करते रहे। सहकारी संस्थाओं, विकास बैंकों, कृषि उद्योग, निगम, राज्य विद्युत परिषद आदि विपणन संस्थाओं तथा अन्य संस्थाएँ जो कृषकों की प्रत्यक्ष रूप से सहायता करती हैं, को ऋण प्रदान किये गये। ग्रामीण वित्त में प्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रदान करनें में व्यापारिक बैंक संकोच करते रहे। राष्ट्रीयकरण के पहले तक व्यापारिक बैंकों का ग्रामीण वित्त में योगदान नगण्य रहा।

राष्ट्रीयकरण के बाद व्यापारिक बैंकों की कृषि वित्त पोषण में भूमिका :-

राष्ट्रीयकरण से पूर्व व्यापारिक बैंक कृषि वित्त में कोई भी महत्वपूर्ण योगदान नही देते थे लेकिन १९६९ में १४ बैंकों के राष्ट्रीयकरण और १५ अप्रैल १९८० को ६ अन्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण हो जानें के पश्चात इन बैंकों द्वारा ग्रामीण वित्त में महत्वपूर्ण योगदान दिया जानें लगा। यह बैंक अल्पकालीन

और दीर्घकालीन दोनो प्रकार के ऋण प्रदान किये जानें लगे। १९६९ में व्यापारिक बैंको की ८,२६२ शाखाओं में से केवल १.८३२ (२२.२ प्रतिशत) शाखांए ही ग्रामीण क्षेत्रों में थी। मार्च १९९८ के अन्त तक इनकी कुल संख्या बढ़कर ६६.१३७ हो गयी जिनमें से ३२,९१८ (४९.८ प्रतिशत) शाखाए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किये गये ऋणों में भी तेजी से वृद्धि हुई। १९६९ में ४० करोड़ रूपये (१.३ प्रतिशत) से बढ़कर यह राशि मार्च १९९७ में २५,९६२ करोड़ रूपये (१३ २ प्रतिशत) हो गयी। ग्रामीण साख में भी इसका हिस्सा १९५१ में लगभग नगण्य था जो १९९१ तक ३३.७ प्रतिशत हो गया।

सहकारी साख समितियों का ग्रामीण वित्त में योगदान :-

भारत में सहकारी साख का इतिहास काफी पुराना हैं। इसका आरम्भ १९०४ में हुआ जब ग्रामीण क्षेत्र में ऋणग्रस्तता और इसके कारण उत्पन्न हुई शोषण की समस्या से निपटनें के लिए सहकारी साख समितियों का गठन किया गया। लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व इस क्षेत्र में प्रगति बहुत धीमी रही। यही कारण है कि १९५१ में कुल ग्रामीण वित्त में सहकारी क्षेत्र का योगदान केवल ३.७ प्रतिशत था। स्वंतत्रता के बाद इस क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ विशेष रूप से १९७१ के बाद। १९९६-९७ में सहकारी समितियों ने कुल १२,५१३ करोड़ रूपये का ऋण दिया। इसमें अल्पकालीन ऋणों का हिस्सा ८,६६७ करोड़ रूपये और मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋणों का हिस्सा ३,८४६ करोड़ रूपये था। मार्च १९९६ के अन्त तक अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करने वाली प्राथमिक सहकारी समितियों की संख्या ९२,६८२ तथा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करानें वाली राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की संख्या १.९०५ थी।

भूमि विकास बैंक का ग्रामीण वित्त में योगदान :-

ग्रामीण क्षेत्र में अल्पकालीन वित्त के साथ ही दीर्घकालीन वित्त की भी आवश्यकता होती है। किसानों को दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता मुख्यतः तीन प्रकार के कार्यो के लिए होती है :-

✓ भूमि पर स्थायी सुधार करनें के लिए ।

✓ कृषि यंत्रों की खरीद के लिए और ;

✓ पुराने ऋणों की अदायगी के लिए ।

१९१९ में भूमि बन्धक बैंक के रूप में आरम्भ करने के बाद और फिर कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में परिवर्तित हो जानें के बाद, भूमि विकास बैंकों में काफी विस्तार हुआ है। ऊपर बताये गये तीन क्षेत्रों के अतिरिक्त भूमि विकास बैंक, गैर कृषि क्षेत्र में ग्रामीण कुटीर और लघु उद्योगों के लिए भी ऋण प्रदान करतें हैं। भारत में भूमि विकास बैंकों के स्वरूप में विभिन्न राज्यों में एकरूपता नहीं है। कुछ राज्यों में इसका स्वरूप एकात्मक तथा कुछ राज्यों में संघीय हैं। कुछ राज्यों में एक से अधिक भूमि विकास बैंक भी है। १९९३-९४ में प्राथमिक भूमि विकास बैंकों और केन्द्रीय भूमि विकास बैंक ने क्रमशः ६१२ तथा ४६९ करोड़ रूपये के ऋण दिये। इस वर्ष इनकी बकाया ऋण की मात्रा क्रमशः २७०० करोड़ रूपये तथा २०९० करोड़ रूपये थी। इससे पता चलता है कि सहकारी समितियों के समान ही बकाया ऋण की वसूली भूमि बैंकों के लिए एक बड़ी समस्या है।

ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में बहु-एजेंसी व्यवस्था लागू हो जाने के बाद विशेष रूप से वाणिज्यिक बैंकों के इस क्षेत्र में विस्तार के बाद, कुल ग्रामीण साख में भूमि विकास बैंकों के हिस्से में कमी आयी है। इसके बावजूद ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में भूमि विकास बैंकों की उपयोगिता बनी हुई है।

भारतीय स्टेट बैंक की कृषि वित्त में भूमिका :-

ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति १९५०-५१ में इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का सुझाव कृषि वित्त के लिये दिया था। १९५६ में राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक आफ इण्डिया की स्थापना की गई और कृषि वित्त अत्यन्त उदारता के साथ दिया जाने लगा। इस बैंक के द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ऋण ग्रामीण वित्त हेतु प्रदान किये जाने लगे।

अप्रत्यक्ष ऋण :-

(अ) सामान्य सहायता :-

सामान्य सहायता के अर्न्तगत सहकारी बैंकों को रूपये भेजने की सुविधा सहकारी बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत देने तथा चेक या बिल या अन्य प्रपत्रों का संग्रहण रियायती दर पर करना शामिल किया जाता है। सहकारी समितियों को सहायता देकर किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की जाती है।

(ब) विपणन सहायता :-

स्टेट बैंक सहकारी विपणन समितियों को उधार देकर उनके कार्यो को सरल बनाता है, जिससे कृषक अपनी उपज को इन समितियों को उचित दामों पर बेंच सकें। फसल को बिक्री योग्य बनाने के कार्य भी सहकारी समितियों के द्वारा किये जाते है। ये समितियाँ व्यापारिक बैंकों से वित्त प्राप्त करके किसानों की उपज को बिक्री योग्य बनाती हैं।

(स) विकास बैंकों की सहायता :-

स्टेट बैंक, केन्द्रीय एवं राज्य भूमि विकास बैंकों को तीन प्रकार से सहायता देते हैं। केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों द्वारा नियमित ऋण पत्रो की जमानत पर ऋण देकर उनकी सहायता की जाती है। जिससे विकास बैंक किसानों की अधिक से अधिक सहायता कर सकें।

(द) कृषि साधन :-

स्टेट बैंक उन सभी संस्थाओं को ऋण देता है जो कृषि साधन उपलब्ध कराते हैं। खाद निर्माताओं, सिंचाई एवं उन्नतशील बीजों के शोधकर्ताओं, तथा कृषि यंत्रों के निर्माताओं आदि को ऋण प्रदान करके किसानों की अधिक से अधिक मदद की जाती है। माल गोदामों, बिजली उत्पादकों आदि को स्टेट बैंक द्वारा पूंजी में हिस्सा देकर, ऋण देकर सहायता की जाती है।

प्रत्यक्ष ऋण :-

स्टेट बैंक किसानों को प्रत्यक्ष ऋण देकर भी निम्न प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान करता है :-

(अ) :- कृषि यंत्रीकरण हेतु मशीनें एवं यंत्र खरीदनें के लिए स्टेट बैंक द्वारा प्रत्यक्ष ऋण दिये जाते है। जिससे किसान आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

(ब) :- गोद लेने की घोषणा के अंर्तगत कुछ गाँवों को चुन लिया जाता है। उन गाँवों के कृषकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण प्रदान किये जाते हैं यह योजना गाँव अंगीकृत योजना कहलाती है।

(स) :- कृषि विकास शाखाओं को खोलकर किसानों की उत्पादन आवश्यकताओं के लिए वित्त प्रदान किये जाते हैं।[3]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की ग्रामीण वित्त में भूमिका :-

ग्रामीण वित्त के सम्बन्ध में सहकारी साख समितियों व बैंकों तथा व्यापारिक बैंकों के प्रयासों की पूरक संस्था के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना १९७५ में की गई। इस वर्ष ५ बैंकों की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य लघु एवं सीमान्त कृषको, कारीगरों और लघु कुटीर उद्योगों को वित्त और अन्य सुविधायें देना है। प्रत्येक बैंक एक निश्चित क्षेत्र के अन्दर ही कार्य करते हैं। विभिन्न स्थानों में शाखाएँ खोलकर कृषकों की सहायता की जाती है। ये बैंक सहकारी समितियों को भी ऋण प्रदान करते हैं। प्रथम प्रयास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना २ अक्टूबर १९७५ को की गई। तब ५ बैंक खोले गये। जून १९९६ तक देश के ४२५ जिलों में १४,५१६ शाखाएँ कार्यरत थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना उन ग्रामीण क्षेत्रों में की गई जहाँ वित्तीय संस्थायें नगण्य थी या उनकी कमी थी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों काश्तकारो, मजदूरों आदि को आर्थिक सहायता पहुँचाना था।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल जमा १९७५ में केवल २० लाख थी जो मार्च १९९५ के अंत तक ११,१५० करोड़ रूपये हो गई। मार्च १९९५ तक इन बैंकों द्वारा प्रदान किये गये ऋणों की बकाया राशि ६,२९१ करोड़ रूपये थी। १९९६-९७ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने १,७४९ करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिये गये कुल प्रत्यक्ष ऋणों में कमजोर वर्गो का हिस्सा ९० प्रतिशत से अधिक है।

भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की कृषि वित्त में भूमिका :-

भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रारम्भ से ही भारतीय रिजर्व बैंक में एक कृषि वित्त विभाग कार्य कर रहा है। यह विभाग वित्त एवं साख की समस्याओं का अध्ययन करता है एवं कार्यक्रमों का निर्धारण कर समस्याओं के निराकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि भारतीय रिजर्व बैंक कृषकों को व्यक्तिगत कृषि साख स्वयं नहीं

प्रदान करता। यह उद्देश्यों के अनुसार विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को जो कृषि साख के क्षेत्र में संलग्न एवं उनके द्वारा मान्यता प्राप्त है, साख प्रदान करता है एवं ये संस्थायें निर्धारित समय नीतियों के आधार पर कृषकों को साख एवं वित्त प्रदान करती है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की कृषि वित्त में भूमिका :-

शिवरमण समिति के सुझाव को मानकर राज्य सरकार ने १२ जुलाई १९८२ को स्थापित राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की जिसने १५ जुलाई १९८२ से कृषि एवं ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। नाबार्ड की अधिकृत अंश पूँजी ५०० करोड़ रूपये और प्रदत्त अंशपूंजी १०० करोड़ रूपये है, जिसमें भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का हिस्सा ५० : ५० है। इस बैंक को वे सभी कार्य दिये गये हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग द्वारा किये जाते थे। ये बैंक कृषि साख को एक छत के नीचे लायेगी और अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करेगी। जिस प्रकार औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास बैंक उसी प्रकार कृषि विकास के लिए नाबार्ड सर्वोच्च बैंक है जो सभी एजेन्सियों के कार्य में समन्वय करते हुए कृषि साख का विस्तार करेगी।

इस बैंक को कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम **(Agriculture Refinance and Development Corporation)** के सभी कार्य सौंप दिये गये हैं जो यह निगम करता था। इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि दीर्घकालीन कोष व राष्ट्रीय कृषि साख (स्थिरीकरण) कोष भी भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक को हस्तांतरित कर दिये हैं। इस प्रकार इस बैंक के मुख्य कार्य इस प्रकार है :-

- यह ग्रामीण वित्त की शीर्ष संस्था है और इस क्षेत्र की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है ।
- यह अपने कृषि साख विभाग ***(Agricultural Credit Department)*** के माध्यम से सहकारी क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखता है ।

- यह मौसमी कृषि कार्यो (फसल ऋणों), कृषि उत्पादन की बिक्री, उर्वरकों की खरीद व वितरण तथा सहकारी चीनी फैक्ट्रियों की कार्यशील पूँजी के लिए सहकारी बैंकों को अल्पकालीन ऋण (१८ महीने तक की अवधि का) प्रदान करता है ।
- यह निर्धारित कृषि उद्देश्यों, परिष्करण समितियों के शेयरों की खरीद तथा प्राकृतिक विपदाओं से ग्रस्त इलाकों में अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने के लिए सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मध्यकालीन ऋण (१८ महीने से ७ वर्ष तक की अवधि के लिए) प्रदान करता है ।
- यह कृषि में बड़े निवेश कार्यो के लिए राज्य सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा व्यापारिक बैंकों को मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण (अधिकतम २५ वर्ष के लिए) प्रदान करता है।
- यह सहकारी साख संस्थाओं की शेयर पूंजी में योगदान देने के लिए राज्य सरकारों को ऋणों के रूप में दीर्घकालीन सहायता (अधिकतम २० वर्ष के लिए) प्रदान करता है।
- इसको केन्द्रीय व राज्य सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निरीक्षण की जिम्मदारी सौंपी गयी है। केन्द्रीय भूमि विकास बैंक तथा अन्य सहकारी संस्थाएं भी स्वेच्छा से इस बैंक से निरीक्षण करवा सकती है।
- यह कृषि व ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में अनुसन्धान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनुसंधान व विकास फण्ड रखता है ।
- ग्रामीण साख देने वाली सभी संस्थाओं की क्रियाओं में तालमेल स्थापित करता है ।
- जिन परियोजनाओं के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था की है उनका मूल्यांकन तथा निरीक्षण करना ।

नाबार्ड राज्य भूमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा आंचलिक ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त देता है। इस बैंक ने १९८९-९० में १७०७ करोड़ रूपये की साख का पुनर्वित्त किया है जबकि इस प्रकार इस बैंक ने १९८८-८९ में सहकारी बैंकों व राज्य सरकार को ३०४५ करोड़ रूपये के ऋण स्वीकृत किये जबकि इससे पूर्व में उसने इस प्रकार के २,९१९ करोड़ रूपये के ऋणों की स्वीकृति दी थी।

यहाँ यह बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यह बैक शीर्ष बैंक होने के नाते किसानों व अन्य ग्रामीण जनता को सीधे सहायता प्रदान नही करता अपितु सहकारी संस्थाओं, व्यापारिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इत्यादि के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। [4]

कृषि और ग्रामीण वित्त की शीर्ष संस्था होने के कारण ग्रामीण साख के क्षेत्र में इसकी भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह ग्रामीण क्षेत्रों में सीधे साख उपलब्ध नही कराता है लेकिन इस क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं को वित्तीय साधन उपलब्ध कराने तथा उनकी निगरानी और निरीक्षण के कार्य की जिम्मेदारी इसी बैंक की है। १९८२ में स्थापना के बाद इसकी परिसम्पत्ति और देयताओं में तेजी से वृद्धि हुई है। १९८५-८६ में इस बैंक की परिसम्पत्ति और देयताएं ६,५९६ करोड़ रूपये थी जो १९९६-९७ में बढ़कर २२, ५७१ करोड़ रूपये हो गयी।

मौसमी कृषि आवश्यकताओं के लिए १९८९-९० में २,८०७ करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गये थे। १९९७-९८ में यह राशि बढ़कर ५,१८५ करोड़ रूपये हो गई। इसके अतिरिक्त अन्य अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए १९९७-९८ मे १,०६० करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करायी गई।

१९८९ में निर्धारित कृषि उद्देश्य के लिए १६ करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करायी गयी थी। १९९५ में यह राशि ६ करोड़ रूपये थी। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक विपदाओं बाढ़, सूखा, आदि

के कारण अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने के लिए राज्य सहकारी बैंकों और सहकारी बैंक को ६४ करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करायी गयी।

१९९७-९८ में इसने इस क्षेत्र की चारों संस्थाओं को कुल ३,९२२ करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करायी जिसमें केन्द्रीय भूमि विकास बैंक का हिस्सा ५४ प्रतिशत, वाणिज्यिक बैंको का हिस्सा १८ प्रतिशत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का हिस्सा १७ प्रतिशत था। १९९७-९८ में खेती के मशीनीकरण के कार्यक्रमों के लिए सर्वाधिक धन (१०९९करोड़) उपलब्ध कराया गया जो कुल राशि का २८ प्रतिशत था।

इसने पिछड़े हुए राज्यों तथा वित्तीय संस्थाओं की कमी वाले क्षेत्रों में, कृषि निवेश कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रयास किये हैं।

कम वसूली, कम आन्तरिक साधन अथवा अदक्ष प्रबन्ध के कारण कठिनाई में पड़े कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के पुनर्प्रतिस्थापन के लिए भी इसने महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं।

*निर्माणाधीन ग्रामीण आधारिक परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से १९९५-९६ के बजट प्रावधानों के अंतर्गत एक ग्रामीण आधिरिक विकास कोष **(Rural Infrastructure Development Fund – RIDF)** की स्थापना की गई थी। १९९५-९६ में नाबार्ड ने **RIDF-I** के अंतर्गत २०१० करोड़ रूपये की सहायता स्वीकृत की। १९९६-९७ में आर.आई. डी.एफ. II योजना के अंतगर्त २,६४७ करोड़ रूपये की सहायता स्वीकृत की गई जो लक्ष्य (२५०० करोड़) से अधिक थी लेकिन मार्च १९९७ तक वितरित सहायता केवल २९२ करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया। वर्ष १९९७-९८ में आर.आई.डी.एफ. III के अंतगर्त २,५०० करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया, (१९९८-९९ में आर.आई.डी.एफ. IV) के अंर्तगत ३००० करोड़ रूपये तक, (१९९९-२०००) आर.आई.डी.एफ. V के अंर्तगत ३,५०० करोड़ रूपये तक, (२०००-०१) में आर. आई.डी.एफ. VI के अन्तर्गत ४,५०० करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया।*

ग्रामीण क्षेत्र के समन्वित विकास को ध्यान में रखते हुए यह कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के अतिरिक्त गैर कृषि क्षेत्र को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। अनुसंधान व विकास फड मे से ३० जून १९९९ तक १,५३६ अनुसंधान कार्यक्रमों क लिए सहायता भी स्वीकृत की गई।

(ब) गैर संस्थागत स्त्रोत :-

गैर संस्थागत स्त्रोतों से किसानों को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण सरलतापूर्वक प्राप्त हो जाते हैं। इनमें स्त्रोत के रूप में महाजन, साहूकार या देशी बैंकर, व्यापारी, कमीशन एजेण्ट और रिश्तेदार आते हैं। इन स्त्रोतों का सस्थागत स्त्रोतों से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता है और न ही इन पर सरकार का कोई नियंत्रण होता था किन्तु अब बैंकिंग अधिनियम लागू कर इनको नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्रामीण वित्त के गैर संस्थागत स्त्रोंत निम्नवत है :-

1. साहूकार एवं देशी बैंकर :-

प्रारम्भिक अवस्था से ही कृषि वित्त की पूर्ति हेतु साहूकार या देशी बैंकर का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने ग्रामीण साहूकारों को दो वर्गो में विभाजित किया। प्रथम, कृषक साहूकार हैं जो मुख्य व्यवसाय के रूप में कृषि कार्य करते हैं। द्वितीय वर्ग में व्यावसायिक साहूकार हैं जिनका मुख्य व्यवसाय ही रूपया उधार देना है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने यह अनुमान लगाया कि कृषक साहूकारों का स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना व्यावसायिक साहूकारों का किसानों को सरलता पूर्वक साहूकारों से वित्त प्राप्त हो जाता है। साहूकार उत्पादक एवं अनुत्पादक दोनों कार्यो के लिए ऋण प्रदान करते हैं। इनकी ऋण पद्धति अत्यधिक सरल होती है इनमे अधिक औपचारिकताओं की पूर्ति नही करनी पड़ती है। यद्यपि इन सुविधाओं के कारण कृषि वित्त की यह प्रणाली

सरल अवश्य रही है लेकिन उसमें कुछ आधारभूत दोष रहे हैं जो कृषि के वास्तविक विकास में बाधक सिद्ध होते रहे हैं जैसे - साहूकारों द्वारा अत्यधिक ज्यादा ब्याज पर वसूली की जाती है, अशिक्षित किसानों से मनमानी धनराशि पर अंगूठा लगवा लिया करते थे, किसान एक बार ग्रामीण साहूकारों के चगुल में फस जाने पर एक अजीब से दुष्चक्र में फंस जाता है और उससे निकलना किसान के वश मे नहीं होता है। वर्ष १९५१ में कृषि साख में इनका योगदान लगभग ७५ प्रतिशत था जो वर्ष १९९१-९२ में घटकर लगभग १४ प्रतिशत हो गया है।

2. व्यापारी एवं कमीशन एजेण्ट :-

ये व्यापारी एवं कमीशन एजेण्ट भी किसानों के साख की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ये उत्पादक कार्यो के लिए ऋण प्रदान करते हैं। परन्तु इनका दोष यह है कि ये किसानों को कम मूल्य पर फसल बेचने के लिए बाध्य करते हैं और इसके बदले में वे अधिक कमीशन वसूलते हैं। इस प्रकार के साख कुछ विशिष्ट फसलों जैसे - तम्बाकू, मूंगफली, फल आदि के लिए प्रदान करते हैं। वर्ष १९५०-५१ में ग्रामीण साख में इनका योगदान लगभग ७.५ प्रतिशत था जो कि वर्ष १९९०-९१ में घटकर २.३ प्रतिशत हो गया। इन व्यापारियों एवं एजेण्टों की कार्यप्रणाली भी महाजनों जैसी ही थी और ये भी शोषण की प्रक्रिया को अपनाते हैं।

3. रिश्तेदार :-

ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आवश्यकता पड़ने पर अपने रिश्तेदारो से नगद या वस्तुओं के रूप में उधार प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के साख आपसी सम्बन्धों के आधार पर अनौपचारिक रूप से लिये जाते हैं। रिश्तेदारों द्वारा लिए गये साख पर ब्याज की दर या तो होती ही नही थी और अगर होती भी थी तो बहुत नीची दर। ऐसे साख प्रायः अल्पकालीन होते हैं और सामान्यतः फसल तैयार हो जाने पर वापस

कर दिये जाते हैं। ये भी कृषि वित्त का सरलतम स्त्रोत हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार की औपचारिकता की आवश्यकता नही होती है। अब धीर-धींरे इस प्रकार के कृषि वित्त के स्त्रोत का महत्व घटता जा रहा है। वर्ष १९५०-५१ में कुल कृषि वित्त में इसका योगदान ११.५ प्रतिशत था जो कि घटकर वर्ष १९९०-९१ में ५.६ प्रतिशत हो गया।[5]

एक नियोजित अर्थव्यवस्था के रूप में कृषि विकास के सामने अनेक वित्तीय समस्याएँ आती हैं, जिनका समाधान मौद्रिक एव वित्तीय नीतियों द्वारा किया जाता है। भारतीय कृषि व्यवस्था में व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर नाबार्ड की भूमिका का उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है। भारतीय कृषि क्षेत्र में साख वितरण एव कृषि कार्यो के लिए अग्रिमों एवं ऋणों से यह प्राप्त हुआ कि उनका उत्पादक एवं उत्पादिता में प्रयोग न होकर दुर्पयोग हुआ है, जिससे एक ओर मुद्रा एवं साख का विस्तार हुआ है तथा साथ ही साथ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली नहीं हो पा रही है। इन साख सुविधाओं का अनुत्पादक एवं अवांछनीय प्रयोग हुआ है। इससे एक ओर जहाँ अनुत्पादक व्यय में वृद्धि हुई है, वहीं देश में मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति पर अधिक दबाव पड़ा है। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक एवं वित्तीय क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन लाने हेतु मुद्रा एवं साख प्रवाह को नियंत्रित करना होगा। इसके लिए मौद्रिक एवं वित्तीय नीति के साथ-साथ नियोजित मुद्रा योजना तथा नियोजित साख की आवश्यकता है। प्रो0 एस0 चक्रवर्ती ने अपनी रिपोर्ट, ''ए रिव्यू आफ मानेट्री सिस्टम इन इण्डिया'' में मौद्रिक लक्ष्यों द्वारा नियोजित मुद्रा एवं साख नियोजन की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है। इसी तरह डॉ0 पी0 डी0 हजेला ने अपने ग्रंथ ''प्राब्लम्स ऑफ मानेट्री पालिसी इन अण्डरडवलप कन्ट्री'' में नियोजित मुद्रा को आधार रखकर संस्ती मुद्रा नीति का विरोध किया है।

इसी क्रम में प्रो0 सूरजभान गुप्त ने अपने ग्रंथ ''मानेट्री प्लानिंग इन इण्डिया'' में मुद्रा एवं साख नियोजन पर अत्यधिक बल दिया है। यद्यपि जून १९९१ मे नरसिंहम् कमेटी रिपोर्ट के बाद देश की मौद्रिक एवं वित्तीय व्यवस्था स्वतंत्र तथा उदारीकरण नीति के आधार पर बाजारी शक्तियों के

निर्धारित पूंजीवादी प्रवृत्तियों से सम्बन्धित रही हैं, तथापि मुद्रापूर्ति एवं साख पूर्ति के नियोजन की आवश्यकता बनी रही है।

जहाँ तक कृषि क्षेत्र में मौद्रिक एव साख नीतियों का प्रश्न है, इसका विस्तृत विवरण पिछले अध्यायों मे दिया जा चुका है, फिर भी देश के कृषि क्षेत्र में मौद्रिक एवं साख नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में अति सक्षेप में इन नीतियों का उल्लेख करना उपयुक्त होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आठवी पंचवर्षीय योजना तक कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद विशेषकर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से कृषि क्षेत्र मे मौद्रिक एवं साख नीतियाँ महत्वपूर्ण रूप से उत्पादन एव उत्पादिता हेतु प्रेरक रही हैं । १९६१ के बाद से कृषि एव ग्रामीण क्षेत्र में साख एवं मुद्रा का अत्यधिक विस्तार हुआ और इसके विकास में मौद्रिक एव साखनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये मौद्रिक एवं साख नीति में परिवर्तन मुख्य रूप से ऊँचे स्तर के विनियोग द्वारा आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए की गई।

उत्तर प्रदेश के कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु यद्यपि मौद्रिक एवं साख नीतियाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण रही हैं, परन्तु सही मायने में उनका कृषि एवं ग्रामीण विकास पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं रहा है। इसका प्रधान कारण यह रहा है कि ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा नियोजित ढंग से विकासात्मक कार्यों हेतु इन सुविधाओं का प्रयोग नहीं हो पाया है और न ही उत्पादन एवं रोजगार सृजन हेतु इन्हे उपयुक्त बनाया गया है। यद्यपि समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक दर, खुले बाजार तथा आरक्षित कोष अनुपात विधियों के साथ-साथ अनेक प्रकार के चयनात्मक साख विधियों को अपनाया है, परन्तु मोटे तौर पर मौद्रिक एवं साख नीति, सस्ती मुद्रा नीति के ही स्वरूप में बनी रही है।

उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में एक संतुलित विकास के दृष्टिकोण से तथा साख का क्षेत्रवार आवंटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। साख नियोजन को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि देश में सम्पूर्ण मौद्रिक एवं साख संसाधनों को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी आवश्यकता प्रयोग की क्षमता और पूरे विकास के दृष्टिकोण से आवंटन किया जाय। साख नियोजन के दो

पक्ष है - समष्टि पक्ष एवं व्यष्टि पक्ष। समष्टि पक्ष में साख नियोजन क्षेत्रवार और लक्ष्य के अनुसार साख का आवंटन होता है और व्यष्टि स्तर पर यह बैंकों के द्वारा विभिन्न बैंकों, संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।

साख नियोजन के पूर्व दो नीति सम्बन्धी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रथमतः व्यापक दृष्टिकोण से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना आवश्यक है कि क्या पूरे साख का ध्यान अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार साख आवंटन पर है कि नहीं। दूसरे यह कि व्यापक रूप से यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि व्यक्तिगत ऋण ग्राहको को दिये जाने वाले ब्याज का आधार वास्तविक सम्पत्ति के द्वारा प्राप्त होगी अथवा उनके भुगतान सामर्थ्यता अथवा दोनों के सहयोग के आधार पर। इन प्रश्नों का उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि सामाजिक उद्देश्य किस प्रकार से चुने गये है और उनका क्या क्रम है। परम्परागत स्थिति के अनुसार पहले प्रश्न का उत्तर अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं के अनुसार साख आवंटन से है। इस तरह से हम औद्योगिक साख, कृषि साख, निर्यात साख, मध्यसाख, तथा अन्य साख की बात कर सकते हैं। यदि पूरा उद्देश्य अन्य सामाजिक कारकों यथा बेरोजगारी, गरीबी तथा समाज में आप स्वयं तथा सम्पत्ति का बंटवारा और इस तरह से क्षेत्रीय उपागम को औचित्यपूर्ण देखा जा सकता है।

सफलता के दृष्टिकोण से साख नियोजन जमा योजनाओं से सम्बन्धित होनी चाहिए, क्योंकि सम्पूर्ण साख का आवंटन बैंकों की कुल जमा पर निर्धारित होती है। इस तरह का साख नियोजन विकासशील प्रदेश में अपना विशेष महत्व रखता है, ताकि सीमित बैंक संसाधनों का उत्पादकता के दृष्टिकोण से उपयोग हो सके। इस तरह साख नियोजन बैंकिंग व्यवस्था के निर्धारित उद्देश्यों को सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से देश की प्रगति में विशेष महत्वपूर्ण है। एक नियोजित अर्थव्यवस्था का विकास उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का प्रयोग राष्ट्रीय नियोजन की प्राथमिकता के आधार पर करता है। इस प्रकार का प्राकृतिक आर्थिक संसाधनों का प्रवाह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नीति प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। चूँकि व्यापारिक बैंकों की साख सीमित मात्रा में है इसलिये इसका प्रयोग अच्छे ढंग से नियोजित होना चाहिए,

जिससे कि इसका प्रयोग अधिकतम हो सके और आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से आर्थिक विकास अधिकतम किया जा सके। इस तरह इस अध्याय का प्रमुख उद्देश्य भारत में साख नियोजन को देश के नियोजित अर्थव्यवस्था से समन्वित करना हैं। इस दिशा में व्यापारिक बैंकों को आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के दृष्टिकोण से सबसे प्रमुख समझा जा रहा है।

साख नियोजन का उद्देश्य उपलब्ध साख संसाधनों का अधिकतम उत्पादन के दृष्टिकोण से प्रयोग हो सके और पूरे सामाज को देखते हुए इसका अभिप्राय यह है कि यह सम्भव है कि सामाजिक अर्थिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साख मात्रा को निर्धारित किया जाय। इस तरह साख नियोजन का उद्देश्य साख प्रवाह को उन दिशाओं में प्रवाहित करनें की आवश्यकता है, जो परम्परागत क्षेत्रों से हटकर व्यापारिक क्षेत्रों में अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और जिससे कि उत्पादकता में वृद्धि हो सके। पूरे उत्तर प्रदेश में साख की मात्रा इसकी आवश्यकता से कम है। इसलिए साख की मात्रा को विवेकपूर्ण होना चाहिए ताकि विभिन्न प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में इसे वितरित किया जा सके। एक पूंजीवादी व्यवस्था के अंर्तगत गैर नियोजित तथा परम्परागत बैंक व्यवस्था के अंर्तगत साख नियोजन साख के मूल्यों के आधार पर किया जाता है। जैसा कि साख के मांग की तुलना साखपूर्ति में कमी होनें के कारण स्वभावतः व्यापारी व्याज दर ऊँचा होगा, जिससे व्यापारिक वर्ग में ऋण ग्राहकों में साख की माँग में कमी होगी और वे पूर्व के बराबर हो जायेगें। इस तरह साख की मांग इसकी पूर्ति की तुलना में व्याजदर को घटाने का काम करेगी और अपने प्रभाव में सीमांत कृषकों की साख मांग को बढ़ायेगी। मूल्य व्यवस्था इस तरह से यदि स्वतंत्र क्रियान्वयन में छोड़ दी जाय तो अतिरिक्त साख की मांग एवं पूर्ति को कम करेगा और साख बाजार में संस्थिति उत्पन्न करेगा।

फिर भी इस तरह सीमित साख का बटवारा प्रतिस्पर्धी लोगों में मूल्य व्यवस्था द्वारा पूरी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अनुकूलतम होगा और बड़े ऋण ग्राहकों के द्वारा प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं उद्योग को उचित साख न मिल पायेगा। पूरे समाज के दृष्टिकोण से साख उत्पादक बनाने के लिए और

अर्थव्यवस्था के सम्भव अधिकतम विकास के लिए साख का विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित करना चाहिए न कि उनके ऊँचे व्याज दर को अदा करनें की योग्यता अनुसार, अपितु उनके आर्थिक एवं सामाजिक महत्व के अनुसार दिया जाना चाहिए। साख नियोजन उत्पादन, रोजगार सृजन, मूल्य स्थायित्वता को सुनिश्चित करने तथा आर्थिक लाभों को समानता के आधार पर विकसित करने के आधार पर किया जाना चाहिए ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पहले जब बैंक शेयर ग्राहकों से सम्बन्धित थे, उस समय लाभकारिता बैंकों का मुख्य उद्देश्य था और उस समय ये बैंक सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में नही रखते थे। वर्तमान समय में ये एक दूसरे तरफ, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक पूर्णतया सामाजिक लोगों द्वारा नियंत्रित हैं, समाज के प्रति उत्तरदायी है, न कि व्यक्तिगत शेयर ग्राहकों के। अब ये न केवल सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक हैं, अपितु अपने उद्देश्यों के प्रमुख रूप में साख क्रियाओं को रखते है, अब बैंकों का संचालन इस बात से नही देखा जाता कि ये वास्तविक रूप में कितना लाभ करते हैं, अपितु उनकी सहायता इस बात में देखी जाती है कि देश के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने मे कितने सफल रहें। यहाँ पर स्पष्ट किया जा सकता है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा धीरे-धीरे सामाजिक उद्देश्यों को अपनानें के कारण क्षेत्रवार साख का विकास महत्वपूर्ण रूप से हुआ है। इसका प्रभाव निश्चित रूप से देश के तीव्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर पड़ेगा। देश की बैंकिंग व्यवस्था को सामजिक, आर्थिक परिवर्तनों एवं देश में समृद्धि का एक उपकरण माना जाता है। अतः देश के व्यापारिक बैंकों को अपने कार्यान्वियन में ऐसे साख नियोजन को लाना चाहिए, जो देश के आर्थिक एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर सकें। इस तरह के सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में साख नीति को विस्तृत साख नीतियों और जमा नीतियों से जुड़ना चाहिए। [6]

विकासशील भारत देश में एक केन्द्रीय बैंक सुरक्षित मुद्रापूर्ति को कायम रख सकता है और इस संदर्भ में साख नीति महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। एक साख नीति या मौद्रिक बजट एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण से, जिससे मुद्रा की पूर्ति तथा वस्तुओं का उत्पादन वृद्धि बराबर हो सके। इस तरह से

समष्टि स्तर पर साख का नियोजन अर्थव्यवस्था के मुद्रापूर्ति के रूप में होना चाहिए किन्तु व्यष्टि स्तर पर साख नियोजन एक संतुलित आधार रखता है, जिससे क्षेत्रीय स्थायित्वता तथा बेरोजगारी का वितरण अनिश्चित न हो सके। जहाँ भी उत्पादन में कमी होगी, विशेषकर कृषि उत्पादन के दृष्टिकोण से वहाँ मुद्रापूर्ति की सुरक्षित मात्रा में कमी होगी, परन्तु मुद्रापूर्ति में इस तरह के गिरावट औद्योगिक उत्पादकों तथा औद्योगिक क्षेत्रो मे सुस्ती ला सकता है। अतः एक सामान्य उपायों के साथ-साथ एक संतुलित क्षेत्रवार उपाय ही अधिकतम् क्षमता वाले समृद्धि और मूल्य स्थायित्वता को प्राप्त कर सकता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक का उत्तरदायित्व है कि वह साख नियोजन को इस तरह करे कि मौद्रिक बजट का क्रियान्वयन व्यष्टि स्तर पर साख बजट का स्वरूप ले लें। इसका उद्देश्य मौद्रिक बजट द्वारा मुद्रा पूर्ति के विकास दर को सुनिश्चित करना है। मुद्रापूर्ति सरकार को दी जानें वाली शुद्ध साख तथा विदेशों में दी जाने वाली साख पर आधारित है।

इस तरह समष्टि स्तर पर साख का सम्बन्ध व्याप्ति स्तर पर साख नियोजन से होना चाहिए। व्यापारिक बैंकों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने साख का आवंटन अपने सम्बन्धित शाखाओं द्वारा करें। व्यक्तिगत बैंक अपने साख का वितरण सबसे गरीब तबके के लोगों से लेकर विभिन्न ऋण ग्राहकों तक वितरित करें। विशेषकर कृषि और प्राथमिक क्षेत्रों में इस तरह का साख आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

भारत में समन्वित ग्रामीण विकास हेतु साख की समुचित व्यवस्था करना नितांत आवश्यक समझा गया। जिसके लिए सरकार ने लगातार प्रयास भी किये, जिनमें साख नीति, मौद्रिक नीति, साख नियोजन आदि प्रमुख हैं। सरकार द्वारा लागू की गयी ये नीतियां भी ग्रामीण वित्त की पूर्ति करने में सफल न हो सकीं। सरकार ने बैंकिंग व्यवसाय सुदृढ़ एवं विश्वस्त बनानें हेतु बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिसनें ग्रामीण साख की पूर्ति में सशक्त योगदान दिया। सरकार ने गांव-गांव तक में बैंक खोलने के भी प्रयास किये, जहां व्यावसायिक बैंक नहीं खुल सकते थे वहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी समितियां, भूमि

विकास बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक आदि खोले गये। इसी क्रम में सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड को ग्रामीण विकास में लगी सभी वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करने का कार्य सौंपा गया। नाबार्ड ने ग्रामीण साख की मांग में काफी कमी की है व इसकी माग के अनुरूप ग्रामीण साख की पूर्ति की समुचित व्यवस्था की है। नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण साख की पूर्ति करने हेतु बैंकिंग व्यवस्था में निचले स्तर से सुधार का प्रयास किया गया है। नाबार्ड ने गांव-गांव में सहकारी सस्थाएं खोलने का प्रयास किया है, नाबार्ड ने प्रत्येक ऐसे गांव जिसकी आबादी दस हजार या उससे अधिक है, में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का प्रयास किया है इसके साथ ही नाबार्ड ने भूमि विकास बैंक, भूमि बंधक बैंक, सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक आदि खोलने के प्रयास किये गये हैं व इन वित्तीय सस्थाओं को ग्रामीण साख की पूर्ति हेतु नाबार्ड द्वारा समुचित पुनर्वित्त व्यवस्था भी उपलब्ध करवायी गई है।

नाबार्ड द्वारा वर्ष १९९५-९६ में सहकारी बैंक, व्यवसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एव राज्य सरकारों को ८९८४ करोड़ रूपये की वित्तीय पुनर्वित्त सहायता प्रदान की गई। वर्ष १९९४-९५ के ४०९२ करोड़ के मुकाबले वर्ष १९९५-१९९६ के दौरान सहकारी बैंकों को कुल ४७०० करोड़ रूपये की मौसमी कृषि परिचालन (अल्पावधि) ऋण सीमाएं मंजूर की गई। वर्ष १९९५-९६ के दौरान राज्य सहकारी बैंकों को मौसमी कृषि परिचालन (अल्पावधि) के लिए स्वीकृत ऋण सीमाओं की चरम स्तरीय अधिकतम बकाया राशि ३४१७ करोड़ रूपया रहा और जो ३८३७ करोड़ रूपया की आहरण योग्य सीमाओं का ८९ प्रतिशत बनती हैं। नाबार्ड द्वारा वर्ष १९९६-९७ के दौरान सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा राज्य सरकारों को १०४१९ करोड़ रूपये की वित्तीय पुनर्वित्त सहायता प्रदान की गई। जो पिछले वर्ष की तुलना में १६ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। निवेश ऋण के अंतर्गत वर्ष १९९६-१९९७ के दौरान नाबार्ड द्वारा, बैंकों को, आधार स्तर के १०९६२ करोड़ रूपये के संवितरण हेतु कुल ३५२३ करोड़ रूपये के ऋण संवितरित किये, जबकि पिछले वर्ष यह राशि ३०६४ करोड़ रूपये की

थी। वर्ष १९९६-९७ के दौरान मौसमी कृषि परिचालनों के लिए नाबार्ड के द्वारा राज्य सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कुल ५९५६ करोड़ रूपये की अल्पावधि ऋण सीमाएं स्वीकृत की, जो पिछले वर्ष स्वीकृत सीमाओं से दस प्रतिशत अधिक थी। वर्ष १९९६-९७ के दौरान इन एजेन्सियों ने ४८५९ करोड़ रूपये के ऋण का उपयोग किया। जो पिछले वर्ष १९९५-९६ की तुलना में ग्यारह प्रतिशत अधिक है। नाबार्ड ने वर्ष १९९६-९७ के दौरान सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अशदान के लिए राज्य सरकारों को १०१ करोड़ रूपये का कुल ऋण स्वीकृत किया, जिसमें से ७७ करोड़ रूपये के ऋण का उपयोग किया गया। वर्ष १९९७-९८ के दौरान नाबार्ड के द्वारा सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राज्य सरकारों को ११३०४ करोड़ रूपये की पुनर्वित्त सहायता प्रदान की गई। इसी प्रकार नाबार्ड के द्वारा वर्ष १९९७-९८ के दौरान मौसमी कृषि कार्यो के लिए राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए संस्वीकृत कुल ऋण सीमा ६०४१ करोड़ रूपये की थी। वर्ष १९९८-९९ के दौरान नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों, वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दी जाने वाली पुनर्वित्त सहायता की राशि, राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनो को दी जाने वाली सहायता सहित १२३६६ करोड़ रूपये तक पहुच गयी। जो कि पिछले वर्ष की तुलना में ९.४ प्रतिशत अधिक थी। इसी प्रकार वर्ष १९९८-९९ के दौरान मौसमी कृषि कार्यो के लिए राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए संस्वीकृत कुल ऋण सीमा ७०१३ करोड़ रूपये की थी जो कि पिछले वर्ष की तुलना में १६ प्रतिशत अधिक थी। वर्ष १९९९-२००० के दौरान नाबार्ड द्वारा कृषि और संम्बद्ध कार्यकलापों के लिए आधार स्तरीय ऋण ४१७६४ करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये। नाबार्ड के द्वारा बैंकों को प्रदत्त पुनर्वित्त सहायता और राज्य सरकारों को प्रदत्त ऋण राशि वर्ष १९९९-२००० के दौरान १४१७८ करोड़ रूपये रही जो पिछले वर्ष की अपेक्षा १४.६ प्रतिशत अधिक है। वर्ष १९९९-२००० के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए मौसमी कृषि कार्यो से अलग प्रयोजन हेतु मंजूर अल्पावधि ऋण सीमा की कुल राशि १९२ करोड़ रूपये रही जो पिछले वर्ष मंजूर २०१ करोड़ रूपये की राशि से कम रही, तथापि इस ऋण सीमा के समक्ष अधिकतम

बकाया १९५ करोड़ रूपये का रहा, जबकि पिछले वर्ष यह राशि १९० करोड़ रूपये की थी। वर्ष १९९९-२००० के दौरान सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयरपूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों को ९१ करोड़ रूपये की सहायता दी गयी जबकि पिछले वर्ष यह राशि ६५ करोड़ रूपये थी। नाबार्ड ने वर्ष १९९९-२००० के दौरान निवेश ऋण के अंतर्गत ५२१५ करोड़ रूपये का पुनर्वित्त वितरित किया और इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में १५ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस राशि में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा प्राप्त राशि ४८ से ३ प्रतिशत बिन्दु कम होकर ४५ प्रतिशत रहने के बावजूद, पुनर्वित्त प्राप्त करने वाली एजेंसियों मे इन बैंकों का अंश सर्वाधिक रहा। वाणिज्य बैंकों का यह अंश पिछले वर्ष के २७ प्रतिशत से बढ़कर इस वर्ष ३० प्रतिशत हो गया। संवितरित कुल पुनर्वित्त में से कृषि मशीनीकरण के लिए १७०५ करोड़ रूपये दिये गये, जिससे इसकी हिस्सेदारी तीन प्रतिशत बिन्दु बढ़कर पिछली वर्ष की राशि से २७ प्रतिशत अधिक रही। लघु सिंचाई और भूमि विकास के हिस्से में भी क्रमशः १४ और १७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषीतर क्षेत्र के अंतर्गत ८३७ करोड़ रूपये का पुनर्वित्त वितरित किया गया, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा २८ प्रतिशत अधिक रहा। संवितरित कुल पुनर्वित्त में से ६८ प्रतिशत पुनर्वित्त (कृषि मशीनीकरण, भण्डारण और बाजार यार्ड, बीज परियोजना, वानिकी आदि से इतर) बैंकों द्वारा लघु कृषकों को वितरित ऋण के समक्ष दिया गया। ३१ मार्च २००० तक कुल संचयी पुनर्वित्त सहायता ४४७२४ करोड़ रूपये की रही, जो ८३६५२ करोड़ रूपये के आधार स्तरीय निवेश के लिए उपलब्ध कराई गई। नाबार्ड ने ३१ मार्च २००० तक ३२० उच्च तकनीक और निर्यातोन्मुख परियोजनाओं के लिए २२७ करोड़ रूपये की पुनर्वित्त सहायता प्रदान की। नाबार्ड के द्वारा वर्ष २०००-०१ के दौरान कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों के लिए आधार स्तरीय ऋण ५३०५४ करोड़ रूपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में २० प्रतिशत अधिक था। वर्ष २०००-०१ के दौरान सहकारी बैंकों, वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि को प्रदत्त पुनर्वित्त सहायता और राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों को प्रदत्त ऋण की कुल राशि १६४६१ करोड़ रूपये की रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में १६.१

प्रतिशत ज्यादा था। वर्ष २०००-०१ के दौरान मौसमी कृषि परिचालनों के लिए राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मंजूर अल्पावधि ऋण सीमाएं पिछले वर्ष के ७०८६ करोड़ रूपये के मुकाबले ७५१४ करोड़ रूपया की रही। एक समूह के रूप में राज्य सहकारी बैंकों का अधिकतम बकाया स्तर मजूर ऋण सीमा का ७६ प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष ८१ प्रतिशत था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को मौसमी कृषि परियोजना से इस प्रयोजनों के लिए पिछले वर्ष १९२ करोड़ रूपये के मुकाबले १९३ करोड़ रूपये की ऋण सीमाएं मंजूर की गयी। नाबार्ड के द्वारा वर्ष २०००-०१ के दौरान बुनकर सहकारी समितियों के वित्त पोषण के लिए राज्य सहकारी बैंकों को ६८६ करोड़ रूपये की अल्पावधि ऋण सीमाएं मंजूर की गयी। अधिकतम बकाया मंजूर ऋण सीमा का ८१ प्रतिशत रहा राज्य हथकरघा विकास निगम के वित्त पोषण हेतु एक वाणिज्य बैंक को ४.४९ करोड़ रूपया की अल्पावधि ऋण सीमा मंजूर की गयी। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसलों की हुई हानि के कारण अल्पावधि मौसमी कृषि परिचालन ऋण को मध्यावधि ऋण में बदलने के लिए चार राज्य सहकारी बैंकों को कुल २६७ करोड़ रूपये की ऋण सीमा मंजूर की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इसी तरह की स्वीकृत ऋण सीमा ४.२८ करोड़ रूपया रही। सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयरपूंजी में अंशदान के लिए १२ राज्य सरकारों को, वर्ष २०००-०१ के दौरान निवेश ऋण पुनर्वित्त के अंतर्गत वाणिज्य बैंकों, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों आदि को ६१५८ करोड़ रूपया का पुनर्वित्त संवितरित किया। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने हालांकि पुनर्वित्त के पिछले ४५ प्रतिशत के अपने हिस्से को घटाकर ३८ प्रतिशत कर दिया। परन्तु सभी एंजेसियों के बीच पुनर्वित्त में इन बैंकों का हिस्सा सर्वाधिक बना रहा। वाणिज्य बैंकों का हिस्सा पिछले वर्ष के ३० प्रतिशत से बढ़कर इस वर्ष ३६ प्रतिशत हो गया। अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को पहली बार पात्र बनाने के बाद, उन्होंने वर्ष के दौरान २३ करोड़ रूपये का पुनर्वित्त प्राप्त किया। संवितरित कुल पुनर्वित्त में से कृषि मशीनीकरण का हिस्सा सर्वाधिक ३०.८ प्रतिशत रहा, इसके बाद कृषितर क्षेत्र १६.६ प्रतिशत, डेरी विकास

१२.५ प्रतिशत, स्वर्ण जयंती ग्रामीम स्वरोजगार योजना १०.४ प्रतिशत और लघु सिंचाई १०.२ प्रतिशत का स्थान रहा। स्वयं सहायता प्राप्त बैंक संबद्धता कार्यक्रम के अंतर्गत संवितरित पुनर्वित्त २५१ करोड़ रूपया रहा। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में इसमें १५५ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। शीत भण्डार निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की पूंजी निवेश उपदान योजना के अंतर्गत मजूर पुनर्वित्त से ७.०६ लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले १३.८६ लाख टन की क्षमता बढ़ने की सम्भावना है। वर्ष २०००-०१ के दौरान, प्रदान किये गए पुनर्वित्त का इसके प्रभाव के आधार पर पुर्नसमूहन करने के बाद यह पाया गया कि कुल पुनर्वित्त का ४७ प्रतिशत कृषि उत्पादन कार्यक्रम के लिए और २६ प्रतिशत रोजगार सृजक योजनाओं के लिए वितरित किया गया। ३१ मार्च २००१ तक कुल संचयी पुनर्वित्त सहायता ५०८८२ करोड़ रूपया रही, जिससे ९३९६५ करोड़ रूपये के आधार स्तरीय निवेश को सहायता प्रदान की गई।

नाबार्ड के द्वारा समन्वित कृषि एवं ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की जाती है। नाबार्ड द्वारा पिछले कुछ वर्षों में उपलब्ध करायी गई पुनर्वित्त सुविधा का अध्ययन अभी हमने किया इसके साथ ही नाबार्ड के द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास के उद्देश्य से कुछ अन्य कार्य भी किये जाते है। नाबार्ड के द्वारा वर्ष १९९५-९६ की समाप्ति तक ८९.४ मिलियन हेक्टेयर (बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के अंतर्गत ३३.० मिलियन हेक्टेयर तथा लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत ५६.४ मिलियन हेक्टेयर) अनुमानित सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया। इसी प्रकार वर्ष १९९४-९५ के दौरान ६.५ मिलियन क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किये गये जबकि १९९३-९४ के दौरान ६.१ मिलियन क्विंटल वितरित किये गये थे। १९९४-९५ में अधिक उपज देने वाले बीजों के अंतर्गत शामिल क्षेत्र बढ़कर ७१.३ मिलियन हेक्टेयर हो गया अर्थात् १९९३-९४ में शामिल क्षेत्र से ७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। उर्वरक की खपत १२.४ मिलियन टन के करीब अवरूद्ध रहने के बाद १९९४-९५ में इसकी खपत बढ़कर १३.५ मिलियन टन हो गई और १९९३-९४ में पौधों की

पौष्टिकता बढ़ाने वाल प्राथमिक पोषक तत्वों एन पी और के का अनुपात ९.१:२.७:१ था इसकी तुलना में १९९४-९५ में इनका अनुपात ८.५:२.६:१ कुछ और अनुकूल हो गया। नाबार्ड के द्वारा वर्ष १९९६-९७ के दौरान कृषकों को अनुमानित सात मिलियन क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किये गये, जबकि वर्ष १९९५-९६ के दौरान ६.९ मिलियन क्विंटल बीज वितरित किये गये, पौधों के पोषक तत्व रासायनिक उर्वरकों यथा नाइट्रोजन फास्फेट तथा पोटाश की खपत वर्ष १९९५-९६ के १३.९ मिलियन टन से १८ प्रतिशत बढ़कर वर्ष १९९६-९७ में १६.४ मिलियन टन हो गयी। नाबार्ड के द्वारा वर्ष १९९६-९७ के दौरान कुछ प्रमुख नीतिगत शुरूआत भी की गई। नाबार्ड को ५.५ प्रतिशत की निर्धारित ब्याज दर पर सामान्य ऋण उपलब्ध कराने तथा बाद में इसे बैंक दर के साथ जोड़ने के भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय के अनुसरण में, नाबार्ड में जो एक प्रमुख नीतिगत कदम उठाया है वह है, सहकारी बैंकों का अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालनों) के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले पुनर्वित्त की ब्याज दर को युक्तियुक्त बनाना। नाबार्ड का एक अन्य प्रमुख नीतिगत निर्णय था, राज्य सरकारों की ब्याज सब्सिडी को, प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की योजना से अलग करना। ग्रामीण कृषीतर क्षेत्र की पुनर्वित्त योजना में कुछ परिवर्तन किये गये, यथा ग्रामीण औद्योगिकीकरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत बैंकों को शत प्रतिशत पुनर्वित्त का प्रावधान, एकीकृत ऋण योजना के अंतर्गत पुनर्वित्त सहायता देना तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में हल्के मोटर वाहनों के लिए पुनर्वित्त सहायता देना। वर्ष १९९६-९७ के केन्द्रीय बजट में की गयी घोषणा के अनुसरण में, नाबार्ड ने विविध राज्यों में कृषि विकास वित्त कम्पनियां (कृ.वि.वि. कम्पनियां) स्थापित करने की कार्रवाई प्रारम्भ की। कृषि विकास वित्त कम्पनियां स्थापित करने का उद्देश्य वाणिज्यिक, उच्च तकनीकि निर्यातोन्मुख कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाना है। इसमें मूलभूत सुविधा और सहायक व्यवस्था जैसे कार्यकलाप भी शामिल हैं। नाबार्ड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में कार्य करने वाली इन कम्पनियों का मुख्य प्रमोटर होगा। राज्यों में उपलब्ध सम्भावनाओं तथा राज्य सरकारों, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा

तमिलनाडु में फरवरी १९९७ में ऐसी तीन कृषि विकास वित्त कम्पनियां नियमित की गयी। प्रत्येक की अधिकृत पूंजी बीस करोड़ रूपये है। मार्च १९९७ के अंत की स्थिती के अनुसार नाबार्ड ने आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु की कृषि विकास वित्त कम्पनियों की इक्विटी में प्रत्येक को ०.५२ करोड़ रूपये का अंशदान किया। नाबार्ड के द्वारा वर्ष १९९८-९९ के दौरान ८.३ मिलियन क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित करने का लक्ष्य था। जबकि वर्ष १९९७-९८ में यह लक्ष्य ७.६ मिलियन क्विंटल था। वर्ष १९९८-९९ के दौरान १८.२ मिलियन टन रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया गया और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में १२.३ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई तथापि नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग निर्धारित मानदंड से अधिक रहा और फास्फेट तथा पोटाश उर्वरकों का अनुपात बढ़ाये जाने की जरूरत है। नाबार्ड ने वर्ष १९९८-९९ के दौरान किसान क्रेडिट कार्य योजना शुरू की गई। ३१ मार्च १९९९ के अंत तक ७.८३ लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किए गए और इसके माध्यम से २३१० करोड़ रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करायी गई है। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों ने उधारकर्ताओं के एक बड़े वर्ग को पहले ही शामिल कर लिया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों ने वर्ष के दौरान ८३६.१७ करोड़ रूपया की ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु १.६१ लाख कार्ड जारी किये। नाबार्ड के द्वारा १९९९-२००० के दौरान ९.१ मिलियन क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित करने का लक्ष्य है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले ९.६ प्रतिशत अधिक है। जबकि उर्वरकों का उपयोग १४.० प्रतिशत से बढ़कर वर्ष १९९९-२००० में १९.१ मिलियन टन होने की सम्भावना है। वर्ष के दौरान, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ३७.६९ लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए। संचयी रूप से इन बैंकों ने ३९.३० लाख कार्ड जारी किये और इसके माध्यम से ४८४३ करोड़ रूपये की कुल ऋण सुविधा उपलब्ध करायी गई। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के २७ बैंकों ने ३१ मार्च २००० तक १९.८८ लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए। समग्र ऋण सीमा की राशि ५०१० करोड़ रूपये की रही। वर्ष १९९९-२००० के दौरान ९१.०० लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किये गए और वर्ष २०००-०१ के लिए यह लक्ष्य १००

लाख क्विंटल है। पोषकता के संदर्भ में उर्वरकों का उपयोग वर्ष १९९९-२००० में १८.१ मिलियन टन से बढ़कर वर्ष २०००-०१ में १९.३ मिलियन टन होने का अनुमान है। नाबार्ड द्वारा वर्ष १९९८-९९ में शुरू की गयी किसान क्रेडिट कार्ड योजना काफी लोकप्रिय हो गयी है। वर्ष २०००-०१ में सहकारी बैंकों ने ५१.११ लाख और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ५.७७ लाख कार्ड जारी किए। सभी पात्र किसानों को अगले तीन वर्षों के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने का प्रस्ताव है।

नाबार्ड के द्वारा सहकारी बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, सहकारी समितियों, वाणिज्य बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि को पर्याप्त मात्राा में पुनर्वित्त व्यवस्था प्रदान की जा रही है। नाबार्ड का यह प्रयास है कि किसानों को कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु एवं कृषि की विभिन्न आवश्यकताओं हेतु पर्याप्त मात्रा में व सरलता से ग्रामीण वित्त सुलभ हो सके। इसके लिए नाबार्ड के द्वारा पर्याप्त बैंकिंग सुधार भी किये जा रहे हैं, किसानों को विभिन्न सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। बैंकों की कार्यप्रणाली में भी व्यापक सुधार किये जा रहे हैं, विभिन्न कोषों एवं निधियों की भी स्थापना की जा रही हैं, जिसके द्वारा समन्वित कृषि एवं ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता हैं। [7]

सूचना स्त्रोत

1. भारतीय अर्थव्यवस्था - जगदीश नारायण मिश्र

2. मुद्रा एवं अधिकोषण - डॉ. अरूण कुमार गर्ग

3. भारतीय अर्थव्यवस्था - डॉ. अरूणेश सिंह

4. भारतीय अर्थव्यवस्था - मिश्र एवं पुरी

   भारतीय मौद्रिक योजना - एस. बी. गुप्ता

5. भारतीय अर्थव्यवस्था - जगदीश नारायण मिश्र

   विकासशील देशों की मौद्रिक नीति की समस्याएं - पी. डी. हजेला

6. भारत में बैंकिंग विकास - एस. सुब्रमहयम

7. वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड वर्ष १९९०-९१, १९९५-९६, १९९७-१९९८, १९९८-९९, १९९९-२०००, २०००-२००१

******

अध्याय–3

नाबार्ड की स्थापना एवं कार्य प्रणाली

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः देश के आर्थिक विकास की योजनाओं में कृषि विकास के कार्यक्रमों को सर्वाधिक प्राथमिकता देना अत्यन्त आवश्यक है। कृषि विकास सम्बन्धी कार्यों को पूरा करने के लिए प्रर्याप्त मात्रा में वित्त की आवश्यकता होती है। कृषि के पिछड़ेपन तथा कृषि व्यवसाय की अनिश्चितता के कारण भारतीय कृषकों के निजी साधन बहुत कम हैं। कृषि विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषकों द्वारा ऋण की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं हैं, जिससे कृषि व्यवसाय लगातार अलाभकर बना हुआ हैं स्वतंत्रता पूर्व से ही कृषि को लाभकर बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रारम्भ में अंग्रेज अफसरों के द्वारा भारत में चकबन्दी व्यवस्था लागू की गई, बिनोवा भावे के द्वारा भूदान आन्दोलन चलाया गया, ग्रामीण वित्त की पूर्ति के भी प्रयास किये गये। स्वतंत्रता पश्चात् सरकार का एकमात्र लक्ष्य था समन्वित कृषि एवं ग्रामीण विकास। सन् १९५१ में योजनाकाल के प्रारम्भ हो जाने पर कृषि साख की पूर्ति के भरपूर प्रयास किये गये। सरकार के द्वारा निर्धारित की जाने वाली पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि साख की पूर्ति करना ही प्रमुख लक्ष्य होता था। प्रारम्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अन्य कार्यों के साथ ही साथ कृषि एवं ग्रामीण विकास का कार्य भी देखा जाता था। सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ग्रामीण साख की आवश्यकता का अनुमान लगानें एवं उसका अध्ययन करने हेतु अनेक कमेटियों एवं कमीशनों का

गठन किया गया और लगभग सभी कमीशनों ने अपनी रिपोर्ट में ग्रामीण साख की पूर्ति को नगण्य ही बताया। सरकार के द्वारा मौद्रिक नीति, साख नीति जैसी अनेक नीतियों को लागू करके कृषि एवं ग्रामीण विकास करने का प्रयास किया गया, किन्तु सभी प्रयास लगभग असफल ही रहे। सरकार एव भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा गठित कमेटियों एव कमीशनों ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की लगातार सिफारिश की कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के विकेन्द्रीकरण की नितांत आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक कार्य की अधिकता के कारण कृषि एवं ग्रामीण विकास पर समुचित ध्यान नहीं दे पाता है। जिससे ग्रामीण वित्त की पूर्ति बाधित होती है। कमेटियों ने भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के विकेन्द्रीकरण की सिफारिश करते हुए ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय स्तर की संस्था की स्थापना पर जोर दियां अंत में कृषि वित्त की सुव्यवस्थित पूर्ति हेतु राष्ट्रीय स्तर की संस्था के रूप में नाबार्ड की स्थापना का निर्णय लिया गया।

कृषि वित्त एवं कृषि विकास का कार्य नाबार्ड की स्थापना से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा किया जाता था, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा १९३५ में एक पृथक विभाग, "कृषि साख विभाग" **Agricultural Credit Department** (ए०सी०डी०) की स्थापना की गई। ए०सी०डी० ने अपनी स्थापना काल से २० वर्षो तक (१९३५ से १९५४) कृषि साख के क्षेत्र में योगदान प्रदान किया। किन्तु कृषि साख सर्वेक्षण समिति के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को अपने सर्वेक्षण द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि ए०सी०डी० कृषि साख की आवश्यकता की पूर्ति करने में असफल हो गया है। जिसके फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने प्रयास किया की व्यापारिक बैंक भी कृषि साख से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े। जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने एवं व्यापारिक बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करनें हेतु १९६३ में कृषि पुनर्वित्त कारपोरेशन ***Agricultural Refinance Corporation*** (ए०आर०सी०) की स्थापना की। जिसका बाद में नाम परिवर्तित करके, "कृषि पुनर्वित्त एवं विकास कारपोरेशन" ***"Agricultural Refinance and Development Corporation"*** (ए०आर०डी०सी०) कर दिया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा एक अन्य विभाग "कृषि वित्त कारपोरेशन" **Agricultural Finance Corporation** (ए०एफ०सी०) की स्थापना की गई जो कि सहकारी संस्थाओं को, ग्रामीण बैंकों को अल्पकालीन ऋण एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान करता था।

कृषि वित्त एवं विकास हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा तथा सरकार के द्वारा अनेक कमेटियाँ गठित की गई जिसमें से ज्यादातर ने इस बात की सिफारिश की कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के कार्यो का विकेन्द्रीकरण करके एक पृथक संस्थान की स्थापना की जाए जो कि कृषि पुनर्वित्त एवं विकास का ही कार्य करता हो।

बैंकिंग कमीशन (१९७२) नें इस बात की सिफारिश की कि ए०आर०डी०सी० तथा ए०एफ०सी० दोनों को आपस में मिलाकर कृषि साख एवं विकास की एक राष्ट्रीय संस्था का गठन किया जाए जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता हो। इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि आयोग (१९७६) ने भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को निर्देशित किया कि वह कृषि वित्तीयन के अपने ऐतिहासिक क्रिया कलाप को छोड़कर कृषि विकास के लिए निचले स्तर से एक भारतीय कृषि बैंक की स्थापना करे जो कि कृषि विकास की शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करे।

भारतीय कृषि साख सर्वेक्षण समिति के द्वारा कृषि पुनर्वित्तीयन एवं विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के लिए कुछ नाम प्रस्तावित किये गये :-

- ✓ भारतीय कृषि विकास बैंक ***(Agricultural Development Bank of India)***,
- ✓ ग्रामीण विकास बैंक ***(Rural Development Bank of India)***,
- ✓ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ***(National Bank for Agriculture and Rural Development – NABARD)***

कमेटी के द्वारा राष्ट्रीय संस्था के रूप में उपरोक्त नामों मे से तीसरे नाम, ''राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक" (नाबार्ड) **National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)** की संस्तुति की गई ।

कमेटी के अनुसार नाबार्ड के निम्नलिखित कार्य होंगे :-

- ❖ नाबार्ड का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ग्रामीण विकास में लगी वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करना है।
- ❖ समन्वित कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु कृषि समंकों एवं सूचनाओं को एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करके उनको प्रकाशित करना।
- ❖ ग्रामीण विकास में लगी हुई विभिन्न वित्तीय संस्थाओं पर नियंत्रण रखना एवं उनके मध्य उचित समन्वय बनाये रखना।
- ❖ समन्वित ग्रामीण विकास हेतु गांवों में उचित यातायात, सड़कों आदि की व्यवस्था करना तथा विद्युतीकरण की उचित व्यवस्था करना।
- ❖ बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध करना जिससे वे समन्वित कृषि एवं ग्रामीण विकास में उचित योगदान कर सके।
- ❖ साहूकार, महाजन एवं देशी बैंकरों पर उचित नियंत्रण स्थापित करना एवं बैंकिंग व्यवस्था को सरल एवं मजबूत बनाना।
- ❖ ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण वित्त के लिए कार्यक्रम निर्धारित करना, योजनाएं बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करवाना एवं अन्य ग्रामीण विकास के कार्य करना।
- ❖ ग्रामीण विकास एवं वित्त के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, शोध करना, और सम्पर्क स्थापित करना।

- सहकारी संस्थाओं एवं ग्रामीण बैंकों को अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण हेतु पुनर्वित्त की व्यवस्था करना।
- ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विशेष कार्यक्रमो के लिए व्यापारिक बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध करना।
- विशेष परिस्थितियों में ग्रामीण विकास के लिए संस्थाओं को प्रत्यक्षतः ऋण की व्यवस्था करना।
- विकास एवं वित्तीयन के क्षेत्र में की जाने वाली सभी गतिविधियों एवं प्रयासों में समन्वय स्थापित करना जिससे ग्रामीण क्षेत्र का सुनियोजित विकास सम्भव हो सके।
- सहकारी संस्थाओं एवं ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण करना।
- राज्य सरकारों को सलाह एव दिशा निर्देश प्रदान करना भारतीय तथा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के निर्देशन पर सहकारी संस्थाओं, ग्रामीण बैंकों एवं समाजसेवी संस्थाओं को निर्देशित करना एवं उन पर नियंत्रण स्थापित करना।

नाबार्ड की पूंजी :-

कमेटी की रिपोर्ट के पैरा १२.१२ में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि नाबार्ड का और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का आपस में प्रत्यक्ष एवं नजदीकी सम्बन्ध होगा। जिसके लिए यह निर्धारित किया गया कि नाबार्ड की पूंजी का पचास प्रतिशत भाग भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा दिया जायेगा और शेष पचास प्रतिशत पूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाई जायेगी। जिस समय नाबार्ड की स्थापना की योजना बनाई जा रही थी उस समय ए०आर०डी०सी० की अधिकृत पूंजी १०० करोड़ रूपये थी जिससे यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रीय स्तर के बैंक की पूंजी इसकी अपेक्षाकृत काफी अधिक होनी चाहिए। इसलिए कमेटी के द्वारा नाबार्ड की अधिकृत पूंजी पांच सौ करोड़ रूपये रखने की संस्तुति की गई तथा प्रथम बार में नाबार्ड की प्रदत्त पूंजी सौ करोड़ रूपये रखने की संस्तुति की गई जिसमें केन्द्रीय सरकार का व भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का बराबर का अंश होगा।

नाबार्ड का स्टाफ :-

कमेंटी केद्वारा राष्ट्रीय स्तर के बैंक नाबाड़ं के कार्यो का निर्धारण इस प्रकार किया गया था कि इस बैंक के समस्त कार्य कृषि वित्त एवं समन्वित ग्रामीण विकास में प्रत्यक्ष एवं सक्रिय योगदान कर सके तथा नाबाड़ं का ग्रामीण विकास में अग्रणी संस्थान के रूप में कार्य करना था। जिसके लिए यह आवश्यक था कि इस नवीन संस्थान में कुशल एवं तकनीकी ज्ञान से युक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की जाय जिसके लिए कमेटी ने नाबार्ड को स्वयं अधिकार दिये जाने की संस्तुति की, कि वह अपनी आवश्यकतानुसार, भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति व सलाह से अपने स्टाफ की नियुक्ति करे।

नाबार्ड की स्थापना का बिल :-

भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अनेक कमेटियों का गठन कर ग्रामीण साख एवं विकास की सम्भावनाओं हेतु सर्वेक्षण करवाया गया और लगभग सभी कमेटियों ने इस बात की सिफारिश की कि भारत में ग्रामीण वित्त की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक पृथक राष्ट्रीय स्तर की संस्था की स्थापना की जाए। छठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण साख एवं ग्रामीण विकास हेतु विशेष जोर दिया गया और तत्कालीन सरकार ने ग्रामीण विकास पर अत्यधिक जोर दिया जिससे ३० मार्च १९७९ को भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर श्री० आई० जी० पटेल ने एक कमेटी का गठन किया जिसे ''शिवरमण कमेटी'' कहा गया, इस कमेटी में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया गया :-

शिवरमण कमेटी के सदस्यों की सूची :-

- ✓ श्री बी० शिवरमण - अध्यक्ष
- ✓ श्री जी० वी० के० राव - सदस्य
- ✓ श्री एम० रामाकृष्नैया - सदस्य
- ✓ श्री एम० आर० श्रौफ - सदस्य

✓ श्री एल० सी० जैन - सदस्य

✓ श्रीमती एस० सत्यभामा - सदस्य

✓ श्री के० बी० खोरे - सदस्य

✓ श्री एच० बी० शिवमग्गी - सदस्य सचिव

भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इस आठ सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का मुख्य कार्य था। ग्रामीण साख की आवश्यकता का अनुमान कर कृषि पुनर्वित्त एवं विकास कार्पोरेशन (ए०आर०डी०सी०) के कार्यो एवं संगठनात्मक ढांचे का विवेचन करना, तथा इस बात का अनुमान लगाना की क्या कृषि साख एवं ग्रामीण विकास के लिए वास्तव में एक पृथक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट ३१ दिसम्बर १९७९ तक प्रस्तुत कर देनी थी।

शिवरमण कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट नवम्बर १९७९ को भारतीय रिजर्व बैंक को। प्रस्तुत की, शिवरमण कमेटी की रिपोर्ट को ***CRAFICARD (The Committee to Review Arrangements For Institutional Credit for Agriculture and Rural Development)*** कहा गया। इस रिपोर्ट में कृषि साख एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर की एक पृथक संस्था की स्थापना की सिफारिश की गई। कमेटी के अनुसार इस राष्ट्रीय संस्था का नाम ''राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक'' ***"National Bank for agriculture and Rural Development" (NABARD)*** रखा जायेगा। कमेटी के चेयरमैन के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के गर्वनर को एक पत्र लिख कर सूचित किया गया कि कमेटी नाबार्ड की स्थापना की रूपरेखा तैयार करेगी जो कि एक ड्राफ्ट बिल के रूप में होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर तथा केन्द्रीय सरकार ने

राष्ट्रीय स्तर की संस्था के रूप में नाबार्ड की स्थापना का निर्णय लेते हुए शिवरमण कमेटी को एक ड्राफ्ट बिल तैयार करने का निर्देश दिया जिसके आधार पर नाबार्ड की स्थापना की जा सके।

सरकार ने शिवरमण कमेटी के तथा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के कुछ अधिकारियों को मिला कर एक समूह का गठन किया, जिनके द्वारा नाबार्ड की स्थापना हेतु ड्राफ्ट बिल की रचना की जायेगी। इस समूह में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया गया :-

- ✓ डॉ० एच० बी० शिवमग्गी - संयुक्त सचिव
- ✓ डॉ० एच० सी० अग्रवाल - मुख्य अधिकारी, (ए० डी० सी० भारतीय रिजर्व बैंक)
- ✓ श्री आर० कृष्णन् - कानूनी सलाहकार, (कानूनी विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक)
- ✓ श्री एच० आर० कारनिक - निदेशक, (ए०आर०डी०सी०)
- ✓ श्री जे० आर० प्रभू - उप मुख्य अधिकारी, (डी० बी० ओ० डी० भारतीय रिजर्व बैंक)

उपरोक्त सदस्यों को मिलाकर एक समूह का गठन किया गया जिसको नाबार्ड की स्थापना हेतु ड्राफ्ट बिल तैयार करने का कार्य सौपा गया। इस समूह के साथ में सर्व श्री आर० सुन्दरवर्धन (मुख्य अधिकारी आर०पी०सी० सेल), टी० के० बेल्यूधम (निदेशक, क्रैफीकार्ड, सचिवालय) तथा एम०एस० देवस्थली (उप मुख्य अधिकारी क्रैफी कार्ड, सचिवालय) को भी नियुक्त किया गया जो कि बिल तैयार करने में सहायता प्रदान करेंगे। इस समूह के द्वारा २८ और २९ जनवरी १९८० को क्रैफीकार्ड की बैठक में नई

दिल्ली में नाबार्ड की स्थापना का पहला ड्राफ्ट बिल प्रस्तुत किया गया तथा १३ और १४ मार्च १९८० को इस समूह के द्वारा क्रैफीकार्ड की बैठक में दूसरा व अन्तिम बिल बम्बई में प्रस्तुत किया गया।

क्रैफीकार्ड के द्वारा नाबार्ड की स्थापना करने के लिए एक बिल प्रस्तुत किया गया। जिसमे नाबार्ड से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं को स्पष्ट किया गया। ड्राफ्ट बिल मे उल्लिखित अध्याय निम्नवत है :-

अध्याय - 1 - प्रारम्भिक :-

नाबार्ड की स्थापना के लिए एक पृथक नाबार्ड अधिनियम बनाया जाए, जिसमें इस अध्याय के माध्यम से विभिन्न प्रकार की शब्दावलियों को परिभाषित किया जाय। जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम तथा बैंकिंग नियमन अधिनियम में भी पृथक परिभाषाओं की आवश्यकता महसूस की गई। जैसे धारा - २ (एम) जो कि ग्रामीण विकास को परिभाषित करती है तथा धारा २ (जे) जो कि प्रारम्भिक ग्रामीण साख को परिभाषित करती है। ये धारायें प्रथम बार प्रस्तुत की जा रही थी अतः इनको पृथक रूप से परिभाषित किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार इस अध्याय के अंर्तगत नाबार्ड से सम्बन्धित तथा प्रयुक्त समस्त शब्दावलियों को पृथक रूप से परिभाषित करने की व्यवस्था की गई।

अध्याय - 2 - नाबार्ड की स्थापना :-

बिल के द्वितीय अध्याय में नाबार्ड की स्थापना का उल्लेख किया गया जिसके अनुसार नाबार्ड की स्थापना हेतु समस्त पूंजी दों बराबर भागों में विभक्त होगी जो कि केन्द्रीय सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इस अध्याय के अनुसार पूंजी का अनुपात सदैव समान रहेगा इसे भविष्य में कभी भी किसी दशा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करना है। इसलिए नाबार्ड जनता के

प्रत्यक्ष सम्पर्क में कार्य नहीं करता है और न ही जनता से जमाएं स्वीकार करता है। चूंकि जनता से जमाओं के माध्यम से अन्य बैंकों, को बड़ी मात्रा में पूंजी प्राप्त होती है। जबकि नाबार्ड जनता से जमांए भी स्वीकार नहीं करता है इसलिए नाबार्ड की स्थापना के समय यह व्यवस्था की गई कि नाबार्ड अन्य माध्यमों से भी पूंजी एकत्रित कर सके। नाबार्ड राज्य सरकारों से ऋणप्राप्त कर करता है, पूंजी अभिलाभ बाड्स का निर्गमन कर सकता है तथा ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आर.आई.डी.एफ) आदि योजनाओं के माध्यम से भी नाबार्ड आवश्यकता पड़ने पर निधि एकत्रित कर सकता है।

अध्याय - 3 - नाबार्ड का प्रबन्ध :-

बिल का तृतीय अध्याय नाबार्ड के प्रबन्ध सेवा का प्रावधान करता है। नाबार्ड के प्रबन्ध के लिए एक बोर्ड का गठन किया जायेगा। बोर्ड के चेयरमैन के पद पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के उप गर्वनर को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया तथा बोर्ड के निदेशकों में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से योग्य व्यक्ति तथा नाबार्ड के अधिकारी बराबर संख्या में नियुक्त किये जायेंगे। निदेशक के पद पर नियुक्त व्यक्ति सम्बन्धित क्षेत्र - अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास, ग्रामीण वित्त, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तथा व्यापारिक बैंकों में कार्यशील व्यक्ति होंगे। चेयरमैन के पद पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के उप गवर्नर को नियुक्त करने का प्रावधान इस उद्देश्य से किया गया ताकि नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक के संरक्षण में एवं उसकी नीतियों का पालन करते हुए अपना कार्य करे अर्थात् नाबार्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए उपगवर्नर को इसका चेयरमैन नियुक्त किया जायेगा।

अध्याय - 4 - नाबार्ड को व्यवसाय का हस्तांतरण :-

भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास के उद्देश्य से स्थापित किये गये पृथक विभाग 'कृषि पुनर्वित्त कारपोरेशन' **Agricultural Refinance Corporation**

(A.R.C) जिसका बाद में नाम परिवर्तित करके 'कृषि पुनर्वित्त एवं विकास कारपोरेशन' ***Agricultural Refinance and Development Corporation (A.R.D.C)*** तथा एक अन्य कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु स्थापित विभाग 'कृषि वित्त कारपोरेशन' **Agricultural Finance Corporation** ***(A.F.C)*** को आपस में मिलाकर नाबार्ड की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसलिए इन दोनों विभागो के समस्त अधिकार, कर्तव्य एवं सम्पत्तियो तथा देयताओं को नाबार्ड को हस्तान्तरित कर दिया गया।

अध्याय - 5 - नाबार्ड के द्वारा ऋण प्राप्ति :-

आवश्यकता पड़ने पर नाबार्ड भी ऋण प्राप्त कर सकता है ऐसा प्रावधन अध्याय पॉच में किया गया। जिसके लिए वह अपने बॉण्ड्स या ऋण पत्रों को बाजार में बेच सकता है या भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया या केन्द्रीय सरकार से ऋण प्राप्त कर सकता है। नाबार्ड के बॉण्ड्स या ऋण पत्रों को केन्द्रीय सरकार की गारण्टी प्राप्त होगी की बॉण्ड्स या ऋण पत्रों की मूल राशि तथा उसके ब्याज का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा। नाबार्ड, केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त कर व भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की सलाह से विदेशी ऋण भी प्राप्त कर सकता है। नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा बनाये गये भारतीय औद्योगिक साख कोष से भी ऋण प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार आवश्यकता पड़ने पर नाबार्ड भी विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त कर सके ऐसा प्रावधान किया गया।

अध्याय - 6 - नाबार्ड की साख व्यवस्था :-

नाबार्ड के द्वारा प्रदान की जाने वाली साख सुविधा को मुख्यतया दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो उत्पादक ऋण एवं दूसरा विनियोग ऋण। नाबार्ड के द्वारा उत्पादक ऋण की जो पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की जायेगी वह निश्चित रूप से अल्पकालीन समय की होनी चाहिए और यह पुनर्वित्त सुविधा उन संस्थानों को ही प्रदान की जायेगी जो कि कृषि एवं ग्रामीण विकास में लगी हुई हो। इन

संस्थानों मे मुख्यतः राज्य सहकारी बैंक, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते है जिनको की नाबार्ड के द्वारा उत्पादक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। दूसरे प्रकार की साख सुविधा विनियोग ऋण के रूप में नाबार्ड के द्वारा प्रदान की जाती है। विनियोग ऋण भी दो भागों में बांटे जाते है - प्रथम - अल्पकालीन एवं द्वितीय दीर्घकालीन। अल्पकालीन विनियोग ऋण कृषि को सहायता प्रदान करने हेतु उस समय उपलब्ध कराये जाते हैं, जब देश में सूखा हो, बाढ़ हो या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा आ गयी हो। दीर्घकालीन विनियोग ऋण की सुविधा नाबार्ड के द्वारा उन संस्थानों को (राज्य सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) प्रदान की जाती है जो कि ग्रामीण एवं कृषि विकास में पूर्णतया लगे रहते हैं।

अध्याय - 7 - नाबार्ड के अन्य कार्य :-

नाबार्ड के द्वारा कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी किये जाते हैं। जैसे नाबार्ड उन सभी संस्थानों के मध्य एवं साथ तालमेल बैठाने का प्रयास करता है जो कि ग्रामीण एवं कृषि विकास में लगी हुई हैं। नाबार्ड को प्रशिक्षण प्रदान करने, सूचनाएं प्राप्त करने, ग्रामीण विकास के लिए शोध करवाने एवं ग्रामीण विकास हेतु उत्तम बैंकिंग व्यवस्था करने का भी कार्य सौपा गया है। नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण साख से सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्रित की जाती हैं जिन्हें वह केन्द्रीय सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को प्रेषित करता है।

अध्याय - 8 - फण्ड, खाते एवं अंकेक्षण :-

नाबार्ड के द्वारा उन सभी फण्डों का निर्माण किया जायेगा जो कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा निर्देशत किये गये हैं। नाबाड़ के द्वारा केन्द्रीय सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित विधि से खाते तैयार करवा कर उनका अंकेक्षण करवा करके उसकी

रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी व उसकी प्रति केन्द्रीय सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को भेजनी होगी।

अध्याय - 9 - नाबार्ड का स्टाफ :-

नाबार्ड को अपने स्टाफ स्वयं नियुक्त करने का अधिकार दिया गया और प्रारम्भ में ए०आर०डी०सी० का स्टाफ और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का स्टाफ जो कि नाबार्ड की स्थापना मे लगा हुआ था को नाबार्ड में नियुक्त किया गया जिससे प्रारम्भ में नाबार्ड के व्यवसाय संचालन कुशलता पूर्वक हो सके बाद में नाबार्ड के द्वारा स्वयं अपना स्टाफ नियुक्त किया गया।

अध्याय - 10 - विविध :-

यह अध्याय इस बिल का अन्तिम अध्याय है। इसमें नाबार्ड से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया। जैसे नाबार्ड को भारतीय आयकर अधिनियम के किसी भी दायित्व से पूर्णतया मुक्त रखा गया। नाबार्ड को अधिकार दिया गया कि यदि किसी मुद्दे या विषय को बोर्ड आवश्यक समझता है तो उसके लिए वे नियम पास कर सकते हैं। [1]

भारतीय रिजर्व बैंक, शिवरमण कमेटी तथा तत्कालीन सरकार ने नाबार्ड की स्थापना के समय उसकी कार्य प्रणाली के विषय में अत्यधिक विचार विमर्श किया। शिवरमण कमेटी ने सिफारिश की कि नाबार्ड एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में स्थापित हो रहा है अतः इसको जनता से व्यक्तिगत या प्रत्यक्ष सम्पर्क मे कार्य नही करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कमेटी की सिफारिश का समर्थन करते हुए कहा कि नाबार्ड का प्रमुख कार्य देश में ग्रामीण वित्त की पूर्ति करना हैं जिसके लिए नाबार्ड को बैंकों को, सहकारी संस्थाओं को एवं वित्तीय संस्थाओं को ऋण प्रदान करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भी जब इस बात की सिफारिश कर दी गई तब यह निश्चित किया गया कि नाबार्ड जनता से प्रत्यक्ष सम्पर्क में

कार्य नहीं करेगा बल्कि बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को ऋण प्रदान करके, जनता को ग्रामीण वित्त की व्यवस्था करेगा। नाबार्ड की स्थापना देश के शीर्ष बैंक के रूप में हो रही थी इसलिए नाबार्ड को सभी बैंकों, सहकारी संस्थाओं का मुखिया नियुक्त किया गया। नाबार्ड को सभी बैंकों पर नियंत्रण रखने का एवं पर्यवेक्षण करने का कार्य भी सौपा गया। नाबार्ड से यह भी आशा भी की रही है कि वह सभी वित्तीय संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करेगा एवं उनमें आपस में उचित तालमेल बैठायेगा। नाबार्ड के सफलतापूर्वक संचालन के लिए कमेटी के द्वारा एक निदेशक मण्डल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर, कृषि मंत्रालय के व्यक्ति, अर्थशास्त्री, वाणिज्य मंत्रालय के व्यक्ति तथा अन्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जायेगा। नाबार्ड का प्रधान कार्यालय मुम्वई में स्थापित किया गया और प्रत्येक राज्यों मे इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये गये। इसके साथ ही राज्यों के बड़े-बड़े प्रमुख शहरों में भी इसके उपकार्यालय स्थापित किये गये हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का विकास उसके कृषि एवं ग्रामीण विकास पर आधारित हैं यदि देश में समन्वित कृषि एवं ग्रामीण विकास होगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतः ही उन्नति के पथ पर अग्रसर हो जायेगी। ग्रामीण विकास का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नाबार्ड को सौंपा गया है इसलिए नाबार्ड को ग्रामीण विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त कार्य भी करने पड़ते है जैसे-नाबार्ड का यह एक अतिरिक्त कार्य है कि ग्रामीण वित्त की आवश्यकता से सम्बन्धित आंकड़े एवं सूचनाएं प्राप्त करें और उनको न केवल अपने लिए विश्लेषित करे अपितु ग्राहक बैंकों तथा अन्य संस्थाओं की सुविधा और समन्वय हेतु उनको प्रकाशित करे तथा विभिन्न स्तरों पर नीतियों एवं कार्यक्रमों का विश्लेषण भी करें। इसके साथ ही जनता से कुछ प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन करके, किसानों को बैंकों द्वारा एवं नाबार्ड द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं की जानकारी प्रदान करना। चूंकि नाबाड़ जनता से प्रत्यक्ष रूप में कार्य ही नहीं करता है इसलिए उसको जनता से जमाएं भी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए नाबार्ड की पूंजी की व्यवस्था का दायित्व भारतीय रिजर्व बैंक व सरकार के ऊपर है व दोनों नें आधी आधी नाबार्ड की पूंजी उपलब्ध करायी। वर्तमान

समय में नाबार्ड आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकारों से, केन्द्रीय सरकार से, भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। नाबार्ड ने निधि एकत्र करने के उद्देश्य से कुछ नयी योजनाएं भी लागू की है जिनकी सहायता से नाबार्ड को निधि प्राप्ति हो सकती है। नाबार्ड ने वर्ष १९९५-९६ आर.आई.डी.एफ. (ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि) की स्थापना की। इस निधि में नाबार्ड को व्यापारिक बैंकों से धनराशि प्राप्त होती है। चूंकि प्रतिवर्ष भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रत्येक व्यापारिक बैंक को एक लक्ष्य दिया जाता है कि आपको इस निर्धारित लक्ष्य तक ऋणों का वितरण करना है। बैंकों के द्वारा यदि ऋणों के वितरण में कमी रह जाती है तो उस कमी को ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि में अंशदान करना होगा। परन्तु अंशदान की धनराशि बैंक के निबल ऋणों के १.५ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार नाबार्ड इस निधि के अंतर्गत एक बड़ी धनराशि एकत्रित कर सकता है जिसका प्रयोग ग्रामीण विकास हेतु नाबार्ड द्वारा कही भी किया जा सकता है। वर्ष २००१-२००२ तक ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि की संचयी जमा राशि ५००० करोड़ रूपया होने की सम्भावना है। वर्ष २००१-२००२ तक इस निधि में से १८४००० परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार अभी हाल ही में नाबार्ड के द्वारा पूंजी अभिलाभ बाड्स का भी निर्गमन किया गया है। जिसके द्वारा भी नाबार्ड को काफी बड़ी निधि प्राप्त होने की सम्भावना है। नाबार्ड इस प्रकार से एकत्रित निधि को कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु किसी भी क्षेत्र में व्यय कर सकता है।

नाबार्ड के क्रियाकलापों का निर्धारण करते समय इसकों वे समस्त कार्य सौपे गये हैं जो कि देश के ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक हो। दूसरे शब्दों में हम कहें तो नाबार्ड के दायित्वों की सीमा या परिधि परिभाषित ही नही की गई अर्थात् नाबार्ड के दायित्व या क्रियाकलाप उस बिन्दू तक माने जायेंगे जहां देश का ग्रामीण विकास पूर्ण हो जाए। यदि हम नाबार्ड की कार्यप्रणाली पर एक नजर डालें तो उसे सबसे महत्वपूर्ण कार्य ग्रामीण वित्त की समुचित पूर्ति करना सौपा गया है। इस एक कार्य से कुछ कार्य स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे - ग्रामीण वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाना, उसकी पूर्ति के समुचित स्रोतों

का विश्लेषण करना, ग्रामीण साख से सम्बन्धित आंकड़ों एवं सूचनाओं को एकत्र कर उनको प्रकाशित करना आदि। किसानों की बिगड़ती दशा सुधारने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि उनको साहूकारों के चंगुल से बचाया जाए, जिसके लिए आवश्यक है कि साहूकारों पर कठोर नियंत्रण लगाये जाए व लचर पड़ी बैंकिंग व्यवस्था में व्यापक सुधार किये जाये। इसके साथ ही नाबाड़ की कार्यप्रणाली मे अन्य विकासात्मक कार्य भी सम्मिलित किये जाते हैं जैसे - गांवों तक समुचित यातायात की व्यवस्था करना, गावों का विद्युतीकरण करना, गांवों में सरकारी विक्रय केन्द्रों की स्थापना करना, सिंचाई के स्थायी साधनों की व्यवस्था करना, गांवों में बैंकिंग विकास करना आदि विकासात्मक कार्य भी नाबार्ड की कार्य प्रणाली में शामिल किये गये हैं।

नाबार्ड सौपे गये दायित्वों की पूर्ति करने हेतु, कुशल प्रबंध तंत्र की सहायता से कार्य करता है। निदेशक मण्डल के द्वारा नीतियां एवं कार्यक्रम बनाकर उनहें सुव्यवस्थित ढ़ग से लागू किया जाता है। नाबार्ड ने अपने संगठनात्मक व्यवस्था के सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर कम्प्यूटरीकरण हेतु कदम उठाए हैं और एक कम्प्यूटर सेवा अनुभाग स्थापित किया है। जिसकी मुख्य जिम्मेदारी पूरे नाबार्ड के क्रियाकलापों में कम्प्यूटरीकरण का प्रार्दुभाव करना है। इस़ तरह नाबार्ड की कम्प्यूटरीकरण व्यूह नीति उन आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए, जो नाबार्ड की क्रियाओं और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोगी हों। इसी प्रकार नाबार्ड के द्वारा एक पृथक सूचना विभाग की भी स्थापना की गई है जो कि ग्रामीण वित्त की आवश्यकता के सम्बन्ध में गांवों-गांवों का सर्वेक्षण करके सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित करता है जिनके आधार पर नाबार्ड के द्वारा योजनाएं बनाकर ग्रामीण वित्त की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। सम्बन्धित वित्तीय इकाइयों की सहायता के लिए नाबार्ड के द्वारा समय-समय पर ये आंकड़े एवं सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं।

एक दृष्टि में देखे तो हम पायेंगे की नाबार्ड को वे सभी दायित्व सौपें गये हैं जो कि समन्वित कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु आवश्यक हो। इस प्रकार हम नाबार्ड के क्रियाकलापों में निम्नलिखित दायित्वों को शामिल कर सकते है जिनकी पूर्ति नाबार्ड के द्वारा की जाती हैं :-

- नाबार्ड के द्वारा व्यापारिक बैंकों, ग्रामीण बैंकों, सहकारी संस्थाओं एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है।
- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से राहत पहुचांने सम्बन्धी प्रावधान करना।
- ग्रामीण वित्त से सम्बन्धित कृषि समकों को एकत्रित करना एवं उनको विश्लेषित करके उनका प्रकाशन करना।
- नाबार्ड के द्वारा बैंकों, सहकारी संस्थाओं एवं विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के मध्य अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर उनमें उचित समन्वय रखा जाता है।
- नाबार्ड के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों तथा ग्रामीण विकास में लगी अन्य संस्थाओं का पर्यवेक्षण किया जाता है।
- नाबार्ड के द्वारा बैंक कर्मियों को तथा अन्य व्यक्तियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिससे वे ग्रामीण विकास में समुचित योगदान कर सके।
- नाबार्ड के द्वारा किसानों को अन्य सुविधाएं जैसे-किसान क्रेडिट कार्ड योजना, निःशुल्क बीमा योजना, बीजों का वितरण आदि प्रदान किये जाते हैं।
- नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का समुचित विकास करने हेतु प्रत्येक गांवों तक यातायात की समुचित व्यवस्था करना तथा विद्युत की पर्याप्त व्यवस्था प्रत्येक गांवों तक करना।
- नाबार्ड के द्वारा सेमिनारों एवं प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता है जिसमें देश के प्रत्येक बैंक के प्रतिनिधि शामिल होकर, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया जाता है व नवीन योजनाएं बनायी जाती हैं।

- ❖ नाबार्ड के द्वारा जनता से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं जिसके लिए नाबार्ड क्षेत्र के ग्रामीण बैंक के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करवाता है जिसमें किसान अपनी समस्या रखते हैं और उसे ग्रामीण बैंक के माध्यम से नाबार्ड तक पहुंचा दिया जाता है। इन कार्यक्रमों का समस्त व्यय नाबार्ड के द्वारा वहन किया जाता है।
- ❖ नाबार्ड के द्वारा तकनीकी अनुप्रवर्तन और मूल्यांकन कक्षों की स्थापना करके सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं।
- ❖ नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों को महिला विकास कक्षों (डब्ल्यू.डी.सी.) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है ताकि ये संस्थाए जेंडर संबंधी समस्याओं से निपटने में सक्षम हो सके।
- ❖ नाबार्ड के द्वारा अनुसंधान और विकास निधि की स्थापना की गई हैं। इस निधि का उपयोग अनुसंधान और प्रशिक्षण, चुने हुए विश्वविद्यालयों, संस्थाओं में पीठ इकाइयों की स्थापना, सम्बन्धित सेमिनारों एवं कार्यशालाओं आदि को सहायता करने मे उपयोग किया जाता है।
- ❖ नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण वित्त के गैर संस्थागत स्रोतों पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। साथ ही प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीण वित्त की सम्पूर्ण पूर्ति संस्थागत स्रोतों के द्वारा ही की जाए।
- ❖ नाबार्ड ने विश्व बैंक व विदेशी संस्थाओं की सहायता से अनेक योजनाओं को संचालित किया व विदेशी संस्थाओं को भारत के ग्रामीण विकास हेतु अधिक से अधिक धन विनियोजित करने हेतु प्रोत्साहित भी किया।

नाबार्ड के क्रियाकलाप में उन समस्त कार्यो को शामिल कर दिया गया जो कि भारतीय ग्रामीण विकास हेतु आवश्यक है। नाबार्ड चूंकि राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्था के रूप में कार्य कर रही है इसलिए इसके दायित्वों व कार्यक्षेत्रों को परिसीमित नहीं किया गया है। अपितु ग्रामीण विकास की आवश्यकता के अनुरूप स्वतंत्र रखा गया है।[2]

सूचना स्त्रोत

1. शिवरमण कमेटी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक (मुम्बई) द्वारा प्रकाशित जनवरी १९८१
2. वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड़ (वर्ष १९९०-२००१)

******

अध्याय-4

नाबार्ड की संगठनात्मक संरचना

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका है। नाबार्ड के द्वारा लगभग उन सभी कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु किये जाते हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार व्यापारिक बैंकों को, देश के आर्थिक विकास को, देश के औद्योगिकीकरण को, देश की अर्थव्यवस्था को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का सहयोग एवं समन्वय प्राप्त होता है उसी प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास, लघु एवं कुटीर उद्योगों के पूंजीकरण की व्यवस्था, ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्तीयन सुविधा, सहकारी बैंकों को सहयोग, समाजसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना आदि महत्वपूर्ण कार्य, राष्ट्रीय बैंक (नाबाड़ी) के द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे हैं। आज ग्रामीण विकास से सम्बन्धित समस्त कार्य सरकार ने नाबार्ड के सुपुर्द कर दिये हैं। आज भारतीय रिजर्व बैंक, ग्रामीण विकास से सम्बन्धित कोई भी योजना, राष्ट्रीय बैंक (नाबाड़) की सलाह एवं स्वीकृति के बिना नही बना सकती है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और नाबाड़ को कृषि एवं ग्रामीण विकास का ही कार्य सौपा गया है जिसका प्रभाव सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इस प्रकार हम कह सकते है कि राष्ट्रीय बैंक (नाबाड़ी) के द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किये जाते हैं जिसका सीधा सम्बन्ध देश की अर्थव्यवस्था से है। अतः यह अत्यन्त ही आवश्यक हो जाता है कि राष्ट्रीय बैंक (नाबाड़) के क्रिया कलापों को संचालित करने हेतु एक सुदृढ़ संगठनात्मक संरचना निर्मित किया जाये। चूँकि नाबार्ड के संचालन हेतु एक पन्द्रह सदस्यीय

निदेशक मण्डल का गठन किया गया है जिसमें अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, तथा तेरह अन्य निदेशक शामिल किये गये हैं।

३१ मार्च २००१ तक की सूचना के अनुसार नाबार्ड का संगठनात्मक ढांचा इस प्रकार है:-

✓ श्री योगेश नंदा,

अध्यक्ष,

(राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक)

✓ श्री एम० वी० एस० चलपति राव,

प्रबन्ध निदेशक,

(राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक)

13 निदेशकों की सूची

✓ श्री स्वामी शशांकानंदा,

सचिव,

(रामकृष्ण मिशन आश्रम)

✓ श्री शंकर राव नारायण राव जोशी,

ट्रस्टी कृषि विज्ञान केन्द्र,

(प्रवरा प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान, अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान)

✓ श्री वेपा कामेसम,

उपगवर्नर,

(भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई)

✓ प्रो० विजय शंकर व्यास,

प्रोफेसर इमेरिट्स और अध्यक्ष संचालन मण्डल, आई०डी०एस०जे०

✓ डॉ० अमृता पटेल,

अध्यक्ष,

(राष्ट्रीय दुग्ध विकास केन्द्र)

✓ श्री एस० के० पुरकायस्थ,

अतिरिक्त सचिव (वित्त क्षेत्र),

वित्त मंत्रालय, डी०इ०ए० (बैंकिंग प्रभाग),

भारत सरकार, नई दिल्ली

✓ श्री जे० एन० एल० श्रीवास्तव,

सचिव,

कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग,

भारत सरकार, नई दिल्ली

✓ श्री अरूण भटनागर,

सचिव,

ग्रामीण विकास मंत्रालय,

भारत सरकार, नई दिल्ली

✓ श्री एम०एम० रतन,

वित्त आयुक्त (विकास) और सचिव (कृषि),

पंजाब सरकार सिविल सचिवालय

- ✓ डॉ० ए० डब्ल्यू० पी० डेविड,

  अतिरिक्त मुख्य सचिव,

  (कृषि और सहकारिता विभाग, गुजरात सरकार)

- ✓ श्री एम० वी० प्रणेश,

  सचिव कृषि,

  तमिलनाडु सरकार

- ✓ श्री जे० पी० राजखोवा,

  प्रधान सचिव (कृषि) और कृषि उत्पादन आयुक्त (ए०पी०सी०),

  असाम सरकार, दीसपुर

- ✓ पद रिक्त

नाबार्ड का शीर्ष प्रबन्ध तंत्र :-

वर्तमान समय में (३१ मार्च २००१ तक) राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) का शीर्ष प्रबन्ध तंत्र निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा है :-

- ✓ अध्यक्ष :- योगेश नंदा
- ✓ प्रबन्ध निदेशक :- एम० वी० एस० चलपति राव.
- ✓ कार्य पालक निदेशक :-
  - ➢ एम० जी० मारवाह
  - ➢ अली मियां
  - ➢ जी० के० अग्रवाल

- के० पी० अग्रवाल
- एस० सुब्रमणियन्

राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं कृषि विकास है, इसलिए नाबार्ड की स्थापना के पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्रामीण विकास से सम्बन्धित समस्त कार्य एवं अधिकार राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) में निहित कर दिये। राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की भांति ग्रामीण विकास से सम्बन्धित वे समस्त कार्य किये जाते हैं जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शहरी क्षेत्र एवं व्यावसायिक बैंकों को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से किये जाते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) की प्रबन्ध संरचना भारतीय रिजर्व बैंक की ही भांति बनायी गई। इसमे एक व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति पर नियुक्त किया जाता है। तथा अध्यक्ष की सहायता के लिए एक प्रबन्ध निदेशक एवं बारह अन्य निदेशकों की नियुक्ति की जाती है जिसमें विभिन्न विभागों के सचिव, विशेषज्ञ, भारतीय रिजर्व बैंक का उपगर्वनर एवं कृषि विभाग से सम्बन्धित व्यक्तियों को निदेशक के रूप में केन्द्रीय सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति (संस्तुति) पर नियुक्त किया जाता है। जैसे इस समय (३१ मार्च २००१ तक की सूचना के अनुसार) निदेशक मण्डल में रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव, कृषि विज्ञान केन्द्र, प्रवरा प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान और शिक्षण संस्थान के ट्रस्टी, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (मुम्बई) के उपगवर्नर, प्रोफेसर इमेरिटस और अध्यक्ष संचालन मण्डल आई०डी०एस०जे०, राष्ट्रीय दुग्ध विकास केन्द्र की चेयरपर्सन, अतिरिक्त सचिव वित्त मंत्रालय, सचिव-कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, ग्रमीण विकास मंत्रालय के सचिव, वित्त आयुक्त (विकास), अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, सचिव (कृषि), प्रधान सचिव कृषि एवं कृषि उत्पादन आदि विभागों से सम्बद्ध अधिकारियों को राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) के निदेशक मण्डल में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय बैंक के प्रबन्ध तंत्र में कृषि एवं ग्रामीण विकास से सम्बन्धित लगभग प्रत्येक विभागों के सचिव

एवं अधिकारियों को शामिल किया गया है साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के उपगवर्नर को भी इसके निदेशक मण्डल में नियुक्त किया गया है ताकि इसकी नीतियों एवं कार्यप्रणाली में भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्णतया नियंत्रण एवं समन्वय बना रहे। इसके साथ ही राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) ने अपने पछत्तर विभागों के लिए अलग-अलग मुख्य महाप्रबन्धक नियुक्त किये हुए हैं, साथ ही इसने प्रत्येक राज्य की राजधानी में अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर रखा है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय कार्यालय कामर्स हाउस, हबीबुल्लाह इस्टेट, ११ महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ में स्थित है। वर्तमान समय (३१ मार्च २००१) में मुख्य महाप्रबन्धक, आर० बालकृष्णन तथा ए०के० जैन, महाप्रबन्धक, एच०आर० मानखंड महाप्रबन्धक, जी०एल० खरे, महाप्रबन्धक, एस०सी० कौशिक, महाप्रबन्धक, डॉ० बी०बी० सिंह महाप्रबन्धक के पद पर नियुक्त हैं। वर्तमान समय में नाबार्ड द्वारा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि वह प्रत्येक जिले में अपना एक शाखा कार्यालय स्थापित करे, इसी प्रयास के तहत उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बैंक (नाबाड़) ने तीन बड़े शहरों में अपने शाखा कार्यालयों की स्थापना की गई है। इलाहाबाद में दीपक कुमार उपमहाप्रबन्धक, कानपुर में राजेश कुमार उपमहाप्रबन्धक तथा गाजियाबाद में एम०एस० राघव उपमहाप्रबन्धक के पद पर नियुक्त किये गये हैं।

राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) का मुख्य कार्यालय बान्द्रा, मुम्बई में स्थित है। राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) के द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से मुम्बई में व उसके बाहर अनेक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है। मुम्बई के बाहर के प्रशिक्षण संस्थान - राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय लखनऊ, राष्ट्रीय बैंक प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ, बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान लखनऊ, क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय पश्चिम बंगाल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय कोडियाल बेल मंगलूर में प्रशिक्षण संस्थान स्थित हैं। राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) का संचालन उपरोक्त संगठनात्मक संरचना की सहायता से कुशलता पूर्वक किया जा रहा है जिसके द्वारा ग्रामीण एवं कृषि विकास में नाबार्ड अपना अभूत पूर्व योगदान प्रदान कर रहा है।

सूचना स्त्रोत

१. शिवरमण कमेटी रिपोर्ट (CRAFICARD)

भारतीय रिजर्व बैंक (मुम्बई) द्वारा प्रकाशित (जनवरी १९८१)

२. वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड वर्ष २००१

३. नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ से व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा।

******

अध्याय–5

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण वित्त में नाबार्ड की भूमिका

भारतीय कृषक के पास वित्त के केवल दो ही स्रोत हो सकते हैं, प्रथम कृषक स्वयं तथा द्वितीय वह कहीं से ऋण प्राप्त कर सकता है। बहुत से अध्ययन कृषि साख पर किये गये हैं जो इस बात के साक्षी हैं कि ऐसे बहुत ही कम कृषक है जो कृषि साख को स्वयं पूरा कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इस आवश्यकता को ऋण लेकर पूरा करता है। इसके लिए सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इन कृषकों की सहायता करती रही है जिनमें लघु कृषक विकास संस्था, सीमांत कृषक विकास संस्था आदि प्रमुख हैं। वित्त की उचित व्यवस्था न होने से साहूकार बहुत समय तक ऋण देने का कार्य करते रहे हैं। उनके अत्यधिक व्याज के कारण कृषक पीढ़ी दर पीढ़ी ऋण में दबता चला जा रहा है। इन विषमताओं को दूर करने के लिए सहकारी बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नबाडी) आदि की स्थापना की गई।

भारत की अर्थव्यवस्था पूर्णतया कृषि पर निर्भर है, देश की जनसंख्या का लगभग तीन चौथाई भाग गाँवों में रहता है। वैसे तो इन लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि ही है लेकिन एक बहुत बड़ा भाग ऐसा भी है जो भूमिहीन है। जहां तक कृषि की बात है वह अभी भी मानसून पर ही निर्भर है। अपने देश में कृषि जोत इतनी अनार्थिक है कि उन पर खेती करना मात्र श्रम और पूंजी का अपव्यय जैसा है। हमारे देश की कुल कृषि जोतों की लगभग ७३ प्रतिशत कृषि जोतें सीमांत एवं लघु श्रेणी के अन्तर्गत आती

हैं, जिनमें कुल कृषि का २३ प्रतिशत भाग ही आता है। ऐसी परिस्थितियों में कृषि के विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों को आरम्भ किया गया है। उनमें कृषि वित्त समुचित की व्यवस्था करना एक प्रमुख कार्यक्रम है।

शिवरमण समिति की संस्तुति पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड़) की स्थापना का बिल दिसम्बर १९८१ में संसद में पेश किया गया था तथा १२ जुलाई १९८२ से इस बैंक ने विधिवत् कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। नाबाड़ अधिनियम के प्रस्तावना के अंतर्गत इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य स्पष्ट किया कि गांवों में कृषि, कुटीर, ग्रामीण उद्योग, हैडीक्राफ्ट तथा सम्बन्धित आर्थिक क्रियाओं के विकास के लिए की गई है, ताकि गांवों का एकीकृत विकास हो सके तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पन्नता आ सके।

नाबार्ड की स्थापना से पूर्व कृषि क्षेत्र में शीर्ष बैंक का दायित्व भारतीय रिजर्व बैंक पर था। अब नाबार्ड एक शीर्ष संस्था है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं के लिए साख नीति, वित्त नियोजन तथा सम्बन्धित क्रियाओं से सम्बन्धित कार्य सम्पादित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए आवश्यक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को वित्त उपलब्ध कराने के लिए यह बैंक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है। इस बैंक द्वारा पुनर्वित्त सम्बन्धी सुविधाएं राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रदान की जाती हैं जब कि वास्तविक लाभ व्यक्तियों, साझेदारी संस्थान, कम्पनियां, राज्य अधिकृत निगम तथा सहकारी समितियों को मिलता है। इस बैंक की वित्तीय सहायता का मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष लाभ कृषकों को सर्वाधिक होता है क्योंकि नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास के लिए दीर्घकालीन साख की पूर्ति करके कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना है। नाबार्ड १६ क्षेत्रीय कार्यालय तथा उप कार्यालयों के माध्यम से सम्पूर्ण देश में कृषि विकस से सम्बन्धित कार्य सम्पादित कर रहा है।

नाबार्ड की स्थापना का मूल उद्देश्य अग्रांकित है :-

- ✓ कृषि के लिए अल्पकालीन, मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण सहायता उपलब्ध करवाना।
- ✓ कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग के विकास में सहयोग देना।
- ✓ गॉवों का एकीकृत विकास करना।
- ✓ ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पन्नता लाना है।

नाबार्ड की स्थापना के पश्चात् विभिनि देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अभिकरणों के साथ २७० करोड़ रूपये के ऋण समझौते किये गये। इन समझौतों की प्रमुख बात यह है कि छोटे किसानों के पक्ष में ग्रामीण विकास कार्यों के लिए और छोटे तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के उद्योगों के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। नाबार्ड ने विदेशी सहायता से ४४ से अधिक परियोजनाओं के कार्यान्वियन में सहायता किया है। इनमें से १९ परियोजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के विश्व बैंक से २२९ करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। दो परियोजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि से १६.०५ करोड़ रूपये तथा एक परियोजना के लिए पश्चिमी जर्मनी की एक साख कम्पनी से ७.२ करोड़ रूपये के ऋण स्वीकृत हुए हैं। इसके अतिरिक्त नाबाड़ के द्वारा विकास के लिए अल्पकालीन ऋण जो मूलतः मौसमी कृषि कार्यो के लिये, कमजोर वर्गों के लिए, छोटे किसानों के लिए रियायती वित्त, फसलों के विपणन के लिये तथा उर्वरकों के लिए ऋण स्वीकृत किया गया है। नाबार्ड मध्यमकालीन ऋण विभिन्न राज्य सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों तथा प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त किसानों के अल्पकालीन कृषि ऋणों को मध्यावधि ऋणों मे स्थानान्तरित करनें हेतु राज्य सहकारी बैंकों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधि में से प्रदान करता है। दीर्घकालीन ऋण राज्य सरकारों को राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधि में से प्रदान किया जाता है। ताकि वे सभी स्तरों पर सहकारी ऋण संस्थाओं अर्थात राज्य सहकारी बैंकों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों, प्राथमिक समितियों, कृषक समितियों, बहुउद्देशीय समितियों, भूमि विकास

बैंकों आदि की अंशपूंजी में अभिदान कर सके, सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयरपूंजी में अंशदान के लिए १२ राज्य सरकारों को वर्ष २०००-२००१ के दौरान कुल ६७.६८ करोड़ रूपये का दीर्घावधि ऋण मंजूर किया गया है यह धनराशि पिछले वर्ष के दौरान १३ राज्यों को स्वीकृत रूपयें ९१.०७ करोड़ थी।[1]

नाबार्ड के द्वारा पंप सेट लगाने, डीजल इंजन लगाने, निर्यातोन्मुखी कृषि परियोजनाओं के लिए आवश्यक वित्त सहायहता उपलब्ध करायी गयी, वर्ष १९९४-९५ के दौरान उत्तम कृषि हेतु ६५ लाख कुन्तल बीज वितरित किये गये, जबकि १९९३-९४ के दौरान ६१ लाख कुन्तल वितरित किये गये थे, १९९४-९५ में अधिक उपज देने वाले बीजों के अंतर्गत शामिल क्षेत्र बढ़कर ७१.३ मिलियन हेक्टेअर हो गया अर्थात १९९३-९४ के शामिल क्षेत्र से ७ प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसी प्रकार वर्ष १९९९-२००० के दौरान ९१.० क्विंटल प्रामाणित बीज वितरित किये गये, वर्ष २०००-२००१ के दौरान १०३ लाख क्विंटल प्रामाणित बीज वितरित किये गये जिससे अधिक उत्तम किस्म की फसल होने का अनुमान किया जा रहा है।

पुनर्वित्त सहायता के अंतर्गत लघु सिंचाई, कृषि मशीनीकरण, भूमि विकास, बागान, मुर्गीपालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन, डेरी विकास, भण्डारण, बाजार केन्द्र आदि को पर्याप्त ऋणनाबार्ड के द्वारा उपलब्ध कराया गया।

नाबाड़ के द्वारा राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, तथा अन्य ग्रमीण विकास से सम्बद्ध वित्तीय संस्थाओं का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण भी के द्वारा किया जाता है। वर्ष १९९४-९५ के अंतर्गत नाबाड़ ने १८१ मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, ९५ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, १५ राज्य सहकारी बैंकों, ७ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और ४ शीर्ष समितियों का निरीक्षण किया और निरीक्षण रिपोर्ट में गुणात्मक सुधार लाने पर अधिक बल दिया गया। इसी प्रकार वर्ष १९९५-९६ में नाबार्ड ने १७५ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, ९६ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, १२ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों तथा १२ शीर्ष सहकारी

समितियो का निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार वर्ष १९९७-९८ मं नाबार्ड के द्वारा ११ राज्य सहकारी बैंकों, १७९ मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, १०२ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण कियागया इसके अतिरिक्त नाबार्ड ने स्वैच्छिक आधार पर १३ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एस.सी.ए.आर.डी.बी.) और शीर्ष समितियों का भी निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार वर्ष २०००-०१ के दौरान नाबार्ड ने ११ राज्य सहकारी बैंकों, ११ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों, १५३ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, ९३ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और १० शीर्ष संस्थाओं का निरीक्षण किया और निरीक्षण रिपोर्ट जारी की गयी और निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों को दूर करने के सम्बन्ध में बैंकों का सूचित किया गया तथापि निरीक्षणों से यह पता चलता है कि इन बैंकों के सुचारू रूप से कामकाज करने में वित्तीय और कार्यप्रणाली सम्बन्धी कमजोरियां अभी भी बनी हुई हैं, प्रत्यक्ष निरीक्षण के अतिरिक्त पहचान किये गये सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ५९ अनुप्रर्वतन दौरे किये गये, नाबार्ड की आंतरिक समिति के रूप में नवम्बर १९९९ में गठित पर्यवेक्षण बोर्ड (बी.ओ.एस.) की वर्ष के दौरान २ बैठकें हुई और उनमें बैंकों के पर्यवेक्षण से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की पर्यवेक्षण बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक को, जहाँ कहीं आवश्यक हुआ वहां निदानपरक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की और सम्बन्धित सहकारी बैंकों की अत्यन्त खराब वित्तीय स्थिति की जानकारी दी, इसमें से कुछ पहचान किये गये बैंकों को चेतावनी संकेत भी दिये गये। [2]

भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए एक विशिष्ट संस्था का निर्माण करके ग्रामीण वित्त उपलब्ध कराने में आने वाली बाधाओं का हल निकाला है इसीलिए अब राज्य सहकारी बैंकों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकों को ग्रामीण ऋण उपलब्ध कराने का कार्य नाबार्ड को सौंपा गया, नाबार्ड के द्वारा वर्ष १९९४-९५ में कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों के लिए विभिन्न संस्थाओं अर्थात सहकारी संस्थाओं, वाणिज्य बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को रू० २१,११३ करोड का ऋण स्वीकृत किया गया जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग २८ प्रतिशत अधिक है । इसी प्रकार वर्ष

१९९६-९७ में नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, वाणिज्य बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रू० २२०३२ करोड़ की कुल ऋण सहाकयता प्रदान की गयी। इसी प्रकार वर्ष १९९८-९९ में नाबार्ड के द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थओं को ३८,५०४ करोड़ रूपये का ऋण विभिन्न संस्थओं को स्वीकृत किया गया। [3]

तालिका-5-1

नाबार्ड के द्वारा वित्तीय संस्थाओं को स्वीकृत ऋण

31 मार्च 2001 तक (राशि करोड़ रूपये में)

	1993-94	1994-95	1996-97
	1998-99	1999-2000	2000-2001
नाबार्ड के द्वारा सहकारी संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंकों, क्षे०ग्रामीण बैंकों को स्वीकृत ऋण	16494	21113	22032
	38054	41764	53504

विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराने का कार्य नाबार्ड को सौपा गया। कृषि पुनर्वित्त विकास निगम के कार्यो को भी इस संस्था को हस्तांतरित कर दिया गया, अतिदेय ऋणों के बारे में नाबार्ड ने सम्बन्धित इकाइयों को आवश्यक आदेशों व उनके पालन का निर्देश दिया है। वर्तमान में इन सब संस्थाओं के निरीक्षण का दायित्व भी नाबार्ड पर है। नाबार्ड के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक (रा०स०कृ०ग्रा०वि०बैंक) वाणिज्य बैंक, राज्य सहकारी बैंक

(रा०स०बैंक), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षे०ग्रा०बैंक), कृ०वि०वि० कम्पनियों को योजनाबद्ध तरीके से नाबार्ड के द्वारा ऋण वितरण किया गया जिसे हम निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट कर सकते है:-

तालिका-5-2

उ0प्र0 में वर्ष 2000-01 के दौरान नाबार्ड के द्वारा योजनाबद्ध ऋृण वितरण और एजेंसीवार मंजूरी और संवितरण और 31 मार्च 2001 तक संचयी संवितरण

एजेंसी	योजनाओं की सं0	वित्तीय सहायता	नाबार्ड (राष्ट्रीय बैंक) की प्रतिबद्धता	वर्ष 2000-01 के दौरान संवितरण	31 मार्च 2001 तक संचयी संवितरण
रा०स०कृ०ग्रा०वि०बैंक	02	60896	55044	50530	363638
वाणिज्य बैंक	87	34563	30005	26896	213343
रा०स०बैंक०	----	498	241	241	15998
क्षे०ग्रा० बैंक	02	16394	14939	14931	183225
कृ०वि०वि०कंपनियां	----	----	----	----	----

नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों का समन्वित विकास करना है, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नाबार्ड को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करने का कार्य करेगा अर्थात् विभिन्न वित्तीय संस्थाएं जैसे- सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक आदि के द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान किया जाता है तथा नाबार्ड के द्वारा इन वित्तीय संस्थाओं को ऋण प्रदान किया जाता है। इस प्रकार अब वित्तीय संस्थाएं पर्याप्त रूप में ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि कार्य हेतु सुविधा पूर्वक पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने में समर्थ है।[4]

वित्तीय संस्थाओं द्वारा ग्रामीण ऋण :-

विभिन्न वित्तीय संस्थाओं अर्थात् सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्य बैंकों द्वारा आधार स्तर पर कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए प्रदान किया गया कुल ऋण १९९१-९२ के ११,२०२ करोड़ रूपये से बढ़कर १९९५-९६ में २२,०३२ करोड़ रूपये हो गया। इस प्रकार इस अवधि में ९७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार वर्ष २०००-०१ के दौरान संवितरित कुल आधारस्तरीय ऋण रू० ५३,५०४ करोड़ रूपये रहा, जो वर्ष १९९९-२००० के दौरान संवितरित ४४,६१२ करोड़ रूपये से २० प्रतिशत अधिक रहा। कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों के लिए पिछले कुछ वर्षो के दौरान संवितरित आधारस्तरीय ऋण का एंजेसीवार संवितरण, वर्ष २०००-०१ तक और वर्ष २००१-०२ के पूर्वानुमान का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :- [5]

तालिका-5-3

विभिन्न एजेन्सियों द्वारा कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों के लिए आधार स्तरीय ऋण का संवितरण

(करोड़ रुपये में)

एजेन्सी/वर्ष	1991-92	1995-96	1997-98	1998-99
	1999-2000	2000-01	2001-02	
सहकारी संस्थाएं	5800	10479	14085	15957
	18429	21909	27080	
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	596	1381	2040	2460
	3329	3807	4956	
वाणिज्य बैंक	4806	10172	15831	18443
	22854	27788	34735	
योग	11202	22032	31956	36860
	44612	53504	66771	
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर (%)	------	18	21	15
	21	20	25	

कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों के लिए वर्ष १९९७-९८ से २०००-०१ तक वितरित आधार स्तरीय ऋण का उप क्षेत्रावार विवरण निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है:- [6]

तालिका-5-4

(करोड़ रूपये में)

गतिविधियां	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
I. फसल ऋण (अल्पावधि उत्पादन ऋण)	20640	23903	28862	34700
II. मीयादी ऋण (मध्यावधि + दीर्घावधि) निवेश ऋण -				
लघु सिचाई	1584	1790	2410	2877
भूमि विकास	173	217	322	384
फार्म मशीनीकरण	3566	3936	4046	4831
बागान और बागवानी	755	767	754	900

डेयरी, मुर्गीपालन और भेड़, बकरी, सुअर पालन	1763	1996	2177	2599
मत्स्य पालन	338	448	405	484
उच्च तकनीकी कृषि	1101	1339	1360	1624
टन्य	2036	2464	4276	5105
उप जोड़	*11316*	*12957*	*15750*	*18804*
कुल जोड़ (I+II)	*31956*	*36860*	*44612*	*53504*

नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त सहायता :-

आधार स्तर पर ऋण प्रवाह को बढाने में नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता में वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारक रही, ३१ मार्च १९९७ को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, सहकारी बैंकों, वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य सरकारों को दी गई पुनर्वित्त सहायता और ऋण की मात्रा पिछले वर्ष के ८,९८४ करोड रूपये की तुलना में १०,४१९ करोड़ रूपये की नई ऊँचाई तक पहुँच गई, इस प्रकार इसमें १६ प्रतिशत की वृद्वि हुई, १९९६-९७ के दौरान नावार्ड ने कुल ३,५२३ करोड़ रूपये के निवेश ऋण (मध्यावधि और दीर्धावधि ऋण) संवितरित किये जबकि, पिछले वर्ष ३,०६४ करोड़ रूपये के निवेश ऋण संवितरित किये गये थे, इस प्रकार इनमें १५ प्रतिशत की वृद्वि हुई ११९९६-९७ के दौरान ३,५२३ करोड़ रूपये के पुनर्वित्त संवितरण से लगभग १०,९६२ करोड़ रूपये के अनुमानित आधार स्तरीय संवितरण को सहायता की गई। इस तरह नाबार्ड द्वारा प्रदान किया गया निवेश पुनर्वित्त आधार स्तर पर दिये गए कुल ऋण का ३२ प्रतिशत रहा। वर्ष २०००-०१ के दौरान नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों, वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रदत्त पुनर्वित्त सहायता और राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य एजेन्सियों को प्रदत्त ऋणों का कुल योग १६,४६१ करोड़ रूपये था, जो पिछले वर्ष के संवितरण १४१७८ करोड़ रूपये की तुलना में १६.१ प्रतिशत अधिक रहा। वर्ष २०००-०१ के दौरान अलग-अलग राज्यों में पुनर्वित्त का प्रवाह भिन्न-भिन्न रहा, नाबार्ड के द्वारा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ९२५.९८ करोड़ रूपये का पुनर्वित्त प्रदान किया गया, उसके बाद आंध्रप्रदेश को ६१७.०१ करोड़ रूपये, महाराष्ट्र को ६१५.९७ करोड़ रूपये, तमिलनाडु को ४६४.११ करोड़ रूपये, पंजाब ४५१.३६ करोड़ रूपये, राजस्थान ४२३.१२ करोड़ रूपये, कर्नाटक ३९२.३६ करोड़ रूपये, हरियाणा ३७४.८९ करोड़ रूपये, मध्यप्रदेश ३५०.५९ करोड़ रूपये का पुनर्वित्त प्रदान किया गया, दक्षिण क्षेत्र के राज्यों को पुनर्वित्त का २७.८ प्रतिशत हिस्सा प्रदान किया गया, उसके बाद उत्तरी क्षेत्र को पुनर्वित्त का २२.४ प्रतिशत हिस्सा प्रदान किया गया, मध्यवर्ती क्षेत्र प्रत्येक को पुनर्वित्त का २०.७ प्रतिशत प्रदान किया गया, पश्चिम क्षेत्र को

पुनर्वित्त का १५.३ प्रतिशत और पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को पुनर्वित्त का ११.६ प्रतिशत प्रदान किया गया। वर्ष २०००-०१ के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रदत्त सभी संवितरण का लगभग ५२ प्रतिशत उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उडीसा, और कर्नाटक में था। इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंकों को संवितरित पुनर्वित्त का लगभग ६४ प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्रप्रदेश, और राजस्थान में उपयोग हुआ। पिछलें वर्ष की तुलना में वर्ष २०००-०१ के दौरान संवितरण की सर्वाधिक वृद्धि उत्तर प्रदेश में १५२.६५ करोड़ रूपया रही, इसके बाद आंध्र प्रदेश में ११९.३० करोड़ रूपया, महाराष्ट्र में ११७.३९ करोड़ रूपया, तथा मध्य प्रदेश में १०८.५७ करोड़ रूपये का स्थान रहा। नाबार्ड द्वारा वर्ष २०००-०१ के दौरान संवितरित कुल पुनर्वित्त का एंजेसीवार संवितरण निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है, इस पुनर्वित्त राशि में सर्वाधिक हिस्सा (३८ प्रतिशत) राज्य सहकारी कृषि ग्राम्य विकास बैंकों ने प्राप्त किया, इसके बाद वाणिज्य बैंकों ने ३६ प्रतिशत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को १४ प्रतिशत और राज्य सहकारी बैंकों को १२ प्रतिशत प्राप्त हुआ।[7]

तालिका-5-5

नाबार्ड द्वारा संवितरित एंजेसीवार पुनर्वित्त

(करोड़ रूपये में)

एजेन्सी	1999-2000		2000-01		
	सवितरण	% हिस्सा	संवितरण	% हिस्सा	% परिवर्तन
रा०स०कृ०ग्रा०वि० बैंक	2345	45	2340	38	(-) 0.2
रा०स० बैंक	540	10	723	12	33.8
क्षे०ग्रा० बैंक	776	15	868	14	11.8
वाणिज्य बैंक	1547	30	2201	36	42.3
ए०डी०एफ०सी०	07	*	03	*	(-) 57.1

प्रा०स० बैंक	-----	-----	23	*	-----
कुल	*5215*	*100*	*6158*	*100*	*18*

नोट :- (* = नगण्य)

नाबार्ड द्वारा अल्पावधि ऋण :-

नाबार्ड के द्वारा सहकारी बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों एवं ग्रामीण बैंकों को अल्पावधि परिचालन हेतु अल्पावधि ऋण स्वीकृत किए जाते हैं, वर्ष १९९६-९७ के दौरान मौसमी कृषि परिचालन के लिए राज्य सहकारी बैंकों को कुल ५,२६५ करोड़ रूपये की ऋण सीमाएं मंजूर की गयीं जो कि १९९-९६ में मंजूर की गई ४,७५० करोड़ रूपये की ऋण सीमा की मंजूरी में हुई इस वृद्धि का श्रेय ९ राज्य सहकारी बैंकों को जाता है। मध्य क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) के राज्य सहकारी बैंकों को १९९६-९७ के दौरान, पिछले वर्ष मंजूर १,३०१ करोड़ रूपये से कम कुल १,२८० करोड़ रूपये (२५ प्रतिशत) की ऋण सीमायें मंजूर की गई। वर्ष १९९९-२००० के दौरान २८३ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए मंजूर ६,०९४.५१ करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष २०००-०१ के दौरान २६३ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए १७ राज्य सहकारी बैंकों को कुल ६,३९९.९२ करोड़ की अल्पावधि ऋण सीमा मंजूर की गयी, वर्ष २०००-०१ के दौरान राज्य सहकारी बैंकों की सामूहिक अधिकतम बकाया राशि ५१३४.२६ करोड़ रूपये तक पहुंच गयी जो उनको पिछले वर्ष मंजूर ऋण सीमा के ८१ प्रतिशत की तुलना में वर्ष में ७६ प्रतिशत है। वर्ष २०००-०१ के दौरान मौसमी कृषि परिचालनों के लिए १६० क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को १,११४.४१ करोड़ रूपये की अल्पावधि ऋण सीमा मंजूर की गई, वर्ष २०००-०१ के दौरान अल्पावधि से इतर प्रयोजनों हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मंजूर कुल राशि १९७.९२ करोड़ रूपया रही। बाढ़, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण वर्ष में अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन) ऋणों को मध्यावधि ऋण सीमा में परिवर्तित किया गया। जिसका प्रभाव मुख्यतया आंध्रप्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों पर पड़ा।

नाबार्ड द्वारा मध्यावधि ऋण :-

वर्ष १९९५-९६ के दौरान कृषि सम्बन्धी निवेश ऋण को अधिकाधिक रूप से योजनाबद्ध ऋण वितरण के अंतर्गत लाने की नाबार्ड की नीति को ध्यान में रखते हुए राज्य सहकारी बैंकों को उनमें छिट-पुट मध्यावधि वित्तपोषण को सहायता देने हेतु मंजूर की गई ऋण सीमाओं में कमी जारी रही, ५ राज्य सहकारी बैंकों को मध्यावधि परिचालन के लिए कुल ६.०७ करोड़ रूपये की सीमांए मंजूर की गई तथा इनके समक्ष २७ प्रतिशत का आहरण किया गया ५८ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कृषि सम्बन्धित गतिविधियों तथादस्तकारों के वित्त पोषण के प्रयोजन में मंजूर मध्यावधि ऋण सीमाएं कुल ५०.११ करोड़ रूपया रही तथा इनके समक्ष ३३.६५ करोड़ रूपये का आहरण हुआ जो सीमाओं का ६७.१ प्रतिशत था। वर्ष २०००-०१ के दौरान राज्य सहकारी बैंकों के मध्यावधि अनियोजित ऋण के सहायतार्थ मंजूर ऋण सीमा इस बार भी कम रही, योजनाएं स्थापित करने की दिशा में बैंकों को प्रोत्साहित. करनें की नाबार्ड की अपनी नीति और कृषि में निवेश के लिए योजनाबद्ध पुनर्वित्त के वित्तपोषण की व्यवस्था के उपयोग को प्रोत्साहित करनें के लिए ऐसा किया गया है, वर्ष २०००-०१ में राज्य सहकारी बैंक और ७ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मंजूर ऋण सीमाएं क्रमशः ०.१० करोड़ तथा ६.७५ करोड़ रूपया रही, ऋण सीमा का उपयोग क्रमशः ५० प्रतिशत और ९६ प्रतिशत रहा।

नाबार्ड द्वारा राज्य सरकारों को दीर्घावधि ऋण:-

नाबार्ड सहकारी ऋण संस्थाओं की अंशपूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों को कुछ शर्तो के अधीन दीर्धावधि ऋण प्रदान करता है। वर्ष १९९५-९६ में १२ राज्य सरकारों को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं (वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, तथा अन्य सहकारी संस्थाओं) की अंश पूंजी में अंशदान करने हेतु कुल १००.१४ करोड़ रूपया का दीर्घावधि ऋण (१९९४-९५ के ७३.०३ करोड़ रूपये की तुलना में) नाबार्ड द्वारा स्वीकृति किया गया। इसी प्रकार

वर्ष २०००-०१ के दौरान १२ राज्य सरकारों को विभिन्न वित्तीय सस्थाओं की अंशपूजी में अंशदान करनें हेतु नाबार्ड द्वारा ६७.६८ करोड़ रूपये का दीर्घावधि ऋण (१९९९-२००० में १३ राज्यों को स्वीकृत ९१.०७ करोड़ रूपये की तुलना में) स्वीकृत किया गया।[8]

लघु सिचाई, कृषि मशीनीकरण, बागान बागवानी, पशुपालन तथा भेड़ बकरी सुअर पालन हेतु नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त

लघु सिंचाई :-

नाबार्ड के द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को लघुसिचाई, कृषि-मशीनीकरण, बागानबागवानी, पशुपालन, तथा भेड़, बकरी, सुअर पालन हेतु पुनर्वित्त स्वीकृति किया जाता है। वर्ष १९९५-९६ के दौरान लघु सिचाई, जिसमें वृ०रा० कार्यक्रम और ग्राम विकास निगम भी शामिल है, का हिस्सा कुल संवितरण के २० प्रतिशत पर स्थिर रहा। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा इस क्षेत्र के अंर्तगत सबसे ज्यादा आहरण लिया जाता रहा और संवितरण का संकेद्रण प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक, और आंध्रप्रदेश राज्यों में रहा। वर्ष १९९९-२००० के दौरान लघु सिचाई के अंतर्गत कुल संवितरण ६१८ करोड़ रूपये तक पहुँचगए जो कि कुल संवितरणों का १२ प्रतिशत रहा संवितरणों में लगभग १४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष २०००-०१ दौरान लघु सिचाई के अंतर्गत कुल संवितरण (एस.जी.एस.वाई. के अंर्तगत किए गए संवितरण को छोड़कर) ६२६.०७ करोड़ रूपये तक पहुँच गये, जो कुल संवितरणों के १०.१७ प्रतिशत रहे। संवितरणों में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग ०१.३३ प्रतिशत की वृद्धि हुई। संवितरण मुख्यतया महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा राज्यों में केन्द्रित रहे, राजेंसियों में राज्य कृषि ग्रामीण विकास बैंकों ने इस क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्सा लेना जारी रखा।

कृषि मशीनीकरण :-

नाबार्ड के द्वारा कृषि मशीनीकरण हेतु पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है। वर्ष १९९५-९६ में कृषि मशीनीकरण का हिस्सा कुल संवितरण का २३ प्रतिशत पर स्थिर रहा। एजेन्सियों में राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंकों ने ५५ प्रतिशत प्राप्त किया, उसके पश्चात् वाणिज्य बैंकों (२७ प्रतिशत) का स्थान रहा। सात राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाण और महाराष्ट्र ने कुल संवितरण का ७२ प्रतिशत प्राप्त किया। वर्ष १९९९-२००० में कृषि यंत्रीकरण के लिए कुल संवितरण का ३३ प्रतिशत शेयर दिया गया, इसमें राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंक ने ४२ प्रतिशत का दावा किया। पॉच राज्यों - उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, एवं पंजाब ने कुल संवितरण का ६० प्रतिशत हिस्सा प्राप्त किया। वर्ष २०००-२००१ के दौरान कुल संवितरण में कृषि मशीनीकरण का हिस्सा ३०.९ प्रतिशत रहा, कृषि मशीनीकरण के अंतर्गत किए गए कुल संवितरणों में से वाणिज्य बैंकों ने सर्वाधिक ४४.१ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त किया। तीन राज्यों - उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान ने कुल संवितरण का ४६ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त किया।

बागान एवं बागवानी :-

वर्ष १९९५-९६ के दौरान कुल १३८ करोड़ रूपये के संवितरण में से राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों को सबसे अधिक अर्थात ४७ प्रतिशत तथा उसके बाद वाणिज्य बैंकों को ४३ प्रतिशत प्राप्त हुआ। वर्ष १९९९-२००० के दौरान राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक काफी बड़े पैमाने पर बागान और बागवानी की गतिविधियों में निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं। १९५.४२ करोड़ रूपये के कुल संवितरणों में से राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंकों ने ७० प्रतिशत प्राप्त किये। राज्यों की दृष्टि से इस क्षेत्र के अंतर्गत कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, एवं महाराष्ट्र ने प्रमुख हिस्सा प्राप्त किया। वर्ष २०००-०१ के दौरान बागान और बागवानी की गतिविधियों में निवेश के लिए संवितरित

पुनर्वित्त का ५३ प्रतिशत हिस्सा राज्य सहकारी कृषि ग्राम्य विकास बैंकों ने प्राप्त किया, इसके बाद २२ प्रतिशत (प्रत्येक के साथ) वाणिज्य बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों का स्थान रहा, राज्यों में कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और उत्तर प्रदेश ने इस क्षेत्र में बड़ा हिस्सा प्राप्त किया।

पशुपालन :-

नाबार्ड के द्वारा डेरी विकास के अंतर्गत वर्ष १९९५-१९९६ में किये गये संवितरणों में पिछले वर्ष की तुलना में १२ करोड़ रूपये की वृद्धि हुई और इस प्रकार ७ प्रतिशत की मध्यम वृद्धि दर्ज की गई, इस क्षेत्र के अंतर्गत संवितरणों का बड़ा हिस्सा राज्य सहकारी कृषि ग्राम्य विकास बैंकों ने प्राप्त किया, इस क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांश संवितरण पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा में हुआ। वर्ष १९९९-२००० के अंतर्गत ५८१ करोड़ रूपये के संवितरण हुए जो कि वर्ष के कुल संवितरणों का ११ प्रतिशत रहे, इस क्षेत्र के अंतर्गत दिये गये संवितरण का अधिकांश हिस्सा राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंकों ने प्राप्त किया, इस क्षेत्र के अंतर्गत ज्यादातर संवितरण पंजाब, उत्तर प्रदेश तमिलनाडु, और महाराष्ट्र में हुए जो कि पिछले वर्ष के संवितरण ५८१.१४ करोड़ रूपये से काफी अधिक था। वर्ष २०००-२००१ में इस क्षेत्र में किया गया संवितरण कुल संवितरणों का १२.४९ प्रतिशत रहा। इस क्षेत्र के संवितरण का सर्वाधिक हिस्सा ६६.१ प्रतिशत राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने प्राप्त किया, इस क्षेत्र के अंतर्गत ज्यादातर संवितरण पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा में हुए।

मुर्गी, भेड़, बकरी, सूअर पालन :-

नाबार्ड द्वारा वर्ष १९९५-९६ के दौरान मुर्गी, भेड़, बकरी, सूअर पालन के संवितरणों में पिछले वर्ष की तुलना में २५ करोड़ रूपये की वृद्धि दर्ज की गयी। इस क्षेत्र के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा और पजाब ने संवितरणों का प्रमुख भाग प्राप्त किया, एजेन्सियों में इस क्षेत्र

के अंतर्गत वाणिज्य बैंकों और राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंकों दोनों ने मिलकर संवितरणों का ९४ प्रतिशत प्राप्त किया। वर्ष १९९९-२००० के दौरान १०७ करोड़ रूपये का संवितरण किया गया जो कि पिछले वर्ष किये गये संवितरण १०९ करोड़ रूपये से २ करोड़ रूपये कम था। मुर्गीपालन के अंतर्गत वर्ष के दौरान १११ करोड़ रूपये का ही संवितरण किया गया जबकि पिछले वर्ष ११८ करोड़ रूपया संवितरण किया गया था। वर्ष २०००-२००१ के दौरान इस क्षेत्र में ११७ करोड़ रूपये का संवितरण किया गया जो कि पिछले वर्ष की तुलना में ९.३३ करोड़ रूपये अधिक था। इस क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक हिस्सा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने प्राप्त किया। मुर्गीपालन के अंतर्गत संवितरण वर्ष १९९९-२००० के ११०.८४ करोड़ रूपये से घटकर ७०.७४ करोड़ रूपये रह गये।[9]

तालिका-5-6

वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान नाबार्ड द्वारा संवितरणों (प्रयोजनवार) की तुलनात्मक स्थिति

(करोड़ रूपये में)

प्रयोजन	1999-2000		2000-2001		वृद्धि (%)
	राशि	हिस्सा (%)	राशि	हिस्सा (%)	(%)
लघु सिंचाई	618	11.9	626	10.2	1.3
भूमि विकास	75	1.4	106	1.7	41.3
कृषि मशीनीकरण	1705	32.7	1900	30.8	11.4
बागान/बागवानी	195	3.7	247	4	26.7
मुर्गीपालन	111	2.1	71	1.2	36 (-)
भेड़, बकरी, सुअर पालन	107	2.1	117	1.9	9.3
मत्स्य पालन	27	0.5	34	0.6	25.9

डेरी विकास	581	11.1	769	12 5	32.3
वानिकी	12	0.2	13	0.2	8.3
भण्डारण/मार्केट यार्ड	15	0.3	101	1.6	573.3
एस०जी०एस०वाई०	590	11.3	642	10.4	8.8
कृषीतर क्षेत्र	837	16.1	1022	16.6	22.1
एस०सी/एस०टी०एपी०	109	2.1	100	1.6	8.2 (-)
स्व०स० समूह	98	1.9	251	4.1	156.1
अन्य	135	2.6	159	2.6	17.7
	5215	***100***	***6158***	***100***	***18.1***

छाटे किसानों की सहायता :-

नाबार्ड अपने पुनर्वित्त कार्यक्रम के तहत छोटे किसानों को अधिकाधिक संख्या में शामिल करने पर बल देता रहा है। वर्ष १९९९-२००० के दौरान नाबार्ड द्वारा प्रदान किये गये निवेश ऋण, पुनर्वित्त का ६८ प्रतिशत, छोटे किसानों को सहायता के लिए वितरित ऋणों के समक्ष दिया गया। यह कृषि मशीनीकरण और संस्थाओं को दिये गये ऋणों से सम्बन्धित पुनर्वित्त के अतिरिक्त रहा। इसी प्रकार वर्ष २०००-२००१ के दौरान नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्वित्त का ६८ प्रतिशत (कृषि मशीनीकरण और संस्थाओं को दिये गये ऋणों से सम्बन्धित पुनर्वित्त को छोड़कर) लघु कृषकों को संवितरित ऋणों के लिए दिया गया। वर्ष २०००-२००१ के दौरान नाबार्ड द्वारा लघु कृषकों को उपलब्ध करवाये गये पुनर्वित्त को हम निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट कर सकते है :- [10]

तालिका-5-7

2000-01 के दौरान लघु कृषकों को ऋण के समक्ष संवितरित पुनर्वित्त

प्रयोजन	कुल संवितरण	लघु कृषकों को ऋण के समझ पुनर्वित्त	3 का 2 से प्रतिशत	लघु कृषकों के खातों की संख्या
लघु सिचाई और भूमि विकास	730	384	53	04
विविधीकृत प्रयोजन	2831	2028	72	42
कुल	***3561***	***2412***	***68***	***46***

ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि : (ग्रा.आ.सु.वि. निधि) :

Rural Infrastructure Development Fund (R.I.D.F)

वर्ष १९९५-१९९६ में नाबार्ड में ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि स्थापित की गई थी जिसमें वर्ष २०००-२००१ में इस निधि के चरण ४ के लिए आवंटित बढ़ी हुई राशि ४५०० करोड़ रूपये प्राप्त हुए, इसे मिलाते हुए इस निधि में छः चरणों में किये गये कुल आवंटन १८००० करोड़ रूपये के हो गये। इस व्यवस्था के अनुसार नाबार्ड को ये अंशदान भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से उनके प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उधारों में रही कमी की एवज में प्राप्त होते हैं। इस निधि का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। वर्ष १९९९-२००० से इसे और विस्तारित करते हुए, इसमें पंचायती राज संस्थाओं, स्व.स. समूहों, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि जैसी आधार स्तर की संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित की

जा रही परियोजनाओं को भी शामिल कर लिया गया है। यह नीति वर्ष २०००-०१ के दौरान भी जारी रही। वर्ष २००१-२००२ के केन्द्रीय बजट में उक्त निधि के चरण ७ के लिए ५००० करोड़ रूपये के आवंटन की घोषणा की गई है।

राज्य सरकारों अथवा स्थानीय पंचायतीराज संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के लिए ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि ६ के अंतर्गत, राज्य सरकारों को ऋण मोटे तौर पर उन्ही शर्तो पर स्वीकृत किये जाते रहे है जो पिछले वर्ष आर.आई.डी.एफ. परियोजनाओं के लिए लागू थी, किन्तु राज्य सरकारों को दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दरों को १२ प्रतिशत से घटाकर ११.५ प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण तथा सिचाई परियोजनाओं को ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाती रही। वर्ष के दौरान अन्य प्रयोजनों में मृदा संस्त्राण, वाटरशेड विकास, जल निकासी व्यवस्था, ग्रामीण मंडी स्थल, वन प्रबन्धन, अन्तर्देशीय जल मार्गो, ग्रामीण पेयजल, नागरिक सूचना केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक विद्यालयों के लिए भवन, फूड पार्को, प्रणालियों में सुधार इत्यादि को शामिल किया गया है। जम्मू-कश्मीर और केरल जैसे कुछ राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अंतर्देशीय जलमार्गो और ग्रामीण मंडी स्थलों को भी इसमें शामिल किया गया। मछली पकड़ने के घाटों और गोदामों के निर्माण जैसी अन्य बुनियादी आवश्यकताओं को भी ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि से ऋणों के लिए पात्र माना गया है। पहले के चरणों में शामिल किये गये कार्यकलापों के अलावा ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि ६ के अंतर्गत बिजली के क्षेत्र में छोटी पन बिजली योजनाओं और प्रणाली विकास परियोजनाओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र इत्यादि के अंतर्गत नागरिक सूचना केन्द्रों को भी शामिल किया गया है।

ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत ३१ मार्च २००१ तक संस्वीकृत और संवितरित की गई राशि का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है। वर्ष २०००-२००१ के दौरान मंजूर की गई ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि की कुछ परियोजनाओं की लागत राशि में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए कुछ राज्य सरकारों को मंजूर की गई अतिरिक्त राशि भी इनमें शामिल है।

तालिका-5-8

ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के विभिन्न चरणों के अंतर्गत मंजूर की गई और संवितरित संचयी राशि (31 मार्च 2001 की स्थिति)

आर.आई.डी.एफ. चरण	निधि राशि	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	31-03-2001 तक चरणबद्ध राशि
	31-03-2001 तक संवितरित राशि	संवितरिणों का प्रतिशत स्वीकृत	संवितरिणों का प्रतिशत चरणबद्ध	
आर.आई.डी.एफ. एफ १	2000	4167	1898.64	1898.64
	1742.45	91.8	91.8	
आर.आई.डी.एफ. एफ २	2500	8187	2588.78	2588.78
	2092.41	80.8	80.3	
आर.आई.डी.एफ. एफ ३	2500	14382	2665.34	2665.34
	1885.14	70.7	70.7	
आर.आई.डी.एफ. एफ ४	3000	6274	3119.86	3119.86
	1382.22	44.3	44.3	

आर.आई.डी.एफ. एफ ५	3500	118197	3639.34	2763.44
	1189.44	32.7	43.0	
आर.आई.डी.एफ. एफ ६	4500	39032	4632.67	1328.37
	959.63	20.7	72.2	
जोड़	***1800***	***190239***	***18544.63***	***14364.43***
	9251.29	***49.9***	***64.4***	

आर.आई.डी.एफ. १ के अंतर्गत परियोजनाओं के पूरा होने की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, कार्यान्वियन की अवधि को ३१ दिसम्बर २००० तक बढ़ा दिया गया था। इसी प्रकार आर.आई.डी. एफ. २ और ३ परियोजनाओं के पूरा हाने की अवधि को ३१ मार्च २००१ तक बढ़ा दिया गया। वर्ष २०००-२००१ के दौरान आर.आई.डी.एफ. ६ के अंतर्गत ३९०३२ परियोजनाओं के लिए ४६३२.६७ करोड़ रूपये के ऋण मंजूर किये गये, मंजूर की गई परियोजनाओं की संख्या के अनुसार आर.आई.डी.एफ. ६ के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में सिचाई परियोजनाओं का प्रतिशत ६७.२ था तथापि स्वीकृत की गई ऋण की राशि के हिसाब से ग्रामीण सड़कों तथा पुलों का प्रतिशत ५७.२ था तथा इसके बाद २६.८ प्रतिशत पर सिचाई क्षेत्र रहा। [11]

नाबार्ड द्वारा ग्रामीण बैंकिंग कार्मिकों का प्रशिक्षण :-

नाबार्ड अपनी विकासात्मक भूमिका के तौर पर सहयोगी बैंकों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देता है। नाबार्ड के बोलपुर और मंगलूर क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय (आर.टी.सी.) राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंकों के कनिष्ठ स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों, राज्य सहकारी बैंकों के कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थानों (ए.सी.एस.टी.आई.) मैनपावर डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट इंस्टीट्यूट शिलांग, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय पूणे और बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड) लखनऊ के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों जैसे नेशनल सेंटर फार मैनेजमेन्ट डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग (एन.सी.एम.डी.ए.आर.डी.बी.) बंगलूर के चयनित कार्यक्रमों में भी वित्तीय सहायता दी और एन.ई.आई.बी.एम. गुवाहाटी को स्पान्सशिप अंशदान भी उपलब्ध कराया।

नाबार्ड के कुछ प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान निम्नवत हैं :-

बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड) लखनऊ :-

बर्ड के कार्यकलापों का केन्द्र बिन्दु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनरूद्धार एवं प्रशिक्षण, परामर्श और अनुसंधान के माध्यम से सहकारी ऋण प्रणाली को सुदृढ़ करना रहा है। वर्ष २०००-२००१ के दौरान बर्ड ने १४० इन हाउस कार्यक्रम चलाये जिनमें २५८० सहभागियों ने हिस्सा लिया। बर्ड द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों में अप्राका और सिक्टैब और बांग्लादेश और इसराइल के परिचयात्मक दौरे, डी.बी. एम.एस. प्राग्रामिंग, वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए, टर्न अराउन्ड स्ट्रैटजी, आस्ति और देयता प्रबंधन पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों के लिए औरियेण्टेशन, क्रेडिट प्लस एप्रोच पर अप्राका कार्यक्रम जैसे नये कार्यक्रमों को बर्ड ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित किया। वर्ष २०००-२००१ के दौरान बर्ड, लखनऊ को २२९ .१३ लाख की अनुदान सहायता प्रदान की गई।

क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय (आर.टी.सी.) :-

बोलपुर और मंगलूर स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों ने सहभागी बैंकों के मध्यम और कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम जारी रखा। वर्ष २०००-२००१ के दौरान क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय बोलपुर ने ५३ प्रशिक्षण कार्यक्रम (इन हाउस और आन लोकेशन दोनों) चलाए, जिनमें पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के १४३२ प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। इसी प्रकार क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय मंगलूर ने कुल ४८ प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए, जिनमें दक्षिणी क्षेत्र के सहभागी बैंकों के १२२६ सहभागियों ने हिस्सा लिया, चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विवेकपूर्ण मानदंड, निधि प्रबंधन, ग्रामीण उद्योगों को वित्त पोषण, अनुत्पादक आस्तियां और वसूली प्रबंधन, स्वयं सहायता समूह, आंतरिक नियंत्रण और सतर्कता, ऋण मूल्यांकन, कार्यशील पूंजी इत्यादि से सम्बन्धित विषय शामिल थे। ग्राहक बैंकों के स्टाफ के प्रशिक्षण पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा २१४.२९ लाख रूपये व्यय किये गयें।

अन्य संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता :-

नाबार्ड के कृषि बैंकिंग महाविद्यालय पुणे (५५.७२ लाख रूपये) द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के सहभागियों के लिए चलाए गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों और एन सी एम डी ए आर डी बी बेगंलूर (७.३७ लाख रूपये) के कुछ चुने हुए कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता देना जारी रखा।

सहकारी बैंकों के कार्मिकों का प्रशिक्षण :-

नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों के प्रशिक्षण संस्थानों को अर्थात् राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंकों के कनिष्ठ स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों और राज्य सहकारी बैंकों के, "कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थानों" को अपने कार्मिको को प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता दिया जाना जारी रखा। सहकारी बैंकों की प्रशिक्षण संस्थाओं को नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई। कनिष्ठ स्तरीय

प्रशिक्षण केन्द्र के मामले में प्रशिक्षण व्यय का ८० प्रतिशत, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान के मामले में ६० प्रतिशत और आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड और राजस्थान इंस्टीट्यूट आफ कोआपरेटिव एज्यूकेशन एण्ड मैनेजमेन्ट (रिसेम) जैसे एकीकृत ढांचों के प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए ७५ प्रतिशत आवर्ती व्ययों की प्रतिपूर्ति के रूप में सहायता उपलब्ध कराई गई। वर्ष २०००-२००१ के दौरान सहकारी विकास निधि से कनिष्ठ स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र/कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान इन्टीग्रेटेड ट्रेनिंग इस्टीट्यूट को २.५५ करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दी गई। सहकारी बैंकों को प्रशिक्षण संस्थानों के नव नियुक्त प्रधानाचार्यों और संकाय सदस्यों के लिए नाबार्ड द्वारा बर्ड/क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों में परिचय प्रशिक्षण निरंतर दिया जा रहा है।[12]

नाबार्ड द्वारा बैंकों का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण :-

बैंककारी विनियमन अधिनियम १९४९ के अंर्तगत राज्य सहकारी बैंकों (रा.स. बैंक) जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (जिमस बैंक) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षे.ग्रा. बैंक) के आवधिक स्वैच्छिक निरीक्षणों की सांविधिक जिम्मेदारी नाबार्ड को सौपी गई है। इसके अलावा नाबार्ड राज्य स्तर की सहकारी संस्थाओं जैसे राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (रा.स.कृ.ग्र.वि. बैंक), शीर्ष बुंनकर सहकारी समितियों, राज्य सहकारी विपणन संघों इत्यादि का आवधिक स्वैच्छिक निरीक्षण भी करता है। इन निरीक्षणों का बुनियादी उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करनें के लिए बैंकों की वित्तीय और प्रबन्धकीय क्षमताओं की जांच करना तो है ही साथ ही कानूनों और विनियमनों के अनुरूप सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली को बनाए रखना भी इनका उद्देश्य है। बैंकों और दूसरी सस्थाओं के प्रत्यक्ष निरीक्षण में नाबार्ड ने कैमव्ससी पद्धति को अपनाना जारी रखा, तथापि नाबार्ड की पर्यवेक्षण सम्बन्धी चिंता सिर्फ नेमी आवधिक सांविधिक निरीक्षणों तक ही सीमित नहीं है, बैंकों को दी जा रही अधिक प्रबन्धकीय स्वतंत्रता के फलस्वरूप पर्यवेक्षण प्रणाली बदलती जरूरतों के अनुरूप पुनरभिमुखीकृत करने की आवश्यकता थी। इस सम्बन्ध में नाबार्ड ने

१९९८-८९ के दौरान परोक्ष निगरानी प्रणाली के रूप में एक पूरक प्रणाली शुरू की थी, इस प्रणाली के अंतर्गत बैंकों के वित्तीय निष्पादन और उनकी सुदृढ़ता का निरंतर आधार पर अनुप्रवर्तन करने के लिए बैंकों से निर्धारित आवधिक विवरणियों के सेट प्राप्त किये गये थे जहां कहीं आवश्यक हुआ, वहां पहले से ही चेतावनी संकेत दिये गये, कमजोर बैंकों की पहचान की गई और उनका दौरा किया गया तथा उन्हें सुधार के उचित उपाय करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। वर्ष २०००-२००१ के दौरान, कम्प्यूटरीकृत आंकड़े निर्माण और संसाधन की प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास जारी रहे। विभिन्न राज्य सरकारों ने उन लेखा परीक्षा विभागों के साथ समय समय पर विचार विमर्श किया। जो सहकारी बैंकों और संस्थाओं की लेखा परीक्षा करते हैं। ऐसे आवधिक विचार विमर्श लेखा परीक्षा और सांविधिक निरीक्षणों के विस्तृत क्रियाकलापों में केन्द्राभिमुखता लाने के उद्देश्य से किये गये। परिचालन सम्बन्धी मुद्दों को सुलझाने और साथ ही लेखांकन, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदण्डों से सम्बन्धित नवीनतम नीतियों और कार्यविधियों का प्रसार करने के लिए राज्य स्तर पर संगोष्ठियां और सम्मेलन भी आयोजित किये गये। बैंकों में जोखिम और जोखिम प्रबन्ध प्रणालियों के विश्लेषण पर अधिक जोर देते हुए नाबार्ड ने प्रत्यक्ष निरीक्षण सम्बन्धी मार्गनिर्देशों की पुनः समीक्षा की और उनमें संशोधन किये।

पर्यवेक्षण बोर्ड : (बी. ओ. एस.) :-

नाबार्ड की एक आंतरिक समिति के रूप में नवम्बर १९९९ में पर्यवेक्षण बोर्ड (रा.स. बैकं, जिमस बैंकों और क्षे.ग्रा. बैंकों के लिए) की स्थापना की गई। वर्ष २०००-२००१ के दौरान इसकी दो बैंठके हुई, इन बैठकों में बोर्ड ने निम्नलिखित की समीक्षा की :-

- ऐसे कमजोर सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति, जिनकी ह्रासित आस्तियां उनकी जमा राशियों के ५० प्रतिशत या उससे अधिक क्षीण हुई।
- कर्नाटक और राजस्थान में सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली।

- शीर्ष बैंकों के निरीक्षण के निष्कर्ष।
- बैंकों को पर्यवेक्षण सम्बन्धी रेटिंग का प्रकटीकरण।
- सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक, कार्पोरेशन बैंक और विजया बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यप्रणाली।
- ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निरीक्षण के निष्कर्ष जिनकी जमा राशियों में पचीस प्रतिशत या उससे अधिक की कमी हुई।
- बैंगलूर जिमस बैंक के निरीक्षण के निष्कर्ष।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुर्नवास के लिए पैकेज उपाय और उनका प्रभाव।

पर्यवेक्षण बोर्ड ने जहाँ आवश्यक था, भारतीय रिजर्व बैंक को उपाय करने की सिफारिश की और सम्बन्धित राज्य सरकारों को उनके राज्यों में सहकारी बैंकों की खराब वित्तीय स्थिति से अवगत कराया और ऐसे खराब बैंकों के रूप में पहचानें गए बैंकों के लिए आवश्यक चेतावनी संकेत जारी किये गये।

पर्यवेक्षण बोर्ड में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया गया :-

- ✓ पर्यवेक्षण बोर्ड का अध्यक्ष - अध्यक्ष, नाबार्ड
- ✓ बोर्ड के सदस्य - प्रबन्ध निदेशक नाबार्ड
- ✓ बोर्ड के सदस्य - ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रभारी कार्यपालक निदेशक।
- ✓ बोर्ड के सदस्य - एक सनदी लेखाकार (नामित)
- ✓ बोर्ड के सदस्य - सहकारी बैंकिंग का एक विशेषज्ञ अथवा, एक ख्यातिप्राप्त को आपरेटर (नामित)
- ✓ बोर्ड के सदस्य - एक अनुभव प्राप्त वाणिज्यिक बैकंर (नामित)

✓ सदस्य सचिव — पर्यवेक्षण विभाग, नाबार्ड के प्रभारी कार्यपालक निदेशक ।

सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा विवेक पूर्ण मानदण्डों का कार्यान्वयन :-

वर्ष २०००-२००१ के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए विवेकपूर्ण लेखांकन मानदण्डों को और सुदृढ़ बनाया गया। ये मानदण्ड ३१ मार्च २००१ से प्रभावी हुए। इन बैंकों को अब उन उधार आस्तियों को संदिग्ध आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करना है जो पहले निर्धारित २४ महीने की अवधि के बजाय १८ महीने तक अवमानक (सब स्टैण्डर्ड) श्रेणी के अंतर्गत रहें हों, तथापि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अतिरिक्त प्रावधानीकरण के लिए दो वर्ष की अनुमति दी गई है अर्थात् ३१ मार्च २००१ और ३१ मार्च २००२ प्रत्येक वर्ष पचास प्रतिशत की दर से, इसके अतिरिक्त भुगतान और निपटान प्रणाली वसूली वातावरण में सुधार और बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन के कारण राज्य सहकारी बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा आस्ति के वर्गीकरण के लिए, "गतकालिक देयता" की अवधारणा को ३१ मार्च २००१ को समाप्त किया गया है।

राज्य सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंकों के प्रत्यक्ष निरीक्षण का विकेन्द्रीकरण :-

वर्ष २०००-२००१ के दौरान चार राज्य सहकारी बैंकों और आठ राज्य सहकारी कृषि ग्राम्य विकास बैंकों के निरीक्षण का कार्य नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रत्यायोजित कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप, प्रधान कार्यालय से क्षेत्रीय कार्यालयों को राज्य सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंकों के प्रत्यक्ष निरीक्षणों के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है।

बैंकों का निरीक्षण :-

निरीक्षण कार्यक्रम में शामिल २६९ बैंकों (ग्यारह राज्य सहकारी बैंक, ११ राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंक, १५४ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, ९३ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) और १० शीर्षस्थ संस्थाओं के मुकाबले, वर्ष २०००-२००१ के दौरान २६८ बैंकों (११ राज्य सहकारी बैंक, ११ राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंक, १५३ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, ९३ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) और १० शीर्षस्थ संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। गुजरात में एक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का निरीक्षण उस क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप के कारण स्थगित कर दिया गया था। २६० बैंकों (११ राज्य सहकारी बैंक, ६ राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंक, १४७ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, ९६ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) और १० शीर्षस्थ संस्थाओं के मुकाबले, २५६ बैंकों (१० राज्य सहकारी बैंक, ६ राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंक, १४४ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, ९६ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) और ९ शीर्षस्थ संस्थाओं की निरीक्षण रिपोर्ट जारी की गयी। इन निरीक्षणों से अन्य बातों के साथ साथ यह जानकारी मिली कि इन बैंकों की कार्यप्रणाली में वित्तीय और अन्य प्रकार की कमजोरियां बनी हुई थी। जो बड़ी कमियां देखने में आई, उनमें अन्य बातों के अलावा, गैर निष्पादक आस्तियों का उच्च स्तर, बढ़ती अतिदेयता, लेन देन की ज्यादा लागत और कम मार्जिन, ऋण मूल्यांकन की असंतोष गुणवत्ता, अपर्याप्त आन्तरिक जांच और नियंत्रण, उनके प्रबंध में व्यावसायिकता की कमी और सहकारी संस्थाओं के विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ता असंतुलन शामिल है। प्रत्यक्ष निरीक्षण के अतिरिक्त सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, दोनों के सम्बन्ध में ५९ अनुप्रवर्तन विजिट भी की गई।

साथ ही नाबार्ड के द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए सहकारी बैंक को लाइसेन्स भी जारी किये जाते है। वर्ष २०००-२००१ के दौरान किसी सहकारी बैंक को कोई नया लाइसेन्स जारी नहीं किया गया अतः ३१ मार्च २००१ को लाइसेन्स प्राप्त सहकारी बैंकों की संख्या यथावत् ८५ रही तथा लाइसेंस प्राप्त १३ राज्य सहकारी बैंक ७२ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक क्रियाशील थे।

नाबार्ड अपने अधिकारियों एवं सम्बन्धित बैंकों के कर्मचारियों को विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु एवं सेमिनार आदि में भाग लेने की व्यवस्था भी करता है। वर्ष २०००-२००१ के दौरान नाबार्ड (बर्ड में प्रतिनियुक्त अधिकारियों समेत) के ७५ अधिकारियों को विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों, परिचयात्मक विजिट एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं आदि में प्रतिनियुक्त किया गया। इनमें से, एक अधिकारी को यूनिवर्सिटी आफ कैलिफोर्निया द्वारा यू.एस.ए./नीदर लैण्ड में संचालित एवं ए.पी.ई. डी.ए. द्वारा प्रायोजित "पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालाजिकल मैनेजमेंट" कार्यक्रम हेतु प्रतिनियुक्त किया गया तथा दो अधिकारियों ने के.एफ.उब्ल्यू, जर्मनी द्वारा प्रायोजित "जर्मनी में ग्लोबल डायलांग एवं एक्स्पो २०००" में भाग लिया, २८ अन्य अधिकारियों ने (ए.डी.आई.एफ.ए.डी.) फिलिपीन्स, सी.आई.सी.टी.ए.बी., गैलेली कालेज इजराइल, ए.पी.आर.ए.सी.ए., ए.डी.एफ.आई., मलेशिया, एन.आई.एस.पी.ई.डी. इजराइल, समर अकादमी, जर्मनी, एम.आर.सी.पी.आई.एफ.ए.डी. सिंगापुर, उगांडा, इन्स्ट्टीयूट आफ बैंकिंग, एम.ए.एस. एच.ए.वी. कार्यक्रम, इजराइल और ए.आई.टी./एम.एस.एम., डी.एस.ई. द्वारा विभिन्न, विशिष्ट विषयों पर संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके अलावा ७ परिचयात्मक सहअध्ययन संदर्शन किये गये जिनमें से एक बैंक राक्यात, इंडोनेशिया, तीन थायलैण्ड के, एक जर्मनी में सहकारी बैंकिंग पद्धति से सम्बन्धित, एक बांग्लादेश और एक यू.एस.ए. कम्यूनिटी बैंक का था। इनमें ४८ अधिकारी शामिल थे जिनमें से चार सहकारी बैंकों से, एक एस.डी.सी., पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से, दो गैर सहकारी संगठनों से एवं भारत सरकार से एक ने भाग लिया। इसके अलावा नाबार्ड के नौ वरिष्ठ अधिकारियों ने कृषि और ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विषयों पर चीन, फिलीपीन्स, दक्षिण कोरिया, नेपाल, थाइलैण्ड, फ्रांस, सिंगापुर, और पोलैण्ड में आयोजित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भाग लिया। [13]

अनुसंधान एवं विकास निधि :-

नाबार्ड ने नाबार्ड अधिनियम, १९८१ के तत्वाधान में वर्ष १९८२-८३ में अनुसंधान और विकास निधि की स्थापना की। इस निधि का उपयोग ग्राहक बैंकों द्वारा तकनीकी अनुप्रवर्तन और मूल्यांकन (टी.एम.ई.) कक्षों की स्थापना के लिए, उनके प्रशिक्षण कार्यकलापों में सहायता प्रदान करने और साथ ही सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जनजाति ऋण विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग अनुसंधान और प्रशिक्षण, चयनित विश्वविद्यालयों, संस्थानों आदि में पीठ इकाइयों की स्थापना के लिए किया जाता है, इस निधि की प्रारम्भिक कार्पस निधि १४.५० करोड़ रूपये थी। ३१ मार्च २००१ को अनुसंधान और विकास निधि में ४२.७३ करोड़ रूपये की राशि शेष थी। नाबार्ड की अनुसंधान और विकास निधि से कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विविध प्रकार के अनुसंधान कार्यो के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इनमें प्रमुख क्षेत्र हैं :-

- ग्रामीण उप क्षेत्रों में और विकास के लिए नीतिगत संकेत वाले अध्ययन।
- कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए बाजार के अवसरों से सम्बन्धित अध्ययन।
- ग्रामीण कृषीतर क्षेत्र के विकास सम्बन्धी अध्ययन और,
- कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विभिन्न विधाओं से सम्बन्धित परिचालनात्मक/तकनीकी अनुसंधान।

अनुसंधान और विकास निधि का उपयोग :-

अनुसंधान और विकास निधि से उपलब्ध कराये गए अनुदान की संचयी राशि ३१ मार्च २००१ तक ४९.७६ करोड़ रूपये की थी। इसमें से २३.११ प्रतिशत परियोजनाओं एवं अध्ययनों, ५३.४० प्रतिशत उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (ई.डी.पी.) सहित प्रशिक्षण गतिविधियों, १३.६१ प्रतिशत तकनीकी, अनुप्रवर्तन एवं मूल्यांकन कक्षों, टी.सी.एस. की स्थापना एवं इन्हें मजबूत बनाने, ३.१३ प्रतिशत

सेमिनारों और कार्यशालाओं हेतु वित्तीय सहायता, ३.५० प्रतिशत संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालयों में कार्यरत पीठ इकाइयों के लिए था। वर्ष २०००-२००१ के दौरान किए गए कुल संवितरण ७.०४ करोड़ रूपये में प्रशिक्षण कार्यकलापों का हिस्सा सबसे अधिक (७३.१५ प्रतिशत) था, इसके बाद पीठ इकाइयों (९.९४ प्रतिशत) परियोजनाओं एवं अध्ययनों (८.३८ प्रतिशत), तकनीकी अनुप्रवर्तन और मूल्यांकन कक्षों/टी.सी.एस. (५.२६ प्रतिशत) और संगोष्ठियों/प्रासंगिक लेखों (३.२७ प्रतिशत) का हिस्सा था।

जिसे निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है :-

तालिका-5-9

अनुसंधान और विकास निधि से दी गई अनुदान सहायता

(करोड़ रूपये में)

कार्यकलाप	संवितरण			
	वर्ष २०००-०१ के दौरान	हिस्सा %	३१ मार्च २००१ तक	हिस्सा %
परियोजनाएं/अध्ययन	0.59	8.38	11.50	23.11
सेमिनार/प्रासंगिक लेख	0.23	3.27	1.56	3.13
टी.एम.ई. कक्ष/टी.सी.एस.	0.37	5.26	6.77	13.61
प्रशिक्षण कार्य कलाप	5.15	73.15	26.57	53.40
नाबार्ड पीठ योजना	0.70	9.94	1.74	3.50
अन्य	-----	----	1.62	3.25
योग	***7.04***	***100.00***	***49.76***	***100.00***

वर्ष 2000-2001 के दौरान नाबार्ड के द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं/अध्ययन :-

वर्ष २०००-०१ के दौरान नाबार्ड की अनुसंधान और विकास निधि से ४४.२० लाख रूपये की अनुदान सहायता वाली आठ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई जो निम्नानुसार थी :-

- दी परफार्मिंग एजूकेशन फाउण्डेशन, महात्मा फुले म्यूजियम, पुणे, इसको निर्यातोन्मुखी कृषि उत्पादों के उत्पादन और विपणन में आने वाली बाधाओं की पहचान करने और कृषि निर्यात को बढ़ाने के अर्थापायों की सिफारिश करने के लिए।
- दी इन्स्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, जयपुर को ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आर. आई.डी.एफ.) से वित्तपोषित सड़क और पुल परियोजनाओं के सीमान्त और लघु कृषकों पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन के लिए।

- शिर्डी सांई रूरल इन्स्टीट्यूट प्रवरानगर को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के प्रवरानगर क्षेत्र के चयनित गांवों में सूचना प्रौद्योगिकी कन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता।
- इन्दिरा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुम्बई को स्रोतों के विभाजन के कारणों का अध्ययन करने के लिए।
- तमिलनाडु राइस रिसर्च इन्स्टीट्यूट अडुन्तुरै को तन्जाबूर और नागापट्टिनम जिलों के कावेरी कमाण्ड एरिया के दालों का उत्पादन करने वाले किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली वर्तमान व्यवहार्य तकनीकों का पता लगाने के लिए दालों की खेती सम्बन्धित कार्यों के अनुसंधान हेतु।
- तमिलनाडु राइस रिसर्च इन्स्टीट्यूट, अडुन्तुरै को चावल के उन्नत बीज उत्पादन के लिए अनुसंधान और चावल के उन्नत बीज को प्रयोग में लाने में सहायता हेतु, किसानों के प्रशिक्षण सह खेती संबंधी कार्यों के प्रदर्शन के लिए।
- वैफ डेवलपमेन्ट रिसर्च फाउण्डेशन, पुणे को आम आधारित प्रणालियों की वार्षिक और बारहमासी किस्मों में बायोमास उत्पादन, उपज, आमदनी और प्रतिफल के अध्ययन, पारिस्थितिक एवं आर्थिक स्थायित्व और कृषि फल खेती में अपनाई जाने वाली पोषक तत्व प्रबंधन कार्यनीतीयों की दीर्घकालीनता के अध्ययन तथा पोषक तत्व प्रबंधन कार्यनीतियों से सम्बन्धित विशिष्ट उत्पादन प्रणाली को अपनाने में आने वाली सामाजिक-आर्थिक बाधाओं की जांच के लिए।
- तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय को तमिलनाडु के उत्तर-पूर्वी अंचल के तटीय क्षेत्र के किसानों के लिए बबूल पौधशाला हेतु उद्यमिता विकास के लिए। इन अनुसंधान परियोजनाओं के एक से दो वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है।

सेमिनार, सम्मेलन, और कार्यशालाएं :-

नाबार्ड ने वर्ष २०००-२००१ के दौरान विभिन्न एजेन्सियों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को कृषि और ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विषयों पर ४२ सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं के आयोजन के लिए २३.५५ लाख रूपये की अनुदान सहायता मंजूर की। नाबार्ड की इस सहायता से प्रायोजकों को सम्मेलन की सामग्री तैयार करने और मुद्रित कराने तथा कार्यवाही के प्रकाशन में मदद मिली। इन सेमिनारों, सम्मेलनों की सिफारिशों पर नाबार्ड ने विचार किया और इनका उपयोग समुचित नीतियां बनाने और परिचालनात्मक कदम उठाने के लिए किया गया। इनमें कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन आदि इस प्रकार हैं :-

- विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर में आयोजित एशियन सोसाइटी आफ एग्रीकल्चरल इकोनामिक्स का तीसरा सम्मेलन।
- सांइल कन्वर्जन सोसाइटी आफ इण्डिया द्वारा भूमि, ,खाद्यान्न संसाधन प्रबंधन, रोजगार, पर्यावरण सुरक्षा पर अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलन।
- जबलपुर में इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनामिक्स का ४२ वां वार्षिक सम्मेलन।
- कल्याणी, पश्चिम बंगाल में इण्डियन सोसाइटी आफ एग्रीकल्चरल इकोनामिक्स का ६० वां सम्मेलन।
- नई दिल्ली में इंडियन साइंस कांग्रेस का ८८ वां सत्र।
- वी.ए.आई.एफ., पुणे में भारतीय पशुओं की नस्ल संरक्षण और जेनेटिक सुधार विषय पर अंतराष्ट्रीय सम्मेलन।
- आई.आर.एम.ई.डी., नई दिल्ली में 'जल स्रोत प्रबंधन' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।
- कंफेंडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा अहमदाबाद में इन्टरनेशनल कांफ्रेस आन एग्रो एण्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन गुजरात।

प्रासंगिक लेख :-

नाबार्ड ने कृषि और ग्रामीण विकास सम्बन्धी विषयों पर प्रासंगिक लेखों का प्रकाशन इस वर्ष भी जारी रखा। उक्त लेख स्वयं नाबार्ड और बादरी विशेषज्ञों ने तैयार किये। वर्ष २०००-२००१ के दौरान कुल मिलाकर छः प्रासंगिक लेख लिखे गये ये हैं :-

- ✓ तमिलनाडु में कृषि विकास की समस्याएं और भावी समस्याएं।
- ✓ आंध्र प्रदेश में कृषि विकास की समस्याएं और भावी समस्याएं।
- ✓ भारत में संस्थागत ऋण के लिए ग्रामीण ब्याज दर।
- ✓ कृषि और कृषीतर क्षेत्र में लिंकेज : बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण की भूमिका।
- ✓ उत्तर प्रदेश में औपचारिक ऋण बाजार और
- ✓ ट्रैक्टरों का अर्थशास्त्र।

इन प्रासंगिक लेखों को बड़ी संख्या में शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी एजेसिंयों और बैंकों के बीच परिचालित किया गया।

तकनीकी, अनुप्रवर्तन और मूल्यांकन (टी .एम. ई.) कक्ष :-

नाबार्ड ने अभिनव योजनाएं तैयार करने, फील्ड स्तर के स्टाफ को सूचनाओं की जानकारी देने और प्रभावकारी वसूली अभियान के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर ऋण वितरण में विविधीकरण लाने के लिए सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में टी.एम.ई. कक्षों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण हेतु प्रोत्साहन देना जारी रखा। यद्यपि, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत १३३ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, १४ राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंकों, और ९ राज्य सहकारी बैंको को टी.एम.ई. कक्षों की स्थापना के लिए अनुदान सहायता मंजूर की गई, किन्तु ३१ मार्च २००१ तक केवल ११६ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नौ राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंक और पांच राज्य सहकारी बैंक ही इस सुविधा का उपयोग कर सके। वर्ष

२०००-२००१ के दौरान कुल मिलाकर २२ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उक्त योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहे थे। जिनमें से १४ बैंक सहायता के प्रथम चक्र (पांच वर्ष से कम), ८ बैंक दूसरी चक्र (६ से १० वर्ष के बीच) में थे। वर्ष २०००-२००१ के दौरान टी.एम.ई. कक्षों के लिए २८.२० लाख रूपये की अनुदान सहायता संवितरित की गई और कुल संचयी संवितरण की राशि ६३१.४४ लाख रूपये तक पहुंच गयी।

जनजाति ऋण विशेषज्ञ : (टी.सी.एस.) :-

जनजाति क्षेत्र में कार्यरत सहकारी बैंकों के लिए वर्ष १९९६-१९९७ में जनजाति ऋण विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु पांच वर्षो की अवधि के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने की योजना प्रारम्भ की गई थी। वर्ष २०००-२००१ में भी यह योजना जारी रही। इस योजना में जनजाति समूह द्वारा किये जा सकने वाले कार्य कलापों की पहचान कर ऋण सुविधा प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। प्रारम्भ में सरकारी बैंकों को आठ टी.सी.एस. की मंजूरी दी गई (५ टी.सी.एस., ४ राज्य सहकारी बैंकों में और ३ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में) तथापि ३१ मार्च २००१ तक केवल ७ टी.सी.एस. (४ राज्य सहकारी बैंकों, में एक-एक और ३ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में एक-एक) कार्यरत थे। वर्ष २०००-२००१ में संवितरित कुल अनुदान ६.५२ लाख रूपया का था जबकि मार्च २००१ के अंत तक कुल संचयी अनुदान की राशि १६.१५ लाख रूपये की हो गई।

नाबार्ड पीठ योजना : (एन.सी.एस.) :-

नाबार्ड ने पीठ योजना के अंतर्गत स्थापित पीठ इकाइयों को सहायता देना जारी रखा। वर्ष २०००-२००१ में इन पीठों के लिए ६९.९४ लाख रूपया की अनुदान सहायता संवितरित की गई

और मार्च २००१ की समाप्ति तक संवितरित कुल अनुदान-सहायता की राशि १७२.९२ लाख रूपया तक पहुंच गई। इस समय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में आठ पीठ इकाइयां कार्य कर रही हैं।

प्रशिक्षण कार्यकलाप :-

वर्ष २०००-२००१ के दौरान कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे को वाणिज्य, बैंकों सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों के लिए आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ५५.७२ लाख रूपये की राशि संवितरित की गई। अनुसंधान और विकास निधि का उपयोग भी नार्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेन्ट (एन.ई.आई.बी.एम.) गुवाहाटी के राजस्व व्ययों में नाबार्ड के हिस्से की १३.४३ लाख रूपये की राशि के लिए किया गया। जिसका नाबार्ड सहप्रायोजक है। नाबार्ड १९९६-१९९७ से एन.सी.एम.डी.ए.आर.डी.बी., बेंगलूर, बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (बड) लखनऊ और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मंगलूर और बोलपुर की कुछ प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए अनुसंधान और विकास निधि से व्यय करता आ रहा हैं। वर्ष २०००-०१ के दौरान उक्त संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यकलापों के लिए ४४६.३६ लाख रूपये की राशि अनुसंधान और विकास निधि से व्यय की गई। [14]

नाबार्ड वर्तमान स्थिति (31 मार्च 2001 तक) :-

संगठन :-

1. निदेशक बोर्ड :-

वर्ष २०००-२००१ के दौरान नाबार्ड के निदेशक बोर्ड की चार बैठकें सम्पन्न हुई और बोर्ड के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :-

- ✓ श्री वाई.सी. नन्दा, प्रबंध निदेश को १२ अक्टूबर २००० से नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे ३० जून २००३ तक इस पद पर रहेंगे।

- ✓ श्री एम.वी.एस. चलपति राव, कार्यपालक निदेशक को ९ फरवरी २००१ से नाबार्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे ३१ दिसम्बर २००२ तक इस पद पर रहेंगे।
- ✓ श्री जी.जी. वैध, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक और श्री वी. राम भूपाल चौधरी की अवधि पूरी होने पर वे क्रमशः ३१ अक्टूबर २००० एवं २० फरवरी २००१ को कारोबार की समाप्ति पर नाबार्ड के बोर्ड के निदेशक नहीं रहे।
- ✓ वित्तीय आयुक्त (विकास) एवं सचिव (कृषि), पंजाब सरकार के श्री सी एल बेंस को श्री वाई.एस. रत्रा के स्थान पर २९ मई २००० से निदेशक नियुक्त किया गया।
- ✓ डॉ० पी.के. मिश्रा, प्रधान सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, गुजरात सरकार को श्री पी जी रामरखियानी के स्थान पर १ जून २००० से निदेशक नियुक्त किया गया।
- ✓ ३१ मार्च २००१ को निदेशक बोर्ड में सात अर्थात् धारा ६ (१) ख के अंतर्गत तीन तथा धारा ६ (१) ग और ६ (१) (ड़) के अंतर्गत दो दो रिक्तियां थी।

2. कार्यकारी समिति :-

बोंड द्वारा गठित कार्यकारी समिति की छः बैठके वर्ष २०००-२००१ के दौरान आयोजित हुई। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में श्री जी. जी. वैद्य की अवधि समाप्त होने पर ३१ अक्टूबर २००० को कारोबार की समाप्ति से वे कार्यकारी समिति के सदस्य नही रहे। इसी प्रकार श्री वी. राम भूपाल चौधरी, जिन्हें २० फरवरी १९९६ को कार्यकारी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था, अपनी अवधि पूरी करने के बाद इसके सदस्य नही रहे।

नाबार्ड की पूंजी :-

१ फरवरी २००१ से प्रभावी, नाबार्ड अधिनियम संशोधन के अनुसार नाबार्ड की पूंजी ५०० करोड़ रूपये से बढ़कर ५००० करोड़ रूपये कर दी गयी है। तथापि ३१ मार्च २००१ तक की स्थिति के अनुसार नाबार्ड की प्रदत्त शेयर पूंजी ५०० करोड़ रूपया की ही रही। वर्ष २०००-०१ के दौरान पूंजी के लिए कोई अंशदान प्राप्त नहीं हुआ और पिछले वर्षो में पूंजी के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से अतिरिक्त अंशदान के रूप में प्राप्त कुल १५०० करोड़ रूपया (भारत सरकार से ३०० करोड़ रूपया और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त १२०० करोड़ रूपया) को अग्रिम जमा के रूप में रखा गया है और इसे भारत सरकार की आवश्यक अधिसूचना जारी हाने के बाद पूंजी खाते में अंतरित किया जायेगा।

नाबार्ड की आय और व्यय :-

वर्ष २०००-०१ के दौरान नाबार्ड की कुल आय ३०४५ करोड़ रूपये की थी। इसमें से नाबार्ड अधिनियम १९८१ की धारा ४२ और ४३ के अनुसार ११५० करोड़ रूपया की राशि एन.आर. सी. (एल.टी.ओ.) निधि में और ५० करोड़ रूपये की राशि एन.आर.सी. (स्थिरीकरण) निधि में अंतरित की गई। १८४५ करोड़ रूपया की शेष राशि में से १६९१ करोड़ रूपया के कुल व्यय करने के बाद १६९ करोड़ रूपये की अधिशेष राशि रही जिसमें लाभ हानि खाते में व्यय नामे करने के लिए निधियों से आहरित १५ करोड़ रूपये की राशि भी शामिल थी। इस अधिशेष राशि में से १३.६२ करोड़ रूपया विदेशी मुद्रा जोखिम निधि में, २५ करोड़ रूपया सहकारी विकास निधि में, २० करोड़ रूपया अनुसंधान और विकास निधि में, १०५ करोड़ रूपया प्रारक्षित निधि में और ५ करोड़ रूपया सूक्ष्म वित्त विकास निधि में अंतरित किये गये हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय निरीक्षण :-

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ की धारा ४५ (एन) (1) (II) के अंतर्गत ३१ मार्च २००० की स्थिति के संदर्भ में नाबार्ड का सितम्बर २००० से नवम्बर २००० तक वित्तीय निरीक्षण किया। प्रधान कार्यालय (पर्यवेक्षण विभाग समेत) के अलावा निरीक्षण के अन्तर्गत दस क्षेत्रीय कार्यालयों को भी शामिल किया गया। वित्त और लेखा, ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि, अल्पावधि और दीर्धावधि ऋण परिचालन, पर्यवेक्षण कार्य तथा संस्थागत विकास इसके प्रमुख क्षेत्र थे जिन्हें निरीक्षण के अंतर्गत शामिल किया गया।

नये विभागों का गठन :-

वर्ष २०००-०१ के दौरान, दो नये विभागों, अर्थात् निवेश अनुप्रवर्तन विभाग और संसाधन संग्रहण विभाग का गठन किया गया। कतिपय वर्तमान और नई गतिविधियों पर केन्द्रीभूत ध्यान देने के लिए ऐसा किया गया।

1. निवेश अनुप्रवर्तन विभाग :-

ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के ऋण से कार्यान्वित पुनर्वित्त समर्पित निवेश परियोजनाओं के अनुप्रवर्तन हेतु तंत्र को मजबूत करने के लिए १५ सितम्बर २००० से नाबार्ड के प्रधान कार्यालय में अलग से निवेश अनुप्रवर्तन विभाग का गठन किया गया। ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुप्रवर्तन से सम्बन्धित सभी उत्तरदायित्व निवेश अनुप्रवर्तन विभाग को सौंपे गये हैं जिन्हें पहले राज्य परियोजना विभाग देखा करता था, और साथ ही निवेश ऋण विभाग के जिला उन्मुख अनुप्रवर्तन अध्ययन सम्बन्धी कार्य को भी निवेश अनुप्रवर्तन विभाग को सौंपा गया है।

2. संसाधन संग्रहण विभाग :-

संसाधन संग्रहण के महत्व को पहचानते हुए तथा आयकर अधिनियम १९६१ की धारा ५४ (ई.सी.) के अंतर्गत पूंजी अभिलाभ बाण्ड़ जारी करने की अनुमति दी जाने के कारण, जैसा कि केन्द्रीय बजट २०००-२००१ में घोषित किया गया है, नाबार्ड के प्रधान कर्यालय में एक नया विभाग गठित किया गया। भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, देशी और विदेशी एजेंसियों से उधार और खुले बाजार से निधियों के संग्रहण समेत नाबार्ड द्वारा किए जाने वाले संसाधन संग्रहण के समस्त कार्य का उत्तरदायित्व इस विभाग का है।

मानव संसाधन विकास :-

1. प्रशिक्षण :-

स्विस विकास कोआपरेशन (एस.डी.सी.) के सहयोग से शुरू की गई मानव एवं संस्थागत विकास परियोजना से वर्ष २०००-०१ के दौरान नाबार्ड के अपने अधिकारियों और अन्य स्टाफ को प्रशिक्षण देने में इसके मानव संसाधन विकास प्रयासों को और बल मिला। तकनीकी और पद्धतिबद्ध कौशल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नाबार्ड स्टाफ कालेज में तथा ए.एस.सी.आई., आई.आई.एम., एन.आई.वी. एम., एन.आई.आर.डी., एक्स.एल.आर.आई. आदि जैसे प्रसिद्ध संस्थानों में कुल १७०५ अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। स्टाफ महाविद्यालय ने तकनीकी, कार्यप्रणाली एवं व्यवहारगत विषयों पर ७५ प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जिनमें १४३० अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रयोजन के लिए गठित प्रशिक्षण सलाहकार समिति ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने और प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों की पहचान करने की दिशा में स्टाफ महाविद्यालय का मार्गदर्शन किया। नाबार्ड प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ ने ग्रुप बी और सी के स्टाफ के लिए २५ कार्यक्रम संचालित किए जिनमें ३३५ स्टाफ सदस्यों को शामिल किया

गया। कार्यक्रम में रखवालों, सहायक रखवालों एवं ग्रुप बी में नए भर्ती किए गए ८९ स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया।

2. विदेश में प्रशिक्षण :-

वर्ष २०००-२००१ के दौरान नाबार्ड के (बर्ड में प्रतिनियुक्त अधिकारियों समेत के) ७५ अधिकारियों को विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, परिचयात्मक विजिट एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, आदि में प्रतिनियुक्त किया गया। इनमें से, एक अधिकारी को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया द्वारा यू.एस.ए./नीदर लैण्ड में संचालित एवं ए.पी.ई.डी.ए. द्वारा प्रायोजित पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालाजिकल मैनेजमेंट कार्यक्रम हेतु प्रतिनियुक्त किया गया तथा दो अधिकारियों ने के.एफ.डब्ल्यू. जर्मनी द्वारा प्रायोजित जर्मनी में ग्लोबल डायलॉग एवं एक्स्पो २००० में भाग लिया। २८ अन्य अधिकारियों न ए.डी.आई.एफ. ए.डी. फिलिपीन्स सी.आई.सी.टी.ए.बी., गैलेरी कालेज, इजराइल ए.पी.आर.ए.सी.ए., जर्मनी, एम.आर.सी. पी., आई.एफ.ए.डी., सिंगापुर उगांडा इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, एम.ए.एस.एच.ए.वी. कार्यक्रम, इजराइल और ए.आई.टी./एम.एस.एम., डी.एस.ई. द्वारा विभिन्न, विशिष्ट विषयों पर संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

आन्तरिक निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा :-

नाबार्ड के निरीक्षण विभाग में निरीक्षणों का पहला चक्र पूरा कर लिया गया है जिसमें ८ क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात बेगंलूर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकता, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, पटना तथा तीन प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं। कलकत्ता स्थित आँचलिक लेखा परीक्षा कक्ष ने ५ क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की समवर्ती लेखा परीक्षा कर ली। वर्ष २०००-०१ के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात तिरूवन्तपुरम् और जयपुर के निरीक्षण का दूसरा चक्र प्रारम्भ कर दिया

गया है। निरीक्षण विभाग ने वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालय के २१ विभागों की वित्तीय लेखा परीक्षा भी की, इसके अतिरिक्त, प्रधान कार्यालय में इस विभाग ने प्रशासनिक खर्चों, वेतन पुनर्वित्त और निवेश परिचालनों की समवर्ती लेखा परीक्षा भी पूर्ववत चालू रखी। इसके अतिरिक्त, बैंक द्वारा जारी किए गए पूंजी अभिलाभ बांड की लेखा परीक्षा नियमित आधार पर की जाती रही। निरीक्षण विभाग ने मासिक लेखा परीक्षा विवरणियों के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत समवर्ती लेखा परीक्षा कक्षों की परोक्ष निगरानी का कार्य भी किया। वर्ष २०००-०१ के दौरान मासिक विवरणियों की तिमाही समीक्षा की गई तथा मध्यवर्ती खातें की भी समीक्षा की गई और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की गई समवर्ती लेखा परीक्षा के निष्कर्षों पर आधारित निवेश से विभाग, लेनदेनों को कवर करते हुए, तिमाही रिपोर्टें भी भारतीय रिजर्व बैंक को नियमित रूप से भेजी गई।

सूचना प्रौद्योगिकी :-

नाबार्ड ने अपने परिचालनों को बेहतर बनाने और अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता, क्षमता तथा गति को बढ़ाने के लिए अद्यतन सूचना प्रौद्योगिकी उपस्करों का उपयोग करना जारी रखा। ३१ मार्च २००१ की समाप्ति तक नाबार्ड के पास १४०० निजी कम्प्यूटर थे। कार्यालयों के बीच ई-मेल सुविधाओं के बढ़ते उपयोग से सम्प्रेषण प्रणाली की गति और गुणवत्ता में सुधार हुआ है। बांद्रा कुर्ला संकुल में स्थित नाबार्ड के नए कारपोरेट भवन के पूरा बन जाने के कारण इसमें उच्च सूचना प्रणाली पद्धति को और भी अधिक अपनाया जाना सम्भव हो गया है। इस भवन में १८०० नोड्स और १२०० ध्वनि बिन्दुओं के संचालन के लिए स्ट्रक्चर्ड केबलिंग की व्यवस्था की गई है। सभी प्रमुख विभागों को एल ए एन के तहत कवर किया है जिसे २००१-०२ के दौरान शुरू किया जाना प्रस्तावित है। साफ्टवेयर के क्षेत्र में आंतरिक कार्य के लिए इंटरनेट व्यवस्था विकसित करने का प्रयास जारी है साथ ही ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के अनुप्रवर्तन और क्रियान्वयन,

अल्पावधि ऋण सीमाओं की संस्वीकृति जैसे नए कार्यक्षेत्रों के कार्यो को कम्प्यूटरीकृत करने का विचार है तथा पहले से ही कम्प्यूटरीकृत योजनाबद्ध ऋण वितरण कार्य के क्षेत्रों को और भी बढ़ानें का प्रयास जारी रहेगा।

नाबार्ड की वेव साइट :-

वर्ष १९९९ में, नाबार्ड ने अपनी इंटरनेट साइट (डब्लयू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.नाबार्ड.ओआरजी) स्थापित की थी। नाबार्ड द्वारा प्रोन्नत की गई मांडल योजनाओं की अतिरिक्त जानकारी देकर वर्ष के दौरान इस वेवसाइट को अद्यतन किया गया। अब तक, ३४ मांडल योजनाएं और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित अनुसंधान पेपर इस वेवसाइट पर उपलब्ध कराए गए है।

१६ जुलाई २००२ को नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय हजरत गंज, लखनऊ में एक वरिष्ठ उच्चाधिकारी से नाबार्ड के विषय में व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा मैंने कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जिनका उल्लेख निम्नवत है। [15]

प्रश्न : नाबार्ड की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या है ?

उत्तर : नाबार्ड की स्थापना कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, बैंको तथा राज्य सरकारों को पुनवित्त प्रदान करने एवं बैंको के पर्यवेक्षण हेतु की गई है।

प्रश्न : नाबार्ड की पुनर्वित्त प्रदान करने की व्यवस्था को स्पष्ट करें ?

उत्तर : नाबार्ड के द्वारा व्यापारिक बैंकों को, सहकारी संस्थाओं को, राज्य सरकारों को, ग्रामीण बैंको को एवं ग्रामीण विकास में संलग्न अन्य वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है।

प्रश्न : गत वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को कितना पुनर्वित्त प्रदान किया गया ?

उत्तर : नाबार्ड के द्वारा वर्ष २०००-२००१ के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को १०३८.३७ करोड़ रूपये का दीर्घकालीन पुनर्वित्त एवं ४९०.५५ करोड़ रूपये का अल्पकालीन पुनर्वित्त प्रदान किया गया।

प्रश्न : आर. आई. डी. एफ. योजना क्या है ?

उत्तर : व्यापारिक बैंकों को निश्चित योजनाओं के अंतर्गत कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु पूर्व निर्धारित धनराशि का वितरण करना होता है यदि व्यापारिक बैंकों के द्वारा निर्धारित सीमा से कम राशि का वितरण किया जाता है तो शेष बची हुई धनराशि को नाबार्ड के द्वारा आर. आई. डी. एफ. योजना के अंतर्गत जमा कर लिया जाता है। और नाबार्ड के द्वारा इस इस निधि का प्रयोग ग्रामीण विकास हेतु किया जाता है।

प्रश्न : आर. आई. डी. एफ. योजना के अंतर्गत गत वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार को कितना ऋण प्रदान किया गया ?

उत्तर : वर्ष २०००-२००१ के दौरान नाबार्ड के द्वारा आर आई डी एफ योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को ३३८.५८ करोड़ रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया।

प्रश्न : बदलती अर्थव्यवस्था के साथ क्या नाबार्ड की कार्यप्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है?

उत्तर : बदलती अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक आवश्यकता है समन्वित कृषि और ग्रामीण विकास की, जिसके लिए नाबार्ड के द्वारा समुचित कार्य किये जा रहे है।

प्रश्न : क्या आज के बदलते परिवेश में यह आवश्यक नहीं है कि नाबार्ड जनता के सीधे सम्पर्क में कार्य करें?

उत्तर : नाबार्ड का प्रमुख कार्य व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं राज्य सरकारों को पुनर्वित्त प्रदान करना है, जिसके लिए जनता से प्रत्यक्ष सम्पर्क की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आज के बदलते परिवेश को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड जनता से सीधे प्रत्यक्ष सम्पर्क का प्रयास करता है, जिसके लिए नाबार्ड के द्वारा कार्यक्रमों एवं सेमिनारों का आयोजन, उस क्षेत्र के ग्रामीण बैंक के द्वारा करवाया जाता है, जिसमें क्षेत्र के सभी ग्रामीणों को एकत्र कर नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं, बैंकों के द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋण आदि सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है तथा इन कार्यक्रमों का समस्त खर्च नाबार्ड के द्वारा वहन किया जाता है।

प्रश्न : नाबार्ड की भविष्य की क्या योजनाएं है?

उत्तर : नाबार्ड के द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास हेतु हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। इसके द्वारा किसानों के लाभ हेतु अनेक लाभकारी योजनाएं प्रारम्भ की जा रही है, जैसे अभी हाल ही में किसान क्रेडिट कार्य योजना चालू की गई जिसके अंतर्गत वर्ष २०००-२००१ के दौरान सहकारी बैंकों ने ५१.११ लाख और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ५.७७ लाख कार्ड जारी किये। सभी पात्र किसानों को अगले तीन वर्षो के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने की सम्भावना है।

सूचना स्त्रोत

1. *वार्षिक रिपोर्ट (नाबार्ड) वर्ष २०००-०१, पृष्ठ संख्या - ९ - १०*
2. *वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड - वर्ष १९९०-९१, ९५-९६, १९९९-२०००, २०००-०१*
3. *वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड वर्ष २०००-०१*
4. *वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड वर्ष २०००-०१, सांख्यिकीय विवरण पृष्ठ १५*
5. *वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड वर्ष २०००-०१*
6. ***www.bank report.rbi.org.in***
7. *वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड वर्ष (१९९०-९१, ९६-९७, ९९-२०००, २०००-०१)*

   www.bank report.rbi.org.in
8. *वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड वर्ष (१९९०-९१, ९५-९६, १९९९-२०००, २०००-०१)*

   www.bank report.rbi.org.in
9. *वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड वर्ष (१९९५-९६, ९९-२०००, २०००-०१)*

   www.bank report.rbi.org.in, www.bulletin.rbi.org.in
10. *वार्षिक रिपोर्ट : नाबार्ड वर्ष २०००-०१*
11. *वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड - वर्ष २०००-२००१,* ***www.nabard.org.***
12. *नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय (लखनऊ) एवं बर्ड से व्यक्तिगत सूचना के आधार पर।*
13. *वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड वर्ष : २०००-२००१,* ***www.nabard.org.in***
14. *वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड - वर्ष २०००-०१,* ***www.nabard.org***
15. *व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा*

******

अध्याय–6

भारत में समन्वित कृषि एवं ग्रामीण विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर की संस्था के रूप में नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड ने अपने स्थापना काल जुलाई १९८२ से लेकर आज तक ग्रामीण विकास में अवर्णनीय योगदान प्रदान किया है। नाबार्ड के स्थापना काल तक सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु अनेक प्रयास किये गये थे और लगभग सभी प्रयास ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न समितियों एवं कमीशनों की सिफारिश पर सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर की पृथक संस्था के रूप में नाबार्ड की स्थापना का निर्णय लिया। नाबार्ड की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था ग्रामीण वित्त की मांग को पूरा करना एवं समन्वित ग्रामीण विकास करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नाबार्ड को कुछ महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपे गये। नाबार्ड यदि इन दायित्वों का निर्वहन करने में असफल हो जाता है तो यह माना जायेगा कि सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास हेतु किये गये अन्य प्रयासों की भांति यह प्रयास भी असफल रहा।

ग्रामीण विकास के लक्ष्य प्राप्ति हेतु नाबार्ड को कुछ महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपें गये थे :-

- ❖ ग्रामीण वित्त की मांग का अनुमान लगाना एवं पूर्ति हेतु समुचित प्रबन्ध करना।
- ❖ साहूकारों एवं देशी बैंकरों पर नियंत्रण प्राप्त करके ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करना।

- ग्रामीण बैंकिंग में लगी संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित करना एवं उनकी कार्यप्रणाली में समन्वय स्थापित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सिचाई के स्थायी साधनों की व्यवस्था करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की समुचित व्यवस्था करना।
- कृषि यंत्रीकरण एवं मशीनीकरण को प्रोत्साहन देना।
- ग्रामीणों को बैंकिंग व्यवस्था की ओर आकर्षित करके उन्हें बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना।
- कृषि भण्डारीकरण की समुचित व्यवस्था करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लघु, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना करना।
- व्यावसायिक बैंकों को ग्रामीण वित्त की ओर प्रोत्साहित करना।

जुलाई २००२ में नाबार्ड की स्थापना के २० वर्ष पूर्ण हुए है अर्थात पिछले २० वर्षों से नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास में योगदान कर रहा है। अब हमें यह अध्ययन करना है कि क्या ग्रामीण विकास में नाबार्ड का योगदान पर्याप्त रहा और क्या नाबार्ड सौंपे गये उत्तरदायित्वों का निर्वहन सफलता पूर्वक कर सका है?

नाबार्ड द्वारा ग्रामीण वित्त की पूर्ति :-

नाबार्ड को ग्रामीण साख की पूर्ति का कार्य सौंपा गया। जिसके लिए नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, सहकारी बैंक, सहकारी समिति एवं व्यापारिक बैंक को पुनर्वित्त प्रदान करता है। इन वित्तीय संस्थाओं की साख की पूर्ति नाबार्ड के द्वारा की जाती है। सर्वप्रथम नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण साख की मांग का पूर्वानुमान किया जाता है जिसकें लिये नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाता है, गाँवों का सर्वेक्षण करके सूचनाएं एकत्रित की जाती

है व उनका विश्लेषण करके ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है। नाबार्ड के द्वारा कृषि मशीनीकरण, कृषि यंत्रिकरण, सिचाई के स्थायी साधनों हेतु, ट्रैक्टर एवं बड़े-बड़े यंत्र क्रय करने हेतु पक्के कुएं बनवाने हेतु, पम्प सेट लगाने हेतु, उन्नतशील खाद एवं बीज क्रय करने हेतु, कृषि वैज्ञानिकीकरण हेतु, फसल भण्डारण हेतु आदि कृषि के बड़े-बड़े कार्यो हेतु नाबार्ड के द्वारा बड़ी धनराशि के पुनर्वित्त स्वीकृत किये जाते हैं। किन्तु कृषि कार्य के लिए उपरोक्त आवश्यकताओं के अतिरिक्त अन्य छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए भी वित्त की आवश्यकता होती है जो कि किसान को किसी वित्तीय संस्थान द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। अब यदि हम एक नजर कृषि की ओर डालें तो पायेंगे कि कृषि में पहले दिन से ही थोड़े-थोड़े धन की आवश्यकता पड़ती है। सर्वप्रथम किसान खेत की जुताई, निराई, गुड़ाई, करता है, फिर उसमें पाँस डाली जाती है। जिससे खेत बुवाई योग्य तैयार होता है, फिर उसमें उन्नत शील बीजों की आवश्यकता पड़ती है। बीज बोने के पश्चात् किसान खेत में उर्वरक, यूरिया तथा खाद आदि डालता है फिर फसल को पहली सिचाई की आवश्यकता होती है जिसके लिए किसान प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर रहता है या फिर साहूकर के ट्यूबवेल से धन देकर सिंचाई प्राप्त कर सकता है। सामान्यतया फसलों को तीन बार सिंचाई की आवश्यकता होती है यदि प्राकृतिक बारिश समय पर नहीं होती है तो किसान की फसल सूखती है या फिर साहूकार को मनमाना पैसा देकर उसके ट्यूबवेल से सिंचाई करवा सकता है। फसल तैयार होनें की अवस्था में विभिन्न प्रकार की कीटनाशक दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है यदि ये समय पर न मिले तो फसल खराब होती है। किसी प्रकार फसल के तैयार हो जाने पर तैयार फसल के भण्डारण की समस्या आती है क्योंकि किसान के पास तो न ही पक्के मकान होते हैं और न ही सरकारी भण्डार गृह की समुचित व्यवस्था जिसमें तैयार फसल को सुरक्षित रूप में रखा जा सके और इस समय तक किसान के पास इतना धन भी नहीं होता है कि वह यातायात के साधन की व्यवस्था करके अपनी तैयार फसल को शहरी मण्डियों में ले जाकर बेंच सके और अन्त में मजबूर होकर किसान को साहूकारों की ही शरण लेनी पड़ती है और उन्हीं के जाल में किसानों को स्वयं जाकर फँसना पड़ता है। नाबार्ड का यह

दावा है कि प्रत्येक गांव जिनकी आबादी पांच हजार या उससे अधिक है। उसमें बैंक की स्थापना की गई है व प्रत्येक गांव में सहकारी समिति खोली गई हैं जो कि किसानों की ग्रामीण साख की मांग को पूरा करते हैं। यह तो मात्र खोखला दावा हुआ यदि हम वास्तविकता में जायें तो पायेंगे कि बैंकों के द्वारा किसानों की आवश्यकता के समय कभी भी साख की व्यवस्था नहीं की गई है। मान लीजिए कि किसान को अपने खेत में दो बोरी खाद देनी है तो क्या बैंक सरतापूर्वक तत्काल ऋण प्रदान कर देंगे? मान लीजिए किसान एक बार सिचाई कर चुका है और दूसरी बार सिचाई की आवश्यकता है तो क्या सिंचाई हेतु तत्काल ऋण प्रदान कर देंगे? मान लीजिए किसान को कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना है जिसके लिए तत्काल ऋण की आवश्यकता है अन्यथा फसल कीड़े खा जायेंगे तो क्या बैंक तत्काल ऋण प्रदान कर देंगे? मान लीजिए किसान अपनी तैयार फसल को शहर ले जाना चाहता है और उसके पास धन नहीं है ज्यादा दिन वह फसल को रोक नहीं सकता क्योंकि भण्डारीकरण की समुचित व्यवस्था नहीं है तो क्या बैंक किसान को तत्काल ऋण प्रदान कर सकता है? इन सबका उत्तर है नहीं अर्थात् किसान की इन छोटी-छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, बैंकों द्वारा ग्रामीण वित्त की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। इसके दो कारण है एक तो बैंकों में ऐसी आवश्यकताओं हेतु साख प्रदान करनें का प्रावधान ही नहीं है और यदि बैंकों द्वारा किसी प्रकार साख पूर्ति का प्रयास किया भी जाए तो वह भी समय रहते पूरा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार किसान आज भी बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही ग्रामीण वित्त की सुविधा से पूर्णतः महरूम है। किसान आज भी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु साहूकारों के पास जानें के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार अनेकों नियंत्रण के बावजूद साहूकारों एवं देशी बैंकरों का अस्तित्व जीवित रहता है और हमारी बैंकिंग व्यवस्था पूर्णतया विफल हो जाती है। नाबार्ड का ग्रामीण वित्त की पूर्ति का लक्ष्य भी लगभग अधूरा ही रह जाता है क्योंकि नाबार्ड द्वारा प्रदान की जानें वाली पुनर्वित्त सहायता तो किसानों तक समय से पहुंच ही नहीं पाती है और नाबार्ड का ग्रामीण वित्त की पूर्ति एवं समन्वित कृषि एवं ग्रामीण विकास का दावा पूर्णतः असफल हो जाता है।

नाबार्ड द्वारा साहूकारों एवं देशी बैंकरों पर नियंत्रण प्राप्त करके ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करना :-

नाबार्ड के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम १९४९ की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में फैले साहूकारों व देशी बैंकरों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या संस्थान बिना लाइसेंस प्राप्त किये हुए मुद्रा का व्यवसाय नहीं कर सकता है। यह लाइसेंस व अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। नियमतः कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के बैंकिंग व्यवसाय प्रारम्भ नहीं कर सकता है। पर क्या वास्तव में ऐसा हो पाता है। आज यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण करें तो पायेंगें कि प्रत्येक गांव में साहूकार व देशी बैंकर मौजूद हैं व ग्रामीण वित्त की मांग का एक बड़ा भाग उन्हीं के द्वारा पूर्ण किया जा रहा है। और शायद १ प्रतिशत साहूकारों के पास ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंस होगा। अर्थात लगभग सभी साहूकार व देशी बैंकर बिना किसी रोकथाम व नियंत्रण के अवैध रूप से ग्रामीण वित्त में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। साहूकारों के अनियंत्रित होनें का सबसे महत्वपूर्ण कारण, हमारी अव्यवस्थित व लचर बैंकिंग व्यवस्था है जिसके चलते साहूकारों की स्थिति दिन प्रतिदिन सुदृढ़ होती जा रही है। बैंकों की कागजी कार्यवाही इतनी लम्बी होती है कि निरक्षर किसान न तो उसको पूरा करनें में ही सक्षम होता है और न ही उसके पास इतना समय होता है कि बैंकिंग प्रक्रिया में लगने वाले समय तक वह इन्तजार कर सकें। बैंकिंग प्रक्रिया में दो कारणों से अधिक समय लग जाता है। एक तो बैंक अधिकारी अपनें धन को पूर्णतया सुरक्षित तरीके से ऋण के रूप में देना चाहते हैं ताकि बैंक का पैसा डूबने न पाये, जिससे अनुत्पादक ऋणों में अनावश्यक वृद्धि न होनें पाये साथ ही यदि बिना आवश्यकता व उचित जांच पड़ताल के ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तो इससे मुद्रास्फीति का भय भी बना रहता है, क्योंकि धन का यदि सही जगह प्रयोग न करके उसका दुर्पयोग किया गया तो उनमें व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है व मुद्रा स्फीति की अवस्था उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही दूसरा प्रमुख कारण है बैंकिंग व्यवस्था में व्याप्त खमियां। हमारी बैंकिंग व्यवस्था में भी अनेक कमियां हैं जैसे-

कागजी कार्यवाही को अत्यधिक लम्बा कर देना, अनावश्यक प्रपत्रों जैसे-पते का प्रमाणपत्र, प्रधान का प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र आदि की मांग करना, अशिक्षित किसानों की उचित मदद न करना, उन्हें उचित जानकारी न देना, घूस लेकर अनावश्यक व्यक्तियों को ऋण प्रदान करना, गांव के दबंगों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अत्याधिक सुविधाएं अपने निजी स्वार्थ वश प्रदान करना, अधिकारियों का समय से बैंक में न मिलना, ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों का असमय खुलना व मनमाना बन्द होना, प्रत्येक गांव में बैंक का न होना, व्यावसायिक बैंकों द्वारा ग्रामीण वित्त में समुचित योगदान न देना, व बैंकों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण किसानों को कभी भी समय से वित्तीय सहायता बैंकों से प्राप्त नहीं हो पाती है। हम अपनी बैंक कुव्यवस्था का एक प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हाल ही में देख सकते हैं। वर्ष २००२ में समय से वर्षा न होनें के कारण लगभग समस्त उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया और सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की सहायताओं की घोषणा की गयी। सरकार ने सूखा राहत के नाम पर खरीफ की फसलों के लिए बीजों पर अनुदान दिया है। यह अनुदान तब दिया गया जब खरीफ की बुवाई का समय लगभग समाप्त हो चुका है। सरकार ने उत्तर प्रदेश को सूखा राहत में बीज अनुदान के रूप में तीन करोड़ रूपये दिये हैं और ये रूपये किसानों के पास तक तब पहुचेंगें जब फसल बुवाई का समय पूर्णतया समाप्त हो चुका होगा। इस प्रकार सरकार में, बैंकिंग व्यवस्था में व्याप्त खमियों एवं अत्यधिक दुर्व्यवस्था के कारण किसान को कभी भी समय से वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त हो पाती है। इसके विपरीत साहूकारों व देशी बैंकरों की कार्यप्रणाली बिल्कुल भिन्न है, वे किसानों को उनकी आवश्यकता के समय बिना किसी जमानत, जांच पड़ताल या कागजी कार्यवाही के तुरन्त उनको ऋण प्रदान कर देते हैं और फसल बिकनें पर अपना ऋण वापस प्राप्त कर लेते हैं। साहूकार अपनी सुरक्षा की दृष्टि से मात्र देखता है कि ऋण लेनें वाले व्यक्ति का अपना घर, मकान, खेत, या सम्पत्ति गांव में है या नहीं और उसी के आधार पर साहूकार किसान को ऋण प्रदान कर देते हैं। साहूकार ऋण देते समय किसानों से सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं या अगूँठा लगवा लेते हैं जिससे ऋण वापसी के समय साहूकार यदि चाहे तो मनमाने ब्याज दर से ऋण वसूल सकता है। भले ही

साहूकार बैंकों से अत्यधिक ज्यादा ब्याज दर पर ऋण देते हैं किन्तु उनका ऋण इतने सरल ढ़ग से प्राप्त होता है कि किसान बैंक जाने बजाय सहूकार से ऋण लेना ज्यादा सरल समझते हैं। एक तो किसान गैर पढ़ा लिखा होता है। दूसरा बैंकों के द्वारा अपनी सुविधाएं आदि किसानों को नहीं बताई जाती है। जिससे किसान बैंकों के सम्पर्क में आ ही नहीं पाते हैं और सरकार व नाबार्ड के द्वारा नियंत्रण का लाख दावा करनें के बावजूद साहूकारों व देशी बैंकरों का अस्तित्व लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिसका पूरा कारण हमारी अव्यवस्थित एवं कमजोर बैंकिंग व्यवस्था है।

नाबार्ड का यह प्रयास रहता है कि ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर सकें व इनकी कार्य प्रणाली में व्यापक सुधार कर सकें। जिसके लिए नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण वित्त की पूर्ति में लगी बैंकिंग संस्थाओं का पर्यवेक्षण किया जाता है व उनका स्वैच्छिक निरीक्षण भी वर्ष में नाबार्ड के द्वारा किया जाता है ताकि बैंकों की लाभदायकता एवं विश्वसनीयता बनी रहे। इन सब प्रयासों के बावजूद सहकारी बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में धोखाधड़ी, जालसाजी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में नाबार्ड द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों मे धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन आदि के मामलों की समीक्षा से यह पता चला कि ४६५ बैंकों की २,६९३ शाखाओं में ऐसी धोखाधड़ी के मामले पाये गये। इसको ध्यान में रखते हुए, आंतरिक जांच और नियंत्रण प्रणाली, समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली शाखा समायोजन खातों और बहियों के त्वरित मिलान आदि को सुदृढ़ करने के उपाय शुरू करने के बारे में विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास में लगे ज्यादातर बैंक घाटे में चल रहे हैं और इनकी कार्य प्रणाली से भारतीय रिजर्व बैंक भी पूरी तरह से असंतुष्ट है। नाबार्ड ने वर्ष २०००-०१ के दौरान सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निवेश पोर्टफोलियों की समीक्षा की। कुछ निवेश कम्पनियों द्वारा अपनी देयताओं का पुर्न भुगतान करनें में असफल होने के तथ्य से जानने के बाद नाबार्ड ने बैंकों के निवेश पोर्टफोलियों की ओर अधिक सतर्कता से जांच करने के आदेश दिये हैं। गोंडा के जिला सहकारी बैंकों के लगातार घाटे में चलने व अनेकों प्रयासों के बावजूद इनकी कार्य प्रणाली में कोई

सुधान न होने से भारतीय रिजर्व बैंक अत्यधिक ऊहापोह की स्थिति में हैं। जिला सहकारी बैंक का लाइसेंस नवीनीकरण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के पास २६ मई १९९६ से लम्बित है। भरतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड को अनेकों नोटिस आदि जारी करके इनकी कार्य प्रणाली में सुधार के प्रयास किये गये किन्तु कोई सफलता हाथ न लगी और अन्त में जुलाई २००२ में भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको वाइंडअप करने का फैसला लिया है। यह स्थिति उ०प्र० के क्षेत्र के जिला सहकारी बैंक का सर्वेक्षण करनें पर लगभग सभी जगह यही स्थिति स्पष्ट होती है। इससे यही स्पष्ट होता है कि नाबार्ड द्वारा ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करनें का प्रयास भी पूर्णतया सफल नहीं हो सका है और इसमें अभी काफी सुधार की आवश्यकता है।

ग्रामीण बैंकिंग में लगी संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित कर उनमें समन्वय स्थापित करना :-

ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु एवं समन्वित ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय संस्थाओं पर उचित नियंत्रण एवं उनके मध्य उत्तम तालमेल स्थापित करनें का दायित्व भी नाबार्ड को सौंपा गया। नाबार्ड द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से विभिन्न वित्तीय संस्थाओं पर नियंत्रण रखा जाता है। नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, देशी बैंकर आदि वित्तीय संस्थानों का प्रत्येक वर्ष निरीक्षण किया जाता है, उनकी खाताबहियों आदि का निरीक्षण करके रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित की जाती है। नाबार्ड के द्वारा इन वित्तीय संस्थानों की लाभदायकता क्षमता का भी अध्ययन किया जाता है, जिसकी सहायता से नाबार्ड यह निर्धारित करता है कि किस बैंक को अभी और ऋण दिया जा सकता है। यदि कोई बैंक लगातार घाटे में चल रहे है व उनकी कार्य प्रणाली संतोषजनक नहीं है। तो नाबार्ड के द्वारा ऐसे बैंकों को चिन्हित कर दिया जाता है और उन्हें एक निश्चित समय के अन्दर अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करनें का समय दिया जाता है और यदि निश्चित समय के अन्दर अपनी

कार्यप्रणाली में सुधार न किया गया तो उसकों बन्द करनें की संस्तुति नाबार्ड के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को की जाती है। इस प्रकार नाबार्ड के द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थानों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। किन्तु इतने प्रयासों एवं नियंत्रण के पश्चात भी ग्रामीण विकास में लगी वित्तीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली में कोई सुधार सम्भव नहीं हो पाया है। आज ग्रामीण विकास में लगी ज्यादातर वित्तीय संस्थाए घाटे में चल रही हैं व उनका संचयी घाटा इतना ज्यादा है कि जिसकी पूर्ति आने वाले दस वर्षो में भी नहीं की जा सकती है। वर्तमान समय में देश में १९६ ग्रामीण बैंकों की ४.२७६ शाखाएं क्रियाशील हैं जिमें से १२२ ग्रामीण बैंक पिछले कई वर्षो से लगातार घाटे में चल रहे हैं। ३१ मार्च २००१ तक ८५ ग्रामीण बैंकों ने अपने संचयी घाटे को घटाने का सफल प्रयास किया था। इस प्रकार नाबार्ड का इन संस्थानों पर कुशल नियंत्रण का दावा खोखला प्रतीत होता है क्योंकि ग्रामीण विकास में लगी अधिकांश इकाइयां लम्बे समय से घाटे में कार्य कर रही है और भारतीय रिजर्व बैंक भी इनके कार्यो से सन्तुष्ट नहीं है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें अभी गोण्डा जिले में ही देखने को मिल सकता है। जहाँ जिला सहकारी बैंकों की अत्यधिक असंतोषजनक कार्यप्रणाली को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में उनकों बन्द करने का निर्णय ले लिया है।

नाबार्ड को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के मध्य उचित समन्वय एवं तालमेल स्थापित करने का दायित्व भी सौंपा गया है। नाबार्ड के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि सभी वित्तीय संस्थाएं इस प्रकार कार्य करें कि वे एक दूसरे को बाधा न उत्पन्न करें व उनमें वर्चस्व की लड़ाई न उत्पन्न होने पाये कयोंकि यदि ऐसा हुआ तो समन्वित ग्रामीण विकास का लक्ष्य अधूरा ही रह जायेगा। किन्तु नाबार्ड का यह दायित्व भी अपूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है क्योंकि पिछले कुछ वर्षो से ग्रामीण बैंक के द्वारा नाबार्ड के अधिकारों के विकेन्द्रीकरण की मांग की जा रही। ग्रामीण बैंक स्वयं राष्ट्रीय स्तर की संस्था बनाना चाहता है। ग्रामीण बैंक का कहना है कि देश मे लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी शाखाएं हैं और ग्रामीण वित्त की मांग का एक बहुत बड़ा भाग हमारे द्वारा पूरा किया जाता है एवं हमारे वित्तीय संसाधन भी मजबूत है जिससे

हमें नाबार्ड के समान ही अधिकार प्रदान करते हुए, हमें भी राष्ट्रीय स्तर की पृथक संस्था घोषित किया जाए। वर्ष २००२ के दौरान तो ग्रामीण बैंक का आंदोलन काफी तीव्र रूप धारण कर चुका है और इनके द्वारा राष्ट्रीय स्तर की संस्था की मान्यता हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। अब हमें देखना यह है कि क्या नाबार्ड के अतिरिक्त भी किसी अन्य बैंक को राष्ट्रीय स्तर की पृथक संस्था का दर्जा मिल पाता है। किन्तु ग्रामीण बैंक के इस आंदोलन से नाबार्ड के द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करनें में असफलता तो स्पष्ट प्रदर्शित होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सिचाई के स्थाई साधनों की व्यवस्था करना :-

उन्नतशील खेती के लिए यह आवश्यक होता है कि हमारे पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों, क्योंकि सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने से कृषि लाभकर व्यवसाय नहीं हो सकती है। समन्वित कृषि और ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से नाबार्ड को सिंचाई के साधनों की समुचित व्यवस्था करनें का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इसके लिए नाबार्ड, ग्रामीण विकास में लगी वित्तीय संस्थाओं को पर्याप्त पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करता है। नाबार्ड के द्वारा सिंचाई के बड़े साधनों जैसे - छोटी या बड़ी नहर, ट्यूबवेल आदि साधनों के लिए दीर्घकालीन ऋण व छोटे साधनों जैसे - पक्का कुंआ, पम्पसेट, रहट आदि साधनों के लिए मध्यमकालीन ऋण की व्यवस्था की जाती है। नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, किन्तु फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों का अत्यधिक अभाव है। आज भी किसान पूर्णतया प्राकृतिक बारिश पर ही आश्रित है। यदि समय से बारिश न हो तो हमारे क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है। खास कर उत्तर प्रदेश में सिंचाई के स्थायी साधनों का पूर्णतया अभाव है न तो यहां पर बड़ी-बड़ी नहरें हैं, न ही बड़े-बड़े बांध हैं और न ही गांवों में सरकारी ट्यूबवेल ही लगाए गये हैं, जिससे किसान पूर्णतया प्राकृतिक साधन पर ही आश्रित रहता है या फिर उसे मजबूर होकर जमींदारों व साहूकारों के निजी ट्यूबवेलों से पानी लेना पड़ता है

जिसकी किसान को अत्यधिक कीमत चुकानी पड़ती है। हम प्रत्येक वर्ष देख सकते हैं कि यदि बारिश समय से न हो तो हमारे प्रदेश में सूखा पड़ जाताहै अभी हाल ही में (जुलाई २००२) कई राज्यों के साथ में उत्तर प्रदेश को भी सूखा ग्रस्त घोषित किया गया है जिसका एक मात्र कारण है कि आज भी हमारे पास अपने सिंचाई के स्थाई साधन नहीं है जिससे हम पूर्णतया प्राकृतिक बारिश पर ही आश्रित रहते हैं। यदि बारिश समय से नहीं होती तो चारो तरफ गरीबी, भुखमरी, चोरबाजारी, मंहगाई बढ़ जाती है जिसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है किन्तु इसको दूर करने के सार्थक उपाय आज तक नहीं किये गए हैं। नाबार्ड के द्वारा कहा जाता है कि वह सिंचाई के साधनों हेतु पर्याप्त पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कर रहा है किन्तु फिर भी सिंचाई के साधनों का बड़ी मात्रा में अभाव है। जिससे हमें स्पष्ट होता है कि नाबार्ड की कार्य प्रणाली में दोष व्याप्त है, या तो सिंचाई हेतु पुनर्वित्त का प्रयोग निर्धारित ढंग से नहीं किया जा रहा है। कारण चाहे जो भी हो भारतीय किसान आज भी सिंचाई हेतु प्राकृतिक साधन पर ही पूर्णतया निर्भर है।

ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की समुचित व्यवस्था करना :-

समुचित एवं समन्वित ग्रामीण विकास हेतु विद्युतीकरण एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। विद्युत के अभाव में ग्रामीण विकास का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता है और गांव पिछड़े ही बनें रहतें हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण हो जाने से गांवों में छोटे उद्योग स्थापित हो सकते हैं, छोटी फैक्ट्रियां लगाई जा सकती हैं, ट्यूबवेल विद्युत से चला कर सिंचाई की लागत कम की जा सकती है, कृषि यंत्रों को विद्युत से सस्ती दर पर चलाया जा सकता है, चक्कियां, स्पेलर आदि लगाए जा सकते हैं अर्थात ग्रामीण विद्युतीकरण से रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती हैं, कृषि लागत को कम करके एक लाभकर व्यवसाय बनाया जा सकता है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है, टेलीवीजन आदि की सहायता से कृषि नवीनीकरण, यंत्रीकरण, एवं नवीन तकनीकों की जानकारी किसानों को प्रदान की जा सकती है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि विद्युतीकरण के अभाव में ग्रामीण विकास का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता

है। चूंकि नाबार्ड का लक्ष्य समन्वित कृषि एवं ग्रामीण विकास है इसलिए ग्रामीण विद्युतीकरण भी नाबार्ड के दायित्व में शामिल हो जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए नाबार्ड के द्वारा राज्य सरकारों, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन आदि विद्युत इकाइयों को ऋण प्रदान किया जाता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की समुचित व्यवस्था हो सके। किन्तु आज भी स्थिति लक्ष्य से कोसों दूर है, विद्युतीकरण के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों मे दो चार खम्भे गाड़ दिये जाते हैं कहीं बिजली के तार हैं तो कहीं हैं ही नहीं साथ में गांवों में बिजली नाम मात्र के लिए ही दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में चौबीस घण्टे में मुश्किल से दो या तीन घण्टे ही बिजली आपूर्ति की जा रही है जिससे किसी भी प्रकार का विकासात्मक कार्य सम्भव नहीं हो पा रहा है। कुल मिला कर नाबार्ड का ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य भी अधूरा ही रह गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण के नाम पर खम्भे आदि गाड़ कर मात्र खानापूर्ति कर दी गई है। विद्युतीकरण के अभाव में ग्रामीण विकास का लक्ष्य असम्भव सा प्रतीत होता है।

कृषि यंत्रीकरण एवं मशीनीकरण को प्रोत्साहन :-

नाबार्ड समन्वित ग्रामीण विकास हेतु कृषि यंत्रीकरण एवं मशीनीकरण को प्रोत्साहन देने का कार्य भी करता है। इसके लिएनाबार्ड वित्तीय संस्थाओं को अलग से पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करता है। और ग्रामीण विकास में लगी वित्तीय संस्थाओं के द्वारा किसानों को कृषि यंत्रीकरण एवं मशीनीकरण हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि यंत्रीकरण का लक्ष्य आज भी अधूरा ही है। कृषि व्यवसाय आज भी एक अलाभकर व्यवसाय ही बना हुआ है जिसके चलते किसान कृषि से अतिरेक अर्जित नहीं कर पाते है और जीवन यापन व कृषि आवश्यकताओं के लिए भी उन्हें ऋण लेने की जरूरत पड़ जाती है। कृषि वित्तीयन की व्यवस्था आज भी अपूर्ण ही है। हमारी बैंकिंग व्यवस्था आज भी इतनी व्यवस्थित नहीं हो पायी है। कि किसानों की ग्रामीण वित्त की मांग की पूर्णतया पूर्ति कर सके। वित्त का अभाव किसानों की असफलता का सबसे प्रमुख कारण है, जिसके कारण किसान अपने कृषि यंत्रीकरण एवं मशीनीकरण के

लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता है। कृषि के उपकरण भी काफी कीमत के आते हैं जिनको क्रय करने के लिए किसान के पास अपने पैसे कभी भी एकत्र नहीं हो पाते हैं और किसान अपनी अन्य आवश्यकताओं के कारण पहले ही इतने बोझ में दबा रहता है कि वह कृषि उपकरणों हेतु और ऋण लेने का साहस नहीं जुटा पाता है। अतः वित्तीय साधनों के अभाव की वजह से कृषि यंत्रीकरण एवं मशीनीकरण का लक्ष्य आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। जमींदार या पैसे वाले काश्तकार तो नवीन उपकरणों एवं यंत्रों का प्रयोग कर लेता है किन्तु सीमांत या गरीब किसान तो कृषि के नवीन उपकरणों के बारे में सोच भी नहीं सकता है और हमारे देश में सीमांत कृषकों की संख्या अत्यधिक ज्यादा है। देश के कुल किसानों में लगभग ९२ प्रतिशत सीमांत कृषक है जो कि अपनी जीवन यापन की आय भी कृषि के माध्यम से प्राप्त नहीं करपाते हैं। इस दशा में यदि उनसे कृषि यंत्रीकरण की अपेक्षा की जाए तो यह पूर्णतया व्यर्थ होगा। अतः ग्रामीण वित्त के आभाव में कृषि यंत्रीकरण एवं मशीनीकरण का लक्ष्य भी पूर्णतः अधूरा पड़ा है।

ग्रामीणों को बैंकिंग व्यवस्था की जानकारी प्रदान करना :-

नाबार्ड को ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित बैंकिंग व्यवस्था उपलब्ध करवानें का दायित्व सौंपा गया था। नाबार्ड ने अपने इस दायित्व का काफी हद तक निर्वहन भी किया किन्तु इसके साथ यह भी आवश्यक था कि ग्रामीण किसानों को बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी भी हो क्योंकि यदि किसान बैंक ही नहीं पहुंच पायेंगे तो उनकी सुविधाओं का लाभ कैसे उठायेंगे। जिसके लिए आवश्यक था। बैंक अपनी सुविधाओं का व्यापक प्रचार एवं प्रसार करें, कैम्पों एवं शिविरों का आयोजन करें, गांवों-गांवों जाकर व्यक्तिगत रूप से व्यापक जन सम्पर्क करके बैंकों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी प्रदान करें। किन्तु वास्तविकता इससे परे ही है, वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है, ग्रामीणों को बैंकों द्वारा प्रदान की जानें वाली सुविधाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं होती हैं, नहीं बैंकों द्वारा शिविरों व कैम्प आदि का आयोजन ही किया जाता और न ही व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क ही किया जाता है। जिससे जानकारी के अभाव में भी बैंकिंग व्यवसाय

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। भारतीय किसानों में साक्षरता दर अत्यधिक न्यूनतम है, उत्तर प्रदेश में किसानों की साक्षरता दर ९.८ प्रतिशत है अर्थात १०० में से मात्र १० किसान ही पढ़े-लिखे मिल पाते हैं जिनको बैंकिंग व्यवसाय की आधी अधूरी जानकारी होती है क्योंकि इन १० प्रतिशत में से ७० प्रतिशत किसान मात्र मिडिल पास ही होते हैं जिसके कारण किसानों में जानकारी एवं जागरूकता का अभाव है। किसान बैंकों से दूर भागते रहते हैं, किसान बैंक से ऋण लेने से दूर भागते हैं उनका कहना होता है कि सरकारी ऋण ठीक नहीं होता है और उससे हम कभी निकल नहीं पायेंगे, इसके साथ ही किसान अपना पैसा भी बैंक में नहीं जमा करते हैं क्योंकि उनको यह भय व्याप्त रहता है कि बैंक उनका पैसा लेकर भाग जायेंगे। इन सबका मात्र एक ही करण है ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी का अभाव, जिसका कारण भी हमारे बैंक ही है क्योंकि ये दायित्व बैंकों का है कि वे बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी निरक्षर किसानों को प्रदान करें जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विकास हो सके व ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। किसानों में बैंकिंग व्यवस्था की जानकारी न होने से ग्रामीण वित्त पूर्ति का लक्ष्य अधूरा एवं अपूर्ण बना है।

कृषि भण्डारीकरण की समुचित व्यवस्था करना :-

किसानों की सबसे बड़ी समस्या कृषि भण्डारीकरण की है। किसानों के पास तैयार फसल को सुरक्षित रखने के पर्याप्त स्थानों का अभाव है। जिससे किसानों को मजबूर होकर अपनी फसलें सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती है। वास्तव में फसलों को बेचने का समय, फसल के कुछ समय बाद होता है क्योंकि तब फसल की मांग बढ़जाती है। और यदि किसान अपनी फसल को कुछ समय सुरक्षित रख सके तो वह कुछ लाभ प्राप्त कर सकताहै। किन्तु ऐसा हो नहीं पाता है। क्योंकि तैयार फसल के भण्डारीकरण हेतु बड़े-बड़े गोदाम, कोल्डस्टोरेज आदि नवीन सुविधाओं से युक्त सुरक्षित गोदामों की आवश्यक्ता होती है। जिनमें मौसम एवं वातावरण के अनुकूल फसलों को सुरक्षित रखा जा सके किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में इनका

पूर्णतया अभाव है। नाबार्ड को ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया था। जिसके लिए आवश्यक था कि कृषि भण्डारीकरण की समुचित व्यवस्था की जाए लेकिन आज भी गांवों में सरकारी गोदामों एवं कोल्डस्टोरेजों का पूर्णतया अभाव है जिससे किसानों की तैयार फसले खलिहानों में ही सूख जाती है, बरसात में सड़ जाती है, पाला में फसलें सड़ जाती है, पाला में फसलें सड़ जाती है, कुल मिलाकर भण्डारीकरण की समुचित व्यवस्था न होनें के कारण कृषि व्यवसाय आज भी अलाभकर बना हुआ है जिसका पूरा कारण दुर्व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार है जिसके चलते सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों का सुचित उपयोग नहीं हो पाता है और जिस उद्देश्य हेतु अनुदान दिया है उसकी पूर्ति हेतु अनुदान का प्रयोग ही नहीं हो पाता है। जिसके कारण कृषि भण्डारीकरण, कृषि मशीनीकरण, ग्रामीण सड़कों आदि की व्यवस्था नहीं हो पा रही है जिसके चलते ग्रामीण विकास आज भी अधूरा है जिसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से नाबार्ड उत्तरदायी है। जिसके कारण कृषि एक अलाभकर व्यवसाय बनी हुई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना :-

समन्वित ग्रामीण विकास हेतु यह आवश्यक है कि कृषि के ऊपर जनसंख्या के दबाव को कम किया जाए और यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि ग्रामीणों के पास अन्य रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। नाबार्ड को यह दायित्व सौंपा गया कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दे, जिसके लिए नाबार्ड विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को अलग से पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करता है। ताकि वित्तीय संस्थाएं सरलतापूर्वक लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु ग्रामीणों को ऋण प्रदानकरें। किन्तु वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है,हमारे ग्रामीण क्षेत्र आज भी लघु एवं कुटीर उद्योगों से पूर्णतया वंचित हैं यहां न तो बैंकों द्वारा ग्रामीणों को लघु उवं कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु ऋण बाटे गये, नही किसानों को इनके बारे में किसी प्रकार की जानकारी प्रदान की, और न ही नाबार्ड के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रयास किए गए जिससे स्थिति आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज भी ग्रामीणों

के पास रोजगार का एक मात्र साधन कृषि ही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रतिदिन कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है और कृषि व्यवसाय अलाभकर होता जा रहा है। नाबार्ड ने अपनी स्थापना के समय यह लक्ष्य निर्धारित किया था कि इस शताब्दी की समाप्ति तक भारत के सभी गांवों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना कर दी जायेगी जिससे कृषि से जनसंख्या दबाव को कम किया जा सके। हमनें नमूना आधार पर पचास गांवों का सर्वेक्षण किया जिसमें से मात्र ग्यारह गांव ऐसे मिले जिनमें लघु एवं कुटीर उद्योगों के नाम पर महिलाएं घरों में बीड़ी बनाती, झाडू बनाती, कागज के ठोंगें बनाती मिली, उनसे बात करनें पर ज्ञात हुआ कि इस काम के लिए भी उन्हें वित्तीय सहायता बैंकों से नहीं मिली है बल्कि उन्होंने अपने स्त्रोते से धन एकत्र करके रोजगार प्रारम्भ किया है। अर्थात आज मात्र २२ प्रतिशत गांवों तक ही नाम मात्र के लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना की जा सकी है। जिससे नाबार्ड की कार्य कुशलता हमें स्वयं ही स्पष्ट हो जाती है।

व्यावसायिक बैंकों को ग्रामीण वित्त की ओर प्रोत्साहित करना :-

नाबार्ड की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण वित्त की पूर्ति करना है। जिसके लिए नाबार्ड विभिन्न संस्थाओं की सहायता प्राप्त करता है जो कि ग्रामीण बैंकिंग में लगी हुई हैं। ग्रामीण बैंकिंग में लगी विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के द्वारा ग्रामीण वित्त की पूर्ति का प्रयास किया जाता है किन्तु वे इसे पूरा करने में असफल रहती हैं इसके अनेक कारण हैं, एक तो ग्रामीण वित्त की मांग अत्यधिक ज्यादा है, ज्यादातर वित्तीय संस्थाएं लम्बे समय से घाटे में चल रही हैं, वित्तीय संस्थाओं में आपस में समन्वय का अभाव है, आदि कारणों से ग्रामीण वित्त की पूर्ति सुचारू रूप सें नहीं हो रही थी। नाबार्ड ने यह प्रयास किया कि व्यावसायिक बैंक भी ग्रामीण वित्त में योगदान दें, प्रारम्भ में तो व्यावसायिक बेंकों ने ग्रामीण वित्त में तनिक भी ध्यान न दिया क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लाभ का प्रतिशत ज्यादा था, लोग अपनी बड़ी-बड़ी बचतों को बैंकों में जमा करते थे, शहरों में सुरक्षा ज्यादा थी, ऋण डूबने का भय कम रहता था, जिससे

प्रारम्भ में व्यावसायिक बैंकों ने ग्रामीण वित्त में योगदान न दिया बाद में धीरे-धीरे व्यावसायिक बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी शाखाएं खोल कर ग्रामीण वित्त में योगदान करना प्रारम्भ किया है जबकि नाबार्ड ने अपनी ब्याज दर को घटानें का प्रलोभन दिया जिससे व्यावसायिक बैंकों को अधिक लाभ मिल सके और भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सीमा निर्धारित करना प्रारम्भ कर दिया कि प्रत्येक व्यावसायिक बैंक को एक निश्चित धनराशि का ऋण ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित करना ही है। किन्तु नाबार्ड का यह प्रयास भी पूर्णतया सफल नहीं दिखाई पड़ता है। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि है। इस निधि की स्थापना नाबार्ड के द्वारा की गई थी ताकि प्रत्येक व्यावसायिक बैंक जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा तक ग्रामीण विकास हेतु ऋण वितरित न कर सकें वह बची हुई शेष धनराशि को इस निधि में जमा कर दें और नाबार्ड के द्वारा इस निधि का प्रयोग कृषि और ग्रामीण विकास हेतु किया जायेगा। हम देखें तो पायेंगें कि इस निधि की संचयी जमा में वर्ष प्रतिवर्ष लगातार वृद्धि होती जा रही है। अर्थात व्यावसायिक बैंक ग्रामीण वित्त की पूर्ति में लगातार कमी करते जा रहे हैं। और ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करनें हेतु यह नितान्त आवश्यक है कि व्यावसायिक बैंक भी ग्रामीण वित्त की पूर्ति में अपना योगदान दें ग्रामीण वित्तीय संस्थाएं तो अपना लगातार प्रयास कर रहीं हैं किन्तु व्यावसायिक बैंकों का योगदान एवं सहयोग नितान्त आवश्यक है जो कि आज तक सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से ग्रामीणों को प्राप्त नहीं हो पाया है वैसे एक बात तो निश्चित है कि यदि व्यावसायिक बैंक सक्रिय रूप से ग्रामीण बैंकिंग में अपना योगदान कर दें तो भारतीय कृषि की काया कल्प ही हो जाए किन्तु दुर्भाग्य से ऐसा आज तक सम्भव नहीं हो पाया है।

अनुत्पादक आस्तियों की स्थिति *(Status of Non Performing Assets (NPAs) :-*

वर्ष १९९२ में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और विवेकपूर्ण मानदण्डों की शुरूआत किये जाने के कारण भारतीय बैंकिंग प्रणाली में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन आए हैं। विवेकपूर्ण मानदण्डों में पूंजी पर्याप्तता,

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण जैसे चार प्रमुख पहलू शमिल हैं जो इस धारणा पर आधारित हैं कि आय निर्धारण औरप्रावधानीकरण बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता और स्थिरता को बनाए रखने के मूलतत्व हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों में विवेकपूर्ण मानदण्डों के कार्यान्वियन का अनुप्रवर्तन करता है। तो नाबार्ड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय बैंकों के मामले में इसी काम के प्रयोग को सुनिश्चित करता है। इन मानदण्डों को शुरू करने से अतिदेय के क्षेत्र के स्थान पर अनुत्पादक आस्तियों संम्बंधी अनुशासन के क्षेत्र में स्थित्यंतरण आया है जिससे लेखांकन के काम में और अधिक पारदर्शिता आई है।

सहकारी बैंकों की अनुत्पादक अस्तियां :-

सहकारी बैंकों की ३१ मार्च २००० की स्थिति के अनुसार कुल बकाया और अग्रिमों के समक्ष अनुत्पादक आस्तियां १०.७ प्रतिशत (राज्य सहकारी बैंक) और १७.१ प्रतिशत (जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक) की थी। ३१ मार्च १९९९ को ये १२.३ प्रतिशत (राज्य सहकारी बैंक) और ११८.१ प्रतिशत (जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक) की थी। राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंकों की अनुत्पादक अस्तियां, उनके बकाया ऋणों और अग्रिमों के समक्ष, पिछले वर्ष के अंत में १९.०६ प्रतिशत से मामूली सी घट गई और ३१ मार्च २००० को १८.६६ प्रतिशत रह गई थी। प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के मामले में पिछले वर्ष के २१.९४ प्रतिशत से घट कर ३१ मार्च २००० को १९.९८ प्रतिशत हो गई थी। जिसे हम निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं :-

में २१५६.७९ करोड़ रूपया और प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के मामले में १,५१८.८७ करोड़ रूपया की थी। जिसे हम निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं :-

सहकारी बैंकों की अनुत्पादक आस्तियों की स्थिति (31 मार्च 2000 की स्थिति)

(करोड़ रूपये में)

आस्ति वर्ग	रा0स0 बैंक	जि0म0स0 बैंक	रा0स0कृ0 ग्रा0वि0 बैंक	प्रा0स0कृ0 ग्रा0वि0 बैंक
अवमानक आस्तियां	*1247.82 (45.2)*	*3723.33 (49.4)*	*1210.85 (56.1)*	*867.91 (57.1)*
संदिग्घ आस्तियां	*1373.95 (49.8)*	*2918.85 (38.7)*	*937.49 (43.5)*	*613.97 (40.4)*
घाटे की आस्तियां	*136.51 (5.0)*	*901.25 (11.9)*	*8.45 (0.4)*	*36.99 (2.5)*
कुल अनुपादक आस्तियां	*2785.28 (100.00)*	*7543.43 (100.00)*	*2156.79 (100.00)*	*1518.87 (100.00)*
कुल बकाया ऋणों के समक्ष अनुत्पादक आस्तियों का प्रतिशत	*10.73*	*17.14*	*18.66*	*19.9*

(कोष्टकों में दी गई संख्या जोड़ का प्रतिशत दर्शाती है।)

सहकारी बैंकों (31 मार्च) के बकाया ऋणों से अनुत्पादक आस्तियों का प्रतिशत

एजेंसी	1997–98	1998–99	1999–2000
रा०स० बैंक	12.12	12.30	10.73
जि०म०स० बैंक	17.80	18.10	17.14
रा०स०कृ०ग्रा०वि० बैंक	19.44	19.06	18.66
प्रा०स०कृ०ग्रा०वि० बैंक	16.68	21.94	19.98

स्त्रोत :- वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड (२०००-०१)

३१ मार्च २००० की स्थिति के अनुसार अस्तियों का सफल योग, राज्य सहकारी बैंक के संदर्भ में २,७५८.२८ करोड़ रूपया और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संदर्भ में ७,५४३.४३ करोड़ रूपया था। दीर्घावधि ऋण ढ़ांचे की अनुतपादक आस्तियां, राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के मामले

आस्तियों में क्षरण :-

राज्य सहकारी बैंकों का घाटा ३१ मार्च १९९९ को ५१६ करोड़ रूपया का था जो कि ३१ मार्च २००० को घटकर ४९७ करोड़ रूपया हो गया और यह पिछले वर्ष के अंत के १.२८ प्रतिशत के मुकाबले कुल आस्तियों का १.०३ प्रतिशत होता है। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक स्तर पर कुल घाटा ३१ मार्च २००० को २,८१७ करोड़ रूपया रह गया। जिसे हम निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं:-

मार्च 2000 के अन्त में कुल घाटा :-

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	रा0स0 बैंक	जि0म0स0 बैंक	रा0स0कृ0 ग्रा0वि0 बैंक	प्रा0स0कृ0 ग्रा0वि0 बैंक
1997	57	1758	234	385
1998	301	2143	402	546
1999 *	516	2483	587	669
2000 *	497	2817	779 @	891 @

* लेखा परीक्षा न होने के कारण परिवर्तनीय

@ अनंतिम

१२ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों का कुल घाटा ३१ मार्च २००० को ७७९ करोड़ रूपये तक जा पहुंचा था जो पिछले वर्ष के अंत में ५८७ करोड़ रूपया था। ९ राज्यों में फैले हुए प्राथमिक कृषि और ग्राम्य विकास बैंक के स्तर पर उन्हीं वर्षों के दौरान यह घाटा क्रमशः ८९१ करोड़ का और ६६९ करोड़ का था और यह कुल बकाया ऋणों का ११.७२ प्रतिशत होता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अनुत्पादक आस्तियां :-

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अनुत्पादक आस्तियों का आंकलन पहले-पहल १९९६ में किया गया। तब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विवेकपूर्ण मानदण्ड लागू किये गये थे तब उनकी अनुत्पादक आस्ति उनके सकल बकाया ऋणों और अग्रिमों के ४३ प्रतिशत तक की थी, तब से अनुत्पादक आस्तियों का स्तर निरंतर घटता आया है और ३१ मार्च २००१ को यह २३.१ प्रतिशत था और इसके बाद उत्तरी क्षेत्र १६.३ प्रतिशत का था, पूर्वोत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अनुत्पादक आस्तियों का स्तर सर्वाधिक था जो ४६.६ प्रतिशत था। राज्यों में केरल में अनुत्पादक आस्तियां सबसे कम अर्थात ४.१९ प्रतिशत ही थी जब कि त्रिपुरा का स्तर सर्वाधिक था और वह ७५.६ प्रतिशत था ।

नाबार्ड के प्रति ग्राहक संस्थाओं की चूक :-

नाबार्ड ने ग्राहक संस्थाओं अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और भूमि विकास बैंकों पर खासकर उन पर लगातार नजर रखने के लिए जिनका वसूली स्तर नीचे है तथा जिनके चूक का इतिहास रहा हो, एक अलग कक्ष का गठन किया गया है। लम्बे अरसे से चूक करते आ रहे राज्य सहकरी कृषि और ग्राम्य विकास बैंकों के मामले में जिनमें पुनर्वित्त सुविधा इस शर्त पर दी जाती है कि सभी ऋण राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतः गांरटीकृत हो, उन मामलों में नाबार्ड राज्य सरकारों को विभिन्न स्तरों पर यह समझाता रहा है कि वे विचार विमर्श के माध्यम से चूकों के संबंध में निर्बाधिता जारी करें। नाबार्ड स्थायी तौर पर वित्तीय व्यवहार्यता हासिल करने की दिशा में संस्थाओं को पुनरूज्जीवित करने की दृष्टि से कार्ययोजना तैयार करने में बैंकों की मदद कर रहा है। इसी प्रकार, जहां ऐसे उपायों के बावजूद वसूली बराबर नहीं हो पा रही है, उन मामलों को भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, बैंकिंग प्रभाग (वित्त मंत्रालय), भारत सरकार के समक्ष उठाया गया। ऐसे सघन प्रयासों के कारण चूककर्ता संस्थाओं की संख्या

और चूक की राशि में हाल के कुछ वर्षों में कमी आई है। जिसे हम निम्न तालिका द्वारा प्रदशित कर सकते हैं :-

नाबार्ड के प्रति ग्राहक संस्थाओं की चूक

(लाख रूपये में)

रा0स0कृ0ग्रा0वि0 बैंक के नाम	31-07-2000	31-03-2001
असम रा.स.कृ.ग्रा.वि. बैंक	69.20	53.36
बिहार रा.स.कृ.ग्रा.वि. बैंक	12804.57	13426.58
उड़ीसा रा.स.कृ.ग्रा.वि. बैंक	2533.06	------
त्रिपुरा रा.स.कृ.ग्रा.वि. बैंक	110.26	------
मणिपुर रा.स.कृ.ग्रा.वि. बैंक	26.15	28.05
महाराष्ट्र रा.स.कृ.ग्रा.वि. बैंक	10189.57	------

उपरोक्त विवेचना से हमें नाबार्ड एवं उससे सम्बन्धित वित्तीय इकाइयों की अनुत्पादक आस्तियों की वर्तमान स्थिति सष्ट होती है। किसी भी व्यवसाय में, उद्योग में या वित्तीय संस्थान में यदि अनुत्पादक आस्तियों की संख्या बढ़ जाती है या लगातार बढ़ती जाती है तो यह चिंताजनक स्थिति कही जाती है क्योंकि इनका सीधा प्रभाव संस्थान की लाभदायता क्षमता पर पड़ता है। माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री बाला साहेब विखे पाटील ने ३० अप्रैल २००० को लखनऊ में आयोजित 'ग्रामीण ऋण' विषय की एक संगोष्ठी में यह स्पष्ट तौर पर कहा "किसी भी ऋण प्रणाली को सदा व्यवहार्य और अपने परिचालनों को चिर स्थायी बनाए रखना हो तो, उसके लिए यह जरूरी है कि अपने ग्राहकों के ऊपर साल ऋण अनुशासन लागू करें, सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे कम वसूली की समस्या को सुलझायें, उन्हें अन्यत्र, अपने जैसी समधर्मी संस्थाओं से पाठ सीखना पड़ेगा, जिनकी वसूली कार्य निष्पादकता लगातार अच्छी देखने को मिलती है।"

ऋणों की वसूली में असाधारण देरी होने से अनुत्पादक आस्तियां बनती हैं जिससे ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की तरलता बुरी तरह प्रभावित होती है और इससे परिपक्व होती देयताओं को चुका पाने की उनकी क्षमता घटती जाती है। अनुत्पादक आस्तियों के रूप में अवरूद्ध निधियों के वित्तीय मध्यस्थ के रूप में लगने वाली लागत बढ़ती है क्योंकि अनुत्पादक आस्तियों के कारण नकदी के आगम और नकदी भुगतान में आने वाले असंतुलन को कम करने के उपाय के रूप में ग्रामीण वित्तीय संस्थाएं जमा संग्रहण बढ़ाती हैं और ऊँची लागत पर उधार लेती है, इस कारण बैंकों की अल्पकालिक और दीर्घकालिक लाभदायकता प्रभावित होती है। अनुत्पादक आस्तियों में फंसी धनराशि उत्पादक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होती है और बैंक जिस सीमा तक इनके लिए प्रावधान करते है अथवा इन्हें बट्टे खाते डालते हैं तो भी ये सब इनके लाभों पर भार ही होते हैं। इसे पूरा करने के लिए बैंकों को अपने ईमानदार, भरोसेमंद और लाभदाता ग्राहकों से ऊँची दरों पर ब्याज लेना पड़ता है। इस प्रकार यह कौशल पर लगाया गया कर जैसा होता जाता है यनि कि जो ग्राहक दक्षता से ऋण का उपयोग करें उन्हें ऐसे ग्राहकों को भरपाई देनी पड़ेगी

और यदि ऋण का अदक्षता से उपयोग किया जाए तो वहां अनुत्पादक आस्ति बन जाती है। इससे प्रणाली में लेन-देन की लागत बढ़ जाती है इस प्रकार से भरोसेमंद ऋण ग्राहकों को कम ब्याज दर के लाभ से वंचित किया जाता है। कम ब्याज दर से वे फायदे में होते और वे दक्ष हो जाते। अनुत्पादक आस्तियों के बढ़ जाने से ग्रामीण ऋण संस्थाओं की जोखिम उठाने की क्षमता भी घटती है तथा पूंजी अंशदान (प्रथम श्रेणी पूंजी) के लिए जनता के पास जाने का रास्ता भी सीमित हो जाता है। इसमें आश्चर्य नहीं कि 'कमेटी ऑन नान परफार्मिंग एसेट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक(१९९८)' का निष्कर्ष कि अनुत्पादक आस्तियां एक दुधारी तलवार है जो बैंक की लाभप्रदता पर वार करती हैं, सही है, एक ओर जहां बैंक अनुत्पादक आस्तियों के अपने खातों में आय (ब्याज) का निर्धारण नहीं कर पाते, वहीं दूसरी ओर यह, निधियों की लागत के कारण बैंक की लाभदायकता को सफाचट कर जाती है। संक्षेप में यह कहाजा सकता है कि अनुत्पादक आस्तियां केवल बैंकों की समस्या नहीं है वरन् यह बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था और समाज की भी समस्या है। वित्तीय संस्थाओं की एक महत्वपूर्ण समस्या अनुत्पादक आस्ति है क्योंकि इससे संस्थाओं को दोहरी हानि होती है एक तो संस्थाओं के कोष उत्पादक कार्यों में प्रयोग नहीं हो पाते हैं जिससे संस्थाओं की लाभदायकता क्षमता में कमी आती है वहीं दूसरी ओर संस्थाओं को अपने उन ग्राहकों से जो लाभ प्राप्त कर रहें हैं उनसे अत्यधिक ज्यादा दर से ब्याज की वसूली करनी पड़ती है जिससे ग्राहकों के साथ अन्याय होता है और उनसे सौतेलापन का व्यवहार हो जाता है। वर्तमान समय में ग्रामीण विकास से जुड़ी लगभग समस्त वित्तीय संस्थाओं में अनुत्पादक आस्तियों की स्थिति सोचनीय बनी है जिसके कारण वित्तीय संस्थाएं लगातार घाटे में जा रही है जिससे ग्रामीण विकास का लक्ष्य अधूरा रह जाता है।

नाबार्ड की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करनें हेतु हमनें नाबार्ड के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का साक्षात्कार लिया व उत्तर प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों का साक्षात्कार लिया, जिस के आधार पर नाबार्ड की ग्रामीण विकास के संदर्भ में असफल भूमिका स्पष्ट होती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र आज भी मौलिक आवश्यकताओं से वंचित है, सर्वेक्षण में हमें कुछ क्षेत्र तो ऐसे मिले जहां के लोग नाबार्ड के

नाम से भी परिचित नहीं है, गांवों में आज भी सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, किसानों के पास फसल भण्डारीकरण की व्यवस्था आज भी उपलब्ध नहीं है, आज भी उत्तर प्रदेश के अनेक गांव ऐसे हैं जिनमें यातायात की सुविधा आज भी उपलब्ध नहीं है, आज भी स्थिति ये बनी हुई है कि यदि बारिश समय से न हो तो प्रदेश सूखा ग्रस्त हो जाता है अर्थात् सिंचाई के साधन आज भी मौजूद नहीं है। वित्तीय संस्थाएं ग्रामीण वित्त की मांग को पूरा करने में असफल हो रही है, वे लगातार घाटे में चल रही है, उनमें आपस में उचित तालमेल का अभाव होता जा रहा है, बैंकिंग प्रणाली आज भी सरल एवं लोचपूर्ण नहीं हो पायी है, जिसके चलते ग्रामीण किसान को आज भी समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती है और मजबूरी वश किसानों को साहूकारों एवं देशी बैंकरों की शरण लेनी पड़ती है अर्थात हमारी बैंकिंग व्यवस्था में सुधार न होने की वजह से गैर संस्थागत स्रोतों को बढ़ावा मिलता है और अनेक नियंत्रणों के बावजूद गैर संस्थागत स्रोत फलफूल रहे हैं। हमारी बैंकिंग कमियों की वजह से किसान आज भी वित्त प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है, कभी संस्थागत स्रोतों से तो कभी गैर संस्थागत स्रोतों से वित्त प्राप्त करके अपनी कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और यदि समय से उसे वित्त प्राप्त न हो सका तो उसकी फसलें सूख जाती हैं, सड़ जाती हैं एवं बरबाद हो जाती हैं। आज भी किसान हमारी गलतियों या कमियों का हर्जाना भर रहा है क्योंकि दुर्व्यवस्था उत्पन्न करनें वाले लोग तो बड़ी-बड़ी कुर्सियों एवं पदों पर बैठ कर आराम करते हैं और समस्याओं से तो बेचारे गरीब किसान को ही जूझना पड़ता है। वास्तविकता यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वैसे सुधार नहीं हो पाये हैं जिनकी आशा नाबार्ड की स्थापना के समय की गई थी।

नाबार्ड की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करनें हेतु हमनें कुछ व्यक्तियों से व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा सूचनाएं एकत्र की हैं जो कि निम्नवत हैं :-

नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में उपमहाप्रबन्धक पद पर कार्यरत श्री ए० के० पालीह से मैंने व्यक्तिगत साक्षत्कार द्वारा निम्न जानकारियां प्राप्त किया :-

प्रश्न :- आप के अनुसार नाबार्ड की स्थापना के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं?

उत्तर :- नाबार्ड की स्थापना के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण वित्त की पूर्ति करना, सिंचाई की समुचित व्यवस्था करना, गांवों को शहरी क्षेत्र से जोड़ना, यातायात की समुचित व्यवस्था करना तथा बैंकों के मध्य उचित समन्वय स्थापित करना है।

प्रश्न :- उत्तर प्रदेश में नाबार्ड अपनें उद्देश्यों की प्राप्ति में किस हद तक सफल रहा है ?

उत्तर :- हम ये तो नहीं कह सकते कि हम उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास के अपने लक्ष्य को पूर्णतया प्राप्त कर लिया है,किन्तु फिर भी हमने काफी स्तर तक प्रयास किये हैं व सफलता प्राप्त की है। हमनें पांच हजार से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खेलने का प्रयास किया है, कृषि यंत्रीकरण हेतु उन्नतशील बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयां क्रय करनें हेतु कम ब्याज दर पर ऋण वितरित करने हेतु बैंकों को निर्देश दिये गये है।

प्रश्न :- क्या उत्तर प्रदेश में पांच हजार से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव में बैंक की शाखा खोल दी गई है ?

उत्तर :- नहीं अभी यह कार्य पूरी तरह से तो सम्पन्न नहीं हो पाया है, उत्तर प्रदेश के लगभग ५८ प्रतिशत गांवों में हमनें शाखाएं खोल दी है और हमारा लक्ष्य है कि ३१ दिसम्बर

२००५ तक प्रदेश के समस्त गांव जो इस श्रेणी में आते हैं उनमें हम वित्तीय संस्थाओं की शाखा अवश्य खोल देगें।

प्रश्न :- नाबार्ड की स्थापना हुए बीस वर्ष पूर्ण हो चुके हैं फिर क्या कारण है कि अभी तक आपके लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सके हैं ?

उत्तर :- नाबार्ड ने अपने स्थापना काल (१९८२) से लेकर आजतक (२००२) तक ग्रामीण विकास के संदर्भ में अनेक कार्य किये और इसे हम अपनी कार्य विधि या सिस्टम का दोष दे सकते हैं कि आज भी अनेक लक्ष्य अधूरे पड़े हुए हैं उसका प्रमुख कारण अत्यधिक समय लेने वाली हमारी कागजी कार्यवाही है जिसके कारण हमारी कोई भी योजना समय से पूर्ण नहीं हो पाती है। मान लीजिये हमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की एक शाखा किसी नये स्थान पर खोलनी है तो इसके लिए वित्त मंत्रालय की स्वीकृति, भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति ग्रामीण बैंक के प्रबन्धकों की स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होती है जिसके लिए हमें महीनों का समय लग जाता है और हमारे लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं।

प्रश्न :- आज ग्रामीण क्षेत्र में वित्त की पूर्ति किस प्रकार की जा रही है ?

उत्तर :- आज किसानों को उनकी ग्रामीण वित्त की मांग का ७५ प्रतिशत भाग की पूर्ति संस्थागत स्त्रोतों द्वारा की जा रही है और शेष की पूर्ति किसान अपने निजी साधनों से या गैर संस्थागत स्त्रोतों से कर लेता है।

प्रश्न :- यदि हम यह मान भी लें कि ग्रामीण वित्त का ७५ प्रतिशत भाग संस्थागत स्त्रोतों द्वारा पूर्ण किया जा रहा है फिर भी २५ प्रतिशत भाग पर गैर संस्थागत स्त्रोतों का आधिपत्य क्यों है?

उत्तर :- देखिए इसका प्रमुख कारण किसानों की अशिक्षा है उनमें जानकारी का अभाव होने के कारण वे आज भी बैंकों से ऋण लेने में हिचकिचाते हैं व बैंक की क़ागजी कार्यवाही से

दूर भागतें हैं, वहीं पर साहूकार उन्हे मात्र सादे कागज पर अंगूठा लगवाकर मनमानी व्याज दर पर तत्काल ऋण प्रदान कर देते हैं इसमें थोड़ा दोष हमारी बैंकिग पद्धति का भी है जिसमें आज भी लम्बी कागजी कार्यवाही मौजूद है और बैंक कर्मी भी निरक्षर किसान की मदद नहीं करना चाहते हैं।

प्रश्न :- नाबार्ड का लक्ष्य था कि साहूकारों एवं देशी बैंकरों पर पूर्णतया नियंत्रण किया जायेगा किन्तु फिर भी ये आजतक जीवित हैं व ग्रामीण वित्त पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहें हैं ?

उत्तर :- इसका प्रमुख कारण शिक्षा का अभाव है, किसान आज भी यही मानते हैं कि सरकारी ऋण अत्यधिक बुरा है और इसके चंगुल से जल्द आजाद होना भी कठिन है और वे बैंकों से ऋण लेने के बजाए, साहूकारों से ऋण प्राप्त करते हे। सरकार ने देशी बैंकरों पर रोक लगानें के उद्देश्य से बैंकिंग अधिनियम तक पारित कर दिये जिसमें वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा मुद्रा का व्यवसाय करने की पूर्णतया रोक लगा दी गई किन्तु देशी बैंकरों पर नियंत्रण नहीं हो सका क्योंकि स्वयं किसान ही उनको बढ़ावा देते है जिसके कारण सरकार ने अन्त में लाइसेन्स व्यवस्था लागू कर दी कि देशी बैंकर लाइसेन्स लेकर मुद्रा का व्यवसाय कर सकते हैं।

प्रश्न :- क्या आप नाबार्ड की कार्य प्रणाली से सन्तुष्ट हैं या इसमें सुधार हेतु कुछ सुझाव आप दे सकते हैं ?

उत्तर :- मेरे विचार से नाबार्ड की कार्यप्रणाली में कोई दोष नहीं है क्योंकि पिछले बीस वर्षो के नाबार्ड के योगदान को हम नकार नहीं सकते हैं। जिसमें नाबार्ड ने अभूतपूर्व व अवर्णननीय कार्य किये हैं। हां आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की, शिक्षा की, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की, विभिन्न शिविरों एवं कार्यक्रमों की जिसमें किसानों को विभिन्न बैंकिंग

सुविधाओं की जानकारी प्रदान की जाय। समाजसेवी संस्थाओं को चाहिए कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर परिवार नियोजन के साधनों के विषय में जानकारी दें, बूढ़ों और प्रौढ़ो को शिक्षित करें, लड़कियों को स्कूल भेजने हेतु प्रेरित करें, जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास करें ताकि किसानों में जागरूकता आ सके। जब तक किसानों में जागरूकता नहीं आयेगी तब तक हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आज सबसे अधिक आवश्यकता है किसान को शिक्षित करने की ताकि वह सही ढ़ग से उचित व अनुचित का निर्णय ले सके।

नाबार्ड के इलाहाबाद स्थित मण्डल कार्यालय में उप महाप्रबन्धक पद पर कार्यरत श्री दीपक कुमार से व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा मैंने निम्न जानकारियां प्राप्त की।:—

प्रश्न :- क्या आप नाबार्ड की कार्य प्रणाली से संतुष्ट हैं ?

उत्तर :- वैसे तो नाबार्ड ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है। किन्तु इसकी कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है जैसे- नाबार्ड को जनता के प्रत्यक्ष सम्पर्क में कार्य करना चहिए, ग्रामीणों से सम्पर्क स्थापित कर उनकी वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना चाहिए, ग्रामीण विकास में लगी समस्त वित्तीय संस्थाओं में अपनें अधिकारी नियुक्त करने चाहिए तथा प्रत्येक जिले में नाबार्ड के आफिस होनें चाहिए जिससे किसानों से सरलता पूर्वक सम्पर्क स्थापित हो सके व किसानों को यदि बैंकों से शिकायत हो तो उसकी जानकारी प्राप्त हो सके, तथा बैंकों पर पर्याप्त नियंत्रण किया जा सके।

प्रश्न :- नाबार्ड जनता से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करनें हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर एवं कार्यक्रम आयोजित करनें की योजना बना रहा है, क्या यह प्रयास पर्याप्त है ?

उत्तर :- नाबार्ड ने स्वयं इस बात की आवश्यकता महसूस की कि उसे जनता से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करना चाहिए जिसके लिए नाबार्ड ने यह योजना बनाई कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित वित्तीय संस्थाओं के द्वारा शिविरों एवं कैम्पों का आयोजन करवाया जाए जिसमें क्षेत्र के

ग्रामीणों को एकत्रित करके बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी प्रदान की जाय और इन शिविरों का समस्त व्यय नाबार्ड द्वारा वहन किया जायेगा और कार्यक्रम की रिपोर्ट बैंकों द्वारा नाबार्ड को भेजी जायेगी किन्तु यह प्रयास भी पर्याप्त नहीं दिखता क्योंकि इसमें नाबार्ड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं किया जा रहा है, बैंकों को ही कार्यक्रम आयोजित करनें व उसकी रिपोर्ट प्रेषित करनें का दायित्व सौंपा गया है और कोई भी व्यक्ति अपनी कमियां पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं करता है उसी प्रकार से ये वित्तीय संस्थाएं भी अपनी कमियां एवं असफलताएं पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करेगी जिससे सही स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकेगी।

प्रश्न :- आज ग्रामीण विकास में लगी लगभग सभी वित्तीय संस्थाओं में अनुत्पादक आस्तियों की स्थिति चितांजनक बनी है, इस बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

उत्तर :- ये सही है कि ग्रामीण विकास में लगी वित्तीय संस्थाओं में अनुत्पादक आस्तियों की स्थिति संतोषजनक नहीं है, इसका सबसे प्रमुख कारण है बैंकों का ऋण वसूली अनुपात अत्यधिक न्यूनतम होना, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किये गये कुल ऋणों का लगभग ४२ प्रतिशत भाग तो प्रतिवर्ष डूबता ही है जिससे लगातार अनुत्पादक आस्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में असावधानी पूर्वक ऐसे कार्यो के लिए भी ऋण प्रदान कर दिया जाता है जिसमें पैसा वापस होनें की सम्भावना शून्य होती है और किसान लापरवाही एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण ऋण वापस करनें में असमर्थ हो जाता है जिसमें सरकारी पैसा डूबता है व अनुत्पादक आस्तियों में वृद्धि होती है, ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को भी व्यवसायिक बैंको की नीति अपनानी चाहिए, एक छोटे से उदाहरण के तौर पर व्यवसायिक बैंकों ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की जिसमें हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट पास लड़को को क्रमशः पचास हजार एवं एक लाख रूपया मात्र मार्कशीट के आधार पर प्रदान करनें की व्यवस्था है किन्तु साथ ही बैंकों को भी यह सख्त निर्देश है कि बैंक का पैसा डूबना

भी नहीं चाहिए इसी लिए मैनेजर बिना जमानत या गारन्टी के ऋण प्रदान नहीं करते हें जबकि इस योजना में जमानत का कोई प्रावधान नहीं है इससे सरकारी पैसा सुरक्षित रहता है व व्यवसायिक बैंकों में अनुत्पादक आस्तियों की स्थिति भी संतोषजनक है।

प्रश्न :- नाबार्ड को वित्तीय (बैंकिंग) संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करने का दायित्व सौंपा गया था क्या नाबार्ड इसे पूर्ण कर पाया है?

उत्तर :- नाबार्ड को बैंकिंग संस्थाओं के मध्य उचित तालमेल एवं समन्वय स्थापित करने का दायित्व सौंपा गया था, जिसे नाबार्ड ने जिम्मेदारी पूर्वक निभाया ताकि ग्रामीण विकास में लगी विभिन्न वित्तीय संस्थाएं एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य कर सकें व आवश्यकता पड़नें पर आपस में एक दूसरे की मदद कर सके किन्तु अभी हाल के कुछ वर्षों में इनमें समन्वय का अभाव हुआ है और इनके द्वारा भी नाबार्ड के अधिकारों के विकेन्द्रीकरण की मांग की जा रही है, जिनमें सबसे प्रमुख रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा एक पृथक राष्ट्रीय स्तर की संस्था बननें की मांग प्रमुख है आज ग्रामीण बैंक स्वयं नाबार्ड की भांति एक राष्ट्रीय बैंक बननें की मांग कर रहा है।

प्रश्न :- क्या नाबार्ड ने समन्वित ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है?

उत्तर :- नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये हैं, जिनमें सहकारी संस्थाओं को संरक्षण प्रदान करना, गांवों में बैंकों की शाखांए खोलना, कृषि भण्डारीकरण की व्यवस्था करना, यातायात की समुचित व्यवस्था करना, एवं कृषि वैज्ञानिकीकरण आदि प्रमुख हैं किन्तु आज भी ग्रामीण विकास पूर्ण नहीं है क्योंकि आज भी हमारे अनेक लक्ष्य अधूरे हैं जैसे सिंचाई के स्थायी साधनों की पूर्ण व्यवस्था नहीं हो सकी है, प्रदेश के सभी गांवों को शहरी मार्गो से नहीं जोड़ा जा सका है, फसल भण्डारीकरण की समुचित व्यवस्था पूरे प्रदेश में उपलब्ध नहीं है, गांवों में लघु एवं कुटीर उद्योग आज

भी स्थापित नहीं किये गये हैं और सबसे बड़ी कमी, ग्रामीण वित्त के एक बड़े भाग की पूर्ति आज भी गैर-संस्थागत स्त्रोतों द्वारा की जा रही है।

प्रश्न :- नाबार्ड की भविष्य में क्या सम्भावनायें हैं?

उत्तर :- आज तो हमारी अनेक योजनाएं एवं लक्ष्य अधूरे हैं किन्तु हम यह आशा करते हैं कि वर्ष २००५ तक हम अपने ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और समस्त प्रदेश में सिंचाई की, वित्त की, भण्डारीकरण की, यातायात की, रोजगार की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेंगे।

इसके अतिरिक्त हमनें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों मे जाकर ग्रामीणों से व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा नाबार्ड के विषय में जानकारी एकत्रित की जिनका विवरण निम्नवत है:-

श्री प्रेम नारायण अवस्थी निवासी ग्राम - चांदपुर जिला फतेहपुर जो कि गांव के पोस्टमैन है और कृषक भी हैं उनसे हमने निम्न सूचनाएं प्राप्त कीं :-

प्रश्न :- आपके गांव में वित्त पूर्ति के क्या साधन उपलब्ध हैं?

उत्तर :- हमारे गांव में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है तथा कोआपरेटिव संस्था भी है लेकिन इन दोनों ही संस्थानों से हमें समय से ऋण प्राप्ति नहीं हो पाती है खास कर हमारी अल्प कालीन आवश्यकताओं हेतु जिनके लिए हमें तत्काल ऋण की आवश्यकता होती है और संस्थागत स्त्रोंतों से हमें समय पर ऋण नहीं मिल पाता है इसलिए हमे अपने निजी साधनों का ही सहारा लेना पड़ता है।

प्रश्न :- क्या आपकों वित्तीय संस्थाओं से बिल्कुल ऋण प्राप्त नहीं होता है?

उत्तर :- नहीं ऐसा नहीं है, हमें वित्तीय संस्थाओं से ऐसे ऋण प्राप्त हो जाते हैं जिनकी हमें जल्दी न हों जैसे मैने ट्रैक्टर ग्रामीण बैंक से ऋण द्वारा प्राप्त किया है और मुझे ऋण प्राप्त होने में लगभग तीन माह का समय लगा है जबकि मैं इण्टरमीडिएट तक पढ़ा-लिखा हूँ इसलिए हमारा निरक्षर किसान तो सरलता पूर्वक ऋण प्राप्त ही नहीं कर सकता है।

प्रश्न :- आप के गांव में सिंचाई के क्या साधन हैं?

उत्तर :- हमारा गांव काफी बड़ा है यहां की आबादी लगभग १५००० के आस पास है और सभी के पास काफी कृषि भूमि है, सिंचाई के साधन के नाम पर एक सरकारी ट्यूबवेल है जो कि ज्यादातर बन्द पड़ा रहता है या खराब रहता है, हमारे गांव के आस पास न तो कोई नदी है और न ही कोई नहर है इसलिए गांव के कुछ रईस लोगों ने अपने निजी ट्यूबवेल

लगवा रखे हैं जिनके द्वारा मनमाना पैसा लेकर सबको पानी दिया जाता है, गरीब किसान तो बारिश का इन्तजार करता है या फिर किसी प्रकार से एकाध बार पानी लगवा पाता है जिससे उसकी फसल खराब होती है।

प्रश्न :- क्या आपके गांव में फसलों को रखनें की पर्याप्त सुविधा है?

उत्तर :- हमारी फसले खलिहानों मे ही पड़ी रहती हैं सुना तो हमने भी है कि सरकार के द्वारा कृषि भण्डारीकरण की व्यवस्था की जा रही है, बड़े-बड़े गोदाम, कोल्डस्टोरेज बनवाये जा रहे हैं किन्तु हमारे गांव में ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है हमारी फसले खुले खेत में ही पड़ी रहती है।

प्रश्न :- क्या तैयार फसल बेचने हेतु सरकारी मण्डियों की व्यवस्था है?

उत्तर :- हमारे गॉव में तो सरकारी मण्डियां नहीं हैं हां गांव से चालीस किलोमीटर दूर घाटमपुर और दूसरी ओर पैंतालिस किलोमीटर दूर फतेहपुर है जहॉ मण्डी हैं हम अपनी फसलें किराये की गाड़ियों में लादकर इतनी दूर नहीं ले जा पाते हैं और वहीं गांव के ही व्यपारियों को अपनी फसले बेच देते है।

प्रश्न :- क्या आप नाबार्ड के बारे में जानते हैं?

उत्तर :- नहीं मुझे नाबार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्री अरुण कुमार ग्राम प्रधान - चांदपुर, जिला- फतेहपुर से मैंने व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त कीं :-

प्रश्न :- क्या आप नाबार्ड के बारे में जानते हैं?

उत्तर :- हां मैंने समाचार पत्रों मे पढ़ा है कि गॉवों का विकास करने के लिए सरकार ने नाबार्ड नाम का एक अलग से बैंक बनाया है जो कि गांव के विकास का कार्य करता है।

प्रश्न :- आपको आवश्कता पड़ने पर ऋण किस प्रकार प्राप्त होता है?

उत्तर :- हमारे गॉव में ग्रामीण बैंक है व कोआपरेटिव संस्था भी है किन्तु हमें इनसे ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है क्योंकि हमारी ज्यादातर आवश्यकताएं तत्काल पूर्ति वाली होती है जिनके लिए तुरन्त धन की आवश्यकता पड़ती है जो कि हमें अपने निजी साधनों से ही तत्काल प्राप्त हो पाता है।

प्रश्न :- क्या आप लोगों को कभी बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है?

उत्तर :- नहीं ऐसा नहीं है हम लोग बैंक से ऋण लेते है लेकिन ऐसे कार्यो के लिए जिनके लिए जल्दी न हो जैसे - कृषि उपकरण खरीदने के लिए, सिंचाई की स्थाई व्यवस्था करने हेतु, ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रिलर, थ्रेशर आदि खरीदने के लिए, गोदाम आदि बनवाने के लिए हम लोग बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं।

प्रश्न :- अगर आप लोगों को बैंकिंग प्रणाली से असंतोष है तो आप लोग ऊपर शिकायत क्यों नहीं करते हैं?

उत्तर :- हम लोग किसान आदमी हैं, खेती करके किसी तरह अपना जीवन-यापन करते हैं उसमें ये शिकायत या सरकारी लड़ाई लड़ना हमारे वश की बात नहीं हैं।

प्रश्न :- गांव में सिंचाई के साधन कैसे हैं?

उत्तर :- गांव में एक सरकारी ट्यूबवेल है व आठ दस निजी ट्यूबवेल है जिनसे सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है वैसे किसान तो मुख्य रूप से बारिश के पानी पर ही निर्भर करता है।

प्रश्न :- क्या अभी हाल में आपके गांव में कुछ विकासात्मक कार्य हुए हैं?

उत्तर :- हमारा गांव तो उन्नतशील गांव कहा जायेगा यहां गांव तक पक्की सड़कें हैं, गांव में ही बिजली पावर हाउस व थाना है, गांव में कन्या जूनियर हाईस्कूल विद्यालय है, तथा इस वर्ष उम्मीद है कि मैं पूरे गांव में ईंटों की सोलिंग करवा दूंगा, कुल मिलाकर हमारा गांव अन्य गांवों से अच्छा ही है।

प्रश्न :- क्या आपके गांव में लघु या छोटे उद्योग स्थापित किये गये हैं?

उत्तर :- हमारे गांव में अभी हाल के वर्षों में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारे गांव के गिने-चुने लोग सरकारी नौकरियों में हैं कुछ लोग दिल्ली, बम्बई जैसी बड़ी जगहों पर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं शेष लगभग ९५ प्रतिशत लोग खेती से ही अपना जीवन-यापन कर रहे हैं इसके अतिरिक्त यहां कोई अन्य कार्य नहीं है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (चाँदपुर, सठिगवां) फतेहपुर में कार्यरत एक कर्मचारी से व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा मैंने निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त की :-

प्रश्न :- आप किसानों को किस प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं ?

उत्तर :- हम किसानों की आवश्यकता के अनुरूप दीर्घकालीन, मध्यमकालीन एवं अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं वैसे ये किसानों की आवश्यकता पर निर्भर करता है कि उन्हें किस प्रकार के ऋण की आवश्यकता है।

प्रश्न :- किसानों का आरोप है कि उन्हें कभी भी समय से ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है इस बारे में आप क्या कहेंगे ?

उत्तर :- देखिए ऋण प्रदान करने में अधिक समय लगनें के प्रमुख कारण किसान स्वयं हैं, ज्यादातर किसान अशिक्षित हैं और प्रत्येक ऋण में कुछ आवश्यक कागजी कार्यवाही की आवश्यकता होती है व कुछ कागज किसान को स्वयं लाकर देने होते हैं जिससे कुछ विलम्ब होता है फिर कुछ समय बैंक की कार्यवाही में लग जाता है जिससे कुछ विलम्ब तो हो ही जाता है।

प्रश्न :- क्या किसान क्रेडिट कार्ड योजना यहां लागू नहीं की गई है ?

उत्तर :- हमारे यहां भी यह योजना लागू हो चुकी है और हमने भी योग्य १०० किसानों को क्रेडिट कार्डो का वितरण किया है। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष २००५ की समाप्ति तक हम देश के समस्त योग्य किसानों को क्रेडिट कार्ड का वितरण कर देंगें जिससे ऋण सरलता पूर्वक एवं शीघ्रता पूर्वक प्रदान किये जा सकेंगें।

प्रश्न :- क्या कारण है कि आज भी किसानों को संस्थागत स्रोतों से ऋण प्राप्त नहीं हो पा रहा है?

उत्तर :- इसका प्रमुख कारण किसानों का अशिक्षित होंना एवं जानकारी का अभाव है जिसके कारण किसान आज भी बैंकों से दूर भागते है व साहूकारों के चंगुल में फंसते जाते हैं और कुछ कर्मी तो हमारी बैंकिंग व्यवस्था की भी है कि उन्हें हम सरलता पूर्वक तत्काल ऋण उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं।

प्रश्न :- क्या आप लोग किसानों को बैंकिंग सुविधओं की जानकारी नहीं दे सकते है ?

उत्तर :- हम लोग नाबार्ड के निर्देशन में प्रत्येक माह के अन्तिम शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोंजन करते हैं जिसमें क्षेत्र के किसानों एवं व्यक्तियों को बुला कर अपनी नई-नई योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी प्रदान करते हैं ताकि किसान बैंकों की ओर आकर्षिक हो सकें।

प्रश्न :- इस वर्ष अनुत्पादक आस्तियों की क्या स्थिति है ?

उत्तर :- इस वर्ष पूरे प्रदेश में सूखा पड़ जाने के कारण अनुत्पादक आस्तियों की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है पिछले वर्ष एवं इस वर्ष के दौरान वितरित किये गये लगभग सभी ऋण डूबने की अवस्था में हैं किसान का कहना है कि जब हमारे खाने को नहीं है तो हम बैंक की किस्त कहां से दें इसलिए स्थिति चिंताजनक बनी हुई है ।

श्री जितेन्द्र नाथ पाण्डेय, धाता, जिला कौशाम्बी जो कि सी०डी०ए० पेंशन इलाहाबाद से लेखाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त होंने के पश्चात् खेती करवा रहे हैं से हमनें व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त कीं :-

प्रश्न :- क्या आप नाबार्ड के बारे में जानते हैं ?

उत्तर :- नाबार्ड एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो कि कृषि एवं ग्रामीण विकास के उद्देश्य से बनाई गई है।

प्रश्न :- आप की कृषि आवश्यकताओं हेतु ऋण किस प्रकार उपलब्ध होता है ?

उत्तर :- हमें अपनें व्यक्तिगत निजी साधनों से व बैंक दोनों से ऋण प्राप्त हो जाता है और यह हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है कि हमारी आवश्यकता किस प्रकार की है उसी प्रकार के स्रोत का प्रयोग हम कर लेते हैं।

प्रश्न :- आप अपने किन निजी साधनों से ऋण प्राप्त करते हैं ?

उत्तर :- हम आवश्यकता पड़ने पर अपनें रिश्तेदारों से, मित्रों से तथा गांव में ही बड़े व्यापारियों से ऋण प्राप्त कर लेते हैं चूंकि ये ऋण तत्काल एवं सरलतापूर्वक प्राप्त हो जाते हैं इसलिए इन्हें प्राप्त करनें में ज्यादा सुविधा रहती हैं।

प्रश्न :- आप केवल बैंक से ही ऋण क्यों नहीं प्राप्त करते हैं ?

उत्तर :- ऐसा नहीं है कि हम लोग बैंक से ऋण लेते ही नहीं हैं किन्तु हमारी ज्यादातर कृषि आवश्यकताएं तत्काल की होती हैं जिनमें हमें पैसा तुरन्त चाहिए होता है और बैंकिंग कार्यवाही में थोड़ा समय तो लगता ही है जिसमें हमारा काफी नुकसान हो जाता है इसलिए ऐसे ऋण हम अपने निजी साधनों से ही प्राप्त कर लेते हैं ।

प्रश्न :- क्या आप वर्तमान बैंकिंग प्रणाली से संन्तुष्ट नहीं हैं?

उत्तर :- वर्तमान बैंकिंग प्रणाली पढ़े-लिखे व्यक्ति के लिए तो सर्वथा उपयुक्त है किन्तु अनपढ़ किसान के लिए उपयुक्त नहीं है, बैंक की लम्बी कागजी कार्यवाही एक ऋण के लिए अनेक प्रमाण पत्रों की आवश्यकता और अंत में घूसखोरी जिनके चलते वर्तमान बैंकिंग प्रणाली हमारे किसान के लिए पूर्णतया अनुपयुक्त सिद्ध होती है।

प्रश्न :- आप के गांव में सिंचाई के साधनों की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर :- हमारे गांव में दो सरकारी ट्यूबवेल व एक नहर हैं जिसमें आठ महीने पानी ही नहीं रहता है इसी का कारण है कि इस वर्ष बारिश न होने से सम्पूर्ण क्षेत्र में त्राहि-त्राहि मच गई थी और लोगों की फसलें सूख गई। सूखा घोषित होंने पर हमारें गांव को भी सरकारी सहायता दी गई जिसमें हमारे गांव में एक बड़ा तालाब बनना था ठेकेदार ने साठ मीटर लम्बा और चालीस मीटर चौड़ा तालाब तो खोदा किन्तु उसकी गहराई मात्र दो फिट की और उसमें पानी भरवा कर जांच करवा दिया अब वह तालाब सूख कर एक बड़ा सा गड्ढ़ा बन गया है और फिर सिंचाई की समस्या ज्यों की त्यों है।

प्रश्न :- आप बैंकिंग व्यवस्था में सुधार हेतु नाबार्ड को कुछ सुझाव देना चाहेंगे ?

उत्तर :- नाबार्ड को ग्रामीण विकास हेतु बैंकिंग व्यवस्था को अत्यधिक लोचपूर्ण बनाना चाहिए ताकि इसका लाभ निरक्षर किसान भी उठा सकें, बैंकिंग कार्यवाही में लगनें वाले समय को कम करने का प्रयास करना चाहिए व किसानों से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित कर उनकों बैंकिंग सुविधाओं के बारे में बता कर उनको बैंकों की ओर आकर्षित करना चाहिए ।

श्री वी0 के0 गुप्ता, वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, सेवा शखा, सिविल लाइन्स इलाहाबाद, से व्यक्तिगत साक्षात्कार में मैंने निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त कीः-

श्री गुप्ता जी वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक होंने के साथ-साथ कृषि कार्य का भी ज्ञान रखते हैं, जिला इटावा में इनका काफी बड़ा फार्म हाउस है जिसमें आम, अमरूद, के बगीचे, माचिस की तीलियां बनाई जाने वाली लकड़ी तथा मौसमी सब्जी आदि की खेती श्री गुप्ता जी अपनें निरीक्षण में स्वयं करवाते हैं, उनसे निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त हुई :-

प्रश्न :- आप बैंकिंग के साथ-साथ कृषि कार्य का भी ज्ञान रखते हैं, दोनों कार्य साथ-साथ कैसे सम्भव हो पाता है?

उत्तर :- बैंक के कार्य मेरी जिम्मेदारी है और कृषि कार्य मेरा शौक है, मैंनें एम०एस०सी० (कृषि) में किया है और प्रारम्भ से ही खेती करनें का विचार था और अब बैंक एवं खेती दोनों कार्य कर रहा हूँ।

प्रश्न :- क्या आप कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंक से वित्त प्राप्त करते हैं?

उत्तर :- कृषि एक ऐसा व्यवसाय है इसमें जितना अधिक विनियोग करते जाइये यह उतना ही अधिक लाभ देता है जैसे कृषि के वैज्ञानिकीकरण से, नवीन यंत्रों के प्रयोग से, उन्नतशील बीजों से, और सिंचाई के उत्तम साधनों से अच्छीफसल प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है और हमें बैंक से ऋण प्राप्त करना आवश्यक हो जाताहै।

प्रश्न :- क्या आप ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में उपलब्ध बैंकिंग व्यवस्था से संतुष्ट हैं?

उत्तर :- सरकार ने अनेक बैंकों की स्थापना मात्र कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए की है, जिनका प्रमुख लक्ष्य ही कृषि के लिए वित्त उपलब्ध करवाना है, उनसे सरलतापूर्वक कृषि कार्यो हेतु वित्त प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी वर्तमान बैंकिंग तंत्र में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है जैसे- ग्रामीण बैंकिंग में लगी वित्तीय संस्थाओं को अपनी कार्यप्रणाली में सरलता एवं लचीलापन लाना चाहिए ताकि किसानों को आसानी से व समय पर ऋण उपलब्ध हो सके साथ ही वाणिज्यिक बैंकों को भी अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करके ग्रामीण विकास में अपना योगदान करना चाहिए।

प्रश्न :- क्या आप नाबार्ड की कार्य प्रणाली से संन्तुष्ट हैं?

उत्तर :- मेरे विचार से नाबार्ड ने ग्रामीण विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है जहां १९८० में मात्र २१ प्रतिशत ग्रामीण वित्त की पूर्ति संस्थागत स्रोतों द्वारा की जाती थी वहीं वर्ष २००१ में ७९ प्रतिशत ग्रामीण वित्त की पूर्ति संस्थागत स्रोतों द्वारा की गई, नाबार्ड ने अपनी स्थापना काल से लेकर आज तक ग्रामीण बैंकिंग में व्यापक सुधार किये हैं व इन बीस वर्षों में ग्रामीण बैंकिंग का तरीका ही बदल दिया है, जिस प्रकार थोड़ी कमी हर चीज में होती है उसी प्रकार नाबार्ड में भी कुछ दोष व्याप्त हैं यदि उन दोषों को दूर कर दिया जाए तो नाबार्ड ग्रामीण विकास के लिए पूर्णतः सफल संस्था कहलाएंगी।

प्रश्न :- आप नाबार्ड में किन सुधारों की सिफारिश करेंगे?

उत्तर :- सर्वप्रथम तो नाबार्ड को जनता के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि नाबार्ड ऐसे लोगों के विकास के लिए कार्य कर रहा है जो कि अपनी बात या अपनी आवश्यकता के बारे में हमसे नहीं कह सकते हैं इसलिए हमें ही उनकी आवश्यकताओं का पता लगाना है व हमें ही उसे पूरा भी करना है जिसके लिए प्रत्यक्ष सम्पर्क नितांत

आवश्यक है, इसके साथ ही नाबार्ड को ग्रामीण विकास में लगी वित्तीय संस्थाओं को इस प्रकार निर्देशित करना चाहिए कि उनकी अनुत्पादक आस्तियों की स्थिति नियंत्रित हो जाए जिसके लिए ऋण वसूली अनुपात में सुधार लाना आवश्यक है, वित्तीय संस्थाओं को इस ढ़ंग से निर्देश देना कि बैंकिंग प्रक्रिया सरल की जा सके व किसानों को समय से वित्त उपलब्ध किया जा सके। वाणिज्यिक बैंकों से उत्तम तालमेल स्थापित कर उन्हें भी ग्रामीण वित्त में योगदान प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करना आदि सुधार नाबार्ड में किये जाने चाहिए।

श्री सच्चिदानन्द राय, निवासी-दिलदार नगर, जिला-गाजीपुर से मैंने व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा निम्नलिखित जानकारीयां प्राप्त कीं :-

प्रश्न :- कृषि कार्य में मुख्यतया किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है?

उत्तर :- कृषि की सबसे बड़ी समस्या वित्त का अभाव है, हमे यदि समय से पर्याप्त मात्रा में वित्त उपलब्ध करवा दिया जाए तो हम देश की दशा बदल सकते हैं, किन्तु सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यही है कि जिस व्यवसाय में देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग लगा हुआ है, उसके सुधार की किसी को भी चिन्ता नहीं है।

प्रश्न :- आज ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु अनेक वित्तीय संस्थाएं कार्य कर रहीं हैं, क्या आपको उनसे वित्त प्राप्त नहीं हो पाता है ?

उत्तर :- ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु अनेक वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई है किन्तु किसान के लिए वित्त प्राप्ति आज भी एक समस्या बनी हुई है, वित्तीय संस्थाएं वित्त प्रदान करनें में अत्यधिक समय लगाते हैं और उनकी लम्बी कागजी कार्यवाही की पूर्ति निरक्षर किसान नहीं करा पाता है एक निरक्षर किसान के लिए ग्रामीण वित्त की स्थिति आज भी वही बनी हुई है जो आज से पचास साल पहले थी। हमें ऋण की प्राप्ति अपनें निजी साधनों से शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं इसलिए केवल दीर्घकालीन विनियोग के लिए ही हम लोग बैंकों की सहायता लेते हैं अन्यथा हम लोग निजी साधनों से ही अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं।

प्रश्न :- आप के क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं का ग्रामीण वित्त में योगदान कैसा है?

उत्तर :- हमारे क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं का योगदान संतोषजनक नहीं हैं, बैंकों की कार्य प्रणाली सहारा प्रदान करने वाली न होकर अवरोध उत्पन्न करनें वाली है, हम लोग यदि बैंक ऋण

लेने हेतु जाते हैं तो हमें इतनी कागजी कार्यवाही बता दी जाती है कि हम लोग सरलतापूर्वक जल्द पूरा नहीं कर सकते हैं और बैंकिंग कार्यवाही भी इतनी लम्बी चल जाती है कि हमें समय से ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है।

प्रश्न :- आप अपने क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक हैं आप पहले की बैंकिंग व्यवस्था में एवं वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था में क्या अन्तर महसूस करते हैं?

उत्तर :- पहले ग्रामीण वित्त की पूर्ति का एक मात्र स्रोत साहूकार हुआ करते थे क्योंकि बैंकों की संख्या न के बराबर थी और बैंक के कार्य ये देशी बैंकर ही किया करते थे किन्तु वर्तमान समय में बैंकिंग व्यवस्था में काफी सुधार किया गया है, बैंकों का ग्रामीण वित्त में आज काफी योगदान है, किन्तु बैंकों की कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं है, वे किसानों को कभी भी समय से वित्त उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं जिसके कारण आज भी साहूकारों का अस्तित्व जीवित है।

प्रश्न :- क्या आप नाबार्ड के बारे में जानते हैं?

उत्तर :- ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर की संस्था के रूप में नाबार्ड की स्थापना की गई हैं, जिसका मुख्य कार्य ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु बैंकिंग संस्थाओं को ऋण प्रदान करना है तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु योजनाएं तैयार करके उनको क्रियान्वित करनें का कार्य भी नाबार्ड को सौंपा गया है।

प्रश्न :- क्या आप नाबार्ड की कार्य प्रणाली से सन्तुष्ट हैं?

उत्तर :- नाबार्ड की स्थापना से ग्रामीण बैंकिंग में व्यापक सुधार हुए हैं, ग्रामीण वित्त की मांग का एक बड़ा भाग बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा पूरा किया जानें लगा है, किन्तु फिर भी वर्तमान समय में नाबार्ड की कार्यप्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है।

प्रश्न :- आप नाबार्ड में किन परिवर्तनों की सिफारिश करेंगे?

उत्तर :- सर्वप्रथम तो नाबार्ड को जनता के प्रत्यक्ष सम्पर्क में कार्य करनें का प्रयास करना चाहिए जिससे नाबाड़ं को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं का पता लगा सके तथा इस बात का मूल्यांकन भी हो सके कि बैंकिग संस्थाएं अपने दायित्वों को पूर्ण कर पा रही है या नहीं, इसके साथ ही बैंकिंग प्रणाली को कुछ सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि निरक्षर किसान भी सरलतापूर्वक बैंक से लाभ प्राप्त कर सके, बैंकों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी किसानों को शिविरों या कैम्पों के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए।

कु0 नूतन शोध छात्रा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुईं :-

प्रश्न :- भारत एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, कृषि की वर्तमान दशा के विषय में आपके क्या विचार हैं?

उत्तर :- भारत में कृषि एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में अपनायी गई है, यहां की जनसंख्या का लगभग दो तिहाई भाग कृषि पर ही आश्रित है, परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में कृषि की दशा आज भी सोचनीय है, किसानों के पास आज भी वित्त का अभाव है, आज भी सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है किसान पूर्णतया बारिश पर ही आश्रित हैं, किसानों के पास आज भी उन्नतशील बीज या खाद आदि उपलब्ध नहीं है इसलिए किसानों की दशा आज भी सोचनीय है और कृषि एक अलाभकारी व्यवसाय बनी हुई है।

प्रश्न :- किसानों के पास आज भी वित्त की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है इसके क्या कारण हैं?

उत्तर :- स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से सरकार ने कृषि वित्त की पूर्ति के अनेक साधन उपलब्ध किये हैं किन्तु उनकी कार्यप्रणाली दोषपूर्ण होने के कारण, किसानों के पास आज भी वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जिसके कारण उनको साहूकारों की मदद लेनी पड़ती है जिसके कारण किसान ऋण के बोझ से उबर नहीं पाता है इसलिए आज बैंकिंग व्यवस्था में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

प्रश्न :- क्या आप नाबार्ड के विषय में जानतीं है?

उत्तर :- प्रारम्भ में ग्रामीण वित्त की पूर्ति का दायित्व भारतीय रिजर्व बैंक के ही ऊपर था, विभिन्न आयोगों की सिफारिशों पर इसके कार्यों के विकेन्द्रीकरण का निर्णय लिया गया जिसके

फलस्वरूप ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय स्तर की पृथक संस्था के रूप में नाबार्ड की स्थापना की गई।

प्रश्न :- क्या नाबार्ड ग्रामीण वित्त की पूर्ति करने में सफल रहा है?

उत्तर :- अपनी स्थापना काल १९८२ से लेकर आज तक नाबार्ड ने ग्रामीण वित्त की पूर्ति में सराहनीय योगदान प्रदान किया है किन्तु इसे हम पर्याप्त नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण वित्त की पूर्ति में आज केवल सुधार ही हुआ है हम इसे पर्याप्त नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसानों की दशा आज भी दयनीय है उन्हें वित्त साहूकार से ही लेना पड़ता है, सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता है, आज भी गांवों में भण्डारीकरण की समुचित व्यवस्था नहीं है, आज भी गांव में यातायात की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, बैंकिंग संस्थाओं का उचित सहयोग किसानों को प्राप्त नहीं है, इसलिए ग्रामीण वित्त की पूर्ति आज भी अपर्याप्त ही कहीं जायेगी।

प्रश्न :- यदि आप से नाबार्ड की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए कहा जाए तो आप किन परिवर्तनों की सिफारिश करेंगी?

उत्तर :- नाबार्ड को ग्रामीण विकास में लगी बैंकिंग संस्थाओं के बीच उचित समन्वय स्थापित कर उन पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, जबकि अभी हाल ही में ग्रामीण बैंक के द्वारा एक पृथक राष्ट्रीय स्तर की संस्था बनाये जानें की मांग की जा रही हैं, नाबार्ड को अपने कार्यालयों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए, नाबार्ड को ग्रामीण बैंकिंग संस्थाओं में अनुत्पादक आस्तियों की स्थिति में सुधार लाना चाहिए, नाबार्ड को बैंक कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए ताकि वे किसानों की सहायता करके उन्हें बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी प्रदान कर सकें।

प्रश्न :- कृषि आज भी एक अलाभकर व्यवसाय बनी है, इसके लिए आप किसे दोषी मानती हैं?

उत्तर :- इसके लिए मुख्य रूप से हमारी सरकार जिम्मेदार है जो कि गांवों में शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं करती है, वित्त की उचित व्यवस्था नहीं करती है, सिंचाई के पर्याप्त स्थायी साधन आज भी उपलब्ध नहीं है, फसलों के भण्डारीकरण की उचित व्यवस्था आज भी नहीं है, गांवों में यातायात की उचित व्यवस्था आज भी उपलब्ध नहीं है, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना गांवों में आज तक नहीं की जा सकी है, कृषि के ऊपर जनसंख्या का भार अत्यधिक ज्यादा है जिसके कारण कृषि आज तक अलाभकर व्यवसाय बनी हुई है जिसके लिए मुख्य रूप से हमारी सरकारें ही जिम्मेदार है।

श्री भवानी शंकर व्यास ग्राम प्रधान-जलालपुर जिला हमीरपुर से मैंने व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा निम्नलिखित सूचानाएं प्राप्त की :-

प्रश्न :- आप के गांव में कृषि की वर्तमान दशा कैसी है?

उत्तर :- हमारे गांव में कृषि की दशा अच्छी नहीं कही जा सकती है, मात्र कुछ काश्कार ऐसे हैं जिनके पास अपना पैसा है तो उनकी कृषि अच्छी है शेष किसान तो संघर्ष करके ही जीवन यापन कर रहे हैं, कृषि सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध न होंने से कृषि की दशा चिन्ताजनक हैं।

प्रश्न :- क्या आपके गांव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है?

उत्तर :- हमारे गांव में एक ग्रामीण बैंक है लेकिन उसका होना या न होना एक बराबर है, क्योंकि उससे हमें किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती है, बैंक की लम्बी कागजी कार्यवाही पूरा करना हमारे वश में नहीं होता है जिससे हमें बैंक से ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है।

प्रश्न :- आप लोगों को ऋण किन साधनों से प्राप्त होता है?

उत्तर :- हमें आवश्यकता पड़नें पर ऋण की व्यवस्था अपने निजी साधनों से ही करनी पड़ती है जिसके लिए हमें अपने रिश्तेदारों, गांव के साहूकार व महाजन की सहायता लेनी पड़ती है।

प्रश्न :- क्या आप नाबार्ड के विषय में जानते हैं?

उत्तर :- नहीं हमें नाबार्ड के विषय में कोई जनकारी नहीं है।

प्रश्न :- आपके गांव में सिंचाई के क्या साधन हैं?

उत्तर :- हमारे गांव में सिचाई के स्थायी साधन के रूप में नदी है व कुछ लोगों के अपने निजी ट्यूबवेल है जिनसे पैसा देकर पानी प्राप्त किया जा सकता है, इनके अतिरिक्त सरकारी ट्यूबवेल आदि की कोई भी व्यवस्था हमारे यहां पर नहीं है।

प्रश्न :- क्या बैंक कर्मचारियों के द्वारा बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी आप लोगों को प्रदान की जाती है?

उत्तर :- हमें बैंक कर्मचारियों के द्वारा आज तक कोई भी जानकारी प्रदान नहीं की गई है कि हमें कौन-कौन सी सुविधाएं मिल सकती है, सरकार के द्वारा कौन सी नई योजनाएं चालू की गई है, या हमें कृषि आवश्यकंताओं हेतु किस प्रकार ऋण प्राप्त हो सकता है।

प्रश्न :- आप अपने गांव की दशा में सुधार हेतु कुछ कहना चाहेंगे?

उत्तर :- हमारे गांव में कुछ चीजों की नितांन्त आवश्यकता है जैस - सिंचाई के साधन उपलब्ध होंने चाहिए, बैंकिंग व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, गांव में स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए तथा यातायात की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, इन सुधारों के फलस्वरूप गांव के विकास की सम्भावना की जा सकती है।

नाबार्ड के अधिकारियों एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से ग्रामीणों से लिये गये साक्षात्कारों से हमें स्पष्ट होता है कि ग्रामीण दशा में पहले से सुधार तो हुए हैं किन्तु ये पर्याप्त आज भी नहीं है, आज भी किसानों की दशा सोचनीय बनी हुई है, आज भी ग्रामीण वित्त का एक बड़ा भाग साहूकारों के द्वारा पूर्ण किया जा रहा है. आज भी कृषि पर जनसंख्या का भार अत्याधिक ज्यादा है जिससे कृषि अलाभकर बनी हुई है, आज भी गांवों में यातायात की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, गांवों में लघु एवं कुटीर उद्योगों का पूर्णतया अभाव है। गांवों में बैंकिंग सुविधाएं आज भी उपलब्ध नहीं हैं कहनें के लिए तो हमनें बैंक खोल दिये है किन्तु उनकी कार्यप्रणाली इतनी ज्यादा दोषपूर्ण है कि किसानों को समय से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है। इस प्रकार यदि यह कहा जाए कि कृषि एवं ग्रामीण विकास आज भी अपर्याप्त एवं अधूरा है तो यह गलत न होगा। विभिन्न कमेटियों एवं आयोगों की सिफारिशों पर राष्ट्रीय स्तर की संस्था के रूप में नाबार्ड की स्थापना की गई और पिछले बीस वर्षों से नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास का प्रयास कर रहा है। नाबार्ड की स्थापना का सबसे बड़ा उद्देश्य था ग्रामीण वित्त की पूर्ति करना लेकिन किये गये सर्वेक्षण से तो यही स्पष्ट होता है कि बैंकिंग व्यवसाय आज भी काफी ज्यादा दोष पूर्ण है जिसके चलते किसानों को समय से वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं हो पा रही है। नाबार्ड के द्वारा सिंचाई के साधनों के लिए भी अलग से ऋण की व्यवस्था की जाती है किन्तु फिर भी सिंचाई के साधन अपर्याप्त है अभी हम हाल ही में देखें तो बारिश समय से न होने पर पूरे प्रदेश में सूखा पड़ गया अर्थात सिंचाई के साधनों का आज भी अभाव है। गांवों में आज भी सरकारी मण्डियों का अभाव है जिससे किसान गांव के ही व्यापारी को फसल बेंचनें को मजबूर हो जाते हैं। गांवों में आज भी भण्डारीकरण की उचित व्यवस्था नहीं है जिससे किसान अपनी तैयार फसल को ज्यादा समय तक रख नहीं सकते हैं अर्थात गांवों में आज भी अनेक कमियां व्याप्त हैं जिनके चलते आज तक गांवों का समुचित विकास नहीं हो सका है। एक तरफ तो हम नाबार्ड जैसी पुनर्वित्त प्रदान करनें वाली संस्थाओं की स्थापना करके इस बात का दावा करते हैं कि हमनें अपने ग्रामीण विकास के लक्ष्य को पूर्ण कर लिया है किन्तु वास्तविकता इससे अलग ही है। ये

सत्य है कि नाबार्ड की स्थापना से गांवों की दशा में सुधार हुए हैं किन्तु ये अभी पूर्ण नहीं है क्योंकि कृषि व्यवसाय आज भी एक अलाभकर व्यवसाय बनी हुई है जिसका एक मात्र मुख्य कारण है वित्त का अभाव। जिससे स्पष्ट है कि नाबार्ड अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करनें में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका है, कहीं न कहीं उसकी कार्यप्रणाली में कमियां व्याप्त है जिसके कारण उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य 'ग्रामीण वित्त की पूर्ति' आज भी अधूरा है।

ये सच है कि गांवों की दशा में पूर्ण रूप से परिवर्तन नही आ पाया है और इनमें आज भी कुछ अनिवार्य आवश्यकताएं पूर्ण होनी बाकी है फिर भी हम नाबार्ड के योगदान को नकार नहीं सकते हैं नाबार्ड ने कृषि एवं ग्रामीण विकास में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है, इसका योगदान सराहनीय है यह अलग बात है कि कुछ अन्य कमियों की वजह से ग्रामीण विकास का लक्ष्य आज भी अधूरा है फिर भी ग्रामीण विकास में नाबार्ड की भूमिका सराहनीय है।

सूचना स्त्रोत

1- *नेशनल बैंक न्यूज रिब्यू (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित)*

2- *वार्षिक रिर्पोट नाबार्ड*

3- *बर्ड लाइब्रेरी लखनऊ*

4- *व्यक्तिगत साक्षात्कारों द्वारा*

******

अध्याय—7

निष्कर्ष एवं संस्तुतियां

भारत एक विकासशील देश है और यहां कृषि एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में अपनायी जाती है। यहां की जन संख्या का एक बड़ा भाग कृषि पर आश्रित हैं। वर्ष २०००-२००१ के आंकड़ों के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का लगभग ६८ प्रतिशत भाग सक्रिय रूप से कृषि कार्य में लगा हुआ है। सामान्यतया कोई व्यवसाय जो देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और देश की जन संख्या का बड़ा भाग जिस व्यवसाय पर आश्रित हो, उसको सरकारी संरक्षण प्राप्त होना चाहिए एवं उसकी प्रगति का पूरा ध्यान रखना चाहिए, किन्तु हमारे देश में बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि कृषि व्यवसाय जिस पर देश की जन संख्या का एक बड़ा भाग आश्रित है, उसकी प्रगति व आवश्यकताओं पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कृषि के पिछड़ेपन का सीधा प्रभाव किसान के जीवन स्तर पर पड़ता है, किसान अपने परिवार का पालन पोषण ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, दो समय का भोजन ठीक से उपलब्ध नहीं हो पाता है और सदैव अभाव का जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाता है। किसान के पास कृषि व्यवसाय को लाभप्रद बनाने के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, उसके पास सदैव वित्त का अभाव बना रहता है, किसान के पास सिंचाई के उत्तम एवं स्थायी साधन उपलब्ध नहीं होते है, किसान को नवीन तकनीकों एवं वैज्ञानिक पद्धतियों की जानकारी नहीं होती हैं, किसान के पास उन्नतशील बीज एवं खादें उपलब्ध नहीं होती है, गांवों में बैंकिंग सुविधाओं का आज भी अभाव पाया जाता है, गांवों में यातायात की समुचित व्यवस्था नहीं है, गांवों में भण्डारग्रहों का पूर्णतया अभाव है जिससें किसान अपनी तैयार फसलों को सुरक्षित नही रख पाते

हैं, गांवों में सरकारी मण्डियों का आज भी अभाव है जिसके कारण मजबूर होकर किसान को अपनी फसल गांव के ही व्यापारी को बेचनी पड़ती है अर्थात् कृषि की दशा आज भी सोचनीय बनी हुई है। यह कहा जाता था कि भारत गांवों का देश है और यहां की सुन्दरता गांवों में निवास करती है किन्तु आज जब गांवों में दो वक्त का भोजन उपलब्ध नहीं है, तन ढकनें को कपड़े उपलब्ध नहीं है. रहने के लिए घर मौजूद नहीं है, किसान का रोम-रोम कर्ज में डूबा हुआ है तो सुन्दरता कहां से नजर आयेगी।

हमारे देश में कृषि के पिछड़ेपन के अनेक कारण रहे है जैसे : कृषि पर जन संख्या भार अत्याधिक ज्यादा होना, किसानों को सदैव वित्त का अभाव रहना, कृषि यंत्रीकरण एवं नवीनीकरण के समुचित साधन उपलब्ध न होना, सिंचाई के स्थायी साधनों का अभाव होना, शिक्षा का अभाव होना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलबध न होना इसके प्रमुख कारण रहे हैं। इन कारणों में ग्रामीण वित्त का अभाव सबसे प्रमुख कारण है, किसी भी व्यवसाय से लाभ प्राप्त करनें के लिए उसमें पूंजी लगाना आवश्यक होता है उसी प्रकार कृषि व्यवसाय को एक लाभप्रद व्यवसाय बनाने के लिए पर्याप्त ग्रामीण वित्त की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के ५२ वर्ष पूर्ण कर लेने के पश्चात् भी आज तक ग्रामीण वित्त की पूर्ति की ठोस एवं स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकी है। कहनें के लिए तो हमनें अनेक संस्थाओं की स्थापना आज तक की है किन्तु कोई भी संस्था ग्रामीण वित्त की पूर्ति की समुचित व्यवस्था करनें में सफल नहीं हुई है।

कृषि की दयनीय दशा में सुधार के उपाय तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही किये जा रहे हैं, किन्तु उसके सार्थक परिणाम आज तक प्राप्त नहीं हुए हैं। किसानों की दयनीय दशा में सुधार का उपाय सर्वप्रथम सहकारी संस्थाओं की स्थापना करके की गई थी। १९०१ में गठित अकाल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सहकारी सस्थाओं के गठन की सिफारिश की थी। सहकारी संस्थाओं का विधान तैयार करने के लिए सर एडवर्डला की अध्यक्षता में कमेटी बनी, इस कमेटी ने जून-जुलाई १९०१ में शिमला में सहकारी संस्थाओं का विधान तैयार किया। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भारत में पहला सहकारी कानून २५

मार्च १९०४ को सहकारी साख अधिनियम, १९०४ के नाम से बना। सहकारी समितियों ने किसानों को ग्रामीण वित्त उपलब्ध करनें में अहम् भूमिका निभाई है किन्तु इनका योगदान ग्रामीण वित्त की पूर्ति के लिए पर्याप्त न था। सरकार ने १९३५ में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की और इसकों अन्य कार्यो के साथ ग्रामीण विकास एवं कृषि वित्त की पूर्ति करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी स्थापना काल १९३५ से लेकर १९८२ तक ग्रामीण वित्त पूर्ति का दायित्व जिम्मेदारी पूर्वक निभाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण वित्त की मांग को पूरा करनें के लिए कृषि साख विभाग, तथा कृषि पुनर्वित्त एवं विकास कारपोरेशन की स्थापना की, जिनका प्रमुख कार्य था ग्रामीण वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाना एवं उसकी पूर्ति करनें के लिए बैंकिंग संस्थाओं को वित्त उपलब्ध करवाना।

भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तथा तत्कालीन सरकारों के द्वारा अनेक कमेटियों, कमीशनों एवं आयोगों का गठन समय समय पर किया गया जो इस सम्बन्ध में जांच करते थे कि ग्रामीण वित्त की पूर्ति समुचित रूप से की जा रही है या नहीं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु स्थापित दोनों पृथक विभाग सुचारू रूप से अपनें उत्तरदायित्वों का निवर्हन कर रहें है या नहीं। विभिन्न कमेटियों और आयोगों द्वारा अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को और सरकार को सौंपी गई, जिनमें यह स्पष्ट बताया गया कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित ये दोनों पृथक विभाग अपने उत्तरदायित्वों का निवर्हन करने में असफल रहे है, और ग्रामीण वित्त की समस्या आज भी उसी प्रकार बनी हुई है, इसके साथ ही आयोगों ने इस बात की भी सिफारिश की कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर की एक पृथक संस्था की स्थापना की जाय जो केवल कृषि विकास एवं कृषि वित्त की पूर्ति का ही कार्य करें। चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने तो अपनी स्थापना काल से ही कृषि एवं ग्रामीण विकास के समुचित प्रयास किये, जिसके अन्तर्गत उसनें दो पृथक विभागों की भी स्थापना की, किन्तु ये पृथक विभाग भी ग्रामीण विकास के लक्ष्य को पूरा न कर सके और ग्रामीण वित्त की पूर्ति में पूर्णतया असफल हुए।

सरकार के द्वारा विभिन्न कमीशन बनाकर इन विभागों के कार्यों का मूल्यांकन करवाया गया जिसमें इन्हें लगातार असफल पाया गया जिससे सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने इन कमीशनों की सिफारिश पर एक पृथक राष्ट्रीय सतर की संस्था की स्थापना का निर्णय लिया। इस संस्था की स्थापना के मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निर्धारित किये गये तथा इस संस्था को वे समस्त कार्य सौंपे जाने का निर्णय लिया जो ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक हो। इस राष्ट्रीय संस्था की कार्यप्रणाली उसी प्रकार निर्धारित की गई जिस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों के सम्बन्ध में करता है उसी प्रकार राष्ट्रीय संस्था ग्रामीण बैंकिंग में कार्य करेगी। राष्ट्रीय स्तर की संस्था की स्थापना का विचार आने के पश्चात् नाबार्ड की स्थापना का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना कृषि एवं ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु, १९८२ में की गई और १९८२ से लेकर आज वर्ष २००२ तक यह राष्ट्रीय संस्था कृषि एवं ग्रामीण विकास में योगदान प्रदान कर रही है। अब हमें इस बात का अध्ययन करना है कि नाबार्ड अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति में किस हद तक सफल हुआ है और कृषि एवं ग्रामीण विकास के लक्ष्य को कहां तक प्राप्त कर सका है।

इस शोध कार्य में मैंने निम्न तथ्य प्राप्त किये हैं :-

1. नाबार्ड का प्रारम्भ :-

भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु स्थापित कृषि साख विभाग एवं कृषि पुनर्वित्त एवं विकास कारपोरेशन की असफलता के पश्चात् नाबार्ड की स्थापना का निर्णय लिया गया। नाबार्ड की स्थापना कृषि साख विभाग एवं कृषि पुनर्वित्त एवं विकास कारपोरेशन को मिला कर की गई और इनकी समस्त सम्पत्तियों एवं दायित्वों को नाबार्ड को हस्तांतरित कर दिया गया।

कृषि वित्त एवं विकास हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार के द्वारा अनेक कमेटियों एवं कमीशनों का गठन किया गया जिसमें से ज्यादातर ने इस बात की सिफारिश की कि भारतीय रिजर्व बैंक के

कार्यों का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है व एक पृथक संस्थान की स्थापना की जाए जो कि कृषि पुनर्वित्त एवं विकास का ही कार्य करता हो। बैंकिंग कमीशन १९७२ ने इस बात की सिफारिश की कि भारतीय रिजर्व बैंक के दोनों विभागों ए.आर.डी.सी. तथा ए.एफ.सी. को आपस में समायोजित करके कृषि साख एवं विकास की एक राष्ट्रीय संस्था का गठन किया जाये जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करें।

इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि आयोग १९७६ ने भारतीय रिजर्व बैंक को दिशा निर्देश दिये कि वह कृषि वित्तीयन के अपने ऐतिहासिक कार्य को छोड़ दें तथा कृषि विकास के लिए निचले स्तर से सुधार के प्रयास करे। जिसके लिए एक पृथक भारतीय कृषि बैंक की स्थापना करें जो कि केवल कृषि विकास के ही कार्य करें व ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करें। विभिन्न कमेटियों एवं कमीशनों की सिफारिशों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर की पृथक संस्था की स्थापना का निर्णय लिया। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश पर भारतीय कृषि साख सर्वेक्षण समिति के द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास तथा कृषि पुनर्वित्तीयन हेतु राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के लिए कुछ नाम प्रस्तावित किये गये : भारतीय कृषि विकास बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा राष्ट्रीय स्तर की संस्था के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के नाम की संस्तुति की गई। नाबार्ड की स्थापना करने के लिए ३० मार्च १९७९ को भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर श्री आई.जी. पटेल ने एक कमेटी का गठन किया जिसे 'शिवरमण कमेटी' कहा गया, इस कमेटी में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया गया :-

- ✓ श्री बी. शिवरमण — अध्यक्ष
- ✓ श्री जी. वी. के राव — सदस्य
- ✓ श्री एम. रामाकृष्नैया — सदस्य
- ✓ श्री एम. आर. श्रौफ — सदस्य

✓ श्री एल. सी. जैन — सदस्य

✓ श्री के. बी. खोरे — सदस्य

✓ श्रीमती एस. सत्याभामा — सदस्य

✓ श्री एच. बी. शिवरमणी — सदस्य सचिव

सर्वप्रथम भातीय रिजर्व बैंक ने इस आठ सदस्यीय कमेटी को ग्रामीण साख की आवश्यकता का अनुमान कर कृषि पुनर्वित्त एवं विकास कारपोरेशन (ए.आर.डी.सी.) के कार्यो एवं संगठनात्मक ढांचे की विवेचना करने तथा इस बात का अनुमान लगाने का कार्य सौंपा कि क्या कृषि साख एवं ग्रामीण विकास के लिए वास्तव में एक पृथक संस्था की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार शिवरमण कमेटी को अपनी रिपोर्ट ३१ दिसम्बर १९७९ तक प्रस्तुत करनी थी। शिवरमण कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट नवम्बर १९७९ में भारतीय रिजर्व बैंक को सौप दी। इस रिपोर्ट को ***CRAFICARD (The Commitee to Review Arrangement for Institutional Credit for Agriculture and Rural Development)*** कहा गया। इस रिपोर्ट में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास कारपोरेशन के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश की गई थी।

सरकार ने नाबार्ड की स्थापना का निर्णय लेते हुए, शिवरमण कमेटी में भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ अधिकारियों को शामिल किया और इस नये समूह को नाबार्ड की स्थापना हेतु एक ड्राफ्ट बिल तैयार करने का निर्देश दिया जिसके आधार पर नाबार्ड की स्थापना की जा सके। इस कमेटी के द्वारा (२८ और २९ जनवरी १९८०) क्रैफीकार्ड की बैठक में नई दिल्ली में नाबार्ड की स्थापना का पहला ड्राफ्ट बिल प्रस्तुत किया तथा १३ और १४ मार्च १९८० को इस कमेटी के द्वारा क्रैफीकार्ड की बैठक में दूसरा व अन्तिम ड्राफ्ट बिल बम्बई में प्रस्तुत किया गया। इन ड्राफ्ट बिलों की सहायता से नाबार्ड से सम्बन्धित सभी तथ्यों के विषय में निर्णय लिये गये जैसे : नाबार्ड की पूंजी संरचना, नाबार्ड की प्रबन्ध संरचना, नाबार्ड की

संगठनात्मक संरचना, नाबार्ड को व्यवसाय का हस्तांतरण, नाबार्ड की पुनर्वित्त व्यवस्था, नाबार्ड द्वारा ऋण प्राप्ति, नाबार्ड के कार्य, नाबार्ड के फण्ड, खातों का अंकेक्षण, नाबार्ड का स्टाफ आदि के विषय में योजना बनाकर नाबार्ड की स्थापना की गई और १२ जुलाई १९८२ से नाबार्ड ने कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

2. नाबार्ड के प्रारम्भिक उद्देश्य :-

भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। इसलिये देश के समन्वित विकास के लिए कृषि विकास नितांत आवश्यक हो जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् तो सरकार का यह सबसे प्रमुख लक्ष्य था कि कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों का समन्वित विकास हो सके। कृषि विकास की सबसे बड़ी बाधा रही है वित्त का अभाव जिसके कारण ग्रामीण विकास आज तक सम्भव नहीं हो सका है। १९५० में योजना आयोग की स्थापना की गई और पंचवर्षीय योजनाएं बना कर देश का समन्वित विकास करनें का प्रयास किया गया। प्रारम्भ से ही लगभग सभी योजनाओं का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण विकास ही रहा है और आज जब हम दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रवेश कर चुके हैं तब भी हमारा प्रमुख लक्ष्य कृषि एवं ग्रामीण विकास ही है अर्थात् हम योजना काल के ५२ वर्षों से कृषि एवं ग्रामीण विकास का प्रयास ही कर रहे हैं और सफलता शायद हमें आज तक नहीं मिल सकी है। कृषि एवं ग्रामीण विकास का सबसे प्रमुख बाधक तत्व है ग्रामीण वित्त, जिसकी पूर्ति की समुचित व्यवस्था शायद हम आज तक नहीं कर सके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ग्रामीण वित्त पूर्ति के प्रयास नहीं किये हैं, हमनें १९०४ में सहकारी संस्थाओं की स्थापना, १९३५ में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, १९६९ में बैंकों का राष्ट्रीकरण और १२ जुलाई १९८२ को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना प्रमुख हैं।

नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण वित्त की पूर्ति की समुचित व्यवस्था करना था जिससे समन्वित कृषि एवं ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। आज नाबार्ड की स्थापना

हुए बीस वर्ष पूर्ण हो चुके हैं किन्तु ग्रामीण वित्त पूर्ति की समुचित व्यवस्था आज तक नहीं हो सकी है। हां हम यह अवश्य कह सकते है कि ग्रामीण वित्त की पूर्ति में पहले से व्यापक परिवर्तन एवं सुधार हुआ है किन्तु पूर्ण इसे हम आज भी नहीं कह सकते हैं। ये सत्य है कि जहां वर्ष १९५१ में ८१ प्रतिशत ग्रामीण वित्त की पूर्ति गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा की जाती थी वहीं वर्ष २००१ में २२ ४ प्रतिशत थी अर्थात् ७७ ६ प्रतिशत ग्रामीण वित्त की पूर्ति संस्थागत स्रोतों द्वारा की गई। किन्तु प्रश्न यह उठता है कि आज भी २२.४ प्रतिशत ग्रामीण वित्त की पूर्ति गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा क्यो की जा रही है? इसका उत्तर भी स्पष्ट है कि नाबार्ड भी अपने उत्तरदायित्वों का पालन करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता है। जिसके कारण अभी तक लगभग एक चौथाई ग्रामीण वित्त की पूर्ति गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा की जा रही है।

नाबार्ड की स्थापना करते समय उसे वे समस्त कार्य सौंपे गये थे जो कि ग्रामीण विकास हेतु आवश्यक है और साथ ही ऐसे अधिकार भी दिये गये जो कि ग्रामीण विकास हेतु आवश्यक थे किन्तु फिर भी कृषि एवं ग्रामीण विकास के लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त न किया जा सका, जिसके प्रमुख कारण नाबार्ड की कार्य प्रणाली में दोष, नाबार्ड द्वारा ग्रामीण वित्त की समुचित व्यवस्था न कर पाना, नाबार्ड द्वारा बैंकों के मध्य उचित समन्वय स्थापित न कर पाना आदि कारण प्रमुख है। जिनमें यदि हम सुधार कर सके तो हम कृषि एवं ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते है और ग्रामीण वित्त पूर्ति में गैर संस्थागत स्रोतों पर पूर्णतया नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं।

नाबार्ड की स्थापना मुख्यतया निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु की गई थी : -

- कृषि आवश्यकताओं के लिए वित्त उपलब्ध करवाने हेतु।
- ग्रामीण विकास में लगी बैंकिंग संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करने हेतु।
- समन्वित कृषि एवं ग्रामीण विकास करने हेतु।
- बैंकिंग संस्थाओं के मध्य उचित समन्वय स्थापित करने हेतु।

- ग्रामीण बैंकिंग में लगी संस्थाओं का निरीक्षण करने हेतु एवं उन पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु।
- व्यापारिक बैंकों को ग्रामीण वित्त में योगदान करनें हेतु प्रोत्साहित करना।
- किसानों को कृषि की नवीन तकनीकों, वैज्ञानिक विधियों एवं नवीन यंत्रीकरण विधियों की जानकारी उपलब्ध करना।
- कृषि के ऊपर जनसंख्या के दबाव को कम करनें के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भण्डारीकरण की समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवाना।
- कृषि हेतु सिंचाई के स्थाई साधनों की व्यवस्था उपलब्ध करवाना।
- व्यापारियों के चंगुल से बचाने हेतु सरकारी मण्डियों की स्थापना करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की समुचित सुविधा उपलब्ध करवाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवाना।

नाबार्ड की स्थापना के समय उपरोक्त उंद्देश्यों की प्राप्ति की आशा की गई थी जिन्हें नाबार्ड कोपूर्ण करना था। नाबार्ड ने अपने बीस वर्षो के कार्यकाल में कृषि एवं ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, नाबार्ड ने अपनी स्थापना के सबसे प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण वित्त की पूर्ति को पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया है।जिसके लिए नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की व उन्हें पुनर्वित्त प्रदान किया ताकि किसानों को कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरलता से ऋण उपलब्ध हो जाए और किसानों को साहूकारों के चंगुल में फसना न पड़े। ग्रामीण बैंकिंग में लगी संस्थाओं की कार्यप्रणाली दोषपूर्ण होने के कारण तथा उनके मध्य उचित समन्वय के अभाव के कारण नाबार्ड अपने प्रमुख

लक्ष्य को पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पाया है। नाबार्ड की असफलता का एक और प्रमुख कारण रहा है, जनता से प्रत्यक्ष सम्पर्क का अभाव, देखिए नाबार्ड को अत्याधिक जिम्मेदारी वाला और महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है वह भी ऐसे लोगों के लिए कार्य करना है जो कि निरक्षर है व जिनका यह विचार होता है कि सरकारी ऋण ठीक नहीं होता है और एक बार यदि सरकारी ऋण लिया तो मनुष्य इससे कभी निकल नहीं पाता है। ऐसे व्यक्तियों के विकास का प्रयास कोई सरल कार्य नहीं है फिर भी नाबार्ड ने जिम्मेदारी पूर्वक अपने दायित्वों का निवर्हन किया और एक ऊंचे स्तर तक उसे पूर्ण भी किया। नाबार्ड को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करके जनता के प्रत्यक्ष सम्पर्क में कार्य करने का प्रयास करना चाहिए जिससे वह स्वयं ग्रामीणों की आवश्यकताओं को जान सके व उन्हें पूरा करनें का बैंकिंग संस्थाओं को उचित दिशा निर्देश दे सके और नाबार्ड का प्रमुख लक्ष्य पूर्ण हो सके।

3. नाबार्ड की संगठनात्मक संरचना :-

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका है। नाबार्ड के द्वारा लगभग उन सभी कार्यो का कियान्वयन किया जाता है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों के संदर्भ में किये जाते है। चूंकि नाबार्ड के कियाकलाप सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं इसलिए नाबार्ड की संगठनात्मक संरचना भी भारतीय रिजर्व बैंक की ही भांति निर्मित करनें का निर्णय लिया गया। नाबार्ड के शीर्ष प्रबंध तंत्र हेतु एक पन्द्रह सदस्यीय निदेशक मण्डल का गठन किया गया जिसमें अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक एवं तेरह निदेशकों की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार के द्वारा की गई। नाबार्ड के निदेशक मण्डल में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर की नियुक्ति भी की जाती है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप बना रहे। इसके अतिरिक्त निदेशक मण्डल में कृषि, राजस्व, राम कृष्ण मिशन, कृषि विज्ञान केन्द, राष्ट्रीय दुग्ध विकास केन्द्र, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आदि विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निदेशक पद पर नियुक्त

किया गया है। नाबार्ड में समस्त निदेशकों, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति पर भारत सरकार के द्वारा की जाती है।

चूंकि नाबार्ड को कृषि एवं ग्रामीण विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का कार्य है। इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए नाबार्ड ने पछत्तर पृथक विभागों की स्थापना की, जिनमें अलग-अलग महाप्रबन्धकों की नियुक्ति की गई। इसके साथ ही नाबार्ड ने प्रत्येक राज्य की राजधानी में अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर रखा है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय कार्यालय कामर्स हाउस, हबीबुल्ला इस्टेट, ११ महात्मा गांधी मार्ग, हजरत गंज, लखनऊ में स्थित है। ३१ मार्च २००१ तक की सूचनानुसार मुख्य महाप्रबन्धक पद पर आर. बाल. कृष्णन नियुक्त है तथा महा प्रबन्धक पद पर एच. आर मानखड, जी. एल. तवटे, एस. सी कौशिक, डॉ. बी. बी. सिंह नियुक्त हैं। इसके साथ ही नाबार्ड ने उत्तर प्रदेश के तीन प्रमुख जिलों में अपने शाखा कार्यालय भी स्थापित किये हैं। जिनमें इलाहाबाद में उप महाप्रबन्धक पद पर श्री दीपक कुमार, कानपुर में उप महाप्रबन्धक पद पर श्री राजेश कुमार तथा गाजियाबाद में एम. एस. राघव नियुक्त किये गये हैं।

नाबार्ड का मुख्य कार्य ग्रामीण विकास में संलग्न वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करना है उसके लिए जनता से प्रत्यक्ष समपर्क की आवश्यकता नहीं है, किन्तु नाबार्ड अपनी स्थापना के बीस वर्ष पूर्ण कर लेने के पश्चात् भी ग्रामीण वित्त पूर्ति की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाया है जिसका प्रमुख कारण जनता से प्रत्यक्ष सम्पर्क का अभाव माना जा रहा है। नाबार्ड को अशिक्षित एवं निरक्षर लोगों का विकास करना है जिसके लिए उनके नजदीक जाकर उनकी समस्याओं को समझना एवं उन्हें हल करनें का प्रयास करना चाहिए। अभी हमने बैंकिंग संस्थाओं को जनता के प्रत्यक्ष सम्पर्क में कार्य करने हेतु लगाया है किन्तु ग्रामीण विकास में लगी बैंकिंग संस्थाओं की कार्य प्रणाली अत्याधिक दोषपूर्ण होने के कारण ग्रामीणों को समुचित सुविधाएं समय से उपलब्ध नहीं हो पाती है जिससे ग्रामीण विकास बाधित होता है। इसलिए नाबार्ड के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह जनता के प्रत्यक्ष सम्पर्क में कार्य करने का

प्रयास करें जिसके लिए नाबार्ड को अपने कार्यालयों की संख्या वृद्धि करनी चाहिए कम से कम प्रत्येक जिले में एक शाखा कार्यालय की स्थापना की जानी चाहिए ताकि उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामीणों से नाबार्ड प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित कर सके, इसके अनेक लाभ हो सकते है जैसे : बैंकिंग संस्थाओं की कार्य प्रणाली में प्रत्यक्ष रूप से व्यापक निरीक्षण एवं नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, बैंकिग संस्थाओं के ऋण वसूली अनुपात में सुधार करके अनुत्पादक आस्तियों की स्थिति में सुधार किया जा सकता है।

वर्तमान समय में बैंकिंग संस्थाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि वे समय से किसानों को ऋण उपलब्ध नहीं कर पाती हैं जिसमें नाबार्ड का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होने पर सुधार किया जा सकता है, ग्रामीणों की शिकायत है कि बैंकों की कार्यप्रणाली सहयोगात्मक नहीं होती है। जब नाबार्ड प्रत्यक्ष निरीक्षण रखेगा तो इसमें भी सुधार होने की सम्भावना है, और जब नाबार्ड स्वयं किसानों के प्रत्यक्ष सम्पर्क में कार्य करेगा तो वह उनकी आवश्यकताओं का और अधिक अनुमान लगा सकेगा कि किसानों को किस समय, किस प्रकार के ऋणों की आवश्यकता है, उसी के अनुसार नाबार्ड बैंकिंग संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करके एवं आवश्यक दिशा निर्देश देकर ग्रामीण विकास के लक्ष्य को पूर्ण कर सकता है।

आज नाबार्ड के प्रबन्ध तंत्र में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि नाबार्ड की स्थापना का सबसे प्रमुख लक्ष्य, ग्रामीण वित्त की पूर्ति, आज भी अधूरा है और ग्रामीण वित्त की पूर्ति में गैर संस्थागत स्रोतों का हस्तक्षेप आज तक बना हुआ है जबकि आज स्थिति ये होनी चाहिए थी कि ग्रामीण वित्त की पूर्ति पूर्णतया संस्थागत स्रोतों से होनी चाहिए थी किन्तु हम आज तक ऐसा करनें में सफल नहीं हो सके हैं। इसलिए आज नाबार्ड के प्रबन्ध तंत्र में व्यापक परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है ताकि कृषि एवं ग्रामीण विकास के लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सके।

4. नाबार्ड की पूंजी संरचना :-

शिवरमण कमेटी की रिर्पोट के पैरा १२.१२ में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि नाबार्ड का और भारतीय रिजर्व बैंक का आपस में प्रत्यक्ष व नजदीकी सम्बन्ध होगा। जिसके लिए यह निर्धारित किया गया कि नाबार्ड की पूंजी का पचास प्रतिशत भाग भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दिया जायेगा और शेष पचास प्रतिशत पूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाई जायेगी। जिस समय नाबार्ड की स्थापना की रूपरेखा तैयार की जा रही थी, उस समय कृषि पुनर्वित्त एवं विकास कारपोरेशन (ए.आर.डी.सी.) की अधिकृत पूंजी सौ करोड़ रूपये थी। जिसके आधार पर यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रीय स्तर के बैंक की पूंजी इसकी अपेक्षाकृत काफी अधिक होनी चाहिए। इसलिए शिवरमण कमेटी के द्वारा नाबार्ड की अधिकृत पूंजी पांच सौ करोड़ रूपयें की संस्तुति की गई तथा प्रथम बार में नाबार्ड की प्रदत्त पूंजी सौ करोड़ रूपये रखनें की संस्तुति की गई जिसमें केन्द्रीय सरकार का व भारतीय रिजर्व बैंक का बराबर का अंश होगा।

वर्ष २००१ में नाबार्ड की पूंजी संरचना में परिवर्तन किया गया। वर्तमान समय में नाबार्ड की अधिकृत पूंजी पांच सौ करोड़ से बढ़ाकर पांच हजार करोड़ रूपये कर दी गई है। जिसमें ४९ प्रतिशत तक निजी अंशधरिता तथा ५१ प्रतिशत अंश भारत सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक के पास रहेंगे।

5. नाबार्ड की कार्यप्रणाली :-

वर्तमान समय में नाबार्ड जनता के अप्रत्यक्ष सम्पर्क में कार्य कर रहा है। ये न तो जनता से जमाएं स्वीकार करता है और न ही उनसे सीधे तौर पर लेन देन करता है और नहीं उन्हें सीधे प्रत्यक्ष रूप से ऋण स्वीकृत करता है। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास से सम्बन्धित आंकड़े एवं सूचनाएं एकत्र करता है, उनका गहन अध्ययन करता है उसके आधार पर ग्रामीण वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाया है व उसी मांग के अनुरूप ग्रामीण बैंकिंग में लगी वित्तीय संस्थाओं को वित्त उपलब्ध करता है जिनके माध्यम से ग्रामीणों तक वित्त पहुंचता है। नाबार्ड के द्वारा कृषि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय संस्थाओं

को अल्पकालीन मध्यकालीन एवं दीर्घ कालीन ऋणप्रदान किये जाते है व उन्हीं के अनुरूप बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा ग्रामीणों को वित्त उपलब्ध करवाये जाते है।

एक प्रकार से देखा जाय तो नाबार्ड की कार्यप्रणाली बिल्कुल उपयुक्त है कि सर्वप्रथम नाबार्ड ग्रामीण वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाता है, फिर उसी के अनुरूप बैंकिंग संस्थाओं को वित्त उपलब्ध करता है व बैंकों के द्वारा वित्त ग्रामीणों को प्रदान कर दिया जाता है। किन्तु वास्तविकता में इस प्रणाली में कुछ दोष व्याप्त है जिसके कारण कृषि एवं ग्रामीण विकास के लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका है। एक तो बैंकों की कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं है, ग्रामीण विकास में लगे ज्यादातर बैंक घाटे में चल रहे है कुछ बैंकों की स्थिति तो इतनी ज्यादा चिंताजनक है कि सरकार को उन्हें बन्द करनें का निर्णय लेना पड़ रहा है जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हाल ही में हम गोण्डा जिले में देख सकते है जहां लगातार घाटे मे चल रहे जिला सहकारी बैंक को बन्द करने का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक ने लिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित बैंकिंग संस्थाओं के घाटे में जाने का सबसे प्रमुख है ऋणों की अत्याधिक न्यूनतम वसूली, जिसके कारण बैंकों की पूंजी एक ही स्थान पर रूक जाती है व उसका प्रयोग अन्य उत्पादक कार्यो में नहीं हो पाता है और इसका एक और दोष यह है कि बैंक अपनी इस हानि की पूर्ति ब्याज की दर में वृद्धि करके उन ग्राहकों से करने का प्रयास करते है जो हमें ऋण वापस कर भी रहे है। इसलिए सर्वप्रथम तो बैंकों को यह प्रयास करना चाहिए कि वे अपने वसूली तंत्र को मजबूत करें ताकि ऋण वसूली अनुपात में वृद्धि की जा सके जिससे बैंकों की लाभदायकता में वृद्धि हो सके व बैंकों की अनुत्पादक आस्तियों में कमी आ सके जो कि नाबार्ड के लिए एक चिन्ता का विषय बनी हुई हैं। दूसरा बैंकों का ग्रामीणों के प्रति व्यवहार संतोषप्रद नहीं है, ग्रामीणों का कहना है कि बैंक कर्मचारियों द्वारा न तो हमें नयी योजनाओं के बारें में जानकारी दी जाती है और न ही बैंकों के द्वारा हमें समय पर ऋण प्रदान किये जाते हैं, कागजी कार्यवाहियों के कारण छोटा-से-छोटा ऋण मिलने में महीनों समय लग जाता है

जिससे ग्रामीणों में व्यापक असंतोष व्याप्त है और वे बैंक से ऋण प्राप्त करने के बजाय साहूकारों से ऋणप्राप्त करने में ज्यादा आसानी महसूस करते है।

नाबार्ड को ग्रामीण बैंकिंग संस्थाओं की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे अनुत्पादक आस्तियों की स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सका व ग्रामीणों में बैंकों के प्रति व्याप्त रोष को कम किया जा सके। नाबार्ड को यह दायित्व भी सौंपा गया था कि व्यापारिक बैंकों को ग्रामीण वित्त पूर्ति की ओर आकर्षित करना व्यवसायिक बैंकों की स्थिति काफी सुदृढ़ है तथा लगभग सभी व्यवसायिक बैंक लाभ कमा रहे है और यदि व्यवसायिक बैंक ग्रामीण वित्त पूर्ति में योगदान प्रदान करते तो निश्चित रूप से हम अपने ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होते। किन्तु स्थिति आज भी वैसी ही बनी हुई हैं। आज व्यवसायिक बैंक ग्रामीण वित्त पूर्ति में नाम मात्र का योगदान ही कर रहे है। व्यवसायिक बैंकों का सक्रिय रूप से ग्रामीण विकास में सहयोग प्राप्त न हाने के कारण ही नाबार्ड को ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) की स्थापना करनी पड़ी जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि व्यवसायिक बैंक आज भी ग्रामीण विकास में सक्रिय योगदान प्रदान नहीं रहें है।

नाबार्ड को व्यवसायिक बैंकों से उचित तालमेल एवं समन्वय स्थापित करके उन्हें भी ग्रामीण वित्त की पूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहिए क्योंकि यदि व्यवसायिक बैंकों का सहयोग नाबार्ड को प्राप्त हो जाए तो निश्चिय ही भारत के गांवों का विकास सम्भव हो सकता है। वर्तमान समय में नाबार्ड बैंकों के प्रत्यक्ष सम्पर्क मे कार्य कर रहा है जबकि समय की आवश्यकता एवं मांग के अनुसार उसे जनता के प्रत्यक्ष सम्पर्क में कार्य करना चाहिए, जनता से जमांए स्वीकार करके अपने कोष में वृद्धि करनी चाहिए ताकि उसका ग्रामीण विकास में और अधिक प्रयोग किया जा सके। नाबार्ड को अपने कार्यालयों की संख्या में वृद्धि करके किसानों से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि उनकी मांगों का अधिक से अधिक अनुमान लगाकर शीध्रातिशीध्र उसे पूर्ण किया जा सके।

6. उत्तर प्रदेश के ग्रामीण वित्त में नाबार्ड की भूमिका :-

भारतीय कृषक के पास वित्त प्राप्ति के मात्र दो ही स्रोत हैं प्रथम कृषक स्वयं तथा द्वितीय वह कहीं से ऋण प्राप्त करे। हमारे देश मे कृषि साख के ऊपर अनेक अध्ययन किये गये जो इस बात को स्पष्ट करते हैं किऐसे बहुत ही कम कृषक है जो कृषि साख को स्वयं पूरा कर लेते है और लगभग ९५ प्रतिशत कृषक वर्ग ऐसा है जो कि कृषि आवश्यकताओं को ऋण लेकर ही पूरा कर पाते हैं ग्रामीण साख पूर्ति के लिए सरकार अपनी विभिन योजनाओं के अंतर्गत इन कृषकों की सहायता करती रही है। वित्त पूर्ति की समुचित व्यवस्था न हाने से बहुत समय तक साहूकारों का राज चला और ग्रामीण वित्त पूर्ति पर साहूकारों का एकाधिकार स्थापित रहा। साहूकारों ने लम्बे समय तक ग्रामीणों का शोषण किया। अत्याधिक ब्याज दर पर ऋण प्रदान किये जिससे किसान पीढ़ी दर पीढ़ी ऋण से दबता चला गया। किसानों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक तथा राष्ट्रीय स्तर पर नाबार्ड की स्थापना की गई।

नाबार्ड की स्थापना से पूर्व कृषि क्षेत्र में शीर्ष बैंक का दायित्व भारतीय रिजर्व बैंक पर था किन्तु अब नाबार्ड ग्रामीण विकास हेतु एक शीर्ष संस्था है, जो ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं के लिए साख नीति, साख नियोजन, कृषि नीति, तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं के लिए साख नीति, नियोजन, कृषि नीति, तथा ग्रामीण विकास से सम्बन्धित योजनाएं तैयार करता है एवं उन्हें ग्रामीण विकास हेतु सम्पादित भी करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को वित्त उपलब्ध कराने के लिए यह बैंक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है।

नाबार्ड के द्वारा पुनर्वित्त सुविधा राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रदान किया जाता है। इस बैंक की वित्तीय सहायता का मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष लाभ कृषकों को सर्वाधिक होता है क्योंकि नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं

ग्रामीण विकास है जो कि किसानों को वित्त उपलब्ध करके पूर्ण किया जा सकता है। नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्र में दीर्धकालीन एवं अल्प कालीन वित्त की पूर्ति करके भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। नाबार्ड ने विभिन्न देशों तथा अंर्तराष्ट्रीय वित्तीय अभिकरणों के साथ मिलकर भी देश का समुचित विकास करने का प्रयास किया। नाबार्ड ने वर्ष २००१ तक विभिन्न अंर्तराष्ट्रीय अभिकरणों के साथ देश के ग्रामीण विकास के लिए २७० करोड़ रूपये के ऋण समझौते किये। इन समझौतें की प्रमुख बात यह है कि गांवों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलबध करायी जायेगी। ३१ मार्च २००२ तक नाबार्ड ने विदेशी सहायता से ४४ से अधिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान किया है। इनमें से १९ परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश के विकास के लिए विश्व बैंक से २२९ करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है तथा एक परियोजना के लिए पश्चिमी जर्मनी की एक साख कम्पनी से ७.२ करोड़ रूपये की ऋण स्वीकृत हुये है।

नाबार्ड के द्वारा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदढ़ बनाने के लिए अलपकालीन ऋण जो मूलतः मौसमी कृषि कार्यो के लिए, कमजोर वर्गो के लिए, छोटे किसानों के लिए रियायती वित्त सुविधा, तथा फसलों के विपणन एवं उर्वरकों के लिए ऋण स्वीकृत किया गया। नाबार्ड के द्वारा उत्तर प्रदेश के समन्वित ग्रामीण विकास हेतु पम्प सेट लगाने हेतु, डीजल इंजन लगाने हेतु, निर्यातोन्मुखी कृषि परियोजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई। चूंकि किसानों के लिए सिंचाई की समस्या काफी महत्व पूर्ण है जिसकी पूर्ति के लिए नाबार्ड किसानों को ट्यूबवेल लगाने, पक्की नालिया बनवाने, कुंए खुदवानें, पम्प सेट लगवानें आदि के लिए मध्यकालीन ऋण की अलग से व्यवस्था की गई जिसके लिए नाबार्ड ने ग्रामीण विकास में लगी बैंकिंग संस्थाओं को पृथक रूप में ऋण सुविधा उपलब्ध की, ताकि किसानों को सिंचाई के साधन सरलतापूर्वक उपलब्ध हो सकें। नाबार्ड ने फसलों की किस्म सुधारने का भी प्रयास किया जिसके लिए नाबार्ड ने वर्ष १९९४-९५ के दौरान उत्तम कृषि हेतु ६५ कुन्तल प्रमाणित बीज वितरित करवायें, इसी प्रकार वर्ष १९९९-२००० के दौरान ९१ लाख कुन्टल, प्रमाणित बीज वितरित

करवायें, इसी प्रकार २०००-२००१ के दौरान १०३ लाख कुन्टल प्रमाणित बीज वितरित किये गये जिससे अधिक उत्तम फसल प्राप्त हाने की आशा की जा रही है। नाबार्ड के द्वारा कृषि विकास के उद्देश्य से कृषि मशीनीकरण एवं यंत्रीकरण की सुविधा भी प्रदान की जाती है। किसानों के पास यदि उत्तम किस्म के कृषि उपकरण न हो तो निश्चय ही किसान उत्तम फसल प्राप्त करने मे सफल हो सकते हैं। जिसके लिए नाबार्ड के द्वारा बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से मध्यमकालीन ऋण उपलब्ध करवाये जाते हैं ताकि कृषि दशा में सुधार किया जा सका।

नाबार्ड कृषि में आधारभूत परिवर्तन करने के लिए दीर्घकालीन वित्त की सुविधा भी प्रदान करता है। जैसे : नये सिंचाई के स्थायी साधनों की व्यवस्था करने हेतु, नहर आदि की मरम्मत या व्यवस्था करने हेतु, नये बड़े कृषि यंत्र क्रय करने के लिए, नई कृषि भूमि क्रय करने के लिए नाबार्ड के द्वारा बैंकों के माध्यम से दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। इसके साथ ही नाबार्ड ने कृषि आधारित सहायक उद्योग जैसे : बागान, बागवानी, पशुपालन, भेड़पालन, मुर्गीपालन, सुअर पालन, बकरी पालन, हेतु नाबार्ड के द्वारा अलग से वित्त सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है। नाबार्ड ने कृषि के ऊपर अत्याधिक जन संख्या का भार को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु अलग से वित्तीय सुविधा प्रदान की ताकि कुछ जनसंख्या अन्य उद्योगों की ओर आकर्षित होकर नये उद्योगों में लग जाए ताकि कृषि के ऊपर से जनसंख्या के अतिदबाव को कम करके कृषि को एक लाभकर व्यवसाय बनाया जा सके। इसके साथ ही वर्ष १९९५-१९९६ में नाबार्ड ने ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आर.आई. डी.एफ.) की स्थापना की। इस निधि हेतु राशि वाणिज्यिक बैंक को यह लक्ष्य दिया जाता है कि उसे एक निश्चित राशि ग्रामीण विकास हेतु वितरित करनी है। यदि वाणिज्यिक बैंक उतनी राशि का विनियोग ग्रामीण विकास हेतु नहीं कर पाते है तो बची हुई राशि को इस निधि के अंतर्गत नाबार्ड के पास जमा कर दी जाती है और नाबार्ड के द्वारा इस निधि का प्रयोग कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु किया जाता हैं इस निधि का प्रयोग राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जानें वाली ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास की परियोजनाओं को

पूरा करने के लिए भी किया जा रहा है। वर्ष १९९९-२००० से इसे और अधिक विस्तारित करते हुए, इसमें पंचायती राज संस्थाओं, स्व सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि जैसी आधार स्तर की संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं को भी शामिल कर लिया गया है। यह नीति वर्ष २०००-२००१ के दौरान भी जारी रही। वर्ष २०००-२००१ के केन्द्रीय बजट में उक्त निधि के चरण छः के लिए ५००० करोड़ रूपये के आंवटन की घोषणा की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण तथा बिजली की समुचित व्यवस्था करने हेतु तथा विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत प्राथमिकता दी जा रही है। वर्ष के दौरान अन्य प्रयोजनों में मृदा संरक्षण, वाटरशेड, विकास, जल निकासी व्यवस्था, ग्रामीण मण्डी स्थल, वन प्रबन्ध, अन्तर्देशीय जल मार्गो, ग्रामीण पेयजल, नागरिक सूचना केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रों और प्राथमिक विद्यालयों के लिए भवन, फूड पार्को प्रणालियों में सुधार इत्यादि को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर और केरल जैसे कुछ राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अंतर्देशीय जलमार्गो और ग्रामीण मंडी स्थलों को भी इसमें शामिल किया गया। मछली पकड़नें में घाटों और फसलों को सुरक्षित रखने हेतु गोदामों के निर्माण जैसी बुनियादी आवश्यकताओं हेतु ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि में से ऋण प्रदान किया जाता है।

7. नाबार्ड द्वारा बैंक कार्मिकों का प्रशिक्षण :-

नाबार्ड ग्रामीण विकास में लगी बैंकिंग संस्थाओं के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से उन्हें प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करता है। पूरे देश में नाबार्ड के द्वारा अनेक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड) लखनऊ में स्थापित किया गया है। बर्ड के कार्यकलापों का केन्द्र बिन्दु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनरूद्धार एवं प्रशिक्षण, परामर्श और अनुसंधान के माध्यम से सहकारी ऋण प्रणाली को सुदृढ़ करना है गत वर्ष में

बर्ड ने १४० इन हाउस कार्यक्रम चलायें जिनमें २५८० प्रशिक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। गत वर्ष में बर्ड, लखनऊ को २२९.१३ लाख की अनुदान सहायता प्रदान की गई। नाबार्ड के द्वारा बैंक कर्मचारियों की कार्यकुशलता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु उन्हें लगातार प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है किन्तु बैंक कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में कोई विशेष सुधार नहीं हो सका है। हमनें विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों से सम्पर्क किया और लगभग सभी स्थानों पर बैंक कर्मचारियों की कार्य प्रणाली से किसान असंतोष मिले। सभी स्थानों पर उनका यही आरोप था कि बैंक कर्मचारी किसानों की मदद नहीं करना चाहते है, उन्हें नयी योजनाओं की जानकारी प्रदान नही की जाती है। बैंकों की कागजी कार्यवाही इतनी अधिक लम्बी कर दी जाती है कि किसानों को समय से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है इसलिए बैंक कर्मचारियों को अभी और व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि वे अपने ग्राहकों को संतुष्ट रख सके।

ग्रामीण विकास में लगी वित्तीय संस्थाओं की लाभदायक क्षमता भी अत्याधिक कम हो चुकी है और ज्यादातर बैंक तो लगातार घाटे में ही चल रहे है। बैंकों की इस बिगड़ती दशा के लिए भी उनकी दोषपूर्ण कार्यप्रणाली ही जिम्मेदार है क्योंकि वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वसूली अनुपात अत्यधिक कम है अर्थात् बैंक अपने ऋणों की वसूली करने में पूरी तरह से असमर्थ हो रहे हैं डूबते ऋणों की संख्या में लगातार वृद्धि होते रहने से अनुत्पादक आस्तियों की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। बैंकों का पैसा लगातार डूब रहा है जिससे उनकी स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है कई बैंक तो इस कगार पर खड़े है कि कब न उन पर ताला पड़ जाए इस सबके लिए केवल बैंक कर्मचारी जिम्मेदार है यदि वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन वखूबी करें तो निश्चय ही इन समस्याओं का हल निकाला जा सकता है।

बैंक द्वारा अपना ऋण वसूल करना तो उसकी जिम्मेदारी भी है और अधिकार भी। इसलिए यदि बैंक कर्मचारी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार कर लें तो निश्चय रूप से ही इन बैंकिंग संस्थाओं के घाटे को कम किया जा सकता है और ये ग्रामीण विकास में लगे बैंक भी लाभ की स्थिति में रहेंगे तो वे ग्रामीण विकास के लिए नई-नई योजनाएं बनायेंगे और उन्हें जिम्मेदारी पूर्वक लागू करेंगे। यदि हम ग्रामीण विकास

में लगी वित्तीय संस्थाओं की स्थिति में सुधार करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमें उन्हें उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। नाबार्ड को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि ग्रामीण विकास में लगी बैंकिंग संस्थाओं के प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम वर्ष में एक बार प्रशिक्षण अवश्य प्रदान किया जाए ताकि उनकी कार्यकुशलता में सुधार किया जा सके और आज जो ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं में अनुत्पादक आस्तियों की चिन्ताजनक स्थिति बनी हुई है उस पर नियंत्रण किया जा सके।

8. नाबार्ड द्वारा बैंकों का पर्यवेक्षण :-

नाबार्ड की कार्यप्रणाली भारतीय रिजर्व बैंक से मिलती जुलती है। इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक की ही भांति नाबार्ड को बैंकों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया है। नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण विकास में लगी समस्त बैंकिंग इकाइयों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है जिसमें नाबार्ड उनकी कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करता है, लाभदायकता क्षमता का विश्लेषण करता है तथा खातों की जांच भी कर सकता है। यदि इस निरीक्षण में किसी बैंक की दशा खराब पायी जाती है या उसमें अनुत्पादक आस्तियों की संख्या अत्याधिक ज्यादा पायी जाती है तो नाबार्ड के द्वारा ऐसे बैंकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाते हैं। जिन बैंकों की दशा ज्यादा खराब पायी जाती है उन्हें विशेष निर्देश दिये जाते है व नाबार्ड द्वारा उन्हें कुछ निश्चित लक्ष्य प्रदान किये जाते है इसलिए उन्हें चिन्हित बैंक कहा जाता है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम १९४९ के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आवधिक स्वैच्छिक निरीक्षण की सांविधिक जिम्मेदारी नाबार्ड को सौपी गयी है। इसके अलावा नाबार्ड राज्य स्तर की सहकारी संस्थाओं जैसे राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, शीर्ष बुनकर सहकारी समितियों, राज्य सहकारी विपणन संघों इत्यादि का आवधिक स्वैच्छिक निरीक्षण भी करता है। इन निरीक्षणों का बुनियादी उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करनें के लिए बैंकों की वित्तीय और प्रबन्धकीय क्षमताओं की जांच करना है साथ ही कानूनों और विनियमनों के अनुरूप

सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली को बनाए रखना भी इनका उद्देश्य है। आज बैंकों को दी जा रही अधिक प्रबन्धकीय स्वतंत्रता के फलस्वरूप पर्यवेक्षण प्रणाली को मजबूत करनें की आवश्यकता महसूस हुई। आज पर्यवेक्षण प्रणाली को बदलती जरूरतों के अनुरूप पुर्नभिमुखीकृत करनें की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में नाबार्ड ने १९९८-९९ के दौरान परोक्ष निगरानी प्रणाली के रूप में एक पूरक प्रणाली शुरू की थी। इस प्रणाली के अंतर्गत बैंकों के वित्तीय निष्पादन और उनकी सुदृढ़ता का निरंतर आधार पर अनुप्रवर्तन करनें के लिए बैंकों से निर्धारित आवधिक विवरणियों के सेट प्राप्त किये गये थे जहां कही आवश्यक हुआ, वहां पहले से ही चेतावनी संकेत दिये गये, कमजोर बैंकों की पहचान की गई और उनका दौरा किया गया तथा उन्हें सुधार के लिए उचित उपाय करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया।

वर्ष २००१-२००२ के दौरान कम्प्यूटरीकृत आकड़े निर्माण और संसाधन की प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास जारी रहे। विभिन्न राज्य सरकारों ने उन लेखा परीखा विभागों के साथ समय समय पर विचार विमर्श किया जो सहकारी बैंकों, और वित्तीय संस्थाओं की लेखा परीक्षा करते हैं। ऐसे आवधिक विचार विमर्श, लेखा परीक्षा और सांविधिक निरीक्षणों के विस्तृत क्रियाकलापों में केन्द्राभिमुखता लाने के उद्देश्य से किये गये। परिचालन सम्बन्धी मुद्दों को सुलझायें और साथ ही लेखांकन, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण, मानदण्डों से सम्बन्धित नवीनतम नीतियों और कार्यविधियों का प्रसार करनें के लिए राज्य स्तर पर संगोष्ठियां एवं सम्मेलन भी आयोजित किये गये। बैंकों में जोखिम और जोखिम प्रबन्ध प्रणालियों के विश्लेषण पर अधिक जोर देते हुए नाबार्ड ने प्रत्यक्ष निरीक्षण सम्बन्धी मार्गनिर्देशों की पुनः समीक्षा की और उनमें संशोधन किये गये। नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण बैंकिंग में लगी संस्थाओं का निरीक्षण भी किया जाता है। नाबार्ड के द्वारा किसी भी बैंक को पूर्व सूचना देकर या सूचना दिये बिना बैंक का निरीक्षण किया जा सकता है। निरीक्षण के भय से बैंक अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने का प्रयास करते हैं। ग्राहकों से मधुर सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास करते है, अपनी लेखा पुस्तकें ठीक

रखते है। निरीक्षण के द्वारा नाबार्ड इनमें समुचित सुधार का प्रयास करता है ताकि ये ठीक ढ़ग से ग्रामीण विकास में अपना योगदान प्रदान कर सके।

मैं अपनी शोध के आधार पर कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नाबार्ड की सराहनीय भूमिका है। नाबार्ड की स्थापना से कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक सुधार एवं परिवर्तन हुए है। नाबार्ड ने अपनी स्थापना काल से लेकर आज तक ग्रामीण वित्त पूर्ति का प्रयास किया है। यह सत्य है कि नाबार्ड के सहयोग से कृषि एवं ग्रामीण विकास सम्भव हुआ है किन्तु यह पर्याप्त नहीं है, आज भी नाबार्ड में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है, नाबार्ड में अनेक कमियां स्पष्ट हुई हैं, यदि हम उनमें सुधार करनें मे सफलता पा सके तो निश्चित रूप से नाबार्ड अपनी स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इसलिए नाबार्ड के योगदान को पर्याप्त एवं पूर्ण नहीं कहा जा सकता है आज इसमें व्यापक परिवर्तन एवं सुधार की आवश्यकता है।

समीक्षोंपरान्त प्रगति हेतु सुझाव :-

मैं अपनी शोध के आधार पर नाबार्ड की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं, जिनकी सहायता से नाबार्ड अपनी स्थापना के लक्ष्य को पूर्ण कर सकता है :-

- नाबार्ड को अपने प्रबन्ध तंत्र में परिवर्तन लाना चाहिए। नाबार्ड के मध्यस्तरीय प्रबन्धकों के ऊपर कार्य का उत्तरदायित्व अत्याधिक ज्यादा है जिससे वे अपने दायित्वों को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं कर पाते है। मैंने अपनी शोध में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अध्ययन किया जिसमें मैंने पाया कि नाबार्ड ने सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के कार्य संचालन के लिए मात्र एक क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित किया है तथा प्रदेश के तीन प्रमुख जिलों इलाहाबाद, कानपुर, तथा गाजियाबाद में एक एक कार्यालय स्थापित किया है। इन तीनों जिलों के कर्यालयों में स्टाफ के नाम पर मात्र एक एक

व्यक्ति उप महाप्रबन्धक के पद पर नियुक्त है जो कि उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े भाग की ग्रामीण वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाते हैं, बैंकों का निरीक्षण करते है, किस क्षेत्र को किस चीज की आवश्यकता है के विषय में अनुमान लगाते है अर्थात् कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी मात्र एक व्यक्ति को सौंप दी गई है।

शोध कार्य द्वारा एकत्र की गई सूचनाओं से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की कृषि आवश्यकताओं एवं ग्रामीण वित्त पूर्ति हेतु मात्र एक क्षेत्रीय कार्यालय व तीन अन्य कार्यालय पूर्णतया अपर्याप्त है। अतः नाबार्ड को यह प्रयास करना चाहिए कि निकट भविष्य में प्रदेश के सभी शहरों में अपने कार्यालय स्थापित करें जिससे कि कृषि आवश्यकताओं का सही अनुमान लगाया जा सके व उन्हें यथा समय पूर्ण करनें की व्यवस्था की जा सके। अतः वर्तमान कृषि आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में नाबार्ड को तत्काल अपने प्रबन्धतंत्र एवं संगठनात्मक संरचना में परिवर्तन का प्रयास करना चाहिए। जिससे भविष्य की कार्यप्रणाली में सुधार की आशा की जा सकती है।

- ❖ मैंने अपने शोध में पाया की नाबार्ड को जनता के प्रत्यक्ष सम्पर्क में कार्य करना चाहिए। अभी तक नाबार्ड जनता से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। नाबार्ड कृषि आवश्यकताओं एवं ग्रामीण वित्त की मांग का अनुमान लगाकर उसे विभिन्न बैंकिंग संस्थाओं द्वारा पूर्ण करवाने का प्रयास करता है। इस प्रकार वह जनता के प्रत्यक्ष सम्पर्क में नहीं आता है। किन्तु वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नाबार्ड को प्रत्यक्ष सम्पर्क में कार्य करना चाहिए। जिससे कि वह किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं को जान सके, उन्हें किस प्रकार के वित्त की अथवा किस प्रकार के सहायता की किस समय आवश्यकता है कि स्पष्ट जानकारी समय से प्राप्त हो सके, यदि बैंकों से ग्रामीणों को शिकायत है तो उसकी सूचना सीधे नाबार्ड को दी जा सकती है ताकि नाबार्ड तत्काल उचित कार्यवाही कर सके।

इसलिए वर्तमान समय में नाबार्ड को जनता के नजदीक आकर उनकी वास्तविक आवश्यकताओं एवं जरूरतों को समझ कर कार्य करना चाहिए ताकि अब निकट भविष्य में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लक्ष्य को शीध्रतिशीध्र प्राप्त कर सकें।

❖ मैंने अपनी शोध में पाया कि ग्रामीण विकास में लगी बैंकिंग संस्थाओं की कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि बैंकों की लम्बी कार्यवाही के कारण उन्हें कभी समय से वित्त उपलब्ध नहीं हो पाता है। बैंक कर्मचारी ग्रामीणों की सहायता नहीं करना चाहते हैं, उन्हें बैंकों की नवीन योजनाओं की जानकारी प्रदान नहीं करते है। अर्थात् बैंकिंग संस्थाओं के हाने के पश्चात् भी ग्रामीण उनसे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं।

अतः नाबार्ड को यह प्रयास करना चाहिए कि बैंक कार्मिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए जिससे बैंक कार्य को शीध्र समाप्त किया जा सके या किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं लागू की जाएं जिससे किसानों को समय से तत्काल ऋण उपलग्ध हो सके। अतः बैंक कर्मिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण एवं कड़े निर्देश दिये जाने चाहिए कि उन्हें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करके ग्रामीणों की हर सम्भव सहायता करनी चाहिए।

❖ मैंने अपनी शोध में पाया कि नाबार्ड ग्रामीण विकास में लगी बैंकिंग संस्थाओं के मध्य उचित समन्वय एवं तालमेल स्थापित करने में असफल रहा है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हाल ही में हम ग्रामीण बैंक में देख सकते है। वर्तमान समय में ग्रामीण बैंक के द्वारा स्वयं को राष्ट्रीय बैंक बनाये जाने की मांग की जा रही है जो कि नाबार्ड की असफलता को स्पष्ट करता है।

इसलिए नाबार्ड को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह ग्रामीण विकास में लगी बैंकिंग संस्थाओं के मध्य उचित तालमेल स्थापित करें। यदि सभी संस्थाएं आपस में एक साथ एक जुट होकर,

सहयोग के साथ कार्य करें तो निश्चय ही कृषि एवं ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए नाबार्ड को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वित्तीय संस्थाओं को समन्वित किया जा सके और उनका उचित सहयोग ग्रामीण वित्त पूर्ति हेतु प्राप्त किया जा सके।

❖ मैंने अपनी शोध में पाया कि वर्तमान समय में ग्रामीण वित्त पूर्ति में केवल ग्रामीण बैंकिंग संस्थाएं ही योगदान प्रदान कर रही है। जबकि व्यावसायिक बैंकों का सहयोग भी नितांत आवश्यक है। नाबार्ड को यह प्रयत्न करना चाहिए कि उसे व्यावसायिक बैंकों से उचित सम्पर्क स्थापित करके उन्हें ग्रामीण वित्त पूर्ति हेतु प्रेरित करना चाहिए। वर्तमान समय में वाणिज्यिक बैंकों की स्थिति उत्तम हैं, वाणिज्यिक बैंक लगातार मुनाफे में व्यापार कर रहे हैं। इसलिए नाबार्ड को वाणिज्यिक बैंकों से उचित तालमेल स्थापित करके, उनकी शाखाएं गांवों में खोलने का प्रयास करना चाहिए ताकि ग्रामीण वित्त पूर्ति की समुचित व्यवस्था की जा सके।

वर्तमान समय में यह अतिआवश्यक है कि वाणिज्यिक बैंकों का सहयोग भी ग्रामीण वित्त पूर्ति में लिया जाए। इनके सहयोग से निश्चित रूप से ही ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करनें में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए नाबार्ड को कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वाणिज्यिक बैंकों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

❖ मैंने अपनी शोध में पाया कि ग्रामीण विकास में लगी बैंकिंग संस्थाएं लगातार घाटे में चल रही है जिसका प्रमुख कारण अनुत्पादक आस्तियां हैं। कई बैंकों में तो अनुत्पादक आस्तियों की हालत इतनी अधिक बिगड़ चुकी है कि बैंक बन्द होने की कगार पर हैं।

नाबार्ड को बैंकिंग संस्थाओं में बढ़ती अनुत्पादक आस्तियों की समस्या को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए यह अतिआवश्यक है कि बैंक कार्मिकों को व्यापक प्रशिक्षण दिये

जाये जिससे वे बैंक के धन को सुरक्षित रखने में समर्थ हो सके। बैंक कार्मिकों को ऋण वसूली व्यवस्था की पर्याप्त जानकारी एवं प्रशिक्षण दिये जाने चाहिए जिससे अनुत्पादक आस्तियों को बननें से ही रोका जा सके। बैंक कार्मिकों को ये आवश्यक निर्देश दिये जाने चाहिए कि ऋण देते समय ही पर्याप्त सावधानी बरती जाए, जमानत आदि की कार्यवाही को पूर्ण किया जाए जिससे बैंकों के धन को डूबने की सम्भावना कम हो जाए। इसलिए वर्तमान समय में नाबार्ड को अनुत्पादक आस्तियों की बिगड़ती दशा में नियंत्रण हेतु तत्काल समुचित व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि ग्रामीण विकास में लगी वित्तीय संस्थाओं की बिगड़ती दशा में नियंत्रण प्राप्त किया जा सका।

❖ नाबार्ड को अपनी पुनर्वित्तीयन व्यवस्था में भी परिवर्तन लाना चाहिए। मैंने अपनी शोध में एकत्र सूचनाओं एवं आंकड़ों के आधार पर ज्ञात किया कि नाबार्ड बड़ी योजनाओं के लिए व दीर्घकालीन ऋणों की स्वीकृति अधिक प्रदान करता है। जबकि किसानों की आवश्यकताएं छोटी छोटी व अल्पावधि की होती है। दीर्घकालीन योजनाएं किसानों को ही लाभान्वित करती हैं, किन्तु लम्बे अन्तराल के पश्चात् और तब तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, किसानों को छोटी-छोटी धनराशि की आवश्यकता होती है जो कि उसे सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं।

इसलिए वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नाबार्ड को छोटी-छोटी एवं अल्पावधि वाली योजनाओं की पूर्ति हेतु भी पुनर्वित्त व्यवस्था उपलब्ध करनी चाहिए ताकि किसान अपनी छोटी कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति भी संस्थागत स्रोतों की सहायता से कर सकें।

❖ भारतीय गांव आज भी आधारभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जैसे गांवों में आज भी पेयजल की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, गांवों में आज भी शिक्षा की उचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, गांवों में आज भी यातायात की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, गांवों में आज भी परिवार

नियोजन के साधनों का व उनके सम्बन्ध में उचित जानकारी का पूर्णतया अभाव है, गांवों में आज भी मनोरंजन के साधनों का पूर्णतया अभाव है, अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आधारभूत सुविधाओं की अपर्याप्तता है।

अतः नाबार्ड को यह प्रयास करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम आधारभूत सुविधा विकास निधि की स्थापना की गई है। इस निधि से नाबार्ड राज्य सरकारों को ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पुनर्वित्त प्रदान करता है। नाबार्ड को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि इस निधि का समुचित उपयोग ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति हेतु किया जा रहा है अथवा नहीं।

- मैंने अपनी शोध में पाया कि भारतीय कृषि के ऊपर जनसंख्या का दबाव अत्याधिक ज्यादा है। इसका प्रमुख कारण है कि किसान के पास अन्य कोई रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं रहते हैं। जिससे वह तथा उसका परिवार मात्र कृषि आय पर ही निर्भर रहते हैं। कृषि पर जनसंख्या का दबाव अत्याधिक ज्यादा होने की वजह से कृषि आज अलाभकर व्यवसाय बनी है।

इसलिए नाबार्ड को कृषि के ऊपर से जनसंख्या के दबाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाए जिससे परिवार के अन्य सदस्य भी आय प्राप्त कर सके और कृषि के ऊपर जनसंख्या का दबाव कम हो सके। इसलिए वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप नाबार्ड को ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के व्यापक प्रयास करने चाहिए। जिससे कृषि को एक लाभकर व्यवसाय में परिवर्तित किया जा सके।

शोध सारांश :-

मैं अपनी शोध के आधार पर नाबार्ड के विषय में निम्नलिखित कथन कहना चाहूंगा :-

- नाबार्ड ने कृषि एवं ग्रामीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नाबार्ड का योगदान सराहनीय रहा है।
- उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नाबार्ड के योगदान को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है।
- नाबार्ड की वर्तमान स्थिति में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है।
- नाबार्ड ने अपनी स्थापना के लक्ष्यों को पूर्ण तो किया है किन्तु पूरी तरह से नहीं किया है।
- नाबार्ड की स्थापना से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार एवं परिवर्तन हुए हैं।
- नाबार्ड की स्थापना से ग्रामीण वित्त पूर्ति की समस्या को काफी हद तक हल कर लिया गया है।
- नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास की एकाकी संस्था के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।
- नाबार्ड की स्थापना से किसानों को आधारभूत सुविधाओं की प्राप्ति सरलतापूर्वक हो जाती है।
- नाबार्ड ग्रामीण पुनर्वित्त पूर्ति के एकमात्र स्रोत के रूप में कार्य कर रहा है।

इस अध्ययन से निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान समय में नाबार्ड उत्तर प्रदेश में ग्रामीण वित्त पूर्ति का प्रयास कर रहा है किन्तु यह पर्याप्त नहीं है, और इसमें व्यापक परिवर्तन एवं सुधार की आवश्यकता है। नाबार्ड का योगदान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सराहनीय है किन्तु यह पूर्ण नहीं है इसलिए नाबार्ड को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए। नाबार्ड में सुधार हेतु निकट भविष्य में भी सुझाव दिये जायेंगे।

सूचना स्त्रोत

1. *क्रैफीकार्ड रिपोर्ट* — *भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित*
2. *वार्षिक रिपोर्ट* — *नाबार्ड*
3. *व्यक्तिगत सूचनाओं के आधार पर*

******

संदर्भ सूची

१. सिंह, अरूणेश, २००१, भारतीय अर्थव्यवस्था,
प्रकाशक - ज्ञान भारती पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीव्यूटर्स, इलाहाबाद।

२. मिश्र, जगदीश नारायण, १९९०, भारतीय अर्थव्यवस्था,
प्रकाशक - लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद।

३. गर्ग, अरूण कुमार एवं गर्ग, अंजू, १९९९, मुद्रा तथा अधिकोषण,
प्रकाशक - साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।

४. आहूजा, एच० एस०, १९९०, मुद्रा - बैंकिंग एवं लोक वित्त,
प्रकाशक - एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि०, नई दिल्ली।

५. मिश्रा, एम० एन०, १९९०, मुद्रा - बैंकिंग एवं लोक वित्त,
प्रकाशक - एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि०, नई दिल्ली।

६. रूद्र दत्त तथा के० पी० एम० सुन्दरम् , १९९१, भारतीय अर्थव्यवस्था,
प्रकाशक - एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि०, नई दिल्ली।

७. सेठी, टी० टी०, १९९०, मुद्रा - बैंकिंग एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार,
प्रकाशक - एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि०, नई दिल्ली।

८. सिन्हा, वी० सी०, १९८५, भारतीय अर्थशास्त्र,
प्रकाशक - लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद।

९. सिन्हा, वी० सी० एवं सिन्हा, पुष्पा, १९९०, मुद्रा - बैंकिंग एवं विदेशी विनिमय,
प्रकाशक - लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद।

१०. *सिदद्दीकी, ए० ए०, १९९९, मुद्रा - बैकिंग एवं विदेशी विनिमय,*

प्रकाशक - प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।

११. *ग्रामीण कृषि साख सर्वेक्षण कमेटी रिपोर्ट,*

प्रकाशिक - भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया।

१२. *शिवरमण कमेटी रिपोर्ट (क्रैफीकार्ड),*

प्रकाशिक - भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया।

१३. *शाही कृषि आयोग रिपोर्ट,*

प्रकाशिक - भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया।

१४. *नेशनल बैंक न्यूज रिब्यू,*

प्रकाशिक - सूचना प्रणाली और कम्प्यूटर सेवा विभाग (नाबार्ड़)।

१५. *वार्षिक रिर्पोट (नाबार्ड़),*

प्रकाशिक - राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड़)।

१६. *मासिक पत्रिका - योजना,*

प्रकाशिक - सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।

१७. *मासिक पत्रिका - कुरूक्षेत्र,*

प्रकाशिक - ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।

१८. *Chakravarti, S., 1985, Report of the Committee to review the working of the monetary system.*

१९. *Hajela, P. D., 1983, the problem of Menetary policy in underdeveloped countries.*

२०. *Gupta, S. B., 1990, Monetary Planning for India.*

२१. *Subramanya, S., 1980, Trends and Progress of Banking in India.*

२२. *Sinha, S. L. N. and Ramman, A., 1990, Credit Panning and Policy.*

२३. *Naidia, L. K., 1985, Bank Finance for Rural Development.*

२४. *Gupta, S. B., 1982, Monetary Economics Institutions, Theory and Ploicy.*

२५. *Narula, R. K., 1984, Agricultural and Rural Advances by Commercial Bank.*

WEB SIDES :-

✓ *www.bankreport.rbi.org.in*

✓ *www.wss.rbi.org.in*

✓ *www.bulletin.rbi.org.in*

✓ *www.nabard.org.in*

NEWSPAPER :-

१. आज

२. दैनिक जागरण

३. अमर उजाला

४. अमृत प्रभात

******

Devendra Tripathi 227, Triveni Nagar, Naini, Allahabad Ph.No. (0532) 696417.